

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
AT DELHI PRINCIPAL BENCH
ORIGINAL APPLICATION NO. 593/2017**

IN THE MATTER OF:

PARYAVARAN SURAKSHA SAMITI

& ANOTHER

.... APPLICANT

VS

UNION OF INDIA & 2 OTHERS

....RESPONDENT

INDEX

S.NO	PARTICULARS	PAGE.NO
1.	REPORT ON BEHALF OF THE STATE OF UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE WITH THE ORDER DATED 20.12.2023	1
2.	A detailed progress report of 45 under-construction STPs is enclosed as Annexure-1.	24
3.	The remaining 19 STPs are under the tendering stage and shall be commissioned by June 2025. A list of 19 STPs is enclosed as Annexure 2.	28
4.	The timeline for completion of these 310 STPs has been proposed by December 2025. Details of these 310 STPs are enclosed as Annexure-3.	31
5.	A true copy of the stp, Apart from this 346 MLD-treated sewage is used for irrigation as per the details enclosed herewith as Annexure 4.	45
6.	The details of the meetings of DEC's are enclosed as Annexure-5.	46
7.	A copy of the letter of the GoUP dated 02-04-2024 is enclosed as Annexure-6.	48
8.	A copy of said office memorandum dated 08-09-2023 is enclosed as Annexure 7.	49

4029

9	A copy of the Show Cause Notice dated 28-11-2023 is enclosed as Annexure-8.	53
10.	A copy of the Show Cause Notice dated 26-09-2023 is enclosed as Annexure-9.	54
11	A copy of the Show Cause Notice dated 03-11-2023 is enclosed as Annexure-10.	57
12	A copy of the letter dated 13.10.2023 is enclosed as Annexure-11.	61
13	The minutes of the meeting of the Accountability Fixation Committee dated 18.10.2023, 14.12.2023 and 12-04-2024 are enclosed as Annexure-12, 13 & 14.	64
14	The status chart of 134 STPs comprising installed capacity, utilized capacity and status of compliance with respect to standards is enclosed as Annexure-15.	92
15	The details of 15 non-complying STPs with analysis data are enclosed as Annexure 16.	101
16	A list of 40 Defaulting STPs with data on imposed Environmental Compensation, deposited Environmental Compensation and details of directions to DMs is enclosed as Annexure-17.	103
17	Copy of Letters dated 03-10-2022, 05-12-2022, and 15-09-2023 are annexed herewith as Annexure-18.	141
18	Copy of Letters of UPPCB are enclosed as Annexure-19.	149
19	A chart showing the quality of treated effluent above mentioned CETPs is enclosed as Annexure-20.	211
20	A copy of letters dated 23-06-2023 is enclosed as Annexure-21 & 22 respectively.	213
21	A copy of the State has a total operational solid waste processing capacity of 14,881 TPD (73 % of total solid waste generated in the State). A list of 22 MSW plants, 711MRFs, 868 compost pits and 5 Waste Energy plants are enclosed as Annexures-23, 24, 25 and 26.	217
22	A true copy of the plan, the State shall have a processing capacity of 27,743 TPD by December 2025 List of 04 MSW plants and 11 Waste to Energy plants/Bio-CNG plants are enclosed as Annexures 27 and 28.	235

23	A list of Legacy waste sites where remediation is going on is enclosed as Annexure-29.	237
----	--	-----

THROUGH



PRIYANKA SWAMI

ADVOCATE

STATE OF UTTAR PRADESH

Standing Counsel for the State of Uttar Pradesh

F - 13, Ground Floor, Jangpura Extension,

New Delhi - 110014

DATE: 19.04.2024

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
AT DELHI PRINCIPAL BENCH**

ORIGINAL APPLICATION NO. 593/2017

IN THE MATTER OF:

PARYAVARAN SURAKSHA SAMITI

& ANOTHER

.... APPLICANTS

VS

UNION OF INDIA & OTHERS

....RESPONDENT(s)

**REPORT ON BEHALF OF THE STATE OF UTTAR
PRADESH IN COMPLIANCE WITH THE ORDER DATED
20.12.2023**

That the Compliance Report on behalf of the State of Uttar Pradesh in compliance with of Order Dated 20-12-2023 passed by Hon'ble National Green Tribunal in O.A. No. 593/2017 Paryavaran Suraksha Samiti Vs UOI & Ors.

That Hon'ble National Green Tribunal (hereinafter referred to as "NGT") dated 20.12.2023 has passed the order in O.A. No. 593/2017. The operative portion for the same is reproduced hereunder:

" 57. In the report, reference has also been made to order dated 23.03.2023 passed in OA 606/2018 wherein para 72(iv), Tribunal by order dated 23.03.2023 recorded statement of Chief Secretary, State of UP and

directed for creation of a ring-fenced account of Rs. 5,000 crores or more, so that said amount could have been utilized for meeting expenses for payment of environmental compensation, other necessary functions required for compliance of Water Act 1974, excluding those which functions, duties and obligations are to be discharged under regular budget allocation by State Govt., local bodies and their authorities. When questioned, learned Additional Advocate General could not show as to whether any such ring-fenced account has been set apart. A personal affidavit shall be filed by Chief Secretary, UP within one month clearly stating whether above direction has been complied with and also whether any amount has been released from said ring-fenced account and purpose for which amount was released.....”

That it is respectfully submitted that the Hon'ble Supreme Court vide its final Order dt. 22.02.2017 in W.P. (Civil) No. 375 of 2012 had inter alia, directed that any industry without a primary ETP would not be allowed to operate; and that the respective governments should set up Common Effluent Treatment Plants (‘CETPs). The timelines for such CETPs to be set up were provided in paras 8 and 10, which are reproduced below:

“8. In view of the fact that the financial position has been taken care of, as has been expressed above, we are of the view, that the setting up of "common effluent treatment plants", should be taken up as an urgent mission. With reference to common effluent treatment plants, which are already under implementation, we hope and expect that they would be completed within the timelines already postulated. With reference to common effluent treatment plants, which are yet to be set up, we consider it just and appropriate to direct the State Governments concerned (including the Union Territories concerned) to complete the same within a period of three years, from today. We are also of the view that while acquiring land for the "common effluent treatment plants" the State Governments concerned (including the Union

Territories concerned, a will acquire such additional land, as may be required for setting up "zero liquid discharge plants", if and when required in the future.

"10. ...The norms for generating funds for setting up and/or operating the "common effluent treatment plant" shall be finalized on or before 31-3-2017, so as to be implemented with effect from the next financial year. In case, such norms are not in place, before the commencement of the next financial year, the State Governments (or the Union Territories) concerned, shall cater to the financial requirements, of running the "common effluent treatment plants". which are presently dysfunctional, from their own financial resources."

1. That it is pertinent to mention that, a deadline of 31.03.2020 was granted to set up such CETPs. At the same time this Hon'ble Supreme Court, in para 12 also directed that Sewage Treatment Plants ('STPs'), dealing with the treatment of municipal/domestic sewage, be set up within the same timeline. Para 12 is reproduced below:

"12. We are of the view that in the manner suggested above, the malady of sewer treatment, should also be dealt with simultaneously. We, therefore, hereby direct that "sewage treatment plants" shall also be set up and made functional, within the timelines and the format expressed hereinabove."

2. **Current Status of Sewage Treatment:** That it is submitted, at present the total sewage generation in the state is 5,500 MLD, against which the treatment capacity of 4,120 MLD is installed. However, since STP infrastructure is normally planned considering a 15-year projected sewage for which STPs need to be installed in the state would be 8,250 MLD. Thus for the next 15-year period, the state would be required to establish

additional treatment infrastructure of 4,130 MLD to address 100% sewage treatment. Against this plan, the State is already planning to establish 3,336 MLD of additional treatment capacity by 2025 only. The State's plan for sewage treatment is summarized below :

Total Sewage Generation (MLD)	STP Installed			Utilized Gap (MLD)	STP Under Construction /Under Tendering	Time Line	STP Proposed (Future Plan)	Time Line
	Number	Installed Capacity (MLD)	Utilized Capacity (MLD)					
5,500	134	4,120	3,117 (Operational-127 Not Operational-07)	2,383	948.3 MLD (45 STPs)	March 2025	1,435 MLD (310 STPs)	Dec. 2025
			953 MLD (19 STPs)		June 2025			
Total					1,901 MLD (64 STPs)		1,435 MLD (310 STPs)	
					By June 2025 6,021 MLD (198 STPs)		By Dec. 2025 7,456 MLD (508 STPs)	

To meet the current gap of 2,383 MLD w.r.t. utilized capacity, the State of Uttar Pradesh has taken up following steps;

- a) Construction of 64 STPs with cumulative treatment capacity of 1,901 MLD which are scheduled to be completed by June 2025. Out of new 64 STPs, 45 STPs with a treatment capacity of 948 MLD are under construction and the rest 19 STPs with 953 MLD capacity are under the tendering stage.

The Status of these 64 STPs is given below :

S.No.	Number of STPs	Progress (Percentage)	Time Line
1.	23	80 % to 100%	Dec-24
2.	2	50 % to 80 %	May -24
3.	20	Below 50 %	June-2025
4.	19	Under tendering	June-2025
Total	64	--	June, 2025

A detailed progress report of 45 under-construction STPs is enclosed as **Annexure-1**. The remaining 19 STPs are under the tendering stage and shall be commissioned by June 2025. A list of 19 STPs is enclosed as **Annexure 2**.

- b) The State of Uttar Pradesh has also proposed to install 310 new STPs with a treatment capacity of 1435 MLD as future plan. The Detailed Project Reports (DPR) of 16 STPs of capacity 485 MLD have already been prepared and submitted to NMCG for sanction. The DPRs of 294 STPs of capacity 950 MLD are currently under preparation. The timeline for completion of these 310 STPs has been proposed by December 2025. Details of these 310 STPs are enclosed as **Annexure-3**.

Thus, the State shall have the capacity for 100% treatment of used water by December, 2025. The STP projects to meet the utilization gap are either already grounded or at the sanctioning stage. The funds for sanctioned projects are earmarked and committed through respective project accounts as per the guidelines of the respective schemes and the General Financial Rules of the Government.

3. **Re utilisation of treated sewage:** That is submitted that the State has made provision for the use of treated water for secondary purposes such as irrigation, reuse for industrial purposes etc. At present 8 MLD treated water from trans-Yamuna-I and II STPs at Mathura is being supplied to Indian Oil Corporation Limited (IOCL), Mathura. Apart from this 346 MLD treated sewage is used for irrigation as per the details enclosed herewith as **Annexure-4**. There are 06 projects in the Pipeline for re-utilization of 205 MLD treated water for industrial purposes. The details of the projects along with the timelines are given below:

RE-UTILISATION OF TREATED SEWAGE	TIMELINE
Treated Water From Bingawan STP (210) MLD To Panki Thermal Power Panki (Approx 40 MLD)	May, 2024
20 MLD Treated Water From Trans-Yamuna-I And II STPS At Mathura Is To Be Supplied To Ioel, Mathura.	Dec.,2024
Treated Water From Shahjahanpur STP (45 MLD) to Rosa TPS (Approx.40 MLD)	June 2025
Treated Water From Aligarh STP (45 MLD) to Harduaganj TPS(approximately 30 MLD)	July 2025
Treated Water From Naini, Prayagraj STP (80 MLD) To Bara TPS(Approx.55 MLD)	Dec.,2025
Treated Water From Bulandshahar STP(40 MLD) To Rosa TPS (Approx.20 MLD)	July 2025

4. That it is respectfully submitted that, the State of Uttar Pradesh has developed a fully functionalized comprehensive three-tier monitoring mechanism with a well-defined monitoring protocol, in which regular monitoring is being done from the district level to the state level. Three separate monitoring committees i.e. Waste Management Monitoring Committee under the chairmanship of Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, Urban Development; Air Quality Monitoring Committee under the chairmanship of Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, Environment, Forest & Climate Change; and River Rejuvenation Committee the chairmanship of Agriculture Production Commissioner; at the State Level and District Level Environment Committee under the Chairmanship of District Magistrate has been constituted. The meetings of District Environment Committees (DECs) are being organised regularly under the Chairmanship of the District Magistrate and the matter is also reviewed at the Government level. The

details of the meetings of DEC's are enclosed as **Annexure-5**. The Government of Uttar Pradesh (GoUP) has directed vide letter dated 02.04.2024 to District Magistrates of Aligarh, Kasganj, Mainpuri, Shahjahanpur, Shamli & Rampur after review to hold the meetings of DEC's regularly. A copy of the letter of the GoUP dated 02-04-2024 is enclosed as **Annexure-6**.

5. That the State of Uttar Pradesh has issued an Office Memorandum which was also notified on 08-09-2023 by which an accountable committee has been constituted for both the Sewage Treatment Plant/Common Effluent Treatment Plant. The said accountable committee is completely competent enough to take appropriate measures in the Environmental issues of the State. The copy of said office memorandum dated 08-09-2023 is enclosed as **Annexure-7**. The Committee regularly reviews the various ongoing non-complaint STPs, non-operational STPs, delayed STPs, under construction/non-operation CETPs and fixes the responsibilities for lapses. The following action has been taken up by the committee for the delay in projects and the discharging of untreated sewage into the river:

- a) Show cause issued to Chief Engineer and Executive Engineer (Execution and Maintenance) Uttar Pradesh Jal Nigam (UPJN) (Rural), Varanasi vide letter dated 28.11.2023. A copy of the Show Cause Notice dated 28-11-2023 is enclosed as **Annexure-8**.
- b) Show Cause Notice issued to Project Manager, UPJN (R), vide letter dated 26.09.2023 for delay in project completion of Kairana and Lucknow STP projects. A copy of the Show Cause Notice dated 26-09-2023 is enclosed as **Annexure-9**.
- c) Show Cause Notice issued to firm M/s Shapurji Plonji & Company Private Limited (SPCPL) vide letter dated 03-11-2023 for delay in completion of

Lucknow STP project. A copy of the Show Cause Notice dated 03-11-2023 is enclosed as **Annexure-10.**

d) Liquidated damages (LD) of Rs. 9.14 Cr. has been imposed by UPJN (R) vide letter dated 13.10.2023 against firm M/s EIEL-Avi (JV), Delhi for incomplete works of STPs of 10 MLD, 5 MLD & 2 MLD at Sultanpur. A copy of the letter dated 13.10.2023 is enclosed as **Annexure-11.**

e) Litigation filed against M/s Kanpur River Management Private Limited (KRMPL), Kanpur for discharging untreated sewage into river Ganga in Kanpur in the Court of Hon'ble Chief Metropolitan Magistrate, Kanpur. The recommendation for termination of the concessionaire agreement with M/s KRMPL has been sent to NMCG, New Delhi. The minutes of the meeting of the Accountability Fixation Committee dated 18.10.2023, 14.12.2023 and 12-04-2024 are enclosed as **Annexure-12, 13 & 14.**

6. That it is respectfully submitted that, the Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) is regularly monitoring the quality of treated sewage from STP. The performance of Sewage Treatment Plants based on monitoring done by UPPCB in the month of February/March 2024 is summarised below:

S.No	Detail	Number
1	Total Installed STP	134
2	Operational STP	127
i	STP Achieving norms	112
ii	STP Not Achieving Norms	15
3	STP Not In Operation	7

The status chart of 134 STPs comprising installed capacity, utilized capacity and status of compliance with respect to standards is enclosed as **Annexure-15**. The details of 15 non-complying STPs with analysis data are enclosed as **Annexure 16**.

7. That it is respectfully submitted that 40 STPs were found to be defaulting and not achieving norms in the year 2022-23 and 2023-24 (Till March, 2024), UPPCB has imposed Environmental Compensation of ₹ 6.77 Cr. against these 40 defaulting STPs. The STP at Etah (24 MLD) has deposited Environmental Compensation of ₹ 2.2 Lakh imposed by UPPCB. Apart from the above 04 STPs have deposited partial Environmental Compensation of ₹ 3.15 Lakh out of ₹ 8.4 Lakh imposed by UPPCB. That UPPCB has issued directions to 38 District Magistrates for recovery of Environmental Compensation imposed against defaulting STPs. A list of 40 Defaulting STPs with data of imposed Environmental Compensation, deposited Environmental Compensation and details of directions to DMs is enclosed as **Annexure-17**.
8. That it is pertinent to mention that UPPCB vides letters dated 03-10-2022, 05-12-2022, and 15-09-2023 have issued directions to concerning the department for the installation of chlorination unit/appropriate devices in STPs to achieve the norms of fecal coliform in treated sewage. Copy of Letters dated 03-10-2022, 05-12-2022, and 15-09-2023 are annexed herewith as **Annexure-18**.
9. That it is submitted that, in compliance with the above directions of UPPCB 123 STPs has installed chlorination unit. There are 03 oxidation pond in Banda, Fatehgarh (Farrukhabad) & Chitrakoot and 01 constructed wetland in Bithoor (Kanpur). Chart showing timeline for installation of chlorination unit in rest 07 STPs is given below:

Sr. No.	Name of Town/ District	Name of STP	Capacity of STP (MLD)	Timeline for installation of Chlorination Unit
1	Meerut	Pallavpuram - 2	11	April, 2024
2	Meerut	Pandav Nagar	3	July, 2024
3	Meerut	Rakshapuram	6	April, 2024
4	Meerut	Sainik Vihar	6	July, 2024
5	Meerut	Sharda Puri Phase-1	6	Space not available
6	Moradabad	MDA, Moradabad	20	April, 2024
7	Lucknow	Bharwara	345	May, 2024

10. That it is respectfully submitted that there are 377 untapped drains identified in the State that will be tapped under the proposed projects. UPPCB has verified the status of intermediate treatment in these drains as per the direction of the Hon'ble Tribunal. It has been found that bioremediation is being done in 203 drains and 174 drains are discharging untreated sewage into the rivers without any intermediate treatment.

11. That UPPCB has issued directions to the concerning ULBs from where discharge is going into the river for imposition of Environmental Compensation of Rs. 5 Lakh per month per drain which is effective from 01-07-2020. Copy of Letters of UPPCB are enclosed as **Annexure-19**.

12. That it is respectfully submitted that the UPPCB has filed prosecution under section 43/44 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 as amended against U.P. Jal Nigam due to the discharge of untreated sewage in the court of Hon'ble Special Judicial Magistrate (Air & Water Pollution), Lucknow as per the details given below :

S. No.	Department/Officer prosecuted	Complaint Number	Under Section	Current Status
1.	Nagar Palika Parisad Mathura Shyam sundar Upadhyay, Chairman Janardhan Rai, Executive Officer S.S. Johri, Jal Kal Engineer	01/2011	43/44	Under trial
2.	Nagar Palika Parisad Muzaffarnagar Kapildev Agrawal, Chairman Narendra Singh Tewatiya, Executive Officer Vijendra Kumar Pal, Assistant Engineer (Civil)	20/2010	43/44	Under trial
3.	Nagar Palika Parisad Khonda Makanpur Ghaziabad. Krishnakant, Executive Officer	98500/2021	41	Under trial
4.	Ganga Pollution Control Unit, U.P. Jal Nigam, Kanpur Sandeep Singh Visen, Assistant Engineer/Project Manager Shatrughan Singh, Assistant Engineer Rajesh Kumar, Assistant Engineer Raghvendra Pratap Yadav, Junior Engineer	2212/2021	43/44	Under trial

13. That it is pertinent to mention that, there are 07 Common Effluent Treatment Plants (CETPs) with a cumulative treatment capacity of 58.55 MLD. The details of existing CETP in the State are given below :

S.No.	Name and Address of the CETPs	Operator	Installed Capacity (MLD)	Utilized Capacity (MLD)	Sector
1	CETP, HPDA, Pilkhua, Hapur	Hapur Pilkhua Development Authority	2.10	1.10	Textile
2	Apparel Park Tronica City CETP, Phase-I (for textile units), Ghaziabad	UP State Industrial Development Authority (UPSIDA)	6.00	6.00	Textile
3	CETP, UPSIDC Textile Complex, Rooma, Kanpur (for textile units)	UPSIDA/ Rooma Pollution Control Association	1.50	1.50	Textile
4	CETP Jajmau, Kanpur	U.P. Jal Nigam	36.00	36.00	Tannery
5	CETP, Industrial Area, Site-A, Mathura	Industrial Association	6.25	6.25	Textile
6	Banther Industrial Pollution Control Co. CETP, Banther, Unnao	Banther Industrial Pollution Control Co.	4.50	4.50	Tannery
7	Unnao Tanneries Pollution Control Company (CETP) Site-II, Unnao	Unnao Tanneries Pollution Control Company	2.15	2.15	Tannery
			58.5	57.5	

That the State has proposed to install 02 more CETPs with a cumulative capacity of 27.5 MLD by July 2026. Details of proposed CETPs with progress is given below:

S.No.	District	Capacity (MLD)	Agency/ Project	Progress (Percentage)	Timeline/ Date of Commissioning	Remark
1	Jajmau, Kanpur Nagar	20	Jajmau Tannery Effluent Treatment Association	90%	April, 2024	-
2	GIDA/ Gorakhpur	7	Gorakhpur Industrial Development Authority/Namami Gange	Work not started	July, 2026	ToR for Environmental Clearance issued by SIEAA. EIA Study pending at PP level.

14. That it is submitted that the UPPCB is regularly monitoring the quality of treated effluent from CETPs and on the basis of monitoring done by UPPCB in the month of March 2024 the performance of CETPs is summarised below :

S. No.	CETPs in Uttar Pradesh	Number
1	Total Installed CETP	7
2	Operational CETP	7
	CETP Achieving Norms	6
	CETP Not Achieving Norms	1

A chart showing the quality of treated effluent above mentioned CETPs is enclosed as **Annexure-20**.

15. That it is pertinent to mention that, during the monitoring of CETPs in the year 2022-23 UPPCB vide letter dated 23-06-2023 has imposed Environmental Compensation of ₹ 14.1 Lakh against CETP at Banthar-4.5 MLD and vide letter dated 23-06-2023 against Site 2 Unnao-2.15 MLD of ₹ 9.9 Lakh. Copy of letters dated 23-06-2023 is enclosed as **Annexure-21 & 22** respectively. The concerned units have deposited the imposed Environmental Compensation in the account of UPPCB.
16. That it is respectfully submitted that, it is based on the inventory of UPPCB for the Year 2022-23, there are 1644 Grossly Polluting Industries (GPI) identified in the State of Uttar Pradesh. Out of these 1644 units, a total of 1234 units were found operational and 410 units were found self-closed/permanently closed. All the operational units have installed Effluent Treatment Plant (ETP).
17. That it is pertinent to mention that the Central Pollution Control Board, New Delhi has authorized reputed technical institutions (TPI) such as Indian Institute of Technologies, Aligarh Muslim University, Harcourt Butler Technical University, Motilal Nehru National Institute of Technology, Central Pulp & Paper Research Institute etc. for third-party inspection and monitoring of GPIs in the State. These GPI are also regularly inspected by UPPCB.
18. That it is as per inspections conducted during the year 2022-23 by third-party institutions authorized by CPCB, a total of 232 GPI units were found non-complying. UPPCB has issued a show-cause Notice under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 as amended against 180

defaulter units and also issued closure directions against 52 GPI units on the basis of the recommendations of TPI. The summary status of GPI units for the Year 2022-23 is given below:

Total GPIs	1644
Complied	1002
Non-Complied	232 (SCN issued 180) (Closure order issued 52)
Self- Closed- Permanent	43
Self- Closed- Temporary	367

19. Current Status of Solid Waste Management (Urban Area) :

That it is submitted that, at present there are 762 number of Urban Local Bodies (ULBs) in the state, total solid waste generated from the urban area is approximately 20,114 Ton per Day (TPD). The state has made arrangements for 100 per cent door-to-door collection of total solid waste generated.

20. That it is respectfully submitted, that the State has developed the infrastructure of solid waste processing by way of 22 operational integrated solid waste processing plants (Waste to Compost) with a cumulative processing capacity of 9,435 TPD, operational 711 Material Recovery Facilities (MRFs) of cumulative capacity of 3,780 TPD, operational 05 Waste to Energy Plants of 209 TPD waste incineration capacity also 868 Compost Pits with composting capacity of 1,457 TPD. Thereby, the State has a total operational solid waste processing capacity of 14,881 TPD (73

% of total solid waste generated in the State). List of 22 MSW plants, 711 MRFs, 868 compost pits and 5 Waste to Energy plants are enclosed as **Annexures-23, 24, 25 and 26.**

21. That the State has made a time bound action plan for developing the infrastructure to fulfill the processing gap of 5,233 TPD by December 2024 by way of commissioning of 13 MSW plants with cumulative capacity of 1,830 TPD, 222 MRFs with cumulative capacity of 1,315 TPD & 210 compost pits with cumulative capacity of 842 TPD and 21 MSW Plants with cumulative capacity of 1,925 TPD by December, 2024. Thereby the State shall have a processing capacity of 20,793 TPD which is more than the current waste generation. Apart from these plants, 04 MSW plants with a cumulative capacity of 200 TPD, & 11 Waste to Energy / Bio-CNG plants with a cumulative capacity of 6,750 TPD shall be commissioned by December 2025, thereby the State shall have a processing capacity of 27,743 TPD by December 2025 List of 04 MSW plants and 11 Waste to Energy plants/Bio-CNG plants are enclosed as **Annexures-27 and 28.**

22. That it is respectfully submitted, that Apart from the above under-construction projects, the State has made future plans which are in the pipeline for the establishment of processing plants of a capacity of 1362 TPD by December 2025. Hence State shall have a solid waste processing capacity of 29,105 TPD by December 2025. The State's plan for Solid Waste Management is summarized below-

Total SW Generation (TPD)	Processing Facilities Installed						
	20,114	MSW Plants	MRFs	Compost Pits	WtE	Processing Capacity (TPD)	
22 (9,435 TPD)		711 (3,780 TPD)	868 (1,457 TPD)	05 (209 TPD)	14,881		5,233
Processing Facilities Under Construction (June 2024)							
MSW Plants		MRFs	Compost Pits	WtE	Total Capacity (TPD)	Processing Capacity (TPD)	Gap (TPD)
13 (1,830 TPD)		222 (1,315 TPD)	210 (842 TPD)	0	3,987	18,868	1,246
Processing Facilities Under Construction (December 2024)							
MSW Plants		MRFs	Compost Pits	WtE	Total Capacity (TPD)	Processing Capacity (TPD)	Gap (TPD)
21 (1,925 TPD)		0	0	0	1,925	20,793	0
Processing Facilities Under Construction (December 2025)							
MSW Plants		MRFs	Compost Pits	WtE / Bio - CNG	Total Capacity (TPD)	Processing Capacity (TPD)	Gap (TPD)
04 (200 TPD)		0	0	11 (6750 TPD)	6950	27,743	0
Proposed Processing Facilities (December 2025)							
MSW Plants		MRFs	Compost Pits	WtE	Total Capacity (TPD)	Processing Capacity (TPD)	Gap (TPD)
15 (980 TPD)		0	98 (382 TPD)	0	1362	29,105	0

23. **Progress report of Solid Waste Management (Urban) w.r.t. status filed on 23.03.2023 in OA no. 606 / 2018:** That Chief Secretary Govt. of Uttar Pradesh has reported the status of Solid Waste Management before Hon'ble NGT during his personal appearance before this tribunal on 23.03.2023 in OA number 606/2018 Compliance of Solid Waste Management Rules 2016 and other Environmental issues. The State has enhanced the processing capacity of Solid Waste Plants in the Urban areas by way of the establishment of new 05 integrated MSW Plants of capacity 3330 TPD, 177 MRFs of capacity 1110 TPD and 18 compost pits of capacity 143 TPD which were under construction now made operational. Also 03 new Waste to Energy plants of capacity 15 TPD are now operational. The progress chart for Solid Waste Management is summarised below:-

Entity	Status filed on 23.03.2023	Current Status
Operational SW Plants	19 (5,865 TPD)	22 (9,435 TPD)
Operational MRFs	534 (2,670 TPD)	711 (3,780 TPD)
Waste to Energy	03 (268 TPD)	05 (209 TPD)
Functional Compost pits (Urban area)	850 (1,314 TPD)	868 (1,457 TPD)
Total Processing Capacity (Urban)	10,117 TPD	14,881 TPD

24. **Current Status of Legacy Waste Management:** That Chief Secretary Govt. of Uttar Pradesh has reviewed the status of Legacy Waste

Management and issued directions to the concern departments to conduct a proper survey all over the State and submit survey report regarding quantity of Legacy waste in the state. In compliance of direction of Chief Secretary 3D mapping & Contour Survey has been done by Urban Development Department through Construction & Design services. The survey includes stationed / Arial survey of the sites and based on the data obtained the quantity of legacy waste in the State has been increased by 43.57 Lakh Ton. Further, current gap of Solid Waste generation and operational processing facilities is 5,233 TPD. Considering this gap, Solid Waste accumulated in last one year as legacy 2 Lakh Ton. The total legacy waste remained to be remediated is 50.54 Lakh Ton (2+4.97 (**old sites**) +43.57 (**new sites**)) which is scheduled to be remediated by December, 2024. List of Legacy waste sites where remediation is going on is enclosed as **Annexure-29**.

25. **Progress report w.r.t. status filed on 23.03.2023** : That during hearing on 23.03.2023 State of Uttar Pradesh has reported the quantity of Legacy Waste 91 Lakh Ton, after the survey conducted by Construction & Design services the total quantum of Legacy Waste in the State is 134.57 Lakh Ton. Further, current gap of Solid Waste generation and operational processing facilities is 5,233 TPD. Considering this gap, Solid Waste accumulated in last one year as legacy 2 Lakh Ton. So far 86.03 Lakh Ton

of legacy waste has already been remediated and remaining 50.54 Lakh Ton of Legacy Waste shall be remediated by December 2024.

26. That it is respectfully submitted, that the funds under SBM-1 and SBM-2.0 and Namami Gange are being utilized for solid waste management, Sanitation, and wastewater management. All these projects have a single nodal bank account (called SNA for SBM-1&2) at the state level where all fund for the mission is placed. Financial limits for each project are provided from time to time. This mechanism ensures that no fund shortage at any given time for all the projects across the state. Status of Fund in ₹ Cr. for Solid Waste Management, Sewage Management and Sanitation:

SBM(Urban) under SBM (1 &2) (For FY 2023-2024)						
S. No.	Fund Approved	Opening Balance	Fund Released from Govt.	Expenditure of the year	Remaining Balance	Fund Required
1	7,997.23	2,218.29	352.09	519.71	2,050.67	0
SBM (Rural) under Gramin (I&II) (For FY 2023-2024)						
2	330.39	0	330.39	231.27	99.12	0
Namami Gange Department (For FY 2023-2024)						
3	262.76	0	262.76	252.02	10.74	0
Total (₹ Cr.)	8,590.38	2,218.29	945.24	1003.00	2,160.53	0

PRAYER

It is, therefore, most respectfully prayed that this Hon'ble Tribunal may graciously be pleased to:

- I. Grant us the further extension of time till December 2025, to fully complete the 100% construction of the sewage treatment.
- II. Pass any such other order as may deem fit.

Priyanka

**THROUGH
PRIYANKA SWAMI
Advocate**

Standing Counsel for State of Uttar Pradesh
F-13, Ground Floor, Jangpura Extension,
New Delhi-110014

Date : .04.2024

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL


AT DELHI PRINCIPAL BENCH

ORIGINAL APPLICATION NO. 593/2017

IN THE MATTER OF:

PARYAVARAN SURAKSHA SAMITI

& ANOTHER



APPLICANTS

VS

UNION OF INDIA & OTHERS

....RESPONDENT(S)

AFFIDAVIT


I Ashish Tiwari aged about 54 years s/o Shanker Dayal Tiwari, working as Secretary, Environment, Forest & Climate Change Department, Govt. of U.P. do hereby solemnly affirm and declare as under :

1. That I am duly authorized on behalf of state of U.P. in official capacity

in the above matter and have gone through all the records pertaining to said matter maintained at the office of state of U.P. and I am well conversant to swear the present affidavit before this tribunal.

2. That the accompanying report has been drafted by our counsel upon my

instructions.



Ashish Tiwari

3. That the contents of the accompanying compliance report are true and correct and the knowledge has been derived from official records and nothing material has been concealed therefrom.

Kotian

DEPONENT

VERIFICATION

NOTARY

NOTARY

Verified on solemn affirmation at 40 on this 19 day of April 2024, that the contents of the foregoing affidavit are true and correct to the best of my knowledge and no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Kotian

DEPONENT



Sworn and Verified before me.

19/4/24
NOOR JAHAN
Advocate & Notary
C.A. No. 10943/15

I know & identify the deponent/Execution who has signed/ put his T.L. before me

33 Iqbal Advocate
Reg. No. 6043/1999
Adv 240

Sl.	Name Of Town/District	No. of STP	Capacity (MLD)	Constructing Agency	Present Progress	Completion Timeline
1	Unnao	1	15	UPJN (Rural)	95.50%	Jun -24 Work of STP has been completed and is under Trail run through bypass arrangement. Targeted to complete balance work by Jun -24.
2	Sultanpur	3	17	UPJN (Rural)	99.80%	Upgradation of 5 MLD STP Hathia nala from 5 MLD to 10 MLD , 5 MLD and 2 MLD STP is completed and under Trail-run. Automation work of STP is in progress which is targeted to be completed by Apr-24
						22 MLD - Work of Sahawali STP is Completed and under Trail-run.

4055

3	Muzaffarnagar	2	54.5	UPJN (Rural)	93.00 %	<p>Jun-24 32.5 MLD STP is commissioned in Feb - 2024 by taking discharge from one drain. Land was made available in April 2023 for construction of IPS-2A at Krisnapuri which is to be completed by June 2024.</p>
4	Mirzapur	2	17	UPJN (Rural)	99.00%	<p>Apr-24 Work of STP and MPS are completed. Power connection is balance for which additional fund is approved by NMCG on 26.02.24</p>
5	Ghazipur	1	21	UPJN (Rural)	98.50%	<p>Apr-24 Work of STP and MPS are</p>
						<p>EC meeting dt 13.02.2024. Work of Effluent pipe line in progress.</p>

4056

6	Bareilly	3	63	UPJN (Rural)	99.00 %	Aug-24 Work of 42.0, 20 and 1 MLD is completed. Sewage is taken in all three STP.
7	Fatehgarh - Farrukhabad	2	47.70	UPJN (Rural)	83.10%	Jun-24
8	Shuklaganj	1	5	UPJN (Rural)	81.00%	Aug-24
9	Kairana	1	15	UPJN (Rural)	91.71 %	Apr-24 Work of STP is completed and sewage is taken in STP
10	Lucknow	1	120	UPJN (Urban)	88.00%	Jun-24
11	Ghaziabad	1	21.5	Awas Vikas Parishad	100.00%	STP construction work was completed in august 23 but the electricity connection was provided in January 24. From Feb 24 the plant is operational
12	Jhansi	1	26	Nagar Nigam Jhansi	95.00%	Apr-24
13	Gorakhpur	1	10	UPJN (Urban)	100.00%	STP under trail run
14	Azamgarh	1	8	UPJN (Urban)	90.00%	Mar-24

4057

15	Ayodhya	1	33	UPJN (Rural)	80.61%	Dec-24
16	Balrampur	1	8.5	UPJN (Urban)	80.00%	Mar-24
17	Daulatganj & Barikala,	2	42.5	UPJN (Rural)	77.25 %	<p>May-24 39 MLD STP – Land availability for construction of SBR Basin 1, 2 & 3 of 39 MLD STP could be ensured from UPJN (Urban) by the delay of 06 months. For 3.5 MLD STP financial approval has not been given yet by NMCG .</p>
	Lucknow					
18	Moradabad	1	25	UPJN (Rural)	50.00%	Jan-25
19	Agra	13	177.6	UPJN (Rural)	37.82 %	Apr-25
20	Gorakhpur	1	10	UPJN (Urban)	3.00%	Sep-24
21	Gorakhpur	1	30	UPJN (Urban)	28.00%	Mar-25
22	Gorakhpur	1	38	UPJN (Urban)	28.00%	Mar-25
23	Ghaziabad	1	68	UPJN (Urban)	3.00%	Jun-25
24	Ballia	1	20	UPJN (Urban)	4.00%	Mar-25
25	Varanasi	1	55	UPJN (Rural)	2.00%	Dec-25 Work started on 07.03.2024.
Total		45	948			

Sl.	Location	No. of STPs	Capacity of STP proposed (MLD)	Status of Project	Executing Agency	Timeline
1	Meerut	1	220	LOA issued to (JV) M/s GA Infra Private Ltd, Rajasthan and, M/s SSG Infratech Pvt. Ltd. New Delhi on 27.05.2023. Concessionaire agreement signed is signed on 05.09.23. Financial closure is under process. Financial closure document sent to NMCG on 15.03.24 for review.	UPJN (Rural)	June-25
2	Mathura	1	60	LOA issued to JV M/s Enviro Infra engineer Limited, Dehli and M/s Micro Transmission System , greater Noida. on 27.09.23. financial closer is under process. Concessionaire agreement signed is signed on 12.12.23. Financial closure is under process.	UPJN (Rural)	
3	Saharanpur	1	135	Revised TBER report sent to NMCG on 02.08.23. NOC received from NMCG for opening of Financial bid on 28.12.23 Financial bid has been opened on 12.01.24 which is under evaluation.	UPJN (Rural)	
4	Kosi Kalan	1	12	Financial bid evaluation report sent to NMCG on 13.12.23. NOC received from NMCG for issuing of LOA on 20.02.24 to L2 bidder Reply for same sent to NMCG on 27.02.24 for reconsideration of UPJN recommendation as previous.	UPJN (Rural)	
5	Chhata	1	6	Re-bid is invited on 12.12.2023. 05 bid received. Technical bid evaluation report sent to NMCG on 12.01.24. NOC received from NMCG for opening of Financial bid on 07.03.24. Financial bid opened on 18.03.24 which is under evaluation.	UPJN (Rural)	
6	Vrindavan	1	13	Financial bid evaluation report sent to NMCG on 05.12.23. NOC received from NMCG for issuing of LOA on 08.03.24. LOA is issued to L1 bidder on 15.03.24	UPJN (Rural)	
7	Hathras	1	24	Financial bid evaluation report sent to NMCG on 12.01.24. NOC received from NMCG for issuing of LOA on 20.02.24 to L2 bidder. Reply for same sent to NMCG on 27.02.24. for annulling the bidding process.	UPJN (Rural)	

8	Prayagraj (Distt. D)	1	90	Financial bid evaluation report sent to NMCG on 13.12.23. NMCG has given its comment on evaluation report on 30.01.24 with change in ranking of bidder. Reply for same sent to NMCG on 27.02.24 for reconsideration of UPJN recommendation as previous.	UPJN (Rural)
9	Lucknow	1	50	Financial bid evaluation report sent to NMCG on 11.01.24. NOC received from NMCG for issuing LOA on 13.03.24. LOA is issued to L1 bidder on 15.03.24	UPJN (Rural)
10	Prayagraj (Distt. C)	1	43	Financial bid evaluation report sent to NMCG on 13.12.23. NOC received from NMCG for issuing of LOA to L1 bidder on 20.02.24. LOA issued to M/S HNB on 23.02.24. Date of Start is given as 19.03.24.	UPJN (Rural)
11	Shamli Town	1	40	Technical bid evaluation report sent to NMCG on 21.12.2023. NOC received from NMCG for opening of financial bid on 12.01.24. Financial bid is opened on 15.01.24 which is under evaluation.	UPJN (Rural)
12	Banat Town, distt. Shamli	1	5	Under Re-tendering. Technical bid was opened on 22.02.2024. 09 bid received which is under evaluation.	UPJN (Rural)
13	Thanabhawan town, distt. Shamli	1	10	Under Re-tendering. Technical bid was opened on 22.02.2024. 07 bid received which is under evaluation.	UPJN (Rural)
14	Babri- Bantikhera, distt Shamli	1	5	Under Re-tendering. Technical bid was opened on 26.02.2024. 07 Bid received which is under evaluation.	UPJN (Rural)
15	Lucknow (Phase-2 , Part-2) – HAM -PPP	1	100	Last date of bid submission is 22.04.2024.	UPJN (Rural)

16	Hapur	1	6	Last date of bid submission is 17.03.2024.	UPJN (Rural)
17	Prayagraj (Naini).	1	50	Technical bid was opened on 26.02.24. 14 bid received which is under evaluation.	UPJN (Rural)
18	Fatehpur	1	18	Under re-tendering Technical bid opened on 23.02.204. Bid under evaluation.	UPJN (Urban)
19	Khoda-Makanpur	1	66	Under re-tendering Technical bid opened on 28.03.204. Bid under evaluation.	UPJN (Urban)
	Total	19.0	953.0		

Details of 310 proposed STPs in the State

A. Details of DPR submitted/to be submitted to NMCG for approval by UPJN(Rural)					
Sl.	Location/Town	No. of STPs	Capacity of STP proposed	Remarks	Likely Date of Completion
			(MLD)		
1	Chandauli	1	37	DPR is under review at NMCG.	
2	Dalmau, Raebareilly	-	0.006	DPR is under review at NMCG.	
3	Varanasi (Durga drain)	1	55	Revised DPR is under preparation by UPJN (Rural)	
4	Lucknow Phase-III	1	75	DPR is under review at NMCG.	24 months after issuance of effective date of start
5	Gulaothi, Bulandshahar	1	10	DPR is under review at NMCG.	
6	Manikpur	1	2.4	Revised DPR is under preparation at UPJN (Rural) for FSTP.	
7	Deoband	1	20	DPR is under review at NMCG.	
8	I & D and STP works at Barhalganj NP, Distt. Gorakhpur	1	6	DPR is under review at NMCG.	
0.9	I&D & STP works for 8 drains falling in River Rapti at Distt. Gorakhpur	1	44	Revised DPR is under preparation by UPJN (Rural)	
10	I & D and STP works at Tanda Distt. Ambedkar nagar	1	15	DPR is under review at NMCG.	
11	I & D of remaining 7 drains falling in river Ganga of Kanpur city	-	-	DPR is under review at NMCG.	
12	I & D and STP works of Aligarh Drain at Distt. Aligarh	2	113	DPR is under review at SMCG.	
13	I & D and STP works of drains falling in Ghaghara at NPP, Dohrighat, Distt. Mau	1	3.5	Revised DPR is under preparation by UPJN (Rural) for FSTP.	
14	DPR for I & D and STP works at Distt. Moradabad (Zone -3 & Zone 4)	2	80	DPR is under review at NMCG.	
15	DPR for I&D and STP works at Bhadohi	2	23.5	Revised DPR is under preparation by UPJN (Rural)	
Total – 15 DPRs		16	484.4		

B. List of approved CSAP prepared by UPJN (Urban) under SBM 2.0					
Sl.	District	Name of ULB	Date of Approval SLTC/SHPC	Current Status	STP Capacity (MLD)
1	Aligarh	Atruli	05.09.22 / 20.09.22	DPR under preparation	5
2	Ambedkar nagar	Iltifatganj Bazar	05.09.22 / 20.09.22	DPR prepared and approval awaited	1.5
3	Amethi	Gauriganj (NPP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	2.75
4	Auraiya	Acchaldana (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	1
5	Auraiya	Auraiya	05.09.22 / 20.09.22	DPR under preparation	9
6	Auraiya	Bidhuna (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	3.3
7	Ayodhya	Gosaiganj (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	1.5
8	Ayodhya	Rudauli (NPP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	4.5
9	Azamgarh	Mubarakpur (NPP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	12
10	Balrampur	Tulsipur (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	3.25
11	Balrampur	Utraula (NPP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	3.25
12	Bareilly	Aonla	01.11.22 / 02.11.22	DPR prepared and approval awaited	6
13	Bareilly	Faridpur	05.09.22 / 20.09.22	DPR prepared and approval awaited	10
14	Bijnor	Kiratpur	05.09.22 / 20.09.22	DPR prepared and approval awaited	6.5
15	Bijnor	Najibabad	05.09.22 / 20.09.22	DPR under preparation	9
16	Bijnor	Nagina	05.09.22 / 20.09.22	DPR under preparation	10
17	Bijnor	Chandpur	05.09.22 / 20.09.22	DPR prepared and approval awaited	8.5
18	Bijnor	Sherkot	05.09.22 / 20.09.22	DPR under preparation	6.5
19	Bijnor	Dhampur	05.09.22 / 20.09.22	DPR prepared and approval awaited	5
20	Bulandshahr	Aurangabad (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR prepared and approval awaited	2.82
21	Bulandshahr	Sikandraabad (NPP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	8.4
22	Bulandshahr	B.B. Nagar (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR prepared and approval awaited	0.97
23	Bulandshahr	Gulaothi (NPP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	5
24	Bulandshahr	Debai (NPP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	3.8

25	Bulandshahr	Siana (NPP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	4.5
26	Bulandshahr	Chhatari (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR prepared and approval awaited	1.2
27	Bulandshahr	Bugrasi (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	1.5
28	Bulandshahr	Jahangir abad (NPP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	6
29	Chitrakoot	Chitrakot Dham Karwi (NPP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	9.5
30	Chitrakoot	Rajapur (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR prepared and under observation	2.5
31	Deoria	Bariyarpur (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	2.84
32	Deoria	Lar	05.09.22 / 20.09.22	DPR prepared and approval awaited	3
33	Deoria	Gaura Barhaj	05.09.22 / 20.09.22	DPR prepared and approval awaited	5
34	Etawah	Bakewar (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	1.6
35	Etawah	Jasawan t Nagar (NPP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	3.3
36	Farrukhabad	Shamshabad	05.09.22 / 20.09.22	DPR prepared and approval awaited	8
37	Farrukhabad	Kampil	05.09.22 / 20.09.22	DPR prepared and approval awaited	2
38	G B Nagar	Dadri (NPP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	10.56
39	Ghaziabad	Muradnagar (NPP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	10.19
40	Ghaziabad	Niwari (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	1
41	Ghaziabad	Faridnagar (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR prepared and approval awaited	1.25
42	Ghaziabad	Patala (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR prepared and approval awaited	1
43	Ghaziabad	Dasna (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	3.5
44	Hapur	Pilkhuwa (NPP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR prepared and approval awaited	6
45	Hardoi	Shahabad	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	10.25
46	Jalaun	Jalaun	05.09.22 / 20.09.22	DPR under preparation	6
47	Jalaun	Kalpi	05.09.22 / 20.09.22	DPR under preparation	6
48	Jalaun	Konch	05.09.22 / 20.09.22	DPR under preparation	6
49	Jaunpur	kerakat (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	1.34
50	Jaunpur	Shahganj (NPP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	2.71

51	Jaunpur	Badlapur(NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	2.08
52	Jaunpur	Zafrabad(NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	1.13
53	Jaunpur	Gaurabadsahpur (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	2.32
54	Jaunpur	Kajgaon (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	1.35
55	Jaunpur	Khetasari (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	1.9
56	Jaunpur	Mugrabadshapur (NPP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR prepared and under observation	3.09
57	Jaunpur	Machhlishahr(NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	2.51
58	Jaunpur	Mariahu (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	2.2
59	Jaunpur	Rampur (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	1.58
60	Kannauj	Chhibramau	05.09.22 / 20.09.22	DPR prepared and approval awaited	12
61	Kanpur Dehat	Akbarpur	05.09.22 / 20.09.22	DPR under preparation	4.5
62	Kaushambi	Manjhanpur	05.09.22 / 20.09.22	DPR under preparation	10.5
63	Kushinagar	Chhitau ni(NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	2.5
64	Kushinagar	Dudahi(NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	2.5
65	Kushinagar	Khadda(NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	1.6
66	Kushinagar	Ramkola (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	8
67	Lakhimpur	Gola Gokarnnath	05.09.22 / 20.09.22	DPR prepared and approval awaited	6.15
68	Lucknow	Kakori (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	2
69	Lucknow	Malihabad (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	2.5
70	Maharajganj	Maharajganj(NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	6.5
71	Maharajganj	Nichlaul (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	2
72	Maharajganj	Nautanwa (NPP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	3.64
73	Maharajganj	Sonauli (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	2.21
74	Mathura	Gokul (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR prepared and approval awaited	0.6

75	Mathura	Goverdhan (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	4.5
76	Mathura	Mahavan (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR prepared and approval awaited	1.2
77	Meerut	Sardhana (NPP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	6
78	Moradabad	Bilari (NPP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR prepared and approval awaited	3.8
79	Moradabad	Kanth (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	2.6
80	Moradabad	Umrikalan (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	1.8
81	Moradabad	Kundarki (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	3
82	Muzaffarnagar	Purkazi (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR prepared and approval awaited	2.77
83	Muzaffarnagar	Miranpur (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	2.8
84	Muzaffarnagar	Jansath (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR prepared and approval awaited	2
85	Muzaffarnagar	Shahpur (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR prepared and approval awaited	2.1
86	Muzaffarnagar	Khatauli	05.09.22 / 20.09.22	DPR prepared and approval awaited	7.5
87	Pratapgarh	Bela Pratapgarh (NPP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	3
88	Pratapgarh	Lalganj	05.09.22 / 20.09.22	DPR under preparation	2.75
89	Prayagraj	Bharatganj (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	1.7
90	Prayagraj	Phulpur (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	2.3
91	Prayagraj	Mau Aima (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	2.06
92	Prayagraj	Sirsa (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	1.27
93	Raebareilly	Salon	05.09.22 / 20.09.22	DPR under preparation	1.5
94	Rampur	Kemri(NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR prepared and approval awaited	2.9
95	Rampur	Tanda(NPP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR prepared and approval awaited	4.8
96	Rampur	Dariyal(NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	2.1
97	Rampur	Suar(NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	3.2
98	Rampur	Bilaspur (NPP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR prepared and approval awaited	4.5
99	Rampur	Maswasi (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	1.8
100	Rampur	Milak(NPP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR prepared and approval awaited	3.1

101	Rampur	NarpatNagar(NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	2.1
102	Rampur	Shahabad(NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR prepared and approval awaited	3.8
103	Rampur	Saifni(NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR prepared and approval awaited	2.2
104	Saharanpur	Ambetha (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR prepared and under observation	1.5
105	Saharanpur	Chhutmalpur (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR prepared and approval awaited	2.5
106	Saharanpur	Chilkana Sultanpur (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	2
107	Saharanpur	Ganghona (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	5.5
108	Saharanpur	Nakur (NPP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	2
109	Saharanpur	Nanauta (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	2.4
110	Saharanpur	Rampur Maniharan (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	3.28
111	Saharanpur	Sarsawa (NPP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	2
112	Saharanpur	Titron (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	1
113	Saharanpur	Behat (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	2
114	Sant Kabir Nagar	Maghar	05.09.22 / 20.09.22	DPR under preparation	2
115	Sant Kabir Nagar	Bakhira (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	4.13
116	Sant Kabir Nagar	Belharkala (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	1.53
117	Sant Kabir Nagar	Mehandawal (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	5.5
118	Sant Kabir Nagar	Hariharpur (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	1.18
119	Sant Kabir Nagar	Khalilabad	05.09.22 / 20.09.22	DPR under preparation	7.4
120	Sitapur	Biswan (NPP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	5.77
121	Sitapur	Mahmudabad (NPP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	5.25
122	Sitapur	Maholi (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR prepared and approval awaited	3.13
123	Sitapur	Hargaon (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR prepared and approval awaited	2.23
124	Sitapur	Khairabad (NPP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	5.01

125	Sitapur	Sidhauri (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	2.58
126	Sonbhadra	Obra (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	6
127	Sonebhadra	Anpara (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	7.5
128	Sonebhadra	Roberts ganj (NPP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	6.1
129	Srawasti	Bhinga (NPP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	5
130	Srawasti	Ikauna (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	1.5
131	Unnao	Banger mau (NPP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	5
132	Unnao	Gangag hat (NPP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR prepared and under observation	8
133	Unnao	Nawabg anj (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR prepared and under observation	1.2
134	Unnao	Safipur (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR prepared and approval awaited	2.4
135	Unnao	Ganj muradab ad (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	1
136	Unnao	Auras (NP)	01.11.22 / 02.11.22	DPR under preparation	1
137	Ambedkar nagar	Jalalpur (NPP)	06.03.23	DPR under preparation	5.5
138	Ambedkar nagar	Ashrafp urKicch oucha (NP)	06.03.23	DPR under preparation	3.8
139	Amethi	Jais (NP)	06.03.23	DPR under preparation	4
140	Amroha	Bachhra un (NPP)	06.03.23	DPR under preparation	3.1
141	Amroha	Hasanpu r (NPP)	06.03.23	DPR under preparation	6.1
142	Amroha	Joya (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2.2
143	Amroha	Naugaw an Sadat (NP)	06.03.23	DPR under preparation	3.4
144	Amroha	Said Nagli (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.9
145	Amroha	Ujhari (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2.6
146	Amroha	Dhanaur a (NPP)	06.03.23	DPR under preparation	3.1

147	Amroha	Gajraula (NPP)	06.03.23	DPR under preparation	6.5
148	Azamgarh	Atrauliy a (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.2
149	Azamgarh	Jiyanpur (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.25
150	Ballia	Chitbara goan (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2.1
151	Balrampur	Balrampur (NP)	06.03.23	DPR under preparation	8.33
152	Bareilly	Baheri (NPP)	06.03.23	DPR under preparation	7
153	Bhadohi	Gyanpur (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.32
154	Budaun	Faizganj (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.25
155	Budaun	Bisauli (NPP)	06.03.23	DPR under preparation	3.5
156	Budaun	Kuwarg aon (NP)	06.03.23	DPR under preparation	0.8
157	Budaun	Ujhani (NPP)	06.03.23	DPR under preparation	6
158	Budaun	Saidpur (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.4
159	Budaun	Wazirganj (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2.1
160	Budaun	Dataganj (NPP)	06.03.23	DPR under preparation	2.7
161	Budaun	Gulariya (NP)	06.03.23	DPR under preparation	0.4
162	Budaun	Alapur (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2.3
163	Budaun	Sakhanu (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1
164	Budaun	Usawan (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.2
165	Chandauli	Chakia (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.73
166	Chandauli	Chandauli (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2.62
167	Chandauli	Saiyad raja (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.86
168	Farrukhabad	Kaimganj (NPP)	06.03.23	DPR under preparation	3.4
169	Farrukhabad	Mahom madabad (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2.5
170	Fatehpur	Bindki (NPP)	06.03.23	DPR under preparation	3.64
171	Fatehpur	Khaga (NP)	06.03.23	DPR under preparation	6.1

172	Fatehpur	Kora Jahanab ad (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2.71
173	FIROZABAD	Sirsagan j (NPP)	06.03.23	DPR under preparation	3.52
174	FIROZABAD	Jasrana (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.05
175	FIROZABAD	Fariha (NP)	06.03.23	DPR under preparation	0.68
176	FIROZABAD	Eka (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2.69
177	Ghazipur	Saidpur (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2.5
178	GORAKHPUR	Gola (NP)	06.03.23	DPR under preparation	4.45
179	GORAKHPUR	Munder a Bazar (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2.92
180	GORAKHPUR	Unwal (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2.06
181	GORAKHPUR	Bansgao n (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.6
182	GORAKHPUR	Sahjanw a (NP)	06.03.23	DPR under preparation	3.45
183	GORAKHPUR	Campier ganj (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2.28
184	GORAKHPUR	Pipiganj (NP)	06.03.23	DPR under preparation	5.01
185	GORAKHPUR	Pipraich (NP)	06.03.23	DPR under preparation	3.54
186	Hamirpur	Hamirpu r (NPP)	06.03.23	DPR under preparation	5.75
187	Hamirpur	Rath (NP)	06.03.23	DPR under preparation	6.78
188	Jalaun	Madhog arh (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.3
189	Jalaun	Nadigao n (NP)	06.03.23	DPR under preparation	0.8
190	Jalaun	Umri (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1
191	Jalaun	Kotra (NP)	06.03.23	DPR under preparation	0.8
192	Jalaun	Rampur a (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.3
193	Jalaun	Kadaura (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.6
194	Jalaun	Ait (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.33
195	Jhansi	Baragao n (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1
196	Jhansi	Barua Sagar (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2.5

197	Jhansi	Ranipur (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2
198	Jhansi	Mauranipur (NPP)	06.03.23	DPR under preparation	6
199	Jhansi	Chirgaon(NPP)	06.03.23	DPR under preparation	2
200	Kannauj	Gursahayganj (NPP)	06.03.23	DPR under preparation	5.7
201	Kannauj	Tirwaganj (NP)	06.03.23	DPR under preparation	3
202	Kannauj	Kannauj (NPP)	06.03.23	DPR under preparation	3.5
203	Kannauj	Talgram (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.1
204	Kannauj	Samdhan (NP)	06.03.23	DPR under preparation	3.5
205	Kannauj	Sikandarpur (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1
206	Kanpur Dehat	Pukhrayan (NPP)	06.03.23	DPR under preparation	5
207	Kanpur Dehat	Sikandra (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.4
208	Kanpur Dehat	Rajpur (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.78
209	Kanpur Dehat	Raniya (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2.82
210	Kanpur Dehat	Shivli (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.6
211	Kanpur Dehat	Derapur (NP)	06.03.23	DPR under preparation	0.8
212	Kanpur Dehat	Amraudha (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1
213	Kanpur Dehat	Rasulabad (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2.21
214	Kanpur Dehat	Jhinhak (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2.41
215	Kanpur Dehat	Kanchausi (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.74
216	Kanpur Dehat	Musanaagar (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2.1
217	Kanpur Dehat	Rura (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.85
218	Kanpur Nagar	Ghatampur (NP)	06.03.23	DPR under preparation	5.86
219	Kaushambi	Purabpashchims harira (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2.21

220	Kaushambi	Charwa (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.98
221	Kaushambi	DaranagarKadam (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2.2
222	Lakhimpur	Mailani (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.39
223	Lakhimpur	Barwar (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.46
224	Lakhimpur	Nighasan (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2.53
225	Lakhimpur	OelDakhwa (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.34
226	Lakhimpur	Sighahi Bhiraura (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.99
227	Lakhimpur	Kheri (NP)	06.03.23	DPR under preparation	3.47
228	Lakhimpur	Mohamdi (NPP)	06.03.23	DPR under preparation	4.89
229	Lakhimpur	Dhaurahra (NP)	06.03.23	DPR under preparation	3.14
230	Lakhimpur	Paliya Kalan (NPP)	06.03.23	DPR under preparation	4.26
231	Lalitpur	Talbehat (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.5
232	Mahoba	Mahoba (NPP)	06.03.23	DPR under preparation	10.01
233	Mau	Adari (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.5
234	MAU	Ghosi (NP)	06.03.23	DPR under preparation	4.5
235	MAU	Kopaganj (NP)	06.03.23	DPR under preparation	5.5
236	MAU	Mohammdabad Gohna (NP)	06.03.23	DPR under preparation	4.25
237	Meerut	Daurala (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2
238	Meerut	Harra (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2
239	Meerut	Hastinapur (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2.75
240	Meerut	Karnawali (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.3
241	Meerut	Khiwai (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2.2
242	Meerut	Lawad (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2.1
243	Meerut	Mawana (NP)	06.03.23	DPR under preparation	7.79

244	Mirzapur	Chunar (NPP)	06.03.23	DPR under preparation	3.79
245	Mirzapur	Ahraura (NPP)	06.03.23	DPR under preparation	2.41
246	Mirzapur	Kachhawa (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.25
247	Pilibhit	Bisalpur (NPP)	06.03.23	DPR under preparation	8
248	Pilibhit	Bilsabda (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2
249	Pilibhit	Jahanabad (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2
250	Pratapgarh	Antu (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.15
251	Pratapgarh	Dhakawaa (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2
252	Pratapgarh	KatraMedniganj	06.03.23	DPR under preparation	1.05
253	Pratapgarh	Kohdaur (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.6
254	Pratapgarh	Kunda (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2.75
255	Pratapgarh	Manikpur (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.6
256	Pratapgarh	Patti (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.1
257	Pratapgarh	Prithviganj (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2.4
258	Pratapgarh	Pratapgarh city (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.6
259	Pratapgarh	Ramganj (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2
260	Pratapgarh	Raniganj (NP)	06.03.23	DPR under preparation	3
261	Pratapgarh	Suvanshabazar (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2.3
262	Prayagraj	Lalgopalganj (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2.9
263	Prayagraj	Handia (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2.3
264	Raebareli	Unchahar (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1
265	Raebareli	Maharajganj (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1
266	Raebareli	Bachhrawan (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1
267	Raebareli	Naseerabad (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2

268	Raebareli	Lalgang (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2.5
269	Raebareli	Parsade pur (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2
270	Raebareli	Dalmau (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1
271	Sambhal	Babrala (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.9
272	Sambhal	Bahjoi (NPP)	06.03.23	DPR under preparation	3.7
273	Sambhal	Gawan (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1
274	Sambhal	Gunnaur (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2.4
275	Sambhal	Narauli (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.8
276	Sambhal	Sirsi (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2.7
277	Shahajahanpur	Tilhar (NPP)	06.03.23	DPR under preparation	6
278	Shahajahanpur	Khudaganj (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.5
279	Shahajahanpur	Katra (NP)	06.03.23	DPR under preparation	3.25
280	Shahajahanpur	Jalalabad (NPP)	06.03.23	DPR under preparation	3.8
281	Shahajahanpur	Khutar (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2
282	Shahajahanpur	Banda (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2
283	Shahajahanpur	Nigohi (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2.5
284	Sitapur	Laharpur (NPP)	06.03.23	DPR under preparation	6.41
285	Sitapur	Paitepur (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.44
286	Sitapur	Tambour-Ahmdabad (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2.7
287	Sonbhadra	Pipari (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.6
288	Sonbhadra	Dala Bazar (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.1
289	Sonbhadra	Ghorawal (NP)	06.03.23	DPR under preparation	0.8
290	Sonbhadra	Renukot (NP)	06.03.23	DPR under preparation	2.1
291	Sonbhadra	Churk-Ghurma (NP)	06.03.23	DPR under preparation	0.7
292	Sonbhadra	Chopan (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.3

4074

293	Sonbhadra	Duddhi (NP)	06.03.23	DPR under preparation	1.1
294	Varanasi	Gangapur (NP)	06.03.23	DPR under preparation	0.84
Total (294 STPs)					950.87

Re-utilization of Treated wastewater in agriculture purpose				
S.No.	City/ Town / District	Name of STP	Installed Capacity (MLD)	Quantity of treated Water used in irrigation (MLD)
1	Mathura	30 MLD Masani Mathura	30	6
2	Mathura	16 MLD Trans Yamuna, Laxmi Nagar, Mathura	16	4.8
3	Mathura	14.5 MLD Trans-yamuna, Jamunapar, Mathura	14.5	12.3
4	Mathura	6.8 MLD Masani Mathura	6.8	1.36
5	Kasganj	15 MLD STP, Bakaner	15	1.5
6	Vridavan	4 MLD STP Pagal baba	4	0.6
7	Bulansahar	2.25 MLD Narora Atomic power Station Narora	2.25	2.25
8	Bulandhsahar	1.5 MLD Anoopshahar Zone A (NGRBA)	1.5	1
9	Bulandhsahar	1.0 MLD Anoopshahar Zone B (NGRBA)	1	0.5
10	Bulandhsahar	0.805 MLD Ahara Road, Zone-A, Anoopshahar	0.805	0.4
11	Kanpur	5 MLD, Jajmau Kanpur	5	5
12	Kanpur	43 MLD Jajmau, Kanpur	43	35
13	Kanpur	130 MLD Jajmau, Kanpur	130	110
14	Prayagraj	20 MLD STP Naini	80	30
15	Prayagraj	60 MLD STP Naini		
16	Agra	78 MLD Dhandupura	78	62.136
17	Agra	24 MLD Dhandupura	24	14.144
18	Agra	40 MLD Bichpuri	40	26.06
19	Agra	14 MLD Jaganpur	14	14.6
20	Agra	12 MLD Devri Road	12	9.05
21	Agra	10 MLD Pilakhar	10	10.04
			527.855	346.74
Total (21 STPs)				(66% Treated Water Used in Irrigation)

Status District Environment Committee Meeting

<u>S.No.</u>	District Name	Total Number of meeting (from Jan-2023 to Upto
1	Agra	11
2	Aligarh	5
3	Ambedkar Nagar	9
4	Amethi	13
5	Amroha	13
6	Auraiya	11
7	Ayodhya	10
8	Azamgarh	13
9	Badaun	7
10	Baghpat	16
11	Bahraich	6
12	Baliya	11
13	Balrampur	15
14	Barabanki	14
15	Bareilly	15
16	Basti	7
17	Bhadohi	11
18	Bijnor	15
19	Bulandshahr	15
20	Chandauli	13
21	Chitrakoot	9
22	Eta	10
23	Fatehpur	15
24	Farrukhabad	11
25	Firozabad	13
26	Gautam Budhha Nagar	6
27	Ghaziabad	11
28	Ghazipur	8
29	Gonda	13
30	Gorakhpur	14
31	Hamirpur	14
32	Hapur	13
33	Hathras	8
34	Hardoi	12
35	Jalaun	9
36	Jaunpur	9
37	Jhansi	9
38	Kannauj	15
39	Kanpur Nagar	7
40	Kaushambi	13
41	Kanpur Dehat	14

42	Kasganj	4
43	Kushinagar	8
44	Lakhimpur Kheri	13
45	Lalitpur	13
46	Lucknow	6
47	Mainpuri	4
48	Mathura	13
49	Mahoba	6
50	Mirzapur	9
51	Maharajganj	12
52	Mau	14
53	Moradabad	13
54	Muzaffarnagar	10
55	Pilibhit	12
56	Pratapgarh	13
57	Prayagraj	11
58	Raebareli	9
59	Saharanpur	14
60	Sambhal	9
61	Sant Kabir Nagar	14
62	Shahjahanpur	4
63	Shamli	5
64	Shravasti	11
65	Siddharth Nagar	8
66	Sitapur	13
67	Sultanpur	14
68	Sonbhadra	6
69	Unnao	7
70	Varanasi	7
71	Deoria	9
72	Etwah	12
73	Meerut	11
74	Banda	12
75	Rampur	5
	Grand Total	794

संख्या- 267 / 81-7-2024-44(रिट)/2016

प्रेषक,

आशीष तिवारी,

सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पर्यावरण समिति,

रामपुर, शाहजहाँपुर, मैनपुरी, अलीगढ़, शामली,

कासगंज, उ०प्र०।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7

लखनऊ : दिनांक : 02 अप्रैल, 2024

विषय-जनपद में गठित 'जिला पर्यावरण समिति' की नियमित बैठक कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के स्तर से निर्गत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7, उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2019/एन०जी० टी०-257/55-पर्या-2-2019 -44(रिट)/2016, दिनांक 14.06.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके प्रस्तर-2(ख)(1) में समस्त पर्यावरणीय विषयों एवं प्रदूषण से सम्बन्धित बिन्दुओं पर अनुश्रवण हेतु जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में "जिला पर्यावरण समिति" का गठन करते हुए उक्त समिति की बैठक कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा निर्धारित समयतालिका के अनुसार माह में एक बार माह के प्रथम सप्ताह में जिलाधिकारी, अध्यक्षता में आयोजित किये जाने तथा माह के द्वितीय सप्ताह में संबंधित मण्डलायुक्त द्वारा मण्डलीय समीक्षा बैठक के दौरान जिला स्तर पर पर्यावरण समितियों की रिपोर्ट के आधार पर समीक्षा किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2- इस संबंध में शासन के संज्ञान में आया है कि आपके जनपदों में "जिला पर्यावरण समिति" की बैठकें नियमित रूप से आयोजित नहीं की जा रही हैं।

3- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रत्येक माह में "जिला पर्यावरण समिति" की बैठक कराकर अनुपालन सूचना तथा बैठक का कार्यवृत्त वेब पोर्टल www.upecp.in पर अपलोड कराते हुए सूचना की प्रति शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally Signed by आशीष

तिवारी

Date: 02-04-2024 10:54 (आशीष तिवारी)

Reason: Approved

सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ०प्र०, लखनऊ।
- 2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश (रामपुर, शाहजहाँपुर, मैनपुरी, अलीगढ़, शामली एवं कासगंज को छोड़कर)।
- 3- समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी (संयोजक जिला पर्यावरण समिति), उत्तर प्रदेश।
- 4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आशीष तिवारी)

उत्तर प्रदेश शासन
संख्या-N.G.T-4/4/81-7-2023-44(रिट)/2016
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7
लखनऊ : दिनांक : 08 सितम्बर, 2023

कार्यालय ज्ञाप

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7, उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2019/एन०जी०टी०-257/55-पर्या०-2-2019-44(रिट)/2016, दिनांक 14 जून, 2019 द्वारा उ०प्र० राज्य में पर्यावरण संरक्षण एवं प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण सुनिश्चित कराये जाने तथा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में की जाने वाली कार्यवाही के अनुश्रवण हेतु एक त्रिस्तरीय अनुश्रवण तंत्र स्थापित किया गया है, जो कि वर्तमान में क्रियाशील है।

2. मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) संख्या-375/2022 पर्यावरण सुरक्षा समिति बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य के अंतर्गत उ०प्र० राज्य द्वारा दाखिल की गयी मिसलेनियस एप्लीकेशन संख्या-356/2023 में दिनांक 20 मार्च, 2023 को निम्नवत् आदेश पारित किये गये हैं :

".....12. We accordingly permit the applicant to move the National Green Tribunal with an application in that regard. The National Green Tribunal shall duly monitor compliance with the directions including the time-lines which have been spelt out in the order of this Court. It would be open to the applicant to place on the record of the Tribunal all material to indicate the bona fide steps which were taken to comply with the order of this Court and, if there were any genuine hindrances in doing so, the nature of the hindrances. The Tribunal would be at liberty in the exercise of its discretion to consider any request for a further extension of time.

13. The National Green Tribunal is authorized in terms of the present order to suitably extend time should it be satisfied that all necessary steps have been pursued with a sufficient degree of alacrity. The Tribunal shall also take stock of the issues which have been set out above in relation to due monitoring of the performance of the STPs and steps for ensuring up-gradation and maintenance. The Tribunal shall also ensure that an accountable mechanism is set up in the State of Uttar Pradesh to take stock of the performance of the STPs, providing for adequate funds for up-gradation and maintenance as required and for attending to all other administrative issues and problems....."

3. मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य के साथ ओ०ए० संख्या-670/2018 अतुल सिंह चौहान बनाम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एवं अन्य के अंतर्गत स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा दाखिल एम०ए० संख्या-62/2023 में दिनांक 17.08.2023 को निम्न आदेश पारित किये गये हैं :

".....6. Now, the Hon'ble Supreme Court of India has directed this Tribunal to ensure that an accountable mechanism is set up in the State of Uttar Pradesh to monitor the compliances with regard to violation of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974. Since the State has constituted the Committee mentioned above, thus, the report and suggestions for better mechanisms is required for improvement of the existing Committee or to reconstitute by way of any addition of technical /administrative member. Further, the views of the Committee are also required to be sought.

EE-1
W

7. Accordingly, the State of UP/Secretary, Environment/State PCB are directed to submit the report with regard to any reform required in the monitoring mechanism in the Committee or induction of any new technical/administrative member or change of members and till the decision is taken by this Tribunal, the Monitoring Committee as quoted above headed by Justice S.V.S. Rathore will continue to work in accordance with the order quoted above. The State may recommend the manner and method of mechanism to take the stock of performance of the STPs in the State of UP. In the meantime, the present Committee headed by Justice S.V.S. Rathore is directed to submit the compliance report in the light of order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 20.03.2023 and to continue to function till further orders....."

4. मा0 सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 20.03.2023 तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उक्त आदेश दिनांक 17.08.2023 के अनुपालन में प्रदेश के अंतर्गत सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट्स, कॉमन एफ्लूएन्ट ट्रीटमेंट प्लान्ट्स तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सुविधाओं की स्थापना, उच्चीकरण तथा मानकों के अनुरूप संचालन हेतु उत्तरदायित्व का निर्धारण सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से उक्त अनुश्रवण की व्यवस्था के अंतर्गत संबंधित विभागों/एजेंसियों के स्तर पर 'उत्तरदायित्व निर्धारण' समितियों का निम्नवत् गठन करते हुए उनके द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बिन्दु निम्नवत् निर्धारित किये जाते हैं :

(अ) सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट्स/कॉमन एफ्लूएन्ट ट्रीटमेंट प्लान्ट्स उत्तरदायित्व निर्धारण समिति:

i.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।	-	सदस्य
ii.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।	-	सदस्य
iii.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा नामित सचिव अथवा विशेष सचिव से अनिम्न अधिकारी।	-	सदस्य
iv.	प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)।	-	संयोजक सदस्य
v.	प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय)।	-	सदस्य
vi.	सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।	-	सदस्य
vii.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा नामित एस0टी0पी0/सी0ई0टी0पी0 से संबंधित तकनीकी विशेषज्ञ।	-	सदस्य

उक्त समिति के कार्यदायित्व निम्नवत् होंगे:

- समिति की अध्यक्षता नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग/नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन के वरिष्ठतम अधिकारी (सदस्य) द्वारा की जायेगी।
- समिति द्वारा प्रदेश के अंतर्गत निर्माणाधीन एस0टी0पी0/सी0ई0टी0पी0 की परियोजनाओं तथा सीवेज एवं औद्योगिक उत्प्रवाह के शत-प्रतिशत शुद्धिकरण हेतु प्रस्तावित परियोजनाओं की संबंधित विभागों द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल की गई टाइमलाइन का परीक्षण कर निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार इण्टरमीडिएट माइलस्टोन तय किये जायेंगे।

- iii. समिति द्वारा उक्त इण्टरमीडिएट माइलस्टोन के आधार पर परियोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की प्रत्येक त्रैमास में समीक्षा की जायेगी तथा परियोजनाओं की टाइमलाइन के उल्लंघन की दशा में उत्तरदायित्व का निर्धारण कर अपनी संस्तुति संबंधित विभागों को तथा रिवर रिजुविनेशन समिति को उसके नोडल ऑफिसर यथा सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से प्रेषित की जायेगी।
- iv. समिति द्वारा प्रदेश में स्थापित समस्त एस०टी०पी०/सी०ई०टी०पी० के मानकों के अनुरूप संचालन हेतु प्रत्येक त्रैमास में समीक्षा की जायेगी तथा उल्लंघन की दशा में उत्तरदायित्व का निर्धारण कर अपनी संस्तुति संबंधित विभागों को तथा रिवर रिजुविनेशन समिति को उसके नोडल ऑफिसर यथा सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से प्रेषित की जायेगी।
- v. समिति का सचिवालय उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) होगा।

(ब) ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सुविधा उत्तरदायित्व निर्धारण समिति:

i.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।	-	अध्यक्ष
ii.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा नामित विशेष सचिव से अनिम्न अधिकारी।	-	सदस्य
iii.	प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा नामित संयुक्त प्रबन्ध निदेशक।	-	सदस्य
iv.	प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) द्वारा नामित संयुक्त प्रबन्ध निदेशक।	-	सदस्य
v.	सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा नामित मुख्य पर्यावरण अधिकारी।	-	सदस्य
vi.	निदेशक, सी० एण्ड डी०एस०, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) द्वारा नामित अधिकारी।	-	सदस्य
vii.	मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वारा नामित अधिकारी।	-	सदस्य
viii.	मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) द्वारा नामित अधिकारी।	-	सदस्य
ix.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा नामित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन विशेषज्ञ।	-	सदस्य
x.	निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र० लखनऊ।	-	संयोजक सदस्य

उक्त समिति के कार्यदायित्व निम्नवत् होंगे:

- i. समिति द्वारा प्रदेश के अंतर्गत निर्माणाधीन ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सुविधाओं की परियोजनाओं तथा ठोस अपशिष्ट के शत-प्रतिशत प्रबन्धन हेतु प्रस्तावित परियोजनाओं की संबंधित विभागों द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल की गई टाइमलाइन का परीक्षण कर निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार इण्टरमीडिएट माइलस्टोन तय किये जायेंगे।
- ii. समिति द्वारा उक्त इण्टरमीडिएट माइलस्टोन के आधार पर परियोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की प्रत्येक त्रैमास में समीक्षा की जायेगी तथा परियोजनाओं की टाइमलाइन के उल्लंघन की दशा में उत्तरदायित्व का निर्धारण कर अपनी संस्तुति संबंधित विभागों को तथा राज्य स्तरीय अपशिष्ट प्रबन्धन अनुश्रवण समिति को उसके समन्वयक यथा सचिव, नगर विकास

विभाग, उ०प्र० शासन के माध्यम से प्रेषित की जायेगी।

iii. समिति द्वारा प्रदेश में स्थापित समस्त अपशिष्ट प्रबन्धन सुविधाओं के मानकों के अनुरूप संचालन हेतु प्रत्येक त्रैमास में समीक्षा की जायेगी तथा उल्लंघन की दशा में उत्तरदायित्व का निर्धारण कर अपनी संस्तुति संबंधित विभागों को तथा राज्य स्तरीय अपशिष्ट प्रबन्धन अनुश्रवण समिति को उसके समन्वयक यथा सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन के माध्यम से प्रेषित की जायेगी।

iv. समिति का सचिवालय स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ होगा।

5. उक्त समितियों द्वारा उत्तरदायित्व के निर्धारण के संबंध में की गयी संस्तुतियों के अनुसार संबंधित विभाग उत्तरदायी कार्मिक/फर्म/कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर इत्यादि के विरुद्ध त्वरित यथोचित दण्डात्मक कार्यवाही यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही, पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली आदि सुनिश्चित करेंगे ताकि मा० सर्वोच्च न्यायालय एवं मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित हो सके। उत्तरदायित्व के निर्धारण के संबंध में संबंधित विभागों के द्वारा की गयी कार्यवाहियों का विवरण मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में समय-समय पर दाखिल की जाने वाली अनुपालन सूचनाओं के माध्यम से संबंधित विभागों द्वारा मा० अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

Signature by दुर्गा शंकर
मिश्र
Date: 07-09-2023 15:19:18
Reason: Approved

(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- 1- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
- 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति, नगर विकास, अवरथापना एवं औद्योगिक विकास, आवास एवं शहरी नियोजन, पंचायती राज विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण/नगरीय), उ०प्र० लखनऊ।
- 4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- निदेशक, सी० एण्ड डी०एस०, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
- 6- मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण/नगरीय), उ०प्र०, लखनऊ।
- 7- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 8- समस्त सदस्य संयोजक/प्रभागीय वनाधिकारी, जिला पर्यावरण समिति, उ०प्र०।
- 9- सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 10 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज सिंह)
अपर मुख्य सचिव।



उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण)

E-mail-cepqanga@yahoo.in

प्रधान कार्यालय 6. राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ 226001

पत्रांक - 428 / 012-0026 / 2023

दिनांक - 28.11.2023

सेवा में,

श्री विशेश्वर प्रसाद,

कार्यो मुख्य अभियन्ता (वा0क्ष0)/अधीक्षण अभियन्ता (म0कार्य0)

उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)

वाराणसी।

विषय- नमामि गंगे कार्यक्रम के अर्न्तगत जनपद मीरजापुर में निर्माणाधीन एस0टी0पी0 एवं पम्पिंग स्टेशन के कार्य में अनावश्यक विलम्ब हेतु स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में, महोदय।

दिनांक 23.11.2023 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में नमामि गंगे कार्यक्रम की परियोजनाओं के समीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि जनपद मीरजापुर में निर्माणाधीन एस0टी0पी0 एवं पम्पिंग स्टेशन हेतु पावर कनेक्शन वर्तमान तक प्राप्त नहीं किया जा सका है एवं जिसे पूर्व में ही प्राप्त कर लिया जाना चाहिए था। उक्त योजना की कार्य प्रारम्भ की तिथि अप्रैल 2022 एवं पूर्ण होने की तिथि जनवरी 2024 द्वारा निर्धारित है।

उक्त बैठक में मीरजापुर एस.टी.पी. को कियाशील किये जाने के सम्बन्ध में परियोजना प्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी द्वारा अवगत कराया गया कि मीरजापुर में निर्माणाधीन एस.टी.पी. को माह जनवरी-2024 में कियाशील कर लिया जायेगा, जिसके सम्बन्ध में कार्यदायी फर्म मेसर्स इ.एम.एस., इन्फ्राकॉन प्रा0लि0 (JV) मेसर्स इ.एम.आई.टी. के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि निर्माणाधीन एस.टी.पी. पर विद्युत संयोजन वर्तमान तक नहीं हो पाया है।

उक्त के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि0/र्य0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी द्वारा अवगत कराया गया कि माह जून 2023 में उनके द्वारा बिजली विभाग से पावर कनेक्शन हेतु आगणन की माग की गयी, जिसका आगणन माह अक्टूबर 2023 में प्राप्त हुआ। उक्त प्राप्त आगणन में बिजली विभाग द्वारा एक नया सब स्टेशन बनाने हेतु धनराशि भी सम्मिलित की गयी है, जिसके कारण पावर कनेक्शन की कुल लागत रु0 8.50 करोड है। इस सम्बन्ध में आपके द्वारा यह अवगत कराया गया कि इस सम्बन्ध में खण्ड कार्यालय द्वारा आपको कोई जानकारी नहीं दी गयी है एवं आप इस विषय के सम्बन्ध में अनभिज्ञ हैं। आपका उक्त कथन दर्शाता है कि न ही आपके द्वारा कार्य में रूचि ली जाती है न ही अधीनस्थों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाता है। आपके इस लचर रवैये के कारण परियोजना हेतु आवश्यक पावर कनेक्शन के अधिष्ठापन के सम्बन्ध में कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा सकी, जिसके दृष्टिगत परियोजना में विलम्ब होना सम्भावित है।

उल्लेखनीय है कि एस.टी.पी. के विद्युत संयोजन हेतु प्रबन्ध निदेशक महोदय द्वारा विभिन्न बैठकों में समयान्तर्गत विद्युत संयोजन प्राप्त किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता रहा है एवं उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या 249/012-0021/2023 दिनांक 15.07.2023 द्वारा निर्माणाधीन एस.टी.पी., एम. पी.एस. एवं आई.पी.एस. में विद्युत संयोजन के कार्य, निर्माण कार्य के साथ-साथ पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि एस.टी.पी. के विद्युत संयोजन में विलम्ब हेतु पत्र प्राप्ति के 07 कार्यदिवसों में इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी को अपना लिखित स्पष्टीकरण उपलब्ध करना सुनिश्चित करें।

(डॉ० बलकार सिंह, IAS)

प्रबन्ध निदेशक

29-11-23
01/ Sunday
28.11.23



4084 उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

प्रधान कार्यालय - 6-राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ

पत्रांक:- 344 / 012-21(48)/2023

दिनांक : 20 09.2023

सेवा में,

Annexure - 9

मुख्य अभियन्ता (मेरठ क्षेत्र),
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
मेरठ।

विषय:- नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद शामली में कैराना के आई० एण्ड डी० एण्ड एस०टी०पी० कार्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद शामली के कैराना में आई० एण्ड डी० एण्ड एस०टी०पी० क्षमता 15 एम०एल०डी० का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें विद्युत/यॉन्त्रिक एवं विद्युत संयोजन सम्बन्धी कार्यों में अनावश्यक विलम्ब के परिणामस्वरूप एस.टी.पी. के समस्त कार्य पूर्ण कर कियाशील बनाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

उपरोक्त प्रकरण में परियोजना प्रबन्धक, नमामि गंगे इकाई, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मुजफ्फरनगर द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त एस.टी.पी. के सिविल निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुके हैं। परन्तु विद्युत/यॉन्त्रिक एवं विद्युत संयोजन सम्बन्धी कार्य लम्बित है, जिससे योजना एस.टी.पी. कियाशील नहीं हो पा रही है, संज्ञान में आया है कि एस.टी.पी. के विद्युत/यॉन्त्रिक सम्बन्धी कार्यों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री, वर्तमान तक कार्यस्थल पर उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण कार्यों को पूर्ण कराने में विलम्ब हो रहा है।

उल्लेखनीय है कि मा० एन०जी०टी० में, योजना को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किये जाने का शपथ-पत्र दाखिल किया गया है। उक्त योजना के निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण न के कारण प्रगति समीक्षा में अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ता है एवं विभाग की छवि धूमिल होती है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त एस०टी०पी० के विद्युत/यॉन्त्रिक एवं विद्युत संयोजन सम्बन्धी कार्यों को निर्धारित समय में पूर्ण न करने के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, (वि०/यॉ०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मेरठ से स्पष्टीकरण प्राप्त कर एस.टी.पी. के विद्युत/यॉन्त्रिक कार्यों की प्रगति एवं सामग्री आपूर्ति से सम्बन्धित विस्तृत विवरण सहित आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

Index
26.9.23
(संदीप कुमार)

मुख्य अभियन्ता (गंगा)

प्र०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार :-

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (गंगा), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को संयुक्त प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।



4085

E-mail- ceganga_upjn@yahoo.co.in

उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

प्रधान कार्यालय - 6-राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ

पत्रांक:- 346 / 012-21(28) / 2023
सेवा में,

दिनांक : 26 09.2023

मुख्य अभियन्ता (लखनऊ क्षेत्र),
उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय:- नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद उन्नाव के 15 एम.एल.डी. एवं 05 एम.एल.डी. (शुक्लागंज) क्षमता के एस.टी.पी. के निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आप भिज्ञ हैं कि नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद उन्नाव में 15 एम.एल.डी. एवं 05 एम.एल.डी. क्षमता के एस.टी.पी. के निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं, जिसके निर्माण कार्यों की प्रगति निम्नवत् है:-

Particular	UNNAO 15 MLD STP	SHUKLAGANJ 5 MLD STP
Effective Start Date	11th October 2019	15th March 2021
Total Milestones	8	8
Completed Milestone	7	6
Original Date for Completion	15th September 2021	14th December 2022
1st Extension of Time	25th May 2022	13th June 2023
2nd Extension of Time	15th October 2022	-
3rd Extension of Time	20th Dec. 2022	-
4th Extension of Time	15 March 2023	-
5th Extension of Time	30th April 2023	-
Actual Progress Till Date	95.00%	76.00%
Expected Completion Time	30.10.2023	30.12.2023

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि योजना की वास्तविक समापन तिथि क्रमशः उन्नाव की दिनांक 15.09.2021 एवं शुक्लागंज की दिनांक 14.12.2022 थी, जबकि समय-समय पर एन0एम0सी0जी0, नई दिल्ली द्वारा योजनाओं को क्रियाशील करने हेतु समयवृद्धि प्रदान की गयी है। वर्तमान तक क्रमशः उन्नाव की भौतिक प्रगति 95 प्रतिशत एवं सम्भावित समापन दिनांक 30.10.2023 एवं शुक्लागंज की भौतिक प्रगति 76 प्रतिशत एवं सम्भावित समापन दिनांक 30.12.2023 है। योजनाओं के कार्यों की प्रगति के दृष्टिगत उपरोक्त सम्भावित तिथियों में भी कार्य पूर्ण हो पाना सम्भव प्रतीत नहीं हो रहा है।

उल्लेखनीय है कि मा0 एन0जी0टी0 म, योजना को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किये जाने का शपथ-पत्र दाखिल किया गया है। उक्त योजनाओं को कई बार समयवृद्धि के पश्चात् भी योजना पूर्ण न होने के कारण प्रगति समीक्षा में अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ता है एवं विभाग की छवि धूमिल होती है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त दोनों एस0टी0पी0 के कार्यों को कई बार समयवृद्धि के पश्चात् भी क्रियाशील न करने के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर विस्तृत विवरण सहित आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

Handwritten signature
26.9.23

(संदीप कुमार)

मुख्य अभियन्ता (गंगा)

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार :-

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (गंगा), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को संयुक्त प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता (गंगा)



कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल,
उत्तर प्रदेश जल निगम(नगरीय),
निकट सूरज कुण्ड पार्क, रिवर बैंक कॉलोनी, लखनऊ-226018
ई-मेल- gmgomti01@gmail.com

Annexure - 10

पत्रांक : 146/कैम्प(एस.ई.)/नि.ख-II /07

दिनांक:- 03 /11/2023

सेवा में,

मैसर्स शापूरजी पलोजी एण्ड कम्पनी प्रा० लि०,
एस०पी० सेन्टर, 41/44, माइनू देसाई मार्ग,
कोलाबा, मुम्बई - 400 005,
ज्वाइंट वेंचर-मैसर्स जी०एस०जे०, इनवो लि०,
51, हेमकुण्ट कालोनी, नई दिल्ली-110048

ई-मेल: das.balaram@shapoorji.com, amiya.sarkar@shapoorji.com

Kind Attention:- Mr. Reby Thomos

IMPORTANT NOTICE
(Regarding EOT-4)

विषय:- 120 एम०एल०डी० एस०टी०पी० के अवशेष निर्माण कार्यों को पूरा करने के संबंध में आपके द्वारा अनुबन्ध सं० 07/GM(gomti)/PM-TGPCU/2018-19 दिनांक 25.07.2019 के अंतर्गत समय वृद्धि हेतु प्रेषित पत्र सं SPCL/Site-2015-16/UPJN/2023-24/975 दिनांक 31.10.2023 के सापेक्ष प्रेषित नोटिस।

आप अवगत ही हैं कि 120 एम०एल०डी० क्षमता के एस०टी०पी० का निर्माण जी०एच० कैनाल के निर्माण हेतु ज्वाइंट वेंचर फर्म के रूप में मैसर्स शापूरजी पलोजी एण्ड कम्पनी प्रा० लि०(ज्वाइंट वेंचर लीड पार्टनर) - मैसर्स जी०एस०जे०, इनवो लि०, (ज्वाइंट वेंचर पार्टनर) के साथ अनुबन्ध सं० 07/ GM (gomti) /PM-TGPCU/2018-19 दिनांक 25.07.2019 गठित किया गया था। अनुबंध में निर्धारित कार्यों के निर्माण हेतु कुल 20 माह की अवधि प्रदान करते हुये अन्य तत्संबंधी कार्यवाही पूर्ण किये जाने निम्नानुसार टाइम लाइन निर्धारित की गयी थी:-

S.No.	Details of work / Activity	Time period	Date
1	Date of start	-	25.07.2018
2	Total Period of construction	20 month	25.07.2018 to 24.03.2020
3	Trial & run	4 month	25.03.2020 to 24.07.2020
4	O & M period	12 month (after completion of trial run)	25.07.2020 to 24.07.2021
5	Date of completion	-	24.07.2021

अनुबन्ध में 120 एम०एल०डी० क्षमता के एस०टी०पी० का निर्माण जी०एच० कैनाल के बहाव क्षेत्र की भूमि पर ही निर्मित किया जाना प्रस्तावित था। इसके फलस्वरूप अनुबन्धित फर्म निविदा के समय से ही इस तथ्य से पूर्ण रूप से भिन्न थी कि फर्म को सर्वप्रथम जी०एच० कैनाल नाला रि-एलाइनमेंट का कार्य करना होगा। परन्तु अनुबन्धित ज्वाइंट वेंचर फर्म का प्रबंधन एवं तकनीकी तंत्र स्थलीय आवश्यकताओं के अनुरूप एस०टी०पी० के निर्माण की कार्यवाही के प्रारम्भ से ही कार्य स्थल पर लेबर, शटरिंग, टी०एण्ड पी० एवं अन्य आवश्यक संसाधन जुटाने में असफल रहा। विभाग के विभिन्न स्तरीय अधिकारियों द्वारा कार्य स्थल की कठिनाइयों का आंकलन करते हुए अपने स्थलीय निरीक्षणों एवं विभिन्न पत्रों के माध्यम से कार्य की प्राथमिकताओं का उल्लेख करते हुए कार्यस्थल पर वांछित लेबर व टी०एण्ड पी० एवं अन्य आवश्यक संसाधनों की तैनाती हेतु कार्यवाही के निर्देश दिये जाते रहे हैं। निर्देशों के बावजूद भी फर्म द्वारा कभी भी अपनी कार्य प्रणाली में कोई सुधार नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप अनुबन्ध में कार्य प्रारम्भ की तिथि के पश्चात 9 माह तक कोई बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत न कर सकी एवं निर्धारित 20 माह की निर्माण कार्य अवधि के समाप्त होने पर फर्म मात्र 17 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण कर सकी थी।

फर्म द्वारा BEP की कार्यवाही पूर्ण करने में 7 माह व्यतीत किये गये एवं विभाग द्वारा लेवल में आंशिक संशोधन कराये जाने की कार्यवाही में पुनः 5 माह अनावश्यक व्यतीत कर दिया गया था। यह कार्यवाही अनुबंध के अन्तर्गत फर्म द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रथम बार चार्ट के अनुसार पूर्ण कर ली गयी होती तो विभाग द्वारा लेवल में संशोधन किये जाने हेतु बाध्य न होना पड़ता। फर्म द्वारा सिविल ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण अत्यन्त विलंब किये जाने के फलस्वरूप और अधिक विलंब न हो इस कारण से ही विभाग द्वारा लेवल में आंशिक संशोधन कराये जाने का निर्णय लिया गया था। फर्म अपनी प्रबंधनीय अक्षमताओं/असफलताओं को विभाग पर धोपने का कुत्सित प्रयास करते हुये अनावश्यक पत्राचार करती रही है।

नाला रि-एलाइनमेंट कार्य एवं बार चार्ट की तुलनात्मक स्थिति:-

नाला रि-एलाइनमेंट एवं रिटैनिंग वॉल के कार्यों हेतु आपके द्वारा कार्य प्रारम्भ की तिथि के पश्चात स्थलीय परिस्थितियों का आंकलन कर आवश्यक संसाधनों का नियोजन करते हुए ही 120 एम०एल०डी० एस०टी०पी० के निर्माण का प्रथम **बार-चार्ट/शिड्यूल फॉर कम्प्लीशन ऑफ वर्क्स** दिनांक 14.09.2018 को प्रस्तुत किया गया था जिसमें नाला रि-एलाइनमेंट के कार्य को अप्रैल 2019 तक पूर्ण

Gh-Br

1/4

करना निर्धारित किया गया था। फर्म ने कुछ संशोधन करते हुए बाद में पुनरीक्षित बार-चार्ट /शिड्यूल ऑफ कम्प्लीशन भी प्रस्तुत किये गये परन्तु प्रत्येक बार-चार्ट में नाला रि-एलाइनमेंट के कार्य को शीर्ष प्राथमिकता पर रखा गया था। फर्म द्वारा प्रस्तुत बार-चार्ट के अनुसार नाला रि-एलाइनमेंट के कार्य की टाइमलाइन एवं उसके सापेक्ष उपलब्धि की स्थिति निम्नानुसार थी:-

S. No.	Time line/Barchart submission letters of Contractor		Scheduled time line for Nala Re-alignment work							Timeline for STP
	letter no.	Date	Start Date	Completion Date	Total period in months	Time elapsed from date of start-25.07.18 (in months)	Target	Achievement	Balance work	
1	SPCPL/UPJN/STP 120mld/2018-19/07	14.09.2018	29.10.2018	20.04.2019	6	9	100%	5%	95%	31.03.2020
2	SPCPL/Site-2015-16/UPJN/2018-19/107	25.07.2019	12.11.2018	11.04.2020	17	21	100%	20%	80%	20.02.2021
3	SPCPL/Site-2015-16/UPJN/2019-20/117	26.08.2019	12.11.2018	30.05.2020	18	22	100%	23%	77%	30.09.2020
4	SPCPL/Site-2015-16/UPJN/2019-20/133	09.08.2019	08.08.2019	30.09.2020	13	26	100%	37%	63%	30.09.2020
5	SPCPL/Site-2015-16/UPJN/2020-21/336	23.07.2020	-	27.10.2020	24	27	100%	40%	60%	30.12.2020

उपरोक्त तालिका से स्वतः स्पष्ट है कि फर्म द्वारा नाला रि-एलाइनमेंट एवं रिटेनिंग वॉल के क्रिटिकल एक्टिविटी के कार्य को 6 माह में पूर्ण करने हेतु प्रस्तुत टाइमलाइन के अनुरूप कार्यस्थल पर वांछित संसाधन तैनात कर आवश्यक कार्य पूर्ण कर दिया गया होता तो प्रांगण में जी0एच0 कैनाल/वर्षा के पानी के बहकर प्रवेश करने की सम्भावना शून्य हो जाती। फर्म द्वारा कितनी खेद जनक स्थिति उत्पन्न कर दी गयी थी कि फर्म ने नाला रि-एलाइनमेंट एवं रिटेनिंग वॉल के क्रिटिकल एक्टिविटी के कार्य को 6 माह में पूर्ण करने का बार चार्ट प्रस्तुत किया गया था परन्तु 27 माह की अवधि में भी मात्र 40 प्रतिशत ही पूर्ण कर सकी थी। इसके फलस्वरूप न बल्कि यह परियोजना समय से पूर्ण कर ली जाती अपितु फर्म द्वारा नाला रि-एलाइनमेंट एवं रिटेनिंग वॉल के काम पूरा न करने के कारण वर्षा के पानी के प्रांगण में घुसने से क्षति दर्शाते हुए विभाग के समक्ष प्रस्तुत किये गये क्लेम की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। यह स्थिति फर्म के कुप्रबंधन एवं इस प्रकार के कार्यों के निर्माण हेतु अक्षम रहने का परिणाम है।

उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा विभिन्न पत्रों एवं स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट्स के माध्यम से फर्म को यह चेतावनी भी दी गई थी कि यदि फर्म द्वारा नाला रि-एलाइनमेंट एवं रिटेनिंग वॉल की क्रिटिकल एक्टिविटी समयबद्ध पूर्ण नहीं करायी गई तो जी0एच0 कैनाल नाले का पानी कार्यस्थल में प्रवेश कर सकता है एवं निर्माण कार्य बाधित हो सकती है। परन्तु फर्म का स्थानीय प्रबंधन तंत्र अपनी प्रबंधनीय अक्षमताओं के कारण कार्यों को नियोजित एवं क्रियान्वित नहीं करा सका।

समय वृद्धि एवं फर्म द्वारा कराये गये निर्माण कार्य की स्थिति :-

फर्म द्वारा एस0टी0पी0 के निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु समय-समय पर पुनरीक्षित बार-चार्ट/शिड्यूल ऑफ कम्प्लीशन/ कैचअप प्लान विभाग के समक्ष No Claim Certificate के साथ प्रस्तुत करते हुए अतिरिक्त समय (EOT) की मांग की गई। विभाग द्वारा शासन /प्रशासन तथा मा0 एन0जी0टी0 के निर्देशों के अनुपालनार्थ इस परियोजना को किसी भी स्थिति में अविलम्ब क्रियाशील किये जाने के उद्देश्य से फर्म के प्रार्थना पत्रों एवं विलम्ब के कारणों को मूल्यांकित करते हुए दण्डरहित तथा दण्डसहित समयवृद्धि प्रदान की गई परन्तु फर्म अपने ही बार-चार्ट/शिड्यूल ऑफ कम्प्लीशन/ कैचअप प्लान के अनुसार लक्षित अवधि में योजना के कार्यों को पूर्ण नहीं कर सकी है। योजना में प्रदान अवधि एवं समयवृद्धि के सापेक्ष फर्म द्वारा प्राप्त की गई भौतिक प्रगति की निम्न तुलनात्मक स्थिति से स्वतः स्पष्ट होता है कि किस प्रकार फर्म निर्माण कार्यों हेतु निर्धारित कुल अवधि 20 माह के सापेक्ष 60 माह का समय उपभोग करने बावजूद भी STP के निर्माण सम्बंधी कार्यवाही को पूर्ण करने में असफल रही है:-

S. No.	Construction of 120 mld STP, GH Canal, Lucknow.	Status of achievement of physical progress with respect to Scheduled original date of completion & EOT				
		Total Construction Including Trial & Run as per Contract - 25.07.2018 to 24.07.2020	Scheduled Period 24.01.2021	EOT-1 - 25.07.2020 to 24.01.2021	EOT-2 - 25.01.2021 to 30.11.2022	EOT-3 - 01.12.2022 to 31.07.2023
		-	LD - Rs. 97.00 Lac	-	LD - Rs. 250.00 Lac	-
		24 month	06 month	22 month	08 month	60 month
1	Physical Progress	17%	11%	37.50%	22.50%	88%
		17%	28%	65.50%	88%	88%

यह उल्लेखनीय है कि फर्म द्वारा अपनी स्वयं की प्लानिंग के अनुसार EOT-2 के सापेक्ष अवशेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु दिनांक 30.04.2023 तक की समय वृद्धि प्रदान किये जाने की मांग करते हुये बार चार्ट प्रस्तुत करते हुये विभाग में समय वृद्धि हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया था। विभाग द्वारा तत्समय अवशेष कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु आवश्यक समय का आकलन करते हुये दिनांक 30.11.2022 तक EOT-2 के रूप में समय वृद्धि प्रदान की गयी थी। फर्म द्वारा अपने विभिन्न पत्रों में यह उल्लेख किया जाता रहा है कि विभाग द्वारा 5 month shortfall के साथ समय वृद्धि प्रदान की गयी है। यहाँ यह विचारणीय है कि फर्म द्वारा स्वयं दिनांक 30.04.2023

तक की अपनी कार्य योजना के अनुसार भी कार्यों को पूर्ण नहीं करा सकी। इससे स्पष्ट है कि फर्म दिनांक 30.04.2023 तक अवशेष कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु आवश्यक लेबर टी.एण्ड पी. व अन्य भौतिक एवं वित्तीय संसाधन तैनात करने में असफल रही है।

यह भी सूच्य है कि फर्म द्वारा इस सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के निर्माण कार्य में हुये विलम्ब के सापेक्ष प्रस्तुत किये गये विभिन्न क्लेम अनुबन्ध के प्राविधानों के विपरीत पाये जाने एवं किसी भी प्रकार के विलम्ब हेतु विभाग के उत्तरदायी न होने के आलोक में पूर्व में ही कार्यालय अधि०अभि०, निर्माण खण्ड-11, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ (पूर्ववर्ती कार्यालय परियोजना प्रबंधक अस्थाई गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई) के द्वारा अपने पत्र सं० 2191/कार्य-9/438, दिनांक 03.10.2020 के माध्यम वस्तुस्थिति से फर्म को अवगत कराते हुए अमान्य कर दिया गया था। उसके उपरान्त भी आपके द्वारा बार-बार की गयी अनुचित क्लेम की मांग अनुबंध के प्राविधानों के विपरीत होने के परिणाम स्वरूप विचार योग्य न पाये जाने के कारण अधि०अभि०, निर्माण खण्ड-11, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ द्वारा विस्तृत विवरण के साथ आपको प्रेषित अपने कार्यालय पत्र सं० 2491/कार्य-9/466, दिनांक 14.11.2022 से स्थिति स्पष्ट की जा चुकी।

उक्त वस्तु स्थिति से पूर्णतः अवगत होते हुये फर्म द्वारा पुनः EOT-3 के सापेक्ष अवशेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु दिनांक 31.07.2023 तक की समय वृद्धि की मांग की गयी थी एवं विभाग द्वारा फर्म की मांग के अनुरूप समय वृद्धि प्रदान कर दी गयी परन्तु एक बार फिर फर्म अपनी प्रबंधनीय अक्षमताओं के अनुरूप ही अवशेष कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु आवश्यक लेबर टी.एण्ड पी. व अन्य भौतिक एवं वित्तीय संसाधन तैनात करने में असफल रही है।

यह उल्लेखनीय है कि फर्म वर्तमान तक मात्र 88 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण कर सकी है। विभाग के स्तर से किसी प्रकार की कोई एन.ओ.सी. तथा एपूवल एवं भुगतान सम्बंधी कोई कार्यवाही लंबित नहीं रही है। ज्वाइंट वेंचर फर्म द्वारा इस योजना के कार्यों हेतु निविदा प्रस्तुत करते समय अपनी कुल बिड कैपेसिटी रु. 12009.11 करोड़ दर्शायी गयी थी जबकि निविदित लागत मात्र रु. 234.30 करोड़ ही थी। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा निर्माण कार्यों हेतु मोबिलाइजेशन एडवांस के रूप में रु. 23.43 करोड़ का भी राशि भी उपलब्ध करा दी गयी थी। फर्म पर अभी भी रु० 4.26 करोड़ मोबिलाइजेशन एडवांस रिक्वरी हेतु शेष है। इसके बावजूद भी फर्म निर्माण कार्यों हेतु आवश्यक लेबर, सामग्री, टी०एण्डपी० एवं अन्य आवश्यक संसाधनों को कार्यस्थल पर उपलब्ध नहीं करा सकी तथा कार्यस्थल पर लेबर, टी.एण्ड पी. की सदैव कमी बनी रही। इसके साथ-साथ प्रारम्भ से ही कंक्रीट आपूर्तिकर्ता (RMC plants) फर्मों के भुगतान लम्बित बने रहे एवं कार्यस्थल पर कंक्रीट की आपूर्ति बाधित होती रही है।

आपके द्वारा कार्यस्थल पर पिछले 3 माह से निर्माण की कार्यवाही लगभग शून्य कर दी गयी है। किसी भी विद्युत यांत्रिक उपकरण की आपूर्ति प्राप्त नहीं की गयी है। विद्युत यांत्रिक उपकरणों की आपूर्ति संबंधी औपचारिकतायें/इंस्पेक्शन की कार्यवाही विभाग स्तर पर लंबित नहीं है। विद्युत यांत्रिक उपकरणों की आपूर्ति के सापेक्ष भुगतान के संबंध शिथिलता का विकल्प भी कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-वि/यां, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) लखनऊ द्वारा अपने पत्र सं 1061/डब्लू-10/144 दिनांक 24.08.2023 प्रदान किया जा चुका है। इसके बावजूद भी फर्म द्वारा किसी भी विद्युत यांत्रिक उपकरण की आपूर्ति प्राप्त नहीं की गयी है। इसके फलस्वरूप पिछले 3 माह से आपको कोई भुगतान नहीं किया जा सका है।

आपके द्वारा समय वृद्धि हेतु प्रेषित पत्र सं SPCPL/Site-2015-16/UPJN/2023-24/975 दिनांक 31.10.2023 के माध्यम से इस परियोजना के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने की एक बार पुनः कार्य योजना (Bar chart) प्रस्तुत करते हुये दिनांक 31.07.2024 तक की समय वृद्धि की मांग की गयी है। आपके द्वारा अपने पत्र में एक बार फिर ऐसे उन सभी अनुचित क्लेम्स/मांगों की पुनरावृत्ति की गयी है जिन्हे विभाग द्वारा पूर्व में विभिन्न पत्रों के माध्यम से अनुबंध के इतर पाये जाने के परिणाम स्वरूप अस्वीकार किया जा चुका है। आपके द्वारा पत्र में अवशेष कार्यों को पूर्ण किये जाने के हेतु की जाने वाली कार्यवाही एवं आवश्यक धन की उपलब्धता के संबंध में कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है। अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-वि/यां, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) लखनऊ द्वारा अपने पत्र सं 1061/डब्लू-10/144 दिनांक 24.08.2023 के माध्यम से भुगतान के संबंध में प्रदान की गई शिथिलता का भी कोई लाभ नहीं लिया गया है। आपके द्वारा दिनांक 31.07.2024 तक मांगी गयी समयवृद्धि अनुचित है क्योंकि वर्तमान स्थिति में समस्त अवशेष सिविल निर्माण कार्य तथा विद्युत यांत्रिक उपकरणों की आपूर्ति एवं उनके अधिष्ठापन संबंधी कार्यवाही मात्र 3 माह में पूर्ण की जा सकती है। आपका उक्त समय वृद्धि प्रार्थना पत्र अस्पष्ट एवं विरोधाभासी है। फर्म की अविश्वसनीयता को दृष्टिगत रखते हुये आपके प्रार्थना पत्र को विचार योग्य नहीं पाया गया है।

यह सर्व विदित है कि 120 एम.एल.डी. क्षमता के सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का निर्माण गंगा नदी की सहायक गोमती नदी में लखनऊ नगर के जी. एच. कैनाल के माध्यम से बाह रहे अशोधित सीवेज के शोधन हेतु निर्मित किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टिगत इस परियोजना को मा० एन.जी.टी. द्वारा मॉनीटर किया जा रहा है। अतः इस कार्य को अविलम्ब पूर्ण किया जाना बाध्यकारी है। उ०प्र० शासन के निर्देशों के अनुरूप इस परियोजना को पूर्ण किये जाने में अब कोई और विलंब की स्वीकार्यता नहीं है।

3/4

उक्त के अतिरिक्त आप प्रारम्भ से ही इस तथ्य से भली भाँति भिन्न हैं तथा विभाग द्वारा भी पार्श्वीकृत पत्रों के माध्यम से आपको निरंतर सूचित किया जाता रहा है कि 120 एम.एल.डी. क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट के निर्माण की प्रगति को मा0 एन.जी.टी. द्वारा मॉनीटर किया जा रहा है एवं इस कार्य को अविलम्ब पूर्ण किया जाना बाध्यकारी है। साथ ही विभाग द्वारा इस तथ्य से भी आपको सचेत किया जाता रहा है कि इस परियोजना के विलम्ब के लिये मा0 एन.जी.टी. द्वारा वित्तीय दण्ड भारत किया जा सकता है जिसकी प्रतिपूर्ति फर्म की जायेगी।

आपके संज्ञानार्थ यह पुनः स्पष्ट करना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) संख्या 375/2022 पर्यावरण सुरक्षा समिति बनाम यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया एवं अन्य के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दाखिल की गई मिसलेनियस एप्लीकेशन संख्या - 356/2023 में पारित आदेश के अनुपालन में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में पर्यावरण संरक्षण एवं प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से निर्माणाधीन परियोजनाओं के विलम्बित किये जाने के उत्तरदायित्व निर्धारण हेतु उच्च स्तरीय उत्तरदायित्व निर्धारण कमेटी गठित की जा चुकी है एवं यह उच्च स्तरीय उत्तरदायित्व निर्धारण कमेटी 120 एम.एल.डी. क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट का निर्माण विलम्बित किये जाने के लिए फर्म पर कठोरतम कार्यवाही कभी भी कर सकती है।

उपरोक्त के आलोक में आपको अन्तिम अवसर प्रदान करते हुये यह निर्देश दिये जाते हैं कि विलम्बतम दिनांक 31.01.2024 तक की समय सीमा में ही एस0टी0पी0 को क्रियाशील किये जाने हेतु समस्त अवशेष सिविल तथा वि0/यां0 कार्यों के निर्माण संबंधी समस्त कार्यवाही को समाहित करते हुये एस0टी0पी0 को क्रियाशील करने की तिथिवार टाइमलाइन तैयार करते हुये एवं इस हेतु आवश्यक धन की व्यवस्था की टोस वचन बद्धता लिखित रूप में प्रस्तुत करते हुये अपना पक्ष पत्र प्राप्त के 3 दिन के अंदर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में यह मानते हुए कि फर्म अब इस परियोजना को पूर्ण करने में असमर्थ है मा0 एन.जी.टी. से आच्छादित इस परियोजना को पूर्ण करने में अब कोई और विलम्ब न करते हुये फर्म के विरुद्ध इस कार्यालय के पत्र सं0 1869/डब्ल्यू-34/242 दिनांक 28.10.2023 के द्वारा प्रारम्भ की जा चुकी कार्यवाही को अमल में लाते हुये अनुबंध सं0 07/GM (gomti) /PM-TGPCU/2018-19 दिनांक 25.07.2019 के **Chapter-IV CONDITION OF CONTRACT (PART-I)** की नियम एवं शर्तों की धारा-4 **RIGHT OF BREACH OF CONTRACT** के अंतर्गत फर्म के विरुद्ध बैंक लिस्टिंग की कार्यवाही तथा अनुबंध को निरस्त करते हुए, शेष कार्यों को फर्म की **Risk & Cost** पर डेविटेबिल एजेंसी से कराते हुए इस परियोजना को क्रियाशील कर जनोपयोगी किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा, जिसके लिए फर्म पूर्ण रूप से स्वयं उत्तरदायी होगी।

क्र.सं.	पत्र संख्या	दिनांक
1	2538/कार्य-9/373	21.11.2020
2	2768/कार्य-9/561	15.12.2020
3	61/कार्य-9/9	11.01.2021
4	167/कार्य-9/20	19.01.2021
5	1465/कार्य-9/186	17.08.2021
6	1504/कार्य-9/198	24.08.2021
7	1669/कार्य-9/225	06.02.2021
8	1736/कार्य-9/235	13.09.2021
9	1824/कार्य-9/245	20.09.2021
10	1910/कार्य-9/270	30.09.2021
11	1479/कार्य-9/283	23.07.2022
12	174/कार्य-16/11	02.03.2023
13	208/कार्य-9/79	21.03.2023
14	662/कार्य-9/206	22.08.2023
15	141/डब्ल्यू-10/23	25.01.2023
16	172/मु.अभि. (पा0/यां0)/2062-0016/22	25.07.2022
17	42/एम-8/03	25.01.2023
18	253/सामग्री-9/38	27.03.2023
19	424/डब्ल्यू-34/72	04.03.2023

(शमीम अख्तर)
अधीक्षण अभियन्ता

पु0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) लखनऊ।
2. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (नागर), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (वि0/यां0), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (नागर), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (ल0शे0), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) लखनऊ।
6. अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल (वि0/यां0), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
7. अधि0अभि0, निर्माण खण्ड-11, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ
8. अधि0अभि0, निर्माण खण्ड-(वि0/यां0), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ
9. श्री अमिया सरकार, परियोजना प्रबन्धक मैसर्स शापूरजी पतौजी एण्ड कम्पनी प्रा0 लि0, लखनऊ।
10. मैसर्स जी0एस0जे0 इनवो लिमिटेड, 51 हेमकुण्ड कालोनी, नई दिल्ली।
11. अनुबन्ध में चप्सा हेतु।

अधीक्षण अभियन्ता



4091
SUPERINTENDING ENGINEER AYODHAYA
MUNDAL U.P. JAL NIGAM(GRAMIN)
AYODHAYA (CAMP-AMETHI)

Annexure - 11

69
W-17

Letter no. 644

/ अर्थ-05 / 83

Mo.- 9473942555 3278

Dated: 13/10/2023

To,

M/s EIEL- ABI (JV)
108, Vardhman Premium Mall,
Deepali, Pitampura Delhi
Email- aggarwalbultec87@gmail.com

Notice:-2

Sub.:- Regarding Termination of Contract Bond No- 07/ GM (Gomti) PM-1 / 19-20 Date 20.01.2020 for incomplete balance works of 10 MLD STP, 5 MLD STP, 2 MLD STP and associated Structure at District-Sultanpur.

Reff: This office letter No- 719/W-3 / 20 Dated 03.04.2023, 726/W-4/45 Dated 05.04.2023, 1000/W-17 / 2 Dated 28.04.2023, 1091/ W-17/ 7 Dated 08.05.2023, 1088/ W-17/09 Dated 15.05.2023, 1089/ W-17/ 10 Dated 15.05.2023, 1327/ W-17/ 16 Dated 08.06.2023, 1328 / W-17 / 17 Dated 08.06.2023 & 1356/W-17/16 Dated 14.06.2023, 403/ Karya-5/ 47 Dated 09.08.2023, 2076/W-17/ 40 Dated 24.08.2023, 2080 / W-17 / 41 Dated 24.08.2023, 2232 / W-17 / 46 / 06.09.2023, 2241 / W-17 / 47 Dated 08.09.2023, 508/ Karya-5 / 72 dated 05.09.2023, 2331/ W-17 / 49 dated 18.09.2023, 559 / Karya-05 / 77 Dated 21.09.2023 & 2506/ W-17/ 50 Dated 29.09.2023.

Sir,

This is with reference to above cited subject, It is bring to your kind notice that the work interception & diversion of 06 no's drains, upgradation of the existing 5 MLD facility with 10 MLD STP at Vinovapuri (Lolepur) and construction of 5 MLD STP, 2 MLD STP and associated Structure at District-Sultanpur is being executed by your agency under contract bond No- 07/ GM (Gomti) PM-1 / 19-20 Date 20.01.2020 under the esteemed "Namami Gange Programme". As per the contract bond, the date of commencement of work was 30th Nov 2019, and the date of completion of work was 29th Nov 2021. An extension of time has also been given to complete the work of this prestigious project up to 29th May 2022 but the work of this project is potentially delayed despite repeated reminders and discussions regarding the completion of the following leftover activities:

A. 10 MLD STP (Lolepur/Vinovapuri) Facility:-

- Erection of SCADA, PLC, OCEMS and Camera is also pending for a long time.
- The installation & calibration of the flow meter of 10 MLD STP, 10 MLD MPS, IPS-1 & IPS-2 is still pending.
- Commissioning of the CCT unit is pending for long time.

B. 05 MLD STP (Palhipur) Facility:-

- The construction of the interception and diversion (I&D) arrangement for the 5 MLD SPS has not been completed, despite our continuous instructions over the past seven months.
- The installation of 06 pumps of 05 MLD STP is pending for a long time.
- The erection work of SCADA, PLC, Camera & OCEMS is also pending at 05 MLD Palhipur STP facility.

Seen
by
10/10/23

- 4092
- The Painting work of this STP facility is also pending for a long period.
 - The installation & calibration of the flow meter of 05 MLD STP is still pending.
 - Commissioning of CCT unit and Sludge Dewatering Unit are pending since long time.

C. 2 MLD STP (Karaundiya) Facility:-

- The installation of the air diffuser arrangement is also pending in the SBR/ Biological treatment unit due non-availability of materials and manpower at the site of the 2 MLD STP facility.
- The installation work of Screen at Pre Treatment Unit of 2 MLD Karundiya STP is also pending for a long time.
- The erection work of SCADA, PLC, Camera & OCEMS is also pending at 05 MLD Palhipur STP facility.
- The Painting work of this STP facility is also pending for a long period.
- The installation & calibration of the flow meter of 02 MLD STP is still pending.
- Commissioning of the CCT unit and Sludge Dewatering Unit are pending for long time.

It is disappointing to note that these works remain incomplete within the agreed-upon revised timeline, leading to project delays and potential financial losses.

It is pertinent to mention herewith that, as per clause no 2.3.6 of the General Condition of Contract Bond, "The Operator guarantees that it shall attain completion of the Project Facility in Accordance with GC section 2.3.4. *"If an operator fails to attain the completion of the project within the time for completion, or any extension thereof in accordance with GC section 2.3.4, the operator shall pay to the owner liquidated damages in the amount specified in the SCC ("Liquidated Damages-Delay"). The aggregate amount of liquidated damages- Delay shall in no event exceed the amount specified as "Maximum" in the SCC. The owner may terminate the contract pursuant to GC section 11.2.3 if the operator reaches the "Maximum" level for Liquidated Damages- Delay."* and as per Clause no-2.3.6(2) of Special Condition of Contract "The Operator shall be liable to pay Liquidated Damages to the Owner in accordance with GCC clause 2.3.6(2) if the operator fails to achieve various activities/ milestones @ 0.05% of the value of the Design Build Services stipulated in the contract for each day of delay beyond the Completion Time.

After careful consideration, we have calculated the appropriate liquidated damages as per the conditions specified in the contract below-

Amount of Design Build Services	Delay in days as on Date 13.10.2023 from the date 30.05.2022	Amount of Liquidated Damages
36,50,00,000/-	501 days	9,14,32500/

The total amount of liquidated damages incurred due to the incomplete balance works is calculated as 0.05 percent per day of design-build Services commencing from the date of the revised scheduled completion of these tasks until the date 13.10.2023. Based on the provided project timeline and the extent of the delay, the total amount calculated as

liquidated damages is INR 9,14,32,500/- (Nineteen Lakhs Fourteen lakhs thirty-two thousand and five hundred only). **4093**

Upon reviewing the conditions of the contract and evaluating the liquidated damages provision, it is to bring your kind notice that the cumulative amount of liquidated damages has exceeded the agreed-upon threshold as specified in *GC section 11.2.3* of the contract.

Therefore, as per the terms and conditions outlined in the contract, the above contract termination is being recommended due to the excessive amount of liquidated damages that have been incurred.


Annexure- As Above.

J
(V.P. Singh)
Superintending Engineer

Ends. No. & Date as above

Copy forward to the following for information and necessary action: -

1. Additional Project Director, State Mission for Clean Ganga, Gomti Nagar, Lucknow.
2. District Magistrate, Sultanpur.
3. Chief Development Officer, Sultanpur.
4. Chief Engineer (Ganga), U.P. Jal Nigam (Rural), Lucknow.
5. Chief Engineer (Lucknow), U.P. Jal Nigam (Rural), Lucknow.
6. Superintending Engineer, Circle Office (E/M), U.P. Jal Nigam (Rural), Ayodhya (Amethi).
7. Regional Officer, U.P. Pollution Board, Rae Bareilly.
- ✓ 8. Executive Engineer, Division Office, U.P. Jal Nigam (Rural), Sultanpur.
9. Executive Engineer, Division Office (E/M), U.P. Jal Nigam (Rural), Ayodhya.


Superintending Engineer

दिनांक 18.10.2023 का अध्यक्ष, उत्तरदायित्व निर्धारण समिति / प्रमुख सचिव नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति की अध्यक्षता में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों की सूचना संलग्न है।

उ0प्र0 में स्थापित एस.टी.पी./सी.ई.टी.पी. के क्रियाशील व कम्पलाएण्ट व निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु निम्न बिन्दुओं पर चर्चा हुई:-

- सर्वप्रथम संयोजक द्वारा समिति के अध्यक्ष, सदस्यों व कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को उत्तरदायित्व निर्धारण समिति के कार्यों एवं उद्देश्यों से अवगत कराया गया। तदोपरान्त बैठक में विभिन्न विभागों/कार्यदायी संस्थाओं द्वारा प्रदेश में संचालित एसटीपी सीईटीपी तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण दिया गया।
- वर्तमान में प्रदेश में उ0प्र0 उपलब्ध सूची के आधार पर कुल 129 एस.टी.पी. स्थापित हैं जिनकी कुल शोधन क्षमता 4011 एम.एल.डी. है, जिनकी उपयोग क्षमता मात्र 3110.41 एम.एल.डी. ही है।
- संयोजक समिति द्वारा अवगत कराया गया कि स्थापित एस.टी.पी. में से वर्तमान में 114 ही क्रियाशील हैं जिनमें से सिर्फ 81 ही मानकों को प्राप्त कर रहे हैं तथा 08 एस.टी.पी. अक्रियाशील अवस्था में हैं।
- प्रदेश में शोधन क्षमता बढ़ाये जाने के लिये विभिन्न कार्यक्रमों जैसे नमामि गंगे, अमृत आदि के अर्न्तगत 48 एस.टी.पी. निर्माणाधीन हैं तथा 18 एस.टी.पी. की योजनाएं निविदा प्रक्रिया में हैं।
- उ0 प्र0 जल निगम (ग्रा0) विभाग द्वारा 37 एस.टी.पी. संचालित किये जा रहे हैं जिनमें से 5 एस.टी.पी. नॉन-कम्पलाएण्ट व 2 एस.टी.पी. अक्रियाशील हैं। मुख्य अभियन्ता (गंगा) द्वारा अवगत कराया गया कि सुल्तानपुर व रमना वाराणसी के अक्रियाशील दोनों एस.टी.पी. को क्रियाशील कर लिया गया है व मिर्जापुर के नॉन-कम्पलाएण्ट एस.टी.पी. को नवम्बर-2023 तक क्रियाशील कर लिया जायेगा। शेष 03 नॉन-कम्पलाएण्ट एस.टी.पी. जाजमऊ व बिनगवां को नवम्बर-2023 तक कम्पलाएण्ट कर लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया कि कानपुर स्थित एस.टी.पी. के रख-रखाव व संचालन में लापरवाही बरतने व गंगा व पाण्डु नदी को प्रदूषित करने के लिये उत्तरदायी फर्म M/s KRMPPL के विरुद्ध पूर्व में प्राथमीकी, परिवाद भी दर्ज किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त एन.एम.सी.जी., एस.एम.सी.जी. व जल निगम (ग्रा0) द्वारा कारण बताओ नोटिस भी निर्गत किये जा चुके हैं। अब तक जल निगम (ग्रा0) द्वारा फर्म के विरुद्ध रू0 7.15 करोड़ व उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रू0 1.16 करोड़ का अर्थदण्ड/पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जा चुकी है।

उ0 प्र0 जल निगम (ग्रा0) विभाग द्वारा 35 एस.टी.पी. निर्माण की 15 परियोजनाएं प्रगति में हैं जिनमें विलम्ब से चल रही परियोजनाओं को यथाशीघ्र पूर्ण किये जाने के लिये मुख्य अभियन्ता (गंगा) द्वारा अवगत कराया गया कि पनखा कानपुर, कैराना, उन्नाव, सुल्तानपुर परियोजना के कार्य अक्टूबर-2023 में तथा मुजफ्फरनगर, बुढाना, शुक्लागंज एवं लखनऊ परियोजना के कार्य दिसम्बर-2023 में पूर्ण कर लिये जायेंगे। निर्धारित करी गई समय-सीमा तालिका में अंकित है। इसके अतिरिक्त सुल्तानपुर परियोजना में कार्य के विलम्ब होने की दशा में फर्म के विरुद्ध रू0 9.0 करोड़ की, कैराना-शामली में रू0 32.0 लाख की, उन्नाव में 55.91 लाख की, शुक्लागंज में रू0 38.72 लाख की liquidated damage अधिरोपित किया जा चुका है। इसके साथ ही विलम्ब में चल रही परियोजनाओं के लिये उ0प्र0 जल निगम (ग्रा0) के संबंधित परियोजना प्रबंधक को भी स्पष्टीकरण जारी किया गया है।

vii. आवास एवं शहरी नियोजन द्वारा प्रदेश में कुल 23 एस.टी.पी. संचालित हैं जिनमें से मेरठ विकास प्राधीकरण द्वारा संचालित 13 एस.टी.पी. नॉन-कम्पलाएण्ट तथा मुरादाबाद व लखनऊ

6022/S/23
VS(GM)

31-10-23
(आशीष तिवारी)

सचिव, vi.
पर्यावरण, वन एवं
जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

4040/VS6M/23

US(DC)/SO 7

31-10-23

viii.
(घनश्याम मिश्र)
विशेष सचिव
पर्यावरण, वन एवं जलवायु
परिवर्तन विभाग
उ0 प्र0 शासन

50-3
I. u. n. i. s.
31/10/2023
अनुसचिव
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
उ0प्र0 शासन।

64

2/ DPS
31/10/23
S.O-7
31/10/2023

विकास प्राधिकरण द्वारा स्थापित एक-एक एस.टी.पी. अक्रियाशील स्थिति में है। उपाध्यक्ष मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि 13 एस.टी.पी. में से तीन एस.टी.पी. पर सी.सी.टी. की स्थापना का कार्य पूर्ण कर एस.टी.पी. को कम्पलाएण्ट कर लिया गया है एवं 5 एस.टी.पी. सी.सी.टी. की स्थापना का कार्य नवम्बर-2023 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। शेष 2 एस.टी.पी. पर सी.सी.टी. की स्थापना हेतु जल निगम (न0) द्वारा जी.पी.आर. विरचन प्रक्रिया में है तथा 3 एस.टी.पी. पर सी.सी.टी. की स्थापना के लिये जगह की अनुपलब्धता है। उपाध्यक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि मुरादाबाद स्थित 20 एम.एल.डी. एस.टी.पी. को क्रियाशील व कम्पलाएण्ट किया जा चुका है।

- viii. उप मुख्य अभियन्ता, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी द्वारा अवगत कराया गया कि बी.एल. डब्लू. द्वारा स्थापित 12 एम.एल.डी. एस.टी.पी. को क्रियाशील व कम्पलाएण्ट बनाये जाने के लिये एजेन्सी का चयन किया जा रहा है।
- ix. नगर विकास विभाग व उ0 प्र0 जल निगम (न0) के सक्षम प्रतिनिधि द्वारा प्रतिभाग नहीं किये जाने की वजह से उक्त विभाग द्वारा संचालित/निर्माणाधीन/प्रस्तावित योजनाओं की समीक्षा नहीं की जा सकी। उ0 प्र0 जल निगम (न0) द्वारा प्रस्तुत आख्या में अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा संचालित 2 परियोजना विलम्ब से चल रही हैं गोरखपुर सीवरेज योजना जोन सी-2 पार्ट-1 के कार्यों में विलम्ब के कारण उत्तरदायी फर्म पर रू 22.62 करोड़ तथा जीएच कैनल लखनऊ परियोजना पर रू 25.0 करोड़ का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।
- x. औद्योगिक उत्प्रवाह सम्बन्धी शोधन परियोजनाओं पर वरिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन-उ0प्र0 द्वारा निम्नानुसार अवगत कराया गया:-
1. ट्रानिका सिटी स्थित 6 एम.एल.डी. सी.ई.टी.पी. के संचालन के लिये गठित एस.पी.वी. को हैण्डओवर किया जा चुका है। एन.एम.सी.जी. द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में उक्त प्लांट 50 प्रतिशत क्षमता पर ट्रायल रन में कमप्लाइंट है।
 2. 20 एम.एल.डी. सीईटीपी जाजमऊ में केस्को द्वारा अस्थाई विद्युत कनेक्शन दे दिया गया है एवं प्लांट में 10 एमएलडी एफ्ल्यूएण्ट के शोधन हेतु कमीशनिंग कार्य प्रारम्भ कर दी गई है।
 3. बन्धर-उन्नाव में सीईटीपी में निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति 31 प्रतिशत है एवं यह कार्य सितम्बर 2024 में पूर्ण किया जाना लक्षित है। आगामी कुम्भ जनवरी-2025 के दृष्टिगत कार्य को निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक है।
 4. उन्नाव 2.15 एमएलडी सीईटीपी में निर्माण कार्य हेतु दिनांक 07.09.2023 को एलओए जारी कर दिया गया है।
 5. गीडा गोरखपुर में सीईटीपी निर्माण हेतु निविदा प्रपत्र एनएमसीजी ने स्वीकृत कर दिये हैं एवं निविदा अपलोडिंग की कार्यवाही उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) के स्तर पर लम्बित हैं।
 6. BIDA भदोही के मुख्य कार्यपालक अधिकारी/जिलाधिकारी भदोही द्वारा अवगत कराया गया कि भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण में निर्मित 01 एमएलडी सीईटीपी निर्माण उपरांत कभी चलाया नहीं गया, जिसकी वजह से यह निष्प्रयोज्य हो चुका है एवं यहां नया सीईटीपी बनाये जाने पर विचार किया जा रहा है।
 7. यूपीसीडा जैनपुर कानपुर देहात के क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि जैनपुर कानपुर देहात का प्लांट उत्प्रवाह न होने के कारण वर्षों से बंद पड़ा हुआ था किन्तु क्षेत्र में अब फैक्ट्रियां संचालित हो गई हैं एवं उत्प्रवाह के शोधन हेतु बंद पड़े सीईटीपी को यूपीसीडा फिर से संचालन हेतु उन्चन का कार्य हेतु बजट आवंटित कर रहा है एवं जनवरी 2024 तक कार्य पूर्ण किया जाना लक्षित है।

Page No.

2/8

अपर कारकाजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन-उ०प्र० द्वारा अवगत कराया गया कि उनक द्वारा दिनांक 17.10.2023 को एन.एम.सी.जी. नई दिल्ली से वाराणसी में वरुणा नदी के प्रदूषण के रोकथाम हेतु तैयार की गई डीपीआर की स्वीकृति के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया जिसमें एन.एम.सी.जी. द्वारा पुनर्परीक्षण कर डीपीआर स्वीकृत किये जाने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति व्यक्त की गई।

प्रस्तुतीकरण के उपरान्त अध्यक्ष, उत्तरदायित्व निर्धारण समिति द्वारा निम्न निर्देश दिये गये:-

- कानपुर स्थित उ०प्र० जल निगम (ग्रा०) द्वारा स्थापित व M/s KRMPPL संचालित 210 एम.एल.डी. एस.टी.पी. के संचालन हेतु अन्य विकल्पों पर विचार किया जाये। साथ ही परियोजना प्रबंधक, उ०प्र० जल निगम (ग्रा०), कानपुर द्वारा इस संबंध में स्पष्टीकरण भी प्राप्त किया जाये। विलम्बित परियोजनाओं में उत्तरदायित्व निर्धारण के संबंध कृत कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया गया। **कार्यवाही:-उ०प्र० जल निगम (ग्रा०)**
- उ०प्र० जल निगम (ग्रा०) द्वारा विलम्ब से चल रही परियोजनाओं को समयान्तर्गत पूरा किये जाने के लिये बैठक में निर्धारित समय-सीमा का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। **कार्यवाही:-उ०प्र० जल निगम (ग्रा०)**
- मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित एस.टी.पी. जहां क्लोरिनेशन हेतु जगह की कमी है, तकनीकी सलाहकार, एन.एम.सी.जी. द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर वैकल्पिक प्रस्ताव पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। **(कार्यवाही:-एस.एम.सी.जी./एमडीए)**
- उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा में संचालित सभी एस.टी.पी. मासिक सूचना में निरन्तर कमप्लाइंट दर्शित किये जा रहे हैं जबकि तकनीकी सलाहकार, एन.एम.सी.जी. द्वारा माह जून एवं जुलाई-2023 में किये गये निरीक्षण में नोएडा में 2 नग एवं ग्रेटर नोएडा में 1 नग एस.टी.पी. नॉन-कमप्लाइंट पाये गये थे। अतः वस्तुस्थिति उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त की जाये। **(कार्यवाही:- उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)**
- बी.एल.डब्लू. वाराणसी यथाशीघ्र एसटीपी को उच्चिकरण कराकर मानको के अनुरूप संचालन करने के लिये रोड-मैप 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करे। रोड-मैप प्रस्तुत न करने की दशा में अथवा प्रस्तुत करने के उपरान्त किया चरण पर अनावश्यक विलम्ब की दशा में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नोटिस निर्गत करते हुये आवश्यक कार्यवाही करे व कृत कार्यवाही से समिति को अवगत कराये। **(कार्यवाही:-बी०एल०डब्लू. वाराणसी / उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)**
- प्रदेश के सभी संचालित एस.टी.पी. एवं सी.ई.टी.पी. का राज्य स्वच्छ गंगा मिशन-उ०प्र० के स्तर से सघन निरीक्षण कराया जाए। **(कार्यवाही:-एस.एम.सी.जी.)**
- औद्योगिक विकास विभाग अवगत कराये कि जैनपुर कानपुर देहात में सीईटीपी के उन्नयन कार्य में हो रहे विलम्ब हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये प्रदेश में स्थित सभी अक्रियाशील सी.ई.टी.पी. को क्रियाशील करने हेतु आगामी कार्ययोजना पाक्षिक माइलस्टोन के साथ समिति को यथाशीघ्र प्रस्तुत करे। **(कार्यवाही:-एस.एम.सी.जी.)**
- भदोही में निष्प्रयोज्य सी.ई.टी.पी. के स्थान पर नये सी.ई.टी.पी. बनाये जाने हेतु कार्ययोजना यथाशीघ्र तैयार कराई जाये। **(कार्यवाही:-CEO, BIDA)**

- निर्माणाधीन आई एण्ड डी एवं एस.टी.पी. परियोजनाएं तथा औद्योगिक उत्प्रवाह के शोधन हेतु सी.ई.टी.पी. निर्माण की परियोजनाएं लक्षित समय से पूर्ण करायी जाएं।

अंत में सधन्धवाद बैठक समाप्त हुई।

संलग्नक-यथोक्त।

अनुराग श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण
जलापूर्ति विभाग/अध्यक्ष, उत्तरदायित्व
निर्धारण समिति


पत्र संख्या-124/783/SMIG/02

दिनांक 26.10.2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
3. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
4. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
5. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
6. सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
9. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यू.पी.सीड/नोएडा/ग्रेटर नोएडा/भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
10. उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण/मेरठ विकास प्राधिकरण।
11. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
12. मुख्य अभियन्ता, वाराणसी लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी।

आज्ञा से,


(प्रवीण मिश्र)

संयुक्त प्रबंध निदेशक, उ०प्र.
जल निगम (ग्रा०)

Time-line decided for Non-compliant STPs						
S.No.	Name	Capacity (MLD)	Utilization Capacity (MLD)	Year/ Technology	Time-line	Action taken Penalty imposed (Cr.)
1	Jajmau, Kanpur	5	5	1990/UASB	Mar-2024	-
2	Fatehgarh	2.7	2.7	1992/WSP	Jun-2024	-
3	Jalalpur Kannauj	13	13	2017/SBR	Compliant	-
4	Bharwara Lucknow	345	345	2011/UASB	Oct-2023	-
5	Trans Hindon (Indirapuram), Gaziabad	56	56	2000/UASB	Oct-2023	-
6	Dudaihada, Gaziabad	70	70	2000/UASB	Oct-2023	-
7	Kidwai Nagar, Mujaffar nagar	32.5	30.6	2002/OP	Oct-2023	-
8	Ayodhya	12	12	2014/UASB	Compliant	-
9	Ahara Road+Zone-A, Anoopsahar	0.805	0.4	2003/WSP	Oct-2023	-
10	Ahara Road (Shivanand Ashram) Zone B	1.75	0.9	2003/WSP	Oct-2023	-
11	Modinagar Ghaziabad	20	12	2023/SBR	Compliant	-
12	Ayodhya	6	4	2023/SBR	Compliant	-
13	Jharkhandi Gorakhpur	15	11.9	2015/SBR	Compliant	-
14	Banda	4	4	1979/OP	-	-
15	Jajmau, Kanpur	43	37	2020/ASP	Nov-2023	3.02
16	Bingwan, Kanpur	210	135	2015/UASB	Nov-2023	4.09
17	Jajmau, Kanpur	130	120	1998/ASP	Nov-2023	0.35
18	Pakka Pokhra, Mirzapur	14	14	1994/UASB	Nov-2023	-
19	Pandav Nagar, MeDA	03	2.7	2013/ASP	-	-
20	Pallav puram-1, MeDA	07	6.5	2012/ASP	Nov-2023	-
21	Lohiya Nagar, MeDA	10	2	2010/ASP	Nov-2023	-
22	Shatabdi Nagar, MeDA	15	4.8	2010/ASP	Nov 2023	-
23	Pallav puram-2, MeDA	11	7	2008/MBBR	Jan-2024	-
24	Vedvyaspuri, MeDA	15	4.5	2010/ASP	Nov-2023	-
25	Rachapuram, MeDA	06	4.4	2011/ASP	Jan-2024	-
26	Shardapuri-1, MeDA	06	5.5	2010/ASP	-	-
27	Sainik Vihar, MeDA	06	5.95	2017/UASB	-	-
28	Modipuram Tiraha, MeDA	05	4.9	2016/ASP	Compliant	-
29	Sports Goods Complex, MeDA	07	4	2012/ASP	Nov-2023	-
30	Ganga Nagar, MeDA	10	3.8	2011/SBR	Compliant	-
31	Shardapuri Phase-2, MeDA	06	5.6	2012/ASP	Compliant	-
32	Firozabad	3	3	2014/OP	-	-

Time-line decided for Non-operational STPs						
S.No.	Name	Capacity (MLD)	Utilization Capacity (MLD)	Year/ Technology	Time-line	Action taken
1	Rampur	15	0	2015/UASB	-	-
2	Rampur	5	0	2016/SBR	Operational	-
3	Baniyapur	15	0	2018/SBR	Dec-2024	-
4	Sultanpur	05	0	2006/OP	Operational	-
5	Ramna	050	0	2021/SBR	Operational	-
6	Moradabad, MoDA	20	0	2017/SBR	Operational	-
7	Chitrakoot	3.42	3.42	2000/OP	-	-
8	Govardhan	2.76	2.76	2011/WSP	-	-
9	Varanasi Locomotive Work	12	0	1989/ASP	Consultant to be appointed by Dec-2023	-

Time-line decided for delayed STP Projects								
S.No.	Project	No of STP/ Capacity (MLD)	Date of start	Physical Progress (%)	Date of completion as per CB	Expected date of completion	Time-line	Action taken
1	Lucknow	120	Jul-2018	87	Mar-2020	Sep-2023	Dec-2023	25.0
2	Azamgarh	8	Jan-2022	60	Jan-2024	Jan-2024	Jan-2024	-
3	Gorakhpur	10	Mar-2022	94	Mar-2023	Sep-2023	Oct-2023	22.62
4	Balrampur	8.5	May-2023	60	Nov-2023	Nov-2023	Nov-2023	-
5	Gorakhpur	10	Apr-2023	2	Sep-2024	Sep-2024	Sep-2024	-
6	Gorakhpur	30	Apr-2023	3	Mar-2025	Mar-2025	Mar-2025	-
7	Gorakhpur	38	Apr-2023	3	Mar-2025	Mar-2025	Mar-2025	-
8	Rehabilitation and O&M of Sewage Infrastructure at Kanpur and STP at Panka	30	Mar-2018	97.00	Oct - 2021	Oct - 2023	Nov-2023	0.32
9	I&D and STP works at Budhana town, Distt. Muzaffarnagar	10	Feb-2019	97.63	Jun - 2023	Jun - 2023	Jun-2023	-
10	I&D and STP works at Muzaffarnagar	54.50 (2 no.)	Jan-2019	88.75	Jun - 2023	Dec - 2023	Dec-2023	-
11	I&D and STP works at Kairana	15	Dec-2020	78.40	May-2023	Oct - 2023	Dec-2023	0.32
12	I&D and STP works at Unnao.	15	Jul-2017	95.00	Oct-2021	Jul - 2023	Oct-2023	0.56
13	I&D and STP works at Shuklaganj, Distt. Unnao	05	Jul-2017	76.50	Dec-2022	Oct - 2023	Dec-2023	0.39
14	I&D and STP works at Lucknow	42.5 (2 no.)	May-2020	49.02	Nov-2023	Nov-2023	Dec-2023	-


15	I&D and STP works at Sultanpur	17 (3 no.)	Dec - 2019	99.55	Nov-2021	Jul - 2023	Oct-2023	9.0
16	I&D and STP works at Mirzapur (HAM) including 15 years O&M.	17 (2 no.)	May-2020	74.00	Jan-2024	Jan-2024	Nov-2023	-
17	Sewerage works at Ghazipur (HAM) including 15 years O&M.	21	May-2020	73.50	Jan-2024	Jan-2024	Jan-2024	-
18	I&D and STP works at Fatehgarh - Farrukhabad (HAM) including 15 years O&M.	47.70 (2 no.)	Jan-2021	63.00	Jun-2024	Jun-2024	Jun-2024	-
19	I&D and STP works at Bareilly (HAM) including 15 years O&M.	63 (3 no.)	Jan-2019	83.50	Aug-2024	Aug-2024	Aug-2024	-
20	I&D and STP works at Moradabad (HAM) including 15 years O&M.	25	Jul-2018	26.00	Jan-2025	Jan-2025	Jan-2025	-
21	Rehabilitation/Renovation of Agra Sewerage Scheme (I&D works) (HAM) including 15 years O&M.	177.60 (13 no.)	May-2020	19.38	Apr-2025	Apr-2025	Apr-2025	-
22	I&D and STP works at Ayodhya (HAM) including 15 years O&M.	33	May-2021	50.59	Mar-2024	Mar-2024	Mar-2024	-
23	Ghaziabad	21.5 (1no.)		60	Aug-2023			
24	Jhansi	1/26		70	Jul-23			

Time-line decided for Under construction/non operational CETPs							
S.No.	Name	Capacity (MLD)	Executing Agency	Current status	Date of Sanction	Expected date of completion	Time-line
1	Jajmau	20	JTETA	83%	11.02.2019	Oct-2023	Apr-2024
2	Banthar, Unnao	4.5	BIPCC	31%	21.02.2020	Feb-2024	Sep-2024
3	Unnao	2.15	UTPCC	Non compliant	22.06.2020	LoA issued on 07.09.2023	-
4	Jainpur, Kanpur Dehat	2	UPSIDA	Non operational		Oct-2023	Jan-2024
5	GIDA, Gorakhpur	7.5	GIDA/UPJN(U)	-	11.01.2022	Jul-2024	
6	Bhadohi	1	BIDA	Non operational			New plant to be proposed
7	Moradabad	2.4	UPSIDA	Non operational			

Note: Show cause letters has been issued to the respective Project Managers, UPJN (R) responsible for delay in work completion/non compliance of STP at Sultanpur, Kanpur, Shamli, Garh project by UP Jal Nigam (Rural). Notices/complaints have also been served to the responsible firm other than imposing penalty/Environmental Compensation for not achieving KPIs in Kanpur, Sultanpur, Shamli etc.

Attendance sheet Dated 18.10.2023

Sl.no.	Name	Designation	Contact details	Signature
1	Anurag Sivarane	Principal Secretary	NGERUS, GOLF	
2	Dr. Bakker Singh	MD, UPRNCR)		
3	Praveen Mishra	JMD, UPRNCR)		
4				
5	Udai Ramy Tripathi	Spl. Sec. Muzung	9115459400	<i>[Signature]</i>
6	Sandeep Kumar	CE (Ganga) UPRN (Rural)	8317071935	<i>[Signature]</i>
7	Anil Kumar Gupta	TA, SMCA-UP, LKO	9412182537	<i>[Signature]</i>
8	Niraj Pandey	SEE, SMCA-UP LKO	7651946918	<i>[Signature]</i>
9				
10	Ram Gopal	CEO D-PCR	7835891945	<i>[Signature]</i>
11	Aty. Anurima Bagpa	ASO, UPCR	7839891884	<i>[Signature]</i> 18/10/2023
12	Dr. Vinod Kumar	EE, UPRCB	7839891961	<i>[Signature]</i>
13	DM Ghoshki			
14	Shyams Kumar			
15	Amrutesh Rajan Das			
16	Ve MeDA			
17	Radhakrishna Singh	SMC	9451758000	<i>[Signature]</i>

Sl.no.	Name	Designation	Contact details	Signature
18	Ajeet Kumar	EE LDA	9910001566	
19	Kiran Chauhan			
20	MDA Moradabad			
21	Saket	DCE BLW		
22	R S Yadav	DDM, UPSIDA		
23	Shafiq Sivasaini	Tromen city ES, SMCg	995611902	
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				

FILE NO: 10-2039/19/12023-2

अध्यक्ष, उत्तरदायित्व निर्धारण समिति/प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति की अध्यक्षता में दिनांक 14.12.2023 को सम्पन्न द्वितीय बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थित अधिकारी गण का उपस्थिति पत्रक संलग्न है। मुख्यालय से बाहर के अधिकारी गण द्वारा वचुअल प्रतिभाग किया गया।

2- बैठक में प्रदेश में स्थापित एस. टी.पी./सी.ई.टी.पी. के क्रियाशील व कम्प्लायन्ट व निर्माणाधीन परियोजनाओं के संबंध में दिनांक 18.10.2023 को सम्पन्न बैठक में दिये निर्देशों के क्रम में अप्रतन प्रगति से निम्नानुसार अवगत कराया गया:-

- I. अप्रतन उपलब्ध विवरण के अनुसार प्रदेश कुल 133 एस.टी.पी. स्थापित हैं, जिनकी कुल शोधन क्षमता 4110.90 एम.एल.डी. है। वर्तमान में 122 एस.टी.पी. ही क्रियाशील अवस्था में हैं, जिनमें से 99 एस.टी.पी. मानक प्राप्त है तथा 05 एस.टी.पी. अक्रियाशील अवस्था में हैं।
- II. प्रदेश में शोधन क्षमता बढ़ाये जाने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत, 44 एस.टी.पी. निर्माणाधीन हैं तथा 19 एस.टी.पी. निविदा प्रक्रिया में हैं।
- III. 3090 जल निगम (नगरीय) द्वारा संचालित 54 एस.टी.पी. में से 38 एस.टी.पी. कम्प्लायन्ट, 12 नॉन कम्प्लायन्ट तथा 04 अक्रियाशील हैं। अवगत कराया गया कि अक्रियाशील 2.7 एम.एल.डी. फतेहगढ़ एस.टी.पी. नमामि गंगे के अन्तर्गत बन रहे 17.7 एम.एल.डी. के संचालित हो जाने के उपरान्त क्रियाशील हो जाएगा। नॉन कम्प्लायन्ट 345 एम.एल.डी. भरवारा लखनऊ एस.टी.पी. व 32.5 एम.एल.डी. किदवाईनगर, मुजफ्फरनगर एस.टी.पी. 31 दिसम्बर 2023 तक कम्प्लायन्ट कर लिये जाएंगे तथा अक्रियाशील 15 एम.एल.डी. रामपुर को फरवरी 2024 को क्रियाशील कर लिया जाएगा।
- IV. 56 एम.एल.डी. ट्रांस हिण्डन (इन्दिरापुरम) गाजियाबाद एस.टी.पी. को जनवरी 2024 तक कम्प्लायन्ट कर लिया जाएगा। आहार रोड जोन-ए व जोन-बी के 0.805 व 1.75 एम.एल.डी. एस.टी.पी. को डी.जी. सेट के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। अवगत कराया गया कि 13 एम.एल.डी. एस.टी.पी. जलालपुर कन्नौज, 12 व 6 एम.एल.डी. एस.टी.पी. अयोध्या, वर्तमान में कम्प्लायन्ट अवस्था में है। बांदा स्थित 04 एम.एल.डी. एस.टी.पी. अक्रियाशील है, परन्तु एस.टी.पी. पर आने वाला अधिकतम जल परकोलेट हो जाने की वजह से आउटलेट पर न्यूनतम मात्रा में जल प्रवाहित होता है। अवगत कराया गया कि प्रतापगढ़ स्थित 8.95 एम.एल.डी. एस.टी.पी. में सी.सी.टी. का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, एस.टी.पी. शीघ्र ही कम्प्लायन्ट हो जाएगा। 15 एम.एल.डी.

- बनियापुर, कानपुर एस.टी.पी. को क्रियाशील किये जाने हेतु निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है तथा कार्य 31 दिसम्बर 2024 तक पूर्ण करा लिया जाएगा।
- V. लखनऊ, गोरखपुर व बनारसपुर में निर्माणाधीन परियोजनाओं की समय सीमा बढ़ा कर क्रमशः मार्च-2024, 31 दिसम्बर-2023 व मार्च-2024 कर दी गयी है।
- VI. 30प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा 37 एस.टी.पी. का संचालन किया जा रहा है, जिनमें से 05 एस.टी.पी. नॉन कम्प्लायन्ट हैं। अनूपशहर, स्थित 1 व 1.5 एम.एल.डी. एस.टी.पी., अनूपशहर स्थित 30प्र0 जल निगम (नगरीय) द्वारा संचालित 0.805 व 1.75 एम.एल.डी. एस.टी.पी. पर विद्युत कनेक्शन न होने व एस.टी.पी. के दूषित जल को उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा संचालित एस.टी.पी. में छोड़ दिये जाने की वजह से नॉन कम्प्लायन्ट हो गया है। पूर्व में नॉन कम्प्लायन्ट 14 एम.एल.डी.एस.टी.पी. पक्का पोखरा, मिर्जापुर में स्टेबलाइजेशन का कार्य किया जा रहा है, एस.टी.पी. शीघ्र ही कम्प्लायन्ट हो जाएगा। पूर्व में अक्रियाशील सुल्तानपुर व रमना एस.टी.पी. क्रियाशील कर लिया गया है।
- VII. मिर्जापुर में निर्माणाधीन परियोजनाओं के कार्यों में अनावश्यक विलम्ब के कारण प्रकरण में दोषी/उत्तरदायी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस निर्गत की गयी है।
- VIII. बैठक में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा अवगत कराया कि मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित 13 एस.टी.पी. में से 03 एस.टी.पी. को कम्प्लायन्ट कर लिया गया है, 05 एस.टी.पी. पर क्लोरिनेशन का कार्य पूर्ण कर टेस्टिंग प्रक्रिया में है तथा शेष 05 एस.टी.पी. पर डिसइन्फेक्शन किये जाने के लिए डी.पी.आर. विरचन प्रक्रिया में है।
- IX. नगर विकास विभाग द्वारा संचालित 04 एस.टी.पी. में से 02 एस.टी.पी. नॉन कम्प्लायन्ट हैं, जिनमें से 3.42 एम.एल.डी. एस.टी.पी. चित्रकूट को कम्प्लायन्ट किये जाने की कार्ययोजना प्रगति में है। गोयर्दन स्थित 2.76 एम.एल.डी. एस.टी.पी. को कम्प्लायन्ट किये जाने की योजना स्वीकृत की है।
- X. वाराणसी लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा संचालित 12 एम.एल.डी. एस.टी.पी. अभी भी नॉन कम्प्लायन्ट है। उप मुख्य अभियन्ता, डी.एल.डब्ल्यू, वाराणसी द्वारा अवगत कराया गया कि एस.टी.पी. को कम्प्लायन्ट किये जाने हेतु डी.पी.आर. विरचन प्रक्रिया में है। एस.टी.पी. से निकलने वाला जल परिसर में उपयोग कर लिया जाता है।

- XI. 30प्र0 जल निगम (नगरीय) द्वारा अवगत कराया गया कि वाराणसी स्थित 80 एम.एल.डी. एस.टी.पी. दीनापुर के स्थान पर 220 एम.एल.डी. एस.टी.पी. का निर्माण तथा 120 एम.एल.डी. एस.टी.पी. गोइठा की क्षमता बढ़ाये जाने का कार्य नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत किये जाने का प्रस्ताव है। परियोजना प्रबन्धक, 30प्र0 जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी द्वारा अवगत कराया गया कि 120 एम.एल.डी. गोइठा एस.टी.पी. उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) द्वारा संचालित है अतः राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा उक्त पर असहमति दी गयी है। बलिया में एस.टी.पी. निर्माण किये जाने के कार्य हेतु अनुबन्ध हस्ताक्षर कर लिया गया है।
- XII. 20 एम.एल.डी. सी.ई.टी.पी. कानपुर के संबंध में वरिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता, एन.एम.सी.जी. द्वारा अवगत कराया गया कि 10 एम.एल.डी. क्षमता पर प्लान्ट को स्टेबलाइज किया जा रहा है एवं अप्रैल 2024 तक प्लान्ट के सभी कार्य पूर्ण कर 20 एम.एल.डी. क्षमता पर चलाया जा सकेगा। निदेशक, JTETA द्वारा अवगत कराया गया कि पम्पिंग स्टेशन-3 पर पावर कनेक्शन की आवश्यकता है, जिसके लिए केस्को, कानपुर से अनुरोध किया जा रहा है। केस्को, कानपुर द्वारा अभी तक सी.ई.टी.पी. पर परमावेन्ट पावर कनेक्शन किये जाने हेतु निविदा प्रक्रिया का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।
- XIII. निदेशक, बी.आई.पी.सी.सी. द्वारा अवगत कराया गया कि बन्धर सी.ई.टी.पी. की भौतिक प्रगति वर्तमान में 31 प्रतिशत है एवं कार्य पूर्ण होने की तिथि सितम्बर-2024 निर्धारित है।
- XIV. ए.सी.ई.ओ. गीडा गोरखपुर द्वारा अवगत कराया गया कि गीडा हेतु नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत 7.5 एम.एल.डी. सी.ई.टी.पी. में डिस्टलरी एवं इलेक्ट्रोप्लेटिंग इकाई का उत्प्रेषण शोधित नहीं किया जा सकता, जिसके फलस्वरूप 1.5 एम.एल.डी. शोधन क्षमता के सी.ई.टी.पी. की आवश्यकता होगी। उक्त के क्रम में एन.एम.सी.जी., नई दिल्ली के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है।
- 3- प्रश्नगत प्रकरण में सम्पन्न प्रास्तुतीकरण के उपरान्त निम्नवत् निर्देश दिये गये:-
- (1) आहार रोड जोन-ए व जोन-बी के 0.805 व 1.75 एम.एल.डी. एस.टी.पी. पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ताकि 1 व 1.5 एम.एल.डी. एस.टी.पी. को भी कम्प्लायन्ट किया जा सके।
(कार्यवाही-30प्र0 जल निगम (नगरीय)/नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन)
- (2) मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा शेष 05 एस.टी.पी. पर भी डिस्इन्फेक्शन का कार्य मार्च 2024 तक पूर्ण करा लिये जाये।

(कार्यवाही-मेरठ विकास प्राधिकरण)/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन।)

- (3) डी.एल.इब्ल्यू वाराणसी द्वारा लिखित रूप से बताया जाए कि उनके द्वारा जनित सीवेज परिसर में ही इस्तेमाल किया जाता है। अन्यथा की स्थिति में डिसइन्फेक्शन की व्यवस्था किये जाने तक एस.टी.पी. को कम्प्लायन्ट किये जाने के लिए बायोरेमेडियेशन या अन्य कोई विकल्प अन्तरिम व्यवस्था के अन्तर्गत लिये जायें। 3090 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उक्त के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(कार्यवाही- डी.एल.इब्ल्यू वाराणसी/3090 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ) पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश शासन।)

- (4) वाराणसी स्थित 80 एम.एल.डी. एस.टी.पी. दीनापुर के स्थान पर 220 एम.एल.डी. एस.टी.पी. का निर्माण का कार्य तमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत किये जाने पर सहमति देते हुए 3090 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा डी.पी.आर. शीघ्र ही राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को प्रेषित की जाए।

(कार्यवाही-3090 जल निगम (ग्रामीण)/राज्य स्वच्छ गंगा मिशन लखनऊ)

- (5) वाराणसी स्थित 120 एम.एल.डी. गोइला एस.टी.पी. की क्षमता बढ़ाने व नाले से हो रहे ओवर फ्लो को डायवर्ट करने के लिए दिये गये प्रस्ताव पर असहमति व्यक्त की गयी। उक्त प्रस्ताव को नगर विकास विभाग द्वारा संचालित अमृत अथवा राज्य सेक्टर के अन्तर्गत कराया जाए।

(कार्यवाही-3090 जल निगम (नगरीय)/नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन)

- (6) स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अन्तर्गत बन रहे एस.टी.पी. की सूची व अद्यतन प्रगति शीघ्र ही उपलब्ध करायी जाए।

(कार्यवाही-नगर विकास विभाग)

- (7) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदेश में स्थापित एस.टी.पी. के कम्प्लायन्ट/नॉन कम्प्लायन्ट की प्रस्तुत की जा रही सूचना को पुनः सत्यापित करते हुए प्रेषित किया जाए।

(कार्यवाही- उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

- (8) 20 एम.एल.डी. सी.ई.टी.पी. जाजमऊ पर पावर कनेक्शन के संबंध में आ रही समस्याओं के निस्तारण हेतु निर्देशक, JAETA एस.एम.सी.जी. को लिखित रूप से अवगत कराया जाए।

(कार्यवाही-निदेशक, JTETA)

19] गीडा में प्रस्तावित सी.ई.टी.पी. में शोधन क्षमता का निर्धारण त्वरित गति से कर निविदा प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण किया जाय।

(कार्यवाही-सी.ई.ओ. गीडा, गोरखपुर/ 30प्र0 जल निगम (नगरीय)/नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन)

उपरोक्त लिये गये निर्णयानुसार बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

संलग्नक-यथोक्त।

Digitally Signed by अनुराग

श्रीवास्तव

Date: 19-12-2023 10:22:26

Reason: Approved

(अनुराग श्रीवास्तव)

प्रमुख सचिव,

संख्या-1150/76-2-2023-E-1747760 लदविषयक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, 30प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, 30प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, 30प्र0 शासन।
4. सचिव, पर्यावरण रक्ष एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रवन्ध निदेशक, 30प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सी.पी.सी.डी./नोएडा/ग्रेटर नोएडा/भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
7. उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण/मेरठ विकास प्राधिकरण।
8. सदस्य सचिव, 30प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
9. मुख्य अभियन्ता, वाराणसी लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी।

आज्ञा से,

(प्रवीण मिश्र)

विशेष सचिव।

(कार्यवाही-निदेशक, JTETA)

- (9) गीडा में प्रस्तावित सी.ई.टी.पी. में शोधन क्षमता का निर्धारण त्वरित गति से कर निविदा प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण किया जाय।

(कार्यवाही-सी.ई.ओ., गीडा, गोरखपुर/ 30प्र0 जल निगम
(नगरीय)/नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन)

उपरोक्त लिये गये निर्णयानुसार बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

संलग्नक-यथोक्त।

(अनुराग श्रीवास्तव)

प्रमुख सचिव,

संख्या-1150/76-2-2023-E-1747760 तद्विषयक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, 30प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, 30प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, 30प्र0 शासन।
4. सचिव, पर्यावरण दल एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रबन्ध निदेशक, 30प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यू.पी.सीडा/नोएडा/ग्रेटर नोएडा/भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
7. उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण/मेरठ विकास प्राधिकरण।
8. सदस्य सचिव, 30प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
9. मुख्य अभियन्ता, वाराणसी लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी।

आज्ञा से,

Digitally Signed by प्रवीण

(प्रवीण मिश्र)

Date: 20-12-2023 17:21:32

Reason: Approved

Time-line decided for Under construction/non operational CETPs							
S.No.	Name	Capacity (MLD)	Executing Agency	Current status	Date of Sanction	Expected date of completion	Time-line
1	Jajmau	20	JTETA	83%	11.02.2019	Oct-2023	Apr-2024
2	Banthar, Unnao	4.5	BIPCC	31%	21.02.2020	Feb-2024	Sep-2024
3	Unnao	2.15	UTPCC	Non compliant	22.06.2020	LoA issued on 07.09.2023	-
4	Jainpur, Kanpur Dehat	2	UPSIDA	Non operational		Oct-2023	DPR prepared
5	GIDA, Gorakhpur	7.5	GIDA/UPJN(U)	-	11.01.2022	Jul-2024	-
6	Bhadohi	1	BIDA	Non operational			New plant to be proposed
7	Moradabad	2.4	UPSIDA	Non operational			-

Note: Show cause letter has been issued to the respective Project Managers responsible for delay in project completion by UP Jal Nigam (Rural). Notices/complaints have also been served to the responsible firm other than imposing penalty/Environmental Compensation for not achieving KPIs. -

	Lucknow							
15	I&D and STP works at Sultanpur	17 (3 no.)	Dec - 2019	99.55	Nov-2021	Jul - 2023	Oct-2023	Under trial run
16	I&D and STP works at Mirzapur (HAM) including 15 years O&M.	17 (2 no.)	May-2020	74.00	Jan-2024	Jan-2024	Nov-2023	STP under stabilization
17	Sewerage works at Ghazipur (HAM) including 15 years O&M.	21	May-2020	73.50	Jan-2024	Jan-2024	Jan-2024	-
18	I&D and STP works at Fatehgarh - Farrukhabad (HAM) including 15 years O&M.	47.70 (2 no.)	Jan-2021	63.00	Jun-2024	Jun-2024	Jun-2024	-
19	I&D and STP works at Bareilly (HAM) including 15 years O&M.	63 (3 no.)	Jan-2019	83.50	Aug-2024	Aug-2024	Aug-2024	-
20	I&D and STP works at Moradabad (HAM) including 15 years O&M.	25	Jul-2018	26.00	Jan-2025	Jan-2025	Jan-2025	-
21	Rehabilitation/Renovation of Agra Sewerage Scheme (I&D works) (HAM) including 15 years O&M.	177.60 (13 no.)	May-2020	19.38	Apr-2025	Apr-2025	Apr-2025	-
22	I&D and STP works at Ayodhya (HAM) including 15 years O&M.	33	May-2021	50.59	Mar-2024	Mar-2024	Mar-2024	-
23	Ghaziabad	21.5 (1no.)		60	Aug-2023	LoA issued on 17.11.2023		
24	Jhansi	1/26		95	Dec-2023	Dec-2023		

Time-line decided for Non-operational STPs					
S.No.	Name	Capacity (MLD)	Utilization Capacity (MLD)	Year/ Technology	Time-line
1	Rampur	15	0	2015/UASB	Feb-2024
2	Rampur	5	0	2016/SBR	Operational
3	Baniyapur	15	0	2018/SBR	Tender finalized
4	Sultanpur	05	0	2006/OP	Operational
5	Ramna	05	0	2021/SBR	Operational
6	Moradabad, MoDA	20	0	2017/SBR	Operational
7	Chitrakoot	3.42	3.42	2000/OP	Under tendering
8	Govardhan	2.76	2.76	2011/WSP	Project sanctioned
9	Varanasi Locomotive Work	12	0	1989/ASP	Interim measures to be taken if treated water is being discharged outside premises

Time-line decided for delayed STP Projects								
S.No.	Project	No of STP/ Capacity (MLD)	Date of start	Physical Progress (%)	Date of completion as per CB	Expected date of completion	Time-line	Action taken (Cr.)
1	Lucknow	120	Jul-2018	87	Mar-2020	Sep-2023	Mar-2024	2.5
2	Azamgarh	8	Jan-2022	60	Jan-2024	Jan-2024	Jan-2024	-
3	Gorakhpur	10	Mar-2022	94	Mar-2023	Sep-2023	Dec-2023	2.26
4	Balrampur	8.5	May-2023	60	Nov-2023	Nov-2023	Mar-2024	-
5	Gorakhpur	10	Apr-2023	2	Sep-2024	Sep-2024	Sep-2024	-
6	Gorakhpur	30	Apr-2023	3	Mar-2025	Mar-2025	Mar-2025	-
7	Gorakhpur	38	Apr-2023	3	Mar-2025	Mar-2025	Mar-2025	-
8	Rehabilitation and O&M of Sewage Infrastructure at Kanpur and STP at Panka	30	Mar-2018	97.00	Oct - 2021	Oct - 2023	Nov-2023	Under trial run
9	I&D and STP works at Budhana town, Distt. Muzaffarnagar	10	Feb-2019	97.63	Jun - 2023	Jun - 2023	Jun-2023	-
10	I&D and STP works at Muzaffarnagar	54.50 (2 no.)	Jan-2019	88.75	Jun - 2023	Dec - 2023	Dec-2023	-
11	I&D and STP works at Kairana	15	Dec-2020	78.40	May-2023	Oct - 2023	Dec-2023	0.32
12	I&D and STP works at Unnao.	15	Jul-2017	95.00	Oct-2021	Jul - 2023	STP under trial run	
13	I&D and STP works at Shuklaganj, Distt. Unnao	05	Jul-2017	76.50	Dec-2022	Oct - 2023	Dec-2023	0.39
14	I&D and STP works at	42.5 (2 no.)	May-2020	49.02	Nov-2023	Nov-2023	Dec-2023	-

Annexure

Time-line decided for Non-compliant STPs						
S.No.	Name	Capacity (MLD)	Utilization Capacity (MLD)	Year/ Technology	Time-line	Action taken Penalty Imposed (Cr.)
1	Jajmau, Kanpur	5	5	1990/UASB	To be demolished	-
2	Fatehgarh	2.7	2.7	1992/WSP	Jun-2024	-
3	Jalalpur Kannauj	13	13	2017/SBR	Compliant	-
4	Bharwara Lucknow	345	345	2011/UASB	Dec-2023	-
5	Trans Hindon (Indrapuram), Gaziabad	56	56	2000/UASB	Jan-2023	-
6	Dudaihada, Gaziabad	70	70	2000/UASB	Dec-2023	-
7	Kidwai Nagar, Mujaffar nagar	32.5	30.6	2002/OP	Dec-2023	-
8	Ayodhya	12	12	2014/UASB	Compliant	-
9	Ahara Road+Zone-A, Anoopsahar	0.805	0.4	2003/WSP	Maintained compliant using DG	-
10	Ahara Road (Shivanand Ashram) Zone B	1.75	0.9	2003/WSP		-
11	Modinagar Ghaziabad	20	12	2023/SBR	Compliant	-
12	Ayodhya	6	4	2023/SBR	Compliant	-
13	Jharkhandi Gorakhpur	15	11.9	2015/SBR	Compliant	-
14	Banda	4	4	1979/OP	Operational	-
15	Jajmau, Kanpur	43	37	2020/ASP	Jan-2024	3.44
16	Bingwan, Kanpur	210	135	2015/UASB	Feb-2024	4.45
17	Jajmau, Kanpur	130	120	1998/ASP	Jan-2024	0.35
18	Pakka Pokhra, Mirzapur	14	14	1994/UASB	Under stabilization	-
19	Pandav Nagar, MeDA	03	2.7	2013/ASP	DPR incorporating new technology under preparation	-
20	Shardapuri-1, MeDA	06	5.5	2010/ASP		-
21	Sainik Vihar, MeDA	06	5.95	2017/UASB		-
22	Ganga Nagar, MeDA	10	3.8	2011/SBR	Compliant	-
23	Modipuram Tiraha, MeDA	05	4.9	2016/ASP	Compliant	-
24	Shardapuri Phase-2, MeDA	06	5.6	2012/ASP	Compliant	-
25	Lohiya Nagar, MeDA	10	2	2010/ASP	Chlorination system is under testing.	-
26	Shatabdi Nagar, MeDA	15	4.8	2010/ASP		-
27	Vedvyaspuri, MeDA	15	4.5	2010/ASP		-
28	Pallav puram-1, MeDA	07	6.5	2012/ASP		-
29	Sports Goods Complex, MeDA	07	4	2012/ASP		-
30	Pallav puram-2, MeDA	11	7	2008/MBBR	Jan-2024	-
31	Rachapuram, MeDA	06	4.4	2011/ASP	Jan-2024	-
32	Firozabad	3	3	2014/OP	Compliant	-

प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 14.12.2023 को अपरान्ह 01:00 बजे से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों के क्रम में गठित उत्तरदायित्व निर्धारण समिति की समीक्षा बैठक में उपस्थित अधिकारियों का उपस्थिति पत्रक:-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम/पदनाम	विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1	सर्वोच्च अधिकारी (सि.ए. सा.सि.व) नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश शासन।	—	
2	प्रवीण मीन विरोध (सा.सि.व) नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति		
3	उप-प्रमुख (सा.सि.व) विशेष अधिकारी	श्रीवाहा एन 2111 निर्माण विभाग	
4	अनिल कुमार (सा.सि.व) तकनीकी सहायक	शिल्प एवं संसाधन विभाग उ.प्र.	
5	सदीप कुमार, मुख्य सचिव (सा.सि.व)	उ.प्र. जल निरसन (सा.सि.व)	
6	Niraj Pandey	SMLG-UP	
7	Sandeep Chauhan	SBM-U/DULB	
8	P. P. Singh CE(N)	UPJN(U)	
9	Amit Kumar Souken S.E.(N)	U.P.J.N.(U)	
10	Ajeet Kumar EE	LD4	
11	NEERAJ KUMAR BB	UPJN-UPJN	

12	अमरेंद्र सिंह, अध्यक्ष उपचार्य, अमरावती	UP PCB, UOD	SL
13	Rajendra Singh, CEO	UP PCB, HKO	MLM
14	Prayal Tripathi	PMU, UDD	GR
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			

दिनांक 12.04.2024 को अध्यक्ष, उत्तरदायित्व निर्धारण समिति/प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति की अध्यक्षता में आयोजित तृतीय बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों की सूची संलग्न है।

विशेष सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थापित एस.टी.पी./सी.ई.टी.पी. के क्रियाशील व कम्प्लायन्ट तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा हेतु प्रथम बैठक दिनांक 14.12.2023 को निर्धारित की गयी समय सीमा की प्रगति के बारे में बिन्दुवार अवगत कराया गया:-

- i. वर्तमान में प्रदेश में उपलब्ध सूची के आधार पर कुल 134 एस.टी.पी. स्थापित हैं, जिनकी कुल शोधन क्षमता 4120.90 एम.एल.डी. है। अवगत कराया गया कि वर्तमान में 128 एस.टी.पी. ही क्रियाशील अवस्था में हैं, जिनमें से 106 एस.टी.पी. कम्प्लायन्ट, 29 एस.टी.पी. नॉन कम्प्लायन्ट तथा 06 एस.टी.पी. अक्रियाशील अवस्था में हैं।
- ii. 30प्र0 जल निगम (नगरीय) द्वारा संचालित 54 एस.टी.पी. में से 46 एस.टी.पी. कम्प्लायन्ट, 04 नॉन कम्प्लायन्ट तथा 04 अक्रियाशील अवस्था में हैं। विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि अक्रियाशील 2.7 एम.एल.डी. फतेहगढ़ एस.टी.पी. नमामि गंगे के अन्तर्गत बन रहे 17.7 एम.एल.डी. के संचालित हो जाने के उपरान्त क्रियाशील हो जाएगा। नॉन कम्प्लायन्ट 345 एम.एल.डी. भरवारा एस.टी.पी. व 32.5 एम.एल.डी. किदवईनगर, मुजफ्फरनगर एस.टी.पी. अप्रैल 2024 तक कम्प्लायन्ट कर लिये जायेंगे। अक्रियाशील 15 एम.एल.डी. एसटीपी यूनिवर्सिटी कैम्पस में स्थापित है, जिसपर फ्लो नहीं प्राप्त हो रहा है, अक्रियाशील 15 एमएलडी बनियापुर, कानपुर एसटीपी पर टेण्डर फाइनल कर फर्म को कार्यादेश जारी कर दिया गया है। अक्रियाशील 4 एमएलडी बांदा एसटीपी को प्रदेश में स्थापित एसटीपी से हटाने का पुनः अनुरोध किया गया है। अवगत कराया गया है कि 30प्र0 जल निगम (नगरीय) द्वारा संचालित सभी एसटीपी क्रियाशील व कम्प्लायन्ट अवस्था में है।
- iii. निर्माणाधीन परियोजना लखनऊ योजना जो कि मार्च 2024 में पूर्ण की जानी थी, अत्यन्त विलम्ब से चल रही है, जिसे अब जून 2024 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। गोरखपुर एसटीपी योजना पूर्ण की जा चुकी है, बलरामपुर एसटीपी योजना मई 2024 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त गोरखपुर में चल रही परियोजनाओं में धीमी गति का कारण भूमि अनुपलब्धता बताया गया जिसे मार्च 2025 तक पूर्ण किया जाना लक्षित किया गया है।

- iv. 30प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा 38 एस.टी.पी. का संचालन किया जा रहा है, जिनमें से 03 एस.टी.पी. नॉन कम्प्लायेंट हैं। पूर्व बैठक में सूचित नान कम्प्लायेंट अनूपशहर स्थित 1 व 1.5 एम.एल.डी. एस.टी.पी. तथा नॉन कम्प्लायेंट 14 एम.एल.डी.एस.टी.पी. पक्का पोखरा, मिर्जापुर को कम्प्लायेंट कर लिया गया है। कानपुर स्थित मेसर्स के.आर.एम.पी.एल. द्वारा संचालित 43 व 130 एमएलडी जाजमऊ एसटीपी तथा 210 एमएलडी बिनगवां एसटीपी फर्म की लापरवाही की वजह से अभी नॉन कम्प्लायेंट अवस्था में है। फर्म द्वारा परियोजना को पूर्ण करने में विलम्ब व एसटीपी को लगातार नॉन कम्प्लायेंट रखने के कारण फर्म पर रु0 10.69 करोड़ का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा चुका है तथा फर्म को विभिन्न स्तर से कारण बताओ नोटिस भी निर्गत की गई है। इस सम्बन्ध में राज्य स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा न्यायालय मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, कानपुर में परिवाद दाखिल किया गया है।
- v. बैठक में आवास एवं शाहरी नियोजन विभाग द्वारा अवगत कराया कि उनके द्वारा प्रदेश में 22 एसटीपी संचालित किये जा रहे हैं, जिनमें से मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित 13 एसटीपी में से 08 पर क्लोरिनेशन का कार्य पूर्ण कर एसटीपी को कम्प्लायेंट कर लिया गया है तथा शेष 02 एस.टी.पी. को अप्रैल 2024 तक कम्प्लायेंट कर लिया जायेगा। शेष 02 एस.टी.पी. पर क्लोरिनेशन की व्यवस्था जुलाई 2024 तक पूर्ण कर ली जायेगी तथा 01 एसटीपी पर इस कार्य हेतु डीपीआर बनाना प्रस्तावित है। अवगत कराया गया कि मुरादाबाद स्थित 20 एमएलडी एसटीपी क्रियाशील कर लिया गया है तथा लखनऊ स्थित 19 एमएलडी एसटीपी कालोनी में कम बसावट के कारण डिस्चार्ज न प्राप्त कर पाने के कारण अक्रियाशील है।
- vi. नगर विकास विभाग द्वारा वर्तमान में कुल 05 एसटीपी संचालित है जिसमें से 02 एस.टी.पी. नॉन कम्प्लायेंट हैं, पूर्व में नान कम्प्लायेंट 3.42 एमएलडी चित्रकूट एसटीपी को कम्प्लायेंट किया जा चुका है। नान कम्प्लायेंट एसटीपी के विषय में कोई अधिकारी उपस्थित नहीं थे।
- vii. पूर्व में नॉन कम्प्लायेंट वाराणसी लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा संचालित 12 एम.एल.डी. एस.टी.पी. को कम्प्लायेंट कर लिया गया है। वर्तमान में नोएडा अथारिटी द्वारा संचालित सभी 08 एसटीपी नान कम्प्लायेंट अवस्था में है परन्तु नोएडा अथारिटी के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उनकी रिपोर्ट के अनुसार अथारिटी द्वारा संचालित सभी 08 एसटीपी कम्प्लायेंट अवस्था में है।

- viii. 30प्र0 जल निगम (नगरीय) द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 09.04.2024 को सम्पन्न बैठक में मुख्य सचिव महोदय द्वारा वाराणसी स्थित 80 एम.एल.डी. एस.टी.पी. दीनापुर के स्थान पर 220 एम.एल.डी. एस.टी.पी. का निर्माण कार्य 30प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के द्वारा नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त वाराणसी में सिंचाई विभाग द्वारा बिछाये गये इन्टरसेप्टिंग सीवर की डी-सिल्टिंग व रेक्टिफिकेशन के कार्य सिंचाई विभाग द्वारा पूर्ण करते हुए 120 एमएलडी गोइंठा एसटीपी पर सीवेज पम्प करने हेतु पम्पिंग स्टेशन का निर्माण कार्य 30प्र0 जल निगम (नगरीय) द्वारा किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। वरूणा में गिर रहे दुर्गा नाला को टैप व शोधन करने के कार्य हेतु पृथक से योजना स्वीकृत कराये जाने के निर्देश दिये गये।
- ix. उक्त के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, 30प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि दुर्गा नाला को टैप व शोधन करने के कार्य हेतु डीपीआर एनएमसीजी को प्रेषित की जा चुकी है तथा 80 एम.एल.डी. एस.टी.पी. दीनापुर के स्थान पर 220 एम.एल.डी. एस.टी.पी. का निर्माण कार्य की डीपीआर मई 2024 तक बनाकर अनुमोदन हेतु एनएमसीजी प्रेषित कर दी जायेगी।
- x. 30प्र0 जल निगम (नगरीय) द्वारा बलिया में एस.टी.पी. निर्माण कार्य अमृत योजना में प्रारम्भ कर दिया गया है।
- xi. 20 एम.एल.डी. सी.ई.टी.पी. कानपुर के संबंध में वरिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता, एस.एम.सी.जी. द्वारा अवगत कराया गया कि 10 एम.एल.डी. क्षमता पर प्लान्ट को स्टेबलाइज किये जाने हेतु पुराने 36 एमएलडी सीईटीपी पर आ रहे 09 एमएलडी टेनरी उत्प्रवाह को डायवर्ट किया जाना है, उक्त के क्रम में संयुक्त प्रबन्ध निदेशक-30प्र0 जल निगम-नगरीय द्वारा अवगत कराया गया कि उनके स्तर से 20 एमएलडी सीईटीपी को टेनरी उत्प्रवाह डायवर्ट करने हेतु अनापत्ति दी जा चुकी है, परन्तु फर्म द्वारा उत्प्रवाह पानी नहीं दिया जा रहा है।
- xii. अवगतक कराया गया कि बन्धर सी.ई.टी.पी. का कार्य प्रगति में है वर्तमान में भौतिक प्रगति 40 प्रतिशत है एवं अनुबंध के अनुसार कार्य पूर्ण होने की तिथि सितम्बर-2024 है। उन्नाव 2.15 सीईटीपी का अभी तक अनुबंध गठित नहीं हो पाया है एवं एनएमसीजी स्तर पर कार्यवाही लम्बित है।
- xiii. गीडा गोरखपुर द्वारा अवगत कराया गया कि गीडा हेतु नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत 7.5 एम.एल.डी. सी.ई.टी.पी. में डिस्टलरी (इंडियन ग्लायकोज लि0) एवं इलेक्ट्रोप्लेटिंग इकाई (गैलिएंट स्पात) का उत्प्रवाह शोधित नहीं किया जा

- सकता, जिसके फलस्वरूप सीईटीपी की क्षमता पुनः निर्धारित किये जाने हेतु गौडा, जल निगम-नगरीय एवं एनएमसीजी द्वारा कार्यवाही की जा रही है।
- xiv. डीजीएम यूपीसीडा द्वारा अवगत कराया गया कि जैनपुर-कानपुर देहात में स्थापित सीईटीपी के उन्नयन हेतु यूपीसीडा द्वारा राज्य स्वच्छ गंगा मिशन के माध्यम से एनएमसीजी को डीपीआर प्रस्तुत किया जा चुका है। यूपीसीडा रुमा में संचालित सीईटीपी वर्तमान में नॉन कम्प्लायेंट है एवं प्लान्ट को कम्प्लायेंट एवं क्षमता को अबग्रेड किये जाने हेतु रुमा में अटल योजना के तहत 03 एमएलडी नये सीईटीपी पर यूपीसीडा द्वारा विचार किया जा रहा है।
- xv. मुख्य कार्यपालक अधिकारी,, बीडा, भदोही द्वारा अवगत कराया गया कि भदोही में स्थित 01 एमएलडी सीईटीपी को निष्प्रयोज्य घोषित किया जा चुका है।
- xvi. यूपीसीडा के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि मुरादाबाद एस.ई.जेड में स्थित सीईटीपी औद्योगिक उत्प्रवाह की अनुपलब्धता के कारण अक्रियाशील है।

प्रस्तुतीकरण के उपरान्त अध्यक्ष, उत्तरदायित्व निर्धारण समिति द्वारा निम्नवत् निर्देश दिये गये:-

- लखनऊ स्थित भरवारा एसटीपी व किदवईनगर-मुजफ्फरनगर में काफी समय से नान कम्प्लायेंट एसटीपी को शीघ्र ही कम्प्लायेंट किया जाये तथा 30प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जाये। (कार्यवाही-30प्र0 जल निगम-नगरीय/30प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ)
- लखनऊ योजना में निर्माणाधीन 120 एमएलडी एसटीपी को निर्धारित समय-सीमा जून 2024 तक अवश्य पूर्ण किया जाये तथा अन्यथा की दशा में अधिकतम अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाये (कार्यवाही-30प्र0 जल निगम-नगरीय)
- गोरखपुर में निर्माणाधीन 03 एसटीपी में निर्माण कार्य की प्रगति को बढ़ाया जाये तथा इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी गोरखपुर से समन्वय स्थापित कर कार्य पूर्ण कराया जाये। (कार्यवाही-30प्र0 जल निगम-नगरीय)
- कानपुर में मेसर्स के.आर.एम.पी.एल. द्वारा संचालित नान कम्प्लायेंट एसटीपी पर 30प्र0 जल निगम द्वारा कड़ी कार्यवाही करते हुए अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाये। (कार्यवाही-30प्र0 जल निगम-ग्रामीण)
- मेसर्स के.आर.एम.पी.एल. द्वारा कानपुर व उन्नाव में संचालित/निर्माणाधीन परियोजनाओं पर 30प्र0 जल निगम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व राज्य स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा अब तक की गई कार्यवाही की आख्या राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई

- दिल्ली प्रेषित की जाये तथा मेसर्स के.आर.एम.पी.एल. से संचालन एवं अनुरक्षण के कार्य ले लिये जाने की संस्तुति प्रेषित की जाये। (कार्यवाही-30प्र0 जल निगम-ग्रामीण/30प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य स्वच्छ गंगा मिशन-30प्र0)
- मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित नान कम्प्लायंट एसटीपी को शीघ्र ही कम्प्लायंट किया जाये तथा तदुपरांत नान कम्प्लायंट एसटीपी पर कड़ी कार्यवाही किये जाने की चेतावनी दी गई (कार्यवाही-आवास एवं शहरी नियोजन विभाग)
 - नगर विकास विभाग द्वारा गोवर्धन नगर पालिका पंचायत में संचालित 2.76 एमएलडी एसटीपी के कम्प्लायंट न होने पर अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका पंचायत गोवर्धन से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये। (कार्यवाही-राज्य स्वच्छ गंगा मिशन-30प्र0)
 - नोएडा अथारिटी द्वारा संचालित व नान कम्प्लायंट सभी 08 एसटीपी पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व नोएडा अथारिटी से आख्या प्राप्त की जाये। (कार्यवाही-30प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/नोएडा अथारिटी)
 - जाजमऊ 20 एमएलडी सीईटीपी में पुराने सीईटीपी से टेनरी उत्प्रवाह डायवर्ट किये जाने 30प्र0 जल निगम-नगरीय आवश्यक कार्यवाही की जाये। (कार्यवाही-30प्र0 जल निगम-नगरीय)
 - उन्नाव में स्वीकृत 2.15 एमएलडी सीईटीपी में फर्म के साथ अनुबंध हस्ताक्षरित करने हेतु राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन से समन्वय स्थापित किया जाये तथा निर्माण कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ किया जाये। (कार्यवाही-राज्य स्वच्छ गंगा मिशन-30प्र0)
 - बंथर-उन्नाव में 4.5 एमएलडी सीईटीपी में निर्माण कार्यों को गति प्रदान किये जाने हेतु एनएमसीजी एवं एसपीवी से समन्वय स्थापित किया जाये (कार्यवाही-राज्य स्वच्छ गंगा मिशन-30प्र0)
 - भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण में नये सीईटीपी के निर्माण हेतु डीपीआर बनाये जाने के लिए 30प्र0 जल निगम-ग्रामीण से समन्वय स्थापित कर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की जाये (कार्यवाही-भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण/राज्य स्वच्छ गंगा मिशन-30प्र0)
 - गोरखपुर में स्थित इंडियन ग्लायकोल लि0 एवं इलेक्ट्रोप्लेटिंग इकाई (गैलियंट इस्पात लि0) में संचालित ईटीपी का राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, 30प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा गीडा के अधिकारियों द्वारा संयुक्त परीक्षण कराया जाये। (कार्यवाही-राज्य स्वच्छ गंगा मिशन/30प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ/गीडा, गोरखपुर)

- 30प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एसटीपी/सीईटीपी की मासिक रिपोर्ट 30प्र0 जल निगम-ग्रामीण/नगरीय को भी प्रेषित की जाये। (कार्यवाही-30प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ)

अंत में सधन्यवाद बैठक समाप्त हुई।

संतग्नक-यथोक्त।

(अनुराग श्रीवास्तव)

प्रमुख सचिव,

नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग/

अध्यक्ष, उत्तरदायित्व निर्धारण समिति

पत्र संख्या-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, 30प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, 30प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, 30प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, 30प्र0 शासन।
5. सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, 30प्र0 शासन।
6. प्रबन्ध निदेशक, 30प्र0 जल निगम (नगरीय/ग्रामीण), लखनऊ।
7. जिलाधिकारी, कानपुर/उन्नाव।
8. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यू.पी.सी.डा./नोएडा/भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण/गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
9. उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण/मेरठ विकास प्राधिकरण।
10. सदस्य सचिव, 30प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

आज्ञा से,


(डा० राज शेखर)

प्रबन्ध निदेशक, 30प्र. जल निगम (ग्रा०)/
सदस्य संयोजक, उत्तरदायित्व निर्धारण समिति

Status of Existing 134 STPs in UP								
S.No	Name of STP	City/Town/District	Concerning Department	Installed Capacity (In	Utilized Capacity (In	Gap	Status of Compliance	Remarks
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Bichhpuri	Agra	Jal Nigam (Urban)	40	24.09	15.91	Complying	
2	Dandupura	Agra	Jal Nigam (Urban)	78	77.67	0.33	Complying	
3	Dandupura - 2	Agra	Jal Nigam (Urban)	24	17.8	6.2	Complying	
4	Devri Road	Agra	Jal Nigam (Urban)	12	8.29	3.71	Complying	
5	Jaganpur	Agra	Jal Nigam (Urban)	14	14	0	Complying	
6	Naglaburhi	Agra	Jal Nigam (Urban)	2.25	2.25	0	Complying	
7	Pilakhar	Agra	Jal Nigam (Urban)	10	10	0	Complying	
8	Manth Road	Mathura/ (Virndawan)	Jal Nigam (Urban)	8	7.6	0.4	Complying	
9	Mohammadpur/Biharipur	Firozabad	Jal Nigam (Urban)	67	47	20	Complying	
10	Mainpuri	Mainpuri	Jal Nigam (Urban)	23	17	6	Complying	
11	Manpur	Etah	Jal Nigam (Urban)	24	10.86	13.14	Complying	
12	Saifai	Etawah	Jal Nigam (Urban)	1.5	1.4	0.1	Complying	
13	Fatehgarh	Farrukhabad	Jal Nigam (Urban)	2.7	2.7	0	Not Complying	
14	Jajmau-3	Kanpur	Jal Nigam (Urban)	5	0	5	Not Operational under maintainace	STP is presently Non-Operational, Flow of this STP has been diverted to 130 MLD STP
15	Kannauj	Kannauj	Jal Nigam (Urban)	13	0	13	Not Complying	STP is Non-Operational due to unavailability of fund.
16	Aahar Road	Bulandshahar/ Anupshahar	Jal Nigam (Urban)	0.81	0.81	0	Complying	
17	Shivanand Asharam	Bulandshahar/Anupshahar	Jal Nigam (Urban)	1.76	1.7	0.06	Complying	
18	Dudaheda -3	Gzb/Vijaynagar	Jal Nigam (Urban)	70	70	0	Complying	
19	Indirapuram	Ghaziabad	Jal Nigam (Urban)	74	74	0	Complying	
20	Dudaheda	Gzb/Vijaynagar	Jal Nigam (Urban)	56	56	0	Complying	
21	Indrapuram-2	Ghaziabad	Jal Nigam (Urban)	56	56	0	Complying	
22	Kamalpur	Meerut	Jal Nigam (Urban)	72	72	0	Complying	

S.No	Name of STP	City/Town/District	Concerning Department	Installed Capacity (In	Utilized Capacity (In	Gap	Status of Compliance	Remarks
1	2	4	5	6	7	8	9	10
23	Kidwai nagar	Muzaffarnagar	Jal Nigam (Urban)	32.5	32.44	0.06	Not Complying	
24	Malhipur	Saharanpur	Jal Nigam (Urban)	38	38	0	Complying	
25	Pilkhuwa	Hapur	Jal Nigam (Urban)	3	3	0	Complying	
26	Benajeerpur	Rampur	Jal Nigam (Urban)	14	13.89	0.11	Complying	
27	Paharigaon	Rampur	Jal Nigam (Urban)	15	0	15	Not Operational Sewage line under maintanance	Non-Operational
28	Rampur	Rampur	Jal Nigam (Urban)	5	4.98	0.02	Complying	
29	Loni	Ghaziabad	Jal Nigam (Urban)	30	25	5	Complying	
30	Bijnor	Bijnor	Jal Nigam (Urban)	24	23.04	0.96	Complying	
31	Laxmital	Jhansi	Jal Nigam (Urban)	26	22	4	Complying	
32	Mahadev Jharkhandi	Gorakhpur	Jal Nigam (Urban)	15	15	0	Complying	
33	Ramgarhtal	Gorakhpur	Jal Nigam (Urban)	30	27	3	Complying	
34	Ramghat Ayodhya	Ayodhya	Jal Nigam (Urban)	12	12	0	Complying	
35	Ramghat Ayodhya- 2	Ayodhya	Jal Nigam (Urban)	6	2.5	3.5	Complying	
36	Bharwara	Lucknow	Jal Nigam (Urban)	345	345	0	Not Complying	
37	Daulatganj	Lucknow	Jal Nigam (Urban)	42	42	0	Complying	
38	Daulatganj - 2	Lucknow	Jal Nigam (Urban)	14	14	0	Complying	
39	Kanwara Road	Banda	Jal Nigam (Urban)	4	2	2	Not Operational	
40	14 MLD Salori	Prayagraj	Jal Nigam (Urban)	14	14	0	Complying	
41	Dinapur	Varanasi	Jal Nigam (Urban)	140	110	30	Complying	
42	Goithaha	Varanasi	Jal Nigam (Urban)	120	47	73	Complying	
43	Dinapur	Varanasi	Jal Nigam (Urban)	80	87	0	Complying	
44	Baniyapur	Kanpur	Jal Nigam (Urban)	15	0	15	Sewage Network Issue	Non-Operational
45	Modinagar	Ghaziabad	Jal Nigam (Urban)	20	14	6	Complying	
46	Hapur	Hapur	Jal Nigam (Urban)	30	16	14	Complying	
47	Bulandshahar	Bulandshahar	Jal Nigam (Urban)	40	20	20	Complying	

S.No	Name of STP	City/Town/District	Concerning Department	Installed Capacity (In	Utilized Capacity (In	Gap	Status of Compliance	Remarks
1	2	4	5	6	7	8	9	10
48	Vindhyachal	Mirzapur	Jal Nigam (Urban)	7	3.5	3.5	Complying	
49	Godwa Gadiyani_ Raebareli	Raebareli	Jal Nigam (Urban)	18	3	15	Complying	
50	Belha Pratapgarh	Pratapgarh	Jal Nigam (Urban)	8.95	6.9	2.05	Complying	
51	Aligarh	Aligarh	Jal Nigam (Urban)	45	11.5	33.5	Complying	
52	Bareilly	Bareilly	Jal Nigam (Urban)	35	19.8	15.2	Complying	
53	Shahjahanpur	Shahjahanpur	Jal Nigam (Urban)	40	0	40	Not Complying	STP Works Completed but no discharge receiving at STP currently. After completion of House Connection work sewage will be reach at STP
54	Gorakhpur	Gorakhpur	Jal Nigam (Urban)	5	4	1	Complying	
55	10.445 MLD STP near Tixi Temple	Etawah	Jal Nigam (Rural)	10.445	7.5	2.945	Complying	STP is designed for year 2034 it will run on full capacity in 2034
56	21 MLD STP at Umrain	Etawah	Jal Nigam (Rural)	21	21	0	Complying	–
57	13.5 MLD STP at Umrain	Etawah	Jal Nigam (Rural)	13.5	8.5	5	Complying	STP is designed for year 2034 it will run on full capacity in 2034
58	42 MLD, Sajari Kanpur	Kanpur	Jal Nigam (Rural)	42	22	20	Complying	Population in the vicinity of said STP has not been increased as per the previous assesment.
59	(a) Bithoor-Bhunni nala	Kanpur	Jal Nigam (Rural)	0.6	0.6	0	–	–
	(b) Bithoor - Peshwa Nala STP	Kanpur	Jal Nigam (Rural)	0.1	0.1	0	–	–
	(c) Bithoor - Godara and Brahmavart Nala	Kanpur	Jal Nigam (Rural)	0.08	0.08	0	–	–

S.No	Name of STP	City/Town/District	Concerning Department	Installed Capacity (In	Utilized Capacity (In	Gap	Status of Compliance	Remarks
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	(d) Bithoor - Lakshman Nala STP	Kanpur	Jal Nigam (Rural)	0.03	0.03	0	–	–
	(e) Bithoor - lav-kush Nala STP	Kanpur	Jal Nigam (Rural)	0.22	0.22	0	–	–
	(f) Bithoor - Kalvari STP	Kanpur	Jal Nigam (Rural)	0.27	0.27	0	–	–
60	50 MLD STP Numayadahi	Prayagraj	Jal Nigam (Rural)	50	58.24	0	Complying	–
61	10 MLD STP Ponghat	Prayagraj	Jal Nigam (Rural)	10	12.71	0	Complying	–
62	25 MLD STP Kodra	Prayagraj	Jal Nigam (Rural)	25	28.48	0	Complying	–
63	60 MLD STP Rajapur	Prayagraj	Jal Nigam (Rural)	60	76.51	0	Complying	–
64	29 MLD STP Salori-1	Prayagraj	Jal Nigam (Rural)	29	37.58	0	Complying	–
65	20 MLD STP Naini	Prayagraj	Jal Nigam (Rural)	20	110.05	0	Complying	one outlet
66	60 MLD STP Naini	Prayagraj	Jal Nigam (Rural)	60			Complying	
67	10 MLD Ramnagar	Varanasi	Jal Nigam (Rural)	10	9.5	0.5	Complying	STP is designed for year 2033
68	8 MLD Bhagwanpur STP	Varanasi	Jal Nigam (Rural)	8	10	0	Complying	–
69	50 MLD Ramana	Varanasi	Jal Nigam (Rural)	50	50	0	Complying	–
70	6 MLD STP Garh Zone, Garhmukeshwar Hapur	Hapur / Garhmukteswar	Jal Nigam (Rural)	6	4.5	1.5	Complying	STP is designed for year 2028, it will run on full capacity upto 2028
71	3 MLD STP Brijghat Zone, Garhmukeshwar Hapur	Hapur / Garhmukteswar	Jal Nigam (Rural)	3	2	1	Complying	STP is designed for year 2028, it will run on full capacity upto 2028
72	6.8 MLD, Masani, Mathura	Mathura	Jal Nigam (Rural)	6.8	6.8	0	Complying	–

S.No	Name of STP	City/Town/District	Concerning Department	Installed Capacity (In	Utilized Capacity (In	Gap	Status of Compliance	Remarks
1	2	4	5	6	7	8	9	10
73	14.5 MLD Trans-yamuna, Jamunapar, Mathura	Mathura	Jal Nigam (Rural)	14.5	14.5	0	Complying	–
74	30 MLD Masani Mathura	Mathura	Jal Nigam (Rural)	30	30	0	Complying	–
75	16 MLD Trans Yamuna, Laxmi Nagar, Mathura	Mathura	Jal Nigam (Rural)	16	16	0	Complying	–
76	04 MLD Vrindavan Near Pagal Baba Mandir, Mathura	Mathura	Jal Nigam (Rural)	4	4	0	Complying	–
77	04 MLD Narora (NGRBA)	Bulandhsahar	Jal Nigam (Rural)	4	3.5	0.5	Complying	STP is designed for year 2032, it will run on full capacity upto 2032
78	1.5 MLD Anoopshahar Zone A (NGRBA)	Bulandhsahar	Jal Nigam (Rural)	1.5	1.9	0	Complying	–
79	01 MLD STP Zone-B Anoopshahar	Bulandhsahar	Jal Nigam (Rural)	1	1.1	0	Complying	–
80	14 MLD Baghpat	Baghpat	Jal Nigam (Rural)	14	5	9	Complying	STP is designed for year 2036, it will run on full capacity upto 2036

S.No	Name of STP	City/Town/District	Concerning Department	Installed Capacity (In	Utilized Capacity (In	Gap	Status of Compliance	Remarks
1	2	4	5	6	7	8	9	10
81	58 MLD Moradabad	Moradabad	Jal Nigam (Rural)	58	34	24	Complying	STP is designed for year 2028 (58 MLD STP has been designed for the treatment of 135 LPCD discharge capacity, but only 93 LPCD water supply is being generated by the Municipal Corporation, Moradabad, due to which the STP is not able to function at its full capacity.)
82	15 MLD Kasganj	Kasganj	Jal Nigam (Rural)	15	15	0	Complying	
83	14 MLD PakkaPokhra	Mirzapur	Jal Nigam (Rural)	14	12.68	1.32	Complying	Rehabilitation is done under NG Program. Shall run at full capacity in May-2024
84	210 MLD, Bingawan Kanpur	Kanpur	Jal Nigam (Rural)	210	135	75	Not Complying	There are two partially untapped drains(Total Disch-31.5 MLD) in the vicinity of Bingawan STP, For which DPR for I&D works is under submission of NMCG.Alongwith this a project of sewer network saturation is also ongoing under UPJN(U) in this area.These will increase the discharge at STP.
85	43 MLD Jajmau, Kanpur	Kanpur	Jal Nigam (Rural)	43	40	3	Not Complying	There are 6 untapped drains(Total Disch-11.70 MLD) in the vicinity of 130 &
86	130 MLD Jajmau, Kanpur	Kanpur	Jal Nigam (Rural)	130	110	20	Not Complying	

S.No	Name of STP	City/Town/District	Concerning Department	Installed Capacity (In	Utilized Capacity (In	Gap	Status of Compliance	Remarks
1	2	4	5	6	7	8	9	10
87	42 MLD NainiPrayagraj	Prayagraj	Jal Nigam (Rural)	42	38	4	Complying	STP is designed for year 2033, it will run on full capacity upto 2033
88	14 MLD Phaphamau Prayagraj	Prayagraj	Jal Nigam (Rural)	14	15	0	Complying	STP is designed for year 2033 ,it will run on full capacity upto 2033
89	Pachhetiya, Jaunpur	Jaunpur	Jal Nigam (Rural)	30	25.5	4.5	Complying	STP is designed for year 2034, it will run on its full capacity upto 2034.
90	Panka, Kanpur	Kanpur	Jal Nigam (Rural)	30	25	5	Complying	STP is designed for year 2037, it will run on full capacity up to 2037
91	Jhusi, Prayagraj	Prayagraj	Jal Nigam (Rural)	16	11	5	Complying	STP is designed for year 2033, it will run on full capacity in 2033
92	Budhana	Muzaffarnagar	Jal Nigam (Rural)	10	6.5	3.5	Complying	STP is designed for year 2037,it will run on full capacity up to 2037
93	Bichhpuri - 2	Agra	ADA	36	20	16	Complying	
94	Kalandi Bihar	Agra	ADA	4.5	2.3	2.2	Complying	
95	Near Viklang Kendra	Chitrakoot	NPP	3.42	2.24	1.18	Complying	
96	Firozabad	Firozabad	NPP	3	2.25	0.75	Complying	
97	Bapudham	Ghaziabad	GDA	56	1.5	54.5	Complying	
98	Govindpuram	Ghaziabad	GDA	56	11.8	44.2	Complying	
99	Indirapuram 3	Ghaziabad	GDA	56	38	18	Complying	
100	Morti Rajendra Nagar Extension	Ghaziabad	GDA	56	24	32	Complying	
101	Badalpur	Greater Noida	Greater Noida	2	2	0	Complying	
102	Ecotech 2nd	Greater Noida	Greater Noida	15	8	7	Complying	
103	Ecotech 3rd	Greater Noida	Greater Noida	20	16	4	Complying	

S.No	Name of STP	City/Town/District	Concerning Department	Installed Capacity (In	Utilized Capacity (In	Gap	Status of Compliance	Remarks
1	2	4	5	6	7	8	9	10
104	Kasna	Greater Noida	Greater Noida	137	88	49	Complying	
105	Tronica City	Loni	UPSIDA	5	3.8	1.2	Complying	
106	Awass Vikas STP	Lucknow	Awass Vikas	37.5	9	28.5	Complying	
107	CG City	Lucknow	LDA	19	0	19	-	
108	Hathi Park	Lucknow	Nagar Nigam (Smart City)	1.5	0.5	1	Not Complying	
109	Jalkal	Lucknow	Jalkal	6.5	4	2.5	Complying	
110	Trans Yamuna (Gowardhan)	Mathura	NPP	2.76	1.5	1.26	Not Complying	
111	Ganga Nagar	Meerut	MDA	10	5	5	Complying	
112	Lohia Nagar	Meerut	MDA	10	1.5	8.5	Complying	
113	Major Dhyaan Chand	Meerut	MDA	7	4.5	2.5	Complying	
114	Modipuram Tiraha	Meerut	MDA	5	5	0	Complying	
115	Pallavpuram	Meerut	MDA	7	6.5	0.5	Complying	
116	Pallavpuram - 2	Meerut	MDA	11	5.9	5.1	Not Complying	
117	Pandav Nagar	Meerut	MDA	3	2.3	0.7	Not Complying	
118	Rakshapuram	Meerut	MDA	6	4.3	1.7	Not Complying	
119	Saardapuri Phase 2	Meerut	MDA	6	6	0	Complying	
120	Sainik Vihar	Meerut	MDA	6	4.5	1.5	Not Complying	
121	Sharda Puri Phase-1	Meerut	MDA	6	4.3	1.7	Not Complying	
122	Shatabdi Nagar	Meerut	MDA	15	4.8	10.2	Complying	
123	Ved Vyasapur	Meerut	MDA	15	3.5	11.5	Complying	
124	MDA, New Moradabad	Moradabad	MDA	20	0	20	Not Operational No Sewage at Inlet	
125	Narora Atomic Power Plant	Narora	Narora Atomic Power Plant	2.25	1.5	0.75	Complying	
126	Sector-123	Noida	Noida	35	17	18	Complying	
127	Sector-168	Noida	Noida	50	23	27	Complying	

4130

S.No	Name of STP	City/Town/District	Concerning Department	Installed Capacity (In	Utilized Capacity (In	Gap	Status of Compliance	Remarks
1	2	4	5	6	7	8	9	10
128	Sector-50	Noida	Noida	25	15	10	Complying	
129	Sector-50-2	Noida	Noida	34	18	16	Complying	
130	Sector-54-2	Noida	Noida	33	14	19	Complying	
131	Sector-54-3	Noida	Noida	54	42	12	Complying	
132	STP 123	Noida	Noida	80	60	20	Complying	
133	STP 168	Noida	Noida	100	58	42	Complying	
134	DLW	Varanasi	BLW	12	6	6	Complying	
TOTAL				4120.95	3107.06	1093		

List of 15 Non-Complying STPs								
S.No	Name of STP	City/Town/District	Concerning Department	Installed Capacity (In MLD)	Utilized Capacity (In MLD)	Gap	Status of Compliance (w.r.t. standards)	Remarks
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Fatehgarh	Farrukhabad	Jal Nigam (Urban)	2.7	2.7	0	Not Complying	
2	Kannauj	Kannauj	Jal Nigam (Urban)	13	0	13	Not Complying	STP is Non-Operational due to unavailability of fund.
3	Kidwai nagar	Muzaffarnagar	Jal Nigam (Urban)	32.5	32.44	0.06	Not Complying	
4	Bharwara	Lucknow	Jal Nigam (Urban)	345	345	0	Not Complying	
5	Shahjahanpur	Shahjahanpur	Jal Nigam (Urban)	40	0	40	Not Complying	STP Works Completed but no discharge receiving at STP currently. After completion of House Connection work sewage will be reach at STP
6	210 MLD, Bingawan Kanpur	Kanpur	Jal Nigam (Rural)	210	135	75	Not Complying	There are two partially untapped drains(Total Disch- 31.5 MLD) in the vicinity of Bingawan STP, For which DPR for I&D works is under submission of NMCG. Alongwith this a project of sewer network saturation is also ongoing under UPJN(U) in this area. These will increase the discharge at STP.

S.No	Name of STP	City/Town/District	Concerning Department	Installed Capacity (In MLD)	Utilized Capacity (In MLD)	Gap	Status of Compliance (w.r.t. standards)	Remarks
1	2	4	5	6	7	8	9	10
7	43 MLD Jajmau, Kanpur	Kanpur	Jal Nigam (Rural)	43	40	3	Not Complying	There are 6 untapped drains(Total Disch-11.70 MLD) in the vicinity of 130 & 43 MLD STPs, For which DPR for I&D works is under submission of NMCG. Alongwith this UPJN(U) is also planning for sewer network saturation in this
8	130 MLD Jajmau, Kanpur	Kanpur	Jal Nigam (Rural)	130	110	20	Not Complying	
9	Hathi Park	Lucknow	Nagar Nigam (Smart City)	1.5	0.5	1	Not Complying	
10	Trans Yamuna (Gowardhan)	Mathura	NPP	2.76	1.5	1.26	Not Complying	
11	Pallavpuram - 2	Meerut	MDA	11	5.9	5.1	Not Complying	
12	Pandav Nagar	Meerut	MDA	3	2.3	0.7	Not Complying	
13	Rakshapuram	Meerut	MDA	6	4.3	1.7	Not Complying	
14	Sainik Vihar	Meerut	MDA	6	4.5	1.5	Not Complying	
15	Sharda Puri Phase-1	Meerut	MDA	6	4.3	1.7	Not Complying	
TOTAL				852.46	687.94	164		

EC Imposed (Oct. 2022 - Mar.2024)

Sl. No	District	Name of STP	O&M By	Time Period in which EC Imposed	Date of EC Imposed	Total (From Oct, 2022) (in Rs.)	EC Amount Recovered & Date	Balance	District wise EC balance amount (in Rs.)	Remark
1		56 MLD Indrapuram Ghaziabad	M/s Va-Tech Wabag Ltd, Shakti Khand -4, Indrapuram, Ghaziabad	25.04.23 - 01.05.23	11.05.2023	262500	--	487500	1050000	RC letter sent to DM Ref. no.-H03246/UPPCB/CL /64/STP Ghaziabad/2023-24 Date-23.11.23
				10.05.23 - 15.05.23	30.05.2023	225000	--	150000		
2	Ghaziabad	56 MLD Trans Hindon (Indrapuram) Ghaziabad	M/s Va-Tech Wabag Ltd, Shakti Khand -4, Indrapuram, Ghaziabad	26.10.23 - 29.10.23	24.01.2024	150000	--	150000	1050000	RC letter sent to DM Ref. no.-H03246/UPPCB/CL /64/STP Ghaziabad/2023-24 Date-23.11.23
				18.01.23 - 24.01.23	01.03.2023	262500	--	412500		
4	Banda	3.42 MLD Near Diyang kendra, Chitrakoot	Executive Engineer, Nirman Khand (First), UP Jal Nigam (Urban), C-9, Sector - 1, RDC, Rajnagar, Ghaziabad	26.10.23 - 29.10.23	24.01.2024	150000	--	1720000	1720000	--
				24.11.22 - 26.12.23	01.02.2023	330000	--	1720000		
				27.12.22 - 09.01.23	10.03.2023	140000	--	1720000		
				10.01.23 - 21.02.23	05.04.2023	710000	--	1720000		
				22.03.23 - 10.04.23	25.04.2023	200000	--	1720000		
				24.05.23 - 26.06.23	20.07.2023	340000	--	1720000		
				04.11.22 - 25.11.22	29.12.2022	825000	--	1720000		
				26.11.22 - 23.12.22	06.01.2023	1050000	--	1720000		
				24.12.22 - 09.01.23	01.02.2023	637500	--	1720000		
				10.01.23 - 10.02.23	01.03.2023	1200000	--	1720000		
5	Kampur	130 MLD Jajman, Kampur	M/s Kampur River Management Pvt. Ltd., (Sapoorji Palanji & Company Pvt. Ltd.) 3/83, Vishnupuri, Flat No. -101, 1st Floor, Kampur Nagar	11.02.23 - 20.02.23	10.03.2023	375000	--	8400000	8400000	RC letter sent to DM Ref. no.-H08108/UPPCB/CL /659/STP Kampur/2023-24 Date-07.03.24
				21.02.23 - 10.03.23	05.04.2023	675000	--	8400000		
				11.03.23 - 31.03.23	18.04.2023	787500	--	8400000		
				01.04.23 - 06.04.23	25.04.2023	225000	--	8400000		
				07.04.23 - 17.04.23	03.05.2023	412500	--	8400000		

Sl. No	District	Name of STP	O&M By	Time Period in which EC Imposed	Date of EC Imposed	Total (From Oct, 2022) (in Rs.)	EC Amount Recovered & Date	Balance	District wise EC balance amount (in Rs.)	Remark
Kampur	Kampur	210 MLD, Bingawan Kampur	M/s Kampur River Management Pvt. Ltd., (Sapoorji Palanji & Company Pvt. Ltd.) 3/83, Vishnupuri, Flat No. -101, 1st Floor, Kampur Nagar	18.04.23 - 28.04.23	11.05.2023	412500			44925000	RC letter sent to DM Ref. no.-H07109/UPPCB/CL /660/STP 210 MLD Bingawan Kampur /2023-24 Date-19.02.24
				29.04.23 - 15.05.23	30.05.2023	637500				
				16.05.23 -02.06.23	19.06.2023	675000				
				03.06.23 - 11.06.23	19.07.2023	337500				
				10.11.23 - 13.11.23	12.12.2023	150000				
				07.10.22 - 30.10.22	09.12.2022	900000				
				31.10.22 - 25.11.22	29.12.2022	975000				
				26.11.22 - 23.12.22	06.01.2023	1050000				
				24.12.22 - 12.01.23	01.02.2023	750000				
				13.01.23 - 10.02.23	01.03.2023	1087500				
				11.02.23 - 22.02.23	10.03.2023	450000				
				23.02.23 - 10.03.23	05.04.2023	600000				
				11.03.23 - 31.03.23	18.04.2023	787500				
				01.04.23 - 06.04.23	25.04.2023	225000				
				07.04.23 - 14.04.23	03.05.2023	300000				
				15.04.23 - 26.04.23	11.05.2023	450000				
				27.04.23 - 15.05.23	30.05.2023	712500				
				16.05.23 -02.06.23	19.06.2023	675000		19087500		
				03.06.23 - 27.06.23	19.07.2023	937500				
				28.06.23 -04.07.23	20.07.2023	262500				
				05.07.23 - 11.07.23	02.08.2023	262500				
12.07.23 - 28.07.23	16.08.2023	637500								
29.07.23 - 15.08.23	28.08.2023	675000								
16.08.23 - 28.08.23	11.09.2023	487500								
29.08.23 - 05.09.23	22.09.2023	300000								
06.09.23 - 20.09.23	05.10.2023	562500								
21.09.23 - 03.10.23	26.10.2023	487500								
04.10.23-25.10.23	20.11.2023	825000								
26.10.23 - 29.11.23	12.12.2023	1312500								
30.11.23 - 08.12.23	24.01.2024	337500								
09.12.23 - 23.01.24	12.02.2024	1725000								
24.01.24 - 27.02.24	19.03.2024	1312500								
04.11.22 - 25.11.22	29.12.2022	825000								
26.11.22 - 23.12.22	06.01.2023	1050000								
24.12.22 - 09.01.23	01.02.2023	637500								
10.01.23 - 10.02.23	01.03.2023	1200000								
11.02.23 - 20.02.23	10.03.2023	375000								
21.02.23 - 10.03.23	05.04.2023	675000								

Sl. No	District	Name of STP	O&M By	Time Period in which EC Imposed	Date of EC Imposed	Total (From Oct, 2022) (in Rs.)	EC Amount Recoverd & Date	Balance	District wise EC balance amount (in Rs.)	Remark
7		43 MLD Jajman, Kanpur	Pvt. Ltd., (Sapoorji Palanji & Company Pvt. Ltd.) 3/83, Vishnupuri, Flat No. -101, 1st Floor, Kanpur Nagar	11.03.23 - 31.03.23	18.04.2023	787500	--	11475000		/661/STP 43 MLD Jajman Kanpur/2023-24 Date-06.02.24
				01.04.23 - 06.04.23	25.04.2023	225000				
				07.04.23 - 17.04.23	03.05.2023	412500				
				18.04.23 - 28.04.23	11.05.2023	412500				
				29.04.23 - 15.05.23	30.05.2023	637500				
				16.05.23 -02.06.23	19.06.2023	675000				
				03.06.23 - 15.06.23	19.07.2023	487500				
				12.12.23 - 19.01.24	12.02.2024	1462500				
				20.01.24 - 02.03.24	19.03.2024	1612500				
				04.11.22 - 25.11.22	29.12.2022	275000				
				26.11.22 - 23.12.22	06.01.2023	350000				
				24.12.22 - 09.01.23	01.02.2023	212500				
				10.01.23 - 10.02.23	01.03.2023	400000				
				11.02.23 - 20.02.23	10.03.2023	125000				
21.02.23 - 10.03.23	05.04.2023	225000								
11.03.23 - 31.03.23	18.04.2023	262500								
01.04.23 - 06.04.23	25.04.2023	75000								
07.04.23 - 17.04.23	03.05.2023	137500								
18.04.23 - 28.04.23	11.05.2023	137500								
29.04.23 - 15.05.23	30.05.2023	212500								
16.05.23 -02.06.23	19.06.2023	225000								
03.06.23 - 26.06.23	19.07.2023	300000								
27.06.23 - 03.07.23	20.07.2023	87500								
04.07.23 - 10.07.23	02.08.2023	87500								
11.07.23 - 28.07.23	16.08.2023	225000								
29.07.23 - 14.08.23	28.08.2023	212500								
15.08.23 - 28.08.23	11.09.2023	175000								
29.08.23 - 05.09.23	22.09.2023	100000								
06.09.23 - 18.09.23	05.10.2023	162500								
19.09.23 - 03.10.23	26.10.2023	187500								
04.10.23-25.10.23	20.11.2023	275000								
26.10.23 - 27.11.23	12.12.2023	412500								
28.11.23 - 08.12.23	24.01.2024	137500								
09.12.23 - 19.01.24	12.02.2024	525000								
20.01.24 - 23.02.24	19.03.2024	437500								
8	Kanpur	5 MLD, Jajman, Kanpur	Project Manager, Ganga Pollution Control Unit, UP Jal Nigam (Urban), Kanpur					5962500		RC letter sent to DM Ref. no.-H07108/UPPCB/CL /662/STP 05 MLD Jajman Kanpur/2023-24 Date-19.02.24

Sl. No	District	Name of STP	O&M By	Time Period in which EC Imposed	Date of EC Imposed	Total ⁴ (From Oct, 2022) (in Rs.)	EC Amount Recovered & Date	Balance	District wise EC balance amount (in Rs.)	Remark					
9	Farrukhabad	2.7 MLD Fatehgarh	Project Manager, Ganga Pollution Control Unit UP Jal Nigam (Urban), Farrukhabad	02.05.23 - 07.05.23	02.06.2023	60000	--	60000	60000	RC letter sent to DM Ref. no.-H05566/UPPCB/CL /649/STP Farrukhabad/2023-24 Date-12.01.2024					
											03.06.23 - 26.06.23	19.07.2023	660000		
											27.06.23 - 04.07.23	20.07.2023	160000		
10	Kannauj	13 MLD Jalalpur, Amrapur, Kanpur Dehat Farrukhabad	Executive Engineer, UP Jal Nigam (Urban), Urban Collocatrate Tiraha, Farrukhabad	26.07.23 - 16.08.23	28.08.2023	440000	--	1780000	1780000	RC letter sent to DM Ref. no.-H05565/UPPCB/CL /648/STP Kannauj/2023-24 Date-12.01.2024					
											17.08.23 - 29.08.23	11.09.2023	260000		
											28.09.2022	20.03.2023	25000		
11	Prayagraj	25 MLD Kodra Prayagraj	M/s Adani Water Ltd, Ganga Pollution Control Unit, Naini, Mirzapur Rd, Prayagraj	28.09.2022	20.03.2023	25000	--	25000	25000	RC letter sent to DM Ref. no.-H05564/UPPCB/CL /663/STP Prayagraj Naini/2023-24 Date-12.01.2024					
											28.09.2022	20.03.2023	25000		
											28.09.2022	20.03.2023	25000		
12	Prayagraj	10 MLD Ponghal Prayagraj	M/s Adani Water Ltd, Ganga Pollution Control Unit, Naini, Mirzapur Rd, Prayagraj	28.09.2022	20.03.2023	25000	--	25000	87500	RC letter sent to DM Ref. no.-H03475/UPPCB/CL /645/STP Meerut/2023-24 Date-30.11.23					
											28.09.2022	20.03.2023	25000		
											28.09.2022	20.03.2023	25000		
13	Meerut	80 MLD Naini Prayagraj	M/s Adani Water Ltd, Ganga Pollution Control Unit, Naini, Mirzapur Rd, Prayagraj	28.09.2022	20.03.2023	37500	--	37500	37500	RC letter sent to DM Ref. no.-H03475/UPPCB/CL /645/STP Meerut/2023-24 Date-30.11.23					
											28.09.2022	20.03.2023	37500		
											28.09.2022	20.03.2023	37500		
14	Meerut	7 MLD Pallavpuram I Meerut	M/s RCC Developers Ltd, 109, City Centre, Baccha Park, Meerut	21.03.23	05.04.2023	25000	--	150000	150000	RC letter sent to DM Ref. no.-H03475/UPPCB/CL /645/STP Meerut/2023-24 Date-30.11.23					
											22.03.23 - 26.03.23	18.04.2023	125000		
											21.03.23	05.04.2023	25000		
15	Meerut	10 MLD Lohiya Nagar Meerut	M/s RCC Developers Ltd, 109, City Centre, Baccha Park, Meerut	22.03.23 - 26.03.23	18.04.2023	125000	--	125000	125000	RC letter sent to DM Ref. no.-H03475/UPPCB/CL /645/STP Meerut/2023-24 Date-30.11.23					
											22.03.23 - 26.03.23	18.04.2023	125000		
											21.03.23	05.04.2023	25000		
16	Meerut	15 MLD Shatabdinagar Meerut	M/s RCC Developers Ltd, 109, City Centre, Baccha Park, Meerut	21.03.23	05.04.2023	25000	25000	75000	75000	RC letter sent to DM Ref. no.-H03475/UPPCB/CL /645/STP Meerut/2023-24 Date-30.11.23					
											22.03.23 - 26.03.23	18.04.2023	50000		
											21.03.23	05.04.2023	25000		
17	Meerut	15 MLD Vedvyaspuri Meerut	M/s RCC Developers Ltd, 109, City Centre, Baccha Park, Meerut	22.03.23 - 26.03.23	18.04.2023	125000	--	125000	125000	RC letter sent to DM Ref. no.-H03475/UPPCB/CL /645/STP Meerut/2023-24 Date-30.11.23					
											22.03.23 - 26.03.23	18.04.2023	125000		
											21.03.23	05.04.2023	25000		
18	Meerut	6 MLD Rakshapuram Meerut	M/s RCC Developers Ltd, 109, City Centre, Baccha Park, Meerut	22.03.23 - 26.03.23	18.04.2023	125000	--	150000	150000	RC letter sent to DM Ref. no.-H03475/UPPCB/CL /645/STP Meerut/2023-24 Date-30.11.23					
											22.03.23 - 26.03.23	18.04.2023	125000		
											21.03.23	05.04.2023	25000		
19	Meerut	5 MLD Modipuram Tiraha Meerut	M/s RCC Developers Ltd, 109, City Centre, Baccha Park, Meerut	22.03.23 - 26.03.23	18.04.2023	62500	--	75000	75000	RC letter sent to DM Ref. no.-H03210/1PPCB/CL /645/STP Meerut/2023-24 Date-30.11.23					
											22.03.23 - 26.03.23	18.04.2023	62500		
											21.03.23	05.04.2023	25000		
20		4.50 MLD Kalindi Vihar, Agra	Project Manager, Unit-35, C & DS, UPJN (Urban), Agra	02.09.23 - 15.09.23	22.09.2023	175000	--	175000	RC letter sent to DM Ref. no.-H03210/1PPCB/CL /645/STP Meerut/2023-24 Date-30.11.23						

Sl. No	District	Name of STP	O&M By	Time Period in which EC Imposed	Date of EC Imposed	Total (From Oct, 2022) (in Rs.)	EC Amount Recoverd & Date	Balance	District wise EC balance amount (in Rs.)	Remark
21	Agra	36 MLD Sadarvan (Bichpur) New, Agra	Project Manager, Unit-35, C & DS, UPJN (Urban), Agra	02.09.23 - 15.09.23	22.09.2023	175000	--	350000	350000	/643/STP Agra/2023-24 Date-23.11.23
22	Firozabad	03 MLD Firozabad	Jal Kal Nagar Nigam, Firozabad	20.12.22 - 03.01.23	01.02.2023	150000	--	540000	735000	RC letter sent to DM Ref. no.-H03041/UPPCB/CL /644/STP Firozabad/2023-24 Date-17.11.23
				17.01.23 - 14.02.23	01.03.2023	290000				
				15.02.23 - 19.02.23	10.03.2023	50000				
				24.02.23 - 28.02.23	05.04.2023	50000	--			
23	Firozabad	67 MLD Mohammadpur, Biharpur, Firozabad	M/s Triveni Engineering & Industries Ltd., A-44, Hozari Complex, Phase - II Extension, Noida	29.12.22 - 10.01.23	01.02.2023	390000	195000 (17.02.2024)	195000		--
24	Etawah	1.65 MLD Saifai (Paramedicals), Etawah	M/s Chaudhary Engineering Works, 467/559, Sarai Shekh Tikonia, Etawah	09.11.22 - 13.11.22	29.12.2022	50000	--	880000	880000	RC letter sent to DM Ref. no.-H03212/UPPCB/CL /639/STP Saifai/2023-24 Date-23.11.23
				17.12.22 - 23.12.22	06.01.2023	70000				
				29.12.22 - 11.01.23	01.02.2023	140000				
				12.01.23 - 28.01.23 & 04.02.23 - 13.02.23	01.03.2023	270000				
				21.02.23 - 23.02.23	10.03.2023	30000				
				13.06.23 - 20.06.23	19.07.2023	80000				
				11.07.23 - 17.07.23	02.08.2023	70000				
				16.08.23 - 23.08.23	11.09.2023	80000				
				16.10.23-24.10.23	21.11.2023	90000				
				09.11.22 - 25.11.22	29.12.2022	340000	--			
17.12.22 - 24.12.22	06.01.2023	160000	--							
25.12.22 - 10.01.23	01.02.2023	340000	--							
17.01.23 - 14.02.23	01.03.2023	580000	--							
15.02.23 - 24.02.23	10.03.2023	200000	--							
25.02.23 - 28.02.23	05.04.2023	80000	--							
25	Mainpuri	23 MLD STP at Mauja Odemya, Padaria, Mainpuri	Executive Engineer, UP Jal Nigam (Urban), Civil Lines, Firozabad	31.10.22 - 20.11.22	29.12.22	210000	--	350000		RC letter sent to DM Ref. no.-H03211/UPPCB/CL /640/STP Mainpuri/2023-24 Date-23.11.23
26	Bulandshahr	0.805 MLD Ahara Road, Zone-A, Anoopshahr	Executive Engineer, Nirmaan Khand, UP Jal Nigam (Urban), Bulandshahr	12.12.22 - 25.12.22	06.01.23	140000	--	630000	1700000	RC letter sent to DM Ref. no.-H03245/UPPCB/CL /647/STP Bulandshahr/2023-24 Date-23.11.23
				10.10.22 - 24.10.22	09.12.2022	150000				
				25.10.22 - 20.11.22	29.12.2022	270000				
				12.12.22 - 26.12.22	06.01.2023	150000				
27	Bulandshahr	1.75 MLD Ahara Road, (Shivnand Ashram) Zone-B, Anoopshahr	M/s Va-Tech Wahag Ltd, Shakti Khand -4, Indirapuram, Ghaziabad	27.12.22 - 01.01.23	01.02.2023	60000	--			

4137

107

Sl. No	District	Name of STP	O&M By	Time Period in which EC Imposed	Date of EC Imposed	Total (From Oct, 2022) (in Rs.)	EC Amount Recovered & Date	Balance	District wise EC balance amount (in Rs.)	Remark
28		1.5 MLD Anoopshahr Zone A (NGRBA)	M/s LC Infra Pvt Ltd, 1.5 MLD STP Near Shivnandan Ashram, Anoopshahr town (Zone A), Bulandshahr	04.09.23 - 18.09.23	05.10.2023	150000	--	500000	1910000	RC letter sent to DM Ref. no.-H03245/UPPCB/CL/647/STP Bulandshahr/2023-24 Date-23.11.23
				19.09.23 - 09.10.23	26.10.2023	210000	--			
				10.10.23-23.10.23	20.11.2023	140000	--			
29	Bulandshahr	01 MLD STP Zone-B Anoopshahr	M/s LC Infra Pvt Ltd, 1.0 MLD STP Near Sohamtau Ashram, Anoopshahr town (Zone B), Bulandshahr	04.09.23 - 10.09.23	05.10.2023	70000	--	430000		--
				18.09.23 - 09.10.23	26.10.2023	220000	--			
30	Etah	24 MLD Manpur Etah	Executive Engineer, UP Jal Nigam, Etah	20.10.22 - 30.10.22	09.12.2022	220000	220000/- (06.10.2023)	--	--	--
				18.11.22 - 22.11.22	29.12.2022	100000	--	100000	100000	
31	Kasganj	15 MLD Kasganj, Aligarh	Executive Engineer, UP Jal Nigam, Kasganj, Aligarh	03.10.22 - 16.10.22	09.12.2022	525000	--	2325000		RC letter sent to DM Ref. no.-H03040/UPPCB/CL/646/STP Kasganj/2023-24 Date-17.11.23
				06.12.22 - 19.12.22	06.01.2023	525000	--			
				20.12.22 - 09.01.23	01.02.2023	787500	--			
				10.01.23 - 22.01.23	01.03.2023	487500	--			
				03.10.22 - 16.10.22	09.12.2022	525000	--			
32		345 MLD STP, Bharwara, Lucknow	M/s Suez India Pvt. Ltd, Titanium Shalimaar Corporate Park, 704, 705-A & B, Pickup Building Rd, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow	06.12.22 - 19.12.22	06.01.2023	525000	--	2325000		RC letter sent to DM Ref. no.- H05563/UPPCB/CL/657/34 5 MLD STP Lucknow/2023-24
				20.12.22 - 09.01.23	01.02.2023	787500	--			
				10.01.23 - 22.01.23	01.03.2023	487500	--			
				03.10.22 - 16.10.22	09.12.2022	525000	--			
33	Lucknow	56 MLD STP, Daulatganj, Lucknow	M/s Suez India Pvt. Ltd, Titanium Shalimaar Corporate Park, 704, 705-A & B, Pickup Building Rd, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow	20.12.22 - 09.01.23	01.02.2023	787500	--	2325000	7862500	
				06.12.22 - 19.12.22	06.01.2023	525000	--			
				10.01.23 - 22.01.23	01.03.2023	487500	--			

Sl. No	District	Name of STP	O&M By	Time Period in which EC Imposed	Date of EC Imposed	Total (From Oct, 2022) (in Rs.)	EC Amount Recoverd & Date	Balance	District wise EC balance amount (in Rs.)	Remark
35		37.5 MLD Awas vikas Parishad STP, Lucknow	M/s SN Envirotech Pvt. Ltd, F-90/32, Okhla Industrial Area Phase - 1, New Delhi	03.10.22 - 27.10.22	09.12.2022	937500	--	937500		Date-12.01.2024
				03.10.22 - 30.10.22	09.12.2022	700000	--	2275000		
				31.10.22 - 21.11.22	29.12.2022	550000	--			
36		6.5 MLD Awas vikas Parishad STP, Lucknow	M/s RCC Developers Ltd, 109, City Centre, Baachha Park, Meerut	20.12.22 - 01.01.23	01.02.2023	325000	--			
				22.11.22 - 19.12.22	06.01.2023	700000	--			
				07.11.23 - 28.11.23	12.12.2023	550000	--	1925000		
37	Varanasi	12 MLD BLW STP Varanasi	M/s Deputy Chief Engineer, Banarus Locomotive Works, Varanasi	13.12.23 - 22.01.24	12.02.2024	1025000	--			
				07.11.23 - 28.11.23	12.12.2023	440000	--	440000		
				31.10.23 - 28.11.23	12.12.2023	580000	--	580000		
39	Mathura	14.5 MLD Trans-Yamuna, Jamunapar, Mathura	M/s Project Manager, 14.5 MLD, Yamuna Pollution Control Unit, U.P. Jal Nigam (Rural), Agra	31.10.23 - 28.11.23	12.12.2023	290000	--	420000	1440000	
				29.11.23 - 11.12.23	24.01.2024	130000	--			
40		2.76 MLD Goverdhan STP Mathura	M/s Executive Officer, 2.76 MLD, Nagar Panchayat Goverdhan, Govardhan Mathura							
Total EC Imposed						67765000	5,40,000			

4139



4140
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या : **403246** UPPCB/CL/641/STP Ghaziabad/2023-24

दिनांक: **23/11/23**

सेवा में,
जिलाधिकारी,
जनपद-गाजियाबाद,
मो० नं०-9454417565

विषय: जनपद-गाजियाबाद के उल्लंघनकारी 56 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, इन्दिरापुरम तथा 70 एम०एल०डी० एस०टी०पी० दुदहैडा, विजयनगर, गाजियाबाद के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,
कृपया जनपद-गाजियाबाद के उल्लंघनकारी 56 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, इन्दिरापुरम तथा 70 एम०एल०डी० एस०टी०पी० दुदहैडा, विजयनगर, गाजियाबाद के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एच 93394/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23, दिनांक-11.05.2023 एवं संख्या-एच 94625/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23, दिनांक- 30.05.2023 तथा पत्र संख्या-एच 90115/ यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/22, दिनांक 01.03.2023 क्रमशः के माध्यम से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो एस०टी०पी० को सम्बोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित है। उक्त पत्र के माध्यम से एस०टी०पी० के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये 15 दिवस में उक्त धनराशि राज्य बोर्ड के निर्धारित खाते में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु संदर्भित एस०टी०पी० द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि राज्य बोर्ड के खाते में जमा नहीं की गयी है। उक्त डिफाल्टर एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन उपरान्त विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	जनपद का नाम	इकाई/संस्थान का नाम व प्रता जिसके विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है	अधिरोपित पर्या० क्षतिपूर्ति का दिनांक	अधिरोपित पर्या० क्षतिपूर्ति की धनराशि (रूपये में)	
1	गाजियाबाद	56 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, इन्दिरापुरम	मैसर्स वा-टेक वाबैंग लिमिटेड शक्ति खंड-4 इन्दिरापुरम	11.05.2023	262500/-
				30.05.2023	225000/-
		70 एम०एल०डी० एस०टी०पी० दुदहैडा, विजयनगर	अधिशाषी अभियंता, निर्माण खण्ड (प्रथम), उ०प्र० जलनिगम (नगरीय), सी०-9, सेक्टर-1, आर०डी०सी०, राजनगर	01.03.2023	262500/-
कुल अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (रूपये में)				750000/- (रु० सात लाख पचास हजार मात्र)	

अतः आपसे अनुरोध है कि वर्णित एस०टी०पी० के समक्ष अंकित अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति 56 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, इन्दिरापुरम पर दिनांक 11.05.2023 को रु० 262500/- (रु० दो लाख बासठ हजार पांच सौ मात्र) + दिनांक 30.05.2023 को रु० 225000/- (रु० दो लाख पच्चीस हजार मात्र) तथा

70 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 दुदहैडा, विजयनगर, गाजियाबाद पर दिनांक 01.03.2023 को रू0 262500/- (रू0 दो लाख बासठ हजार पांच सौ मात्र) की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली करवाते हुये उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या 701502010002104, IFSC कोड UBIN0570150 में जमा करवाने की कार्यवाही करते हुए बोर्ड को सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोपरि।

भादीय
A

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :-

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी, गाजियाबाद से समन्वय स्थापित कर वसूली सम्बन्धी कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करायें।

A

सदस्य सचिव

0/c
A
22.11.23

A



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या: UPPCB/CL/659/ STP 130 MLD Jajmau, Kanpur/2023-24

दिनांक: 7-3-24

सेवा में,
जिलाधिकारी,
जनपद-कानपुर,
मो० नं०-9454417554.

विषय: जनपद-कानपुर के उल्लंघनकारी 130 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, जाजमऊ, कानपुर नगर के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया जनपद-कानपुर के उल्लंघनकारी 130 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, जाजमऊ, कानपुर नगर के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या:- एच 86436/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/22, दिनांक 29.12.2022, एच 86931/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/22 दिनांक 06.01.2023, एच 88119/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/22 दिनांक 01.02.2023, एच 90123/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/22 दिनांक 01.03.2023, एच 90424/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23 दिनांक 10.03.2023, एच 91585/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23 दिनांक 05.04.2023, एच 92102/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23 दिनांक 18.04.2023, एच 92595/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23 दिनांक 25.04.2023, एच 93151/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23 दिनांक 03.05.2023, एच 93397/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23 दिनांक 11.05.2023, एच 94627/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23 दिनांक 30.05.2023, एच 95984/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23 दिनांक 19.06.2023 एवं एच 97947/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23 दिनांक 19.07.2023 के माध्यम से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो एस०टी०पी० को सम्बोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित है। उक्त पत्र के माध्यम से एस०टी०पी० के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये 15 दिवस में उक्त धनराशि राज्य बोर्ड के निर्धारित खाते में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु संदर्भित एस०टी०पी० द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि राज्य बोर्ड के खाते में जमा नहीं की गयी है। उक्त डिफाल्टर एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन उपरान्त विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	जनपद का नाम	इकाई/संस्थान का नाम व पता जिसके विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है	अधिरोपित पर्या० क्षतिपूर्ति का दिनांक	अधिरोपित पर्या० क्षतिपूर्ति की धनराशि (रुपये में)	
1	कानपुर	130 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, जाजमऊ, कानपुर	मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड, (सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड) 3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल, कानपुर नगर।	04.11.22 - 25.11.22	8,25,000/-
			26.11.22 - 23.12.22	10,50,000/-	
			24.12.22 - 09.01.23	6,37,500/-	
			10.01.23 - 10.02.23	12,00,000/-	

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गौमती नगर,
लखनऊ- 226010
दूरभाष 522-2720831,
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676
ई-मेल info@uppcb.com

T. C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow - 226010

Phone : 0522-2720831, 2720828

Fax : 0522 - 2720764

Email : info@uppcb.com

WebSite : www.uppcb.com

			11.02.23 - 20.02.23	3,75,000/-
			21.02.23 - 10.03.23	6,75,000/-
			11.03.23 - 31.03.23	7,87,500/-
			01.04.23 - 06.04.23	2,25,000/-
			07.04.23 - 17.04.23	4,12,500/-
			18.04.23 - 28.04.23	4,12,500/-
			29.04.23 - 15.05.23	6,37,500/-
			16.05.23 - 02.06.23	6,75,000/-
			03.06.23 - 11.06.23	3,37,500/-
कुल अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (रूपये में)				82,50,000/- (रु० बयासी लाख पचास हजार मात्र)

अतः आपसे अनुरोध है कि वर्णित एस०टी०पी० के समक्ष अंकित अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु० 82,50,000/- (रु० बयासी लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली करवाते हुये उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या 701502010002104, IFSC कोड UBIN0570150 में जमा करवाने की कार्यवाही करते हुए बोर्ड को सूचित करने का कष्ट करें।


भवदीय


(संजीव कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :

क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर मो० न० 78397891813 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी, कानपुर से समन्वय स्थापित कर वसूली सम्बन्धी कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करायें।


सदस्य सचिव




उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या : 107109/UPPCB/CL/660/ STP 210 MLD, Bingawan, Kanpur/2023-24

दिनांक: 13/02/22

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद-कानपुर,
मो० नं०-9454417554.

विषय: जनपद-कानपुर के उल्लंघनकारी 210 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, बिनगवां, कानपुर के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया जनपद- कानपुर के उल्लंघनकारी 210 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, बिनगवां, कानपुर के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या:- एच 85404/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/22 दिनांक 09.12.2022, एच 86438/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/22 दिनांक 29.12.2022, एच 86932/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/22 दिनांक 06.01.2023, एच 88117/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/22 दिनांक 01.02.2023, एच 90116/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/22 दिनांक 01.03.2023, एच 90421/यू०पी०पी० सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23 दिनांक 10.03.2023, एच 91586/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23 दिनांक 05.04.2023, एच 92100/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23 दिनांक 18.04.2023, एच 92593/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23 दिनांक 25.04.2023, एच 93149/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23 दिनांक 03.05.2023, एच 93398/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23 दिनांक 11.05.2023, एच 94629/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23 दिनांक 30.05.2023, एच 95988/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23 दिनांक 19.06.2023, एच 97946/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23 दिनांक 19.07.2023, एच 97986/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23 दिनांक 20.07.2023, एच 98774/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23 दिनांक 02.08.2023, एच 99460/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23 दिनांक 16.08.2023, एच 99979/ यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23 दिनांक 28.08.2023, एच 00549/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23 दिनांक 11.09.2023, एच 01132/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23 दिनांक 22.09.2023, एच 01535/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23 दिनांक 05.10.2023 एवं एच 02333/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23 दिनांक 26.10.2023 के माध्यम से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो एस०टी०पी० को सम्बोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित है। उक्त पत्र के माध्यम से एस०टी०पी० के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये 15 दिवस में उक्त धनराशि राज्य बोर्ड के निर्धारित खाते में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु संदर्भित एस०टी०पी० द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि राज्य बोर्ड के खाते में जमा नहीं की गयी है। उक्त डिफाल्टर एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन उपरान्त विवरण निम्नवत् है:-

टी.सी.-12बी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ- 226010
दूरभाष 522-2720831,
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676
ई-मेल info@uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow - 226010
Phone : 0522-2720831, 2720828
Fax : 0522 - 2720764
Email : info@uppcb.com
WebSite : www.uppcb.com

क्र० सं०	जनपद का नाम	इकाई/संस्थान का नाम व पता जिसके विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है	अधिरोपित पर्या० क्षतिपूर्ति का दिनांक	अधिरोपित पर्या० क्षतिपूर्ति की धनराशि (रुपये में)	
1	कानपुर	210 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, बिनगवा, कानपुर	मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड, (सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड), 3/83, विष्णुपुरी, प्लॉट नं०-101, प्रथम तल, कानपुर नगर।	07-10-2022 - 03-10-2022	9,00,000/-
				31-10-2022 - 25-11-2022	9,75,000/-
				26-11-2022 - 23-12-2022	10,50,000/-
				24-12-2022 - 12-01-2023	7,50,000/-
				13-01-2023 - 10-02-2023	10,87,500/-
				11-02-2023 - 22-10-2023	4,50,000/-
				23-02-2023 - 10-03-2023	6,00,000/-
				11-03-2023 - 31-03-2023	7,87,500/-
				01-04-2023 - 06-04-2023	2,25,000/-
				07-04-2023 - 14-04-2023	3,00,000/-
				15-04-2023 - 26-04-2023	4,50,000/-
				27-04-2023 - 15-05-2023	7,12,500/-
				16-05-2023 - 02-06-2023	6,75,000/-
				03-06-2023 - 27-06-2023	9,37,500/-
				28-06-2023 - 04-07-2023	2,62,500/-
				05-07-2023 - 11-07-2023	2,62,500/-
				12-07-2023 - 28-07-2023	6,37,500/-
				29-07-2023 - 15-08-2023	6,75,000/-
				16-08-2023 - 28-08-2023	4,87,500/-
				29-08-2023 - 05-09-2023	3,00,000/-
06-09-2023 - 20-09-2023	5,62,500/-				
21-09-2023 - 03-10-2023	4,87,500/-				
कुल अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (रुपये में)				1,35,75,000/- (रु० एक करोड़ पैंतीस लाख पचहत्तर हजार मात्र)	

अतः आपसे अनुरोध है कि वर्गित एस0टी0पी0 के समक्ष अंकित अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 1,35,75,000/- (रू0 एक करोड़ पैंतीस लाख पचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली करवाते हुये उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या 701502010002104, IFSC कोड UBIN0570150 में जमा करवाने की कार्यवाही करते हुए बोर्ड को सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय

sk

(संजीव कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर मौ0 न0 78397891813 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी, कानपुर से समन्वय स्थापित कर वसूली सम्बन्धी कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित कराये।

sk

सदस्य सचिव

sk
sk
14.02.24



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



LIFE
Lifestyle for
Environment

संदर्भ संख्या: **H06595**

UPPCB/CL/661/ STP 43 MLD Jajmau Kanpur/2023

दिनांक: **6-2-24**

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद-कानपुर,
मो० नं०-9454417554.

विषय: जनपद-कानपुर के उल्लंघनकारी 43 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, जाजमऊ, कानपुर के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया जनपद-कानपुर के उल्लंघनकारी 43 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, जाजमऊ, कानपुर के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एच 86437/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/22, दिनांक-29.12.2022; पत्र संख्या-एच 86930/ यू०पी०पी०सी०बी०/ सी०एल०/ 569/ एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०-ई०सी०/22, दिनांक-06.01.2023; पत्र संख्या-एच 88118/यू०पी० पी०सी०बी०/ सी०एल०/ 569/ एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०-ई०सी०/22, दिनांक 01.02.2023; पत्र संख्या-एच 90124/ यू०पी०पी०सी०बी०/ सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०-ई०सी० /22, दिनांक 01.03.2023, पत्र संख्या-एच 90422/ यू०पी०पी०सी०बी० /सी०एल० /569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०-ई०सी०/23, दिनांक 10.03.2023; पत्र संख्या -एच 91584/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23, दिनांक-05.04.2023; पत्र संख्या -एच 92101/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23, दिनांक-18.04.2023; पत्र संख्या -एच 92594/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी० - ई०सी०/23, दिनांक-25.04.2023; पत्र संख्या- एच 93150/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० - सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23, दिनांक-03.05.2023; पत्र संख्या- एच 93396/ यू०पी०पी०सी०बी०/ सी०एल०/ 569/ एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23, दिनांक-11.05.2023; पत्र संख्या -एच 94628/ यू०पी०पी०सी०बी०/ सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23, दिनांक-30.05.2023; पत्र संख्या -एच 95989/ यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23, दिनांक-19.06.2023 एवं पत्र संख्या -एच 97945/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23, दिनांक-19.07.2023; क्रमशः के माध्यम से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो एस०टी०पी० को सम्बोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित है। उक्त पत्र के माध्यम से एस०टी०पी० के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये 15 दिवस में उक्त धनराशि राज्य बोर्ड के निर्धारित खाते में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु संदर्भित एस०टी०पी० द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि राज्य बोर्ड के खाते में जमा नहीं की गयी है। उक्त डिफाल्टर एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन उपरान्त विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	जनपद का नाम	इकाई/संस्थान का नाम व पता जिसके विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है	अधिरोपित पर्या० क्षतिपूर्ति का दिनांक	अधिरोपित पर्या० क्षतिपूर्ति की धनराशि (रुपये में)
1	कानपुर	43 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, जाजमऊ, कानपुर	29-12-2022	8,25,000/-
			06-01-2023	10,50,000/-
			01-02-2023	6,37,500/-
			01-03-2023	12,00,000/-

				10-03-2023	3,75,000/-
				05-04-2023	6,75,000/-
				18-04-2023	7,87,500/-
				25-04-2023	2,25,000/-
				03-05-2023	4,12,500/-
				11-05-2023	4,12,500/-
				30-05-2023	6,37,500/-
				19-06-2023	6,75,000/-
				19-07-2023	4,87,500/-
कुल अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (रूपये मे)					84,00,000/- (रु० चौरासी लाख मात्र)

अतः आपसे अनुरोध है कि वर्णित एस०टी०पी० के समक्ष अंकित अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु० 84,00,000/- (रु० चौरासी लाख मात्र) की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली करवाते हुये उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या **701502010002104, IFSC कोड UBIN0570150** में जमा करवाने की कार्यवाही करते हुए बोर्ड को सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय

u/c

 (संजीव कुमार सिंह)
 सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :

क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर मो० न० 78397891791 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी, कानपुर से समन्वय स्थापित कर वसूली सम्बन्धी कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करायें।

u/c

 सदस्य सचिव




उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या : 107108 UPPCB/CL/662/ STP 05 MLD, Jajmau, Kanpur/2023-24

दिनांक: 19/10/23

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद-कानपुर,
मो 0 नं-9454417554.

विषय: जनपद-कानपुर के उल्लंघनकारी 05 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, जाजमऊ, कानपुर नगर के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया जनपद-कानपुर के उल्लंघनकारी 05 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, जाजमऊ, कानपुर नगर के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या:- एच 86435/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/22, दिनांक 29.12.2022, एच 86929/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/22 दिनांक 06.01.2023, एच 88116/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/22 दिनांक 01.02.2023, एच 90117/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/22 दिनांक 01.03.2023, एच 90423/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23 दिनांक 10.03.2023, एच 91583/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23 दिनांक 05.04.2023, एच 92127/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23 दिनांक 18.04.2023, एच 92596/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23 दिनांक 25.04.2023, एच 93152/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23 दिनांक 03.05.2023, एच 93395/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23 दिनांक 11.05.2023, एच 94690/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23 दिनांक 30.05.2023, एच 95986/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23 दिनांक 19.06.2023, एच 97943/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23 दिनांक 19.07.2023, एच 97987/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23 दिनांक 20.07.2023, एच 98773/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23 दिनांक 02.08.2023, एच 99461/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23 दिनांक 16.08.2023, एच 99978/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23 दिनांक 28.08.2023, एच 00548/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23 दिनांक 11.09.2023, एच 01131/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23 दिनांक 22.09.2023, एच 01538/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23 दिनांक 05.10.2023 एवं एच 02334/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23 दिनांक 26.10.2023 के माध्यम से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो एस0टी0पी0 को सम्बोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित है। उक्त पत्र के माध्यम से एस0टी0पी0 के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये 15 दिवस में उक्त धनराशि राज्य बोर्ड के निर्धारित खाते में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु संदर्भित एस0टी0पी0 द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि राज्य बोर्ड के खाते में जमा नहीं की गयी है। उक्त डिफाल्टर एस0टी0पी0 पर

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन उपरान्त विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	जनपद का नाम	इकाई/संस्थान का नाम व पता जिसके विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है	अधिरोपित पर्या० क्षतिपूर्ति का दिनांक	अधिरोपित पर्या० क्षतिपूर्ति की धनराशि (रुपये में)	
1	कानपुर	05 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, जाजमऊ, कानपुर	परियोजना प्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, यू०पी० जल निगम (नगरीय) कानपुर	04.11.22 - 25.11.22	2,75,000/-
				26.11.22 - 23.12.22	3,50,000/-
				24.12.22 - 09.01.23	2,12,500/-
				10.01.23 - 10.02.23	4,00,000/-
				11.02.23 - 20.02.23	1,25,000/-
				21.02.23 - 10.03.23	2,25,000/-
				11.03.23 - 31.03.23	2,62,500/-
				01.04.23 - 06.04.23	75,000/-
				07.04.23 - 17.04.23	1,37,500/-
				18.04.23 - 28.04.23	1,37,500/-
				29.04.23 - 15.05.23	2,12,500/-
				16.05.23 - 02.06.23	2,25,000/-
				03.06.23 - 26.06.23	3,00,000/-
				27.06.23 - 03.07.23	87,500/-
				04.07.23 - 10.07.23	87,500/-
				11.07.23 - 28.07.23	2,25,000/-
				29.07.23 - 14.08.23	2,12,500/-
15.08.23 - 28.08.23	1,75,000/-				
29.08.23 - 05.09.23	1,00,000/-				
06.09.23 - 18.09.23	1,62,500/-				
19.09.23 - 03.10.23	1,87,500/-				
कुल अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (रुपये में)				41,75,000/- (रु० इक्तालीस लाख पचहत्तर हजार मात्र)	

अतः आपसे अनुरोध है कि वर्णित एसटीडीपीओ के समक्ष अंकित अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू० 41,75,000/- (रू० इक्तालीस लाख पचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली करवाते हुये उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या 701502010002104, IFSC कोड UBIN0570150 में जमा करवाने की कार्यवाही करते हुए बोर्ड को सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय


(संजीव कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :

क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर मो० न० 78397891813 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी, कानपुर से समन्वय स्थापित कर वसूली सम्बन्धी कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करायें।


सदस्य सचिव


14.02.24



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या: UPPCB/CL/649/ STP-Farrukhabad/2023

दिनांक: 12/24

सेवा मे,

जिलाधिकारी,
जनपद-फर्रुखाबाद
मो 0 नं-9454417552

विषय: जनपद-फर्रुखाबाद के उल्लंघनकारी 2.7 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया जनपद- फर्रुखाबाद के उल्लंघनकारी 2.7 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद, के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एच 95068/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0&सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23 दिनांक 02.06.2023 के माध्यम से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो एस0टी0पी0 को सम्बोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित है। उक्त पत्र के माध्यम से एस0टी0पी0 के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये 15 दिवस में उक्त धनराशि राज्य बोर्ड के निर्धारित खाते में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु संदर्भित एस0टी0पी0 द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि राज्य बोर्ड के खाते में जमा नहीं की गयी है। उक्त डिफाल्टर एस0टी0पी0 पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन उपरान्त विवरण निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	जनपद का नाम	इकाई/संस्थान का नाम व पता जिसके विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है	अधिरोपित पर्या0 क्षतिपूर्ति का दिनांक	अधिरोपित पर्या0 क्षतिपूर्ति की धनराशि (रूपये में)
1	फर्रुखाबाद	2.7 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद	परियोजना प्रबंधक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), फर्रुखाबाद।	60,000/-
कुल अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (रूपये में)				60,000/- (रु0 साठ हजार मात्र)

अतः आपसे अनुरोध है कि वर्णित एस0टी0पी0 के समक्ष अंकित अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु0 60,000/- (रु0 साठ हजार मात्र) की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली करवाते हुये उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या 701502010002104, IFSC कोड UBIN0570150 में जमा करवाने की कार्यवाही करते हुए बोर्ड को सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय

sk
(संजीव कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि : क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर मो0 न0 7839891813 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद से समन्वय स्थापित कर वसूली सम्बन्धी कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित कराये।

sk
सदस्य सचिव



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या : UPPCB/CL/648/ STP-Kannauj/2023

दिनांक: 12/1/24

सेवा मे,

जिलाधिकारी,
जनपद-कन्नौज,
मो 0-9454417555.

विषय: जनपद-कन्नौज के उल्लंघनकारी 13 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, जलालपुर, अमरापुर, कन्नौज के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया जनपद- कन्नौज के उल्लंघनकारी 13 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, जलालपुर, अमरापुर, कन्नौज, के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एच 97942/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23, दिनांक-19.07.2023; पत्र संख्या-एच 97988/ यू0पी0पी0सी0बी0/ सी0एल0/ 569/ एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23, दिनांक-20.07.2023; पत्र संख्या-एच 98775/यू0पी0 पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23, दिनांक 02.08.2023; पत्र संख्या-एच 99980/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23, दिनांक 28.08.2023 एवं पत्र संख्या-एच 00547/ यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0/23, दिनांक 11.09.2023 क्रमशः के माध्यम से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो एस0टी0पी0 को सम्बोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित है। उक्त पत्र के माध्यम से एस0टी0पी0 के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये 15 दिवस में उक्त धनराशि राज्य बोर्ड के निर्धारित खाते में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु संदर्भित एस0टी0पी0 द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि राज्य बोर्ड के खाते में जमा नहीं की गयी है। उक्त डिफाल्टर एस0टी0पी0 पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन उपरान्त विवरण निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	जनपद का नाम	इकाई/संस्थान का नाम व पता जिसके विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है	अधिरोपित पर्या0 क्षतिपूर्ति का दिनांक	अधिरोपित पर्या0 क्षतिपूर्ति की धनराशि (रूपये में)
1	कन्नौज	13 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, जलालपुर, अमरापुर, कन्नौज अधिशाषी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) नगरीय कल्कट्रेट तिराहा, फर्रुखाबाद	19.07.2023	6,60,000/-
			20.07.2023	1,60,000/-
			02.08.2023	2,60,000/-
			28.08.2023	4,40,000/-
			11.09.2023	2,60,000/-
कुल अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (रूपये में)				17,80,000/- (रु0 सत्रह लाख अस्सी हजार मात्र)

अतः आपसे अनुरोध है कि वर्णित एस0टी0पी0 के समक्ष अंकित अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु0 17,80,000/- (रु0 सत्रह लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली करवाते हुये



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या : **105564** UPPCB/CL/663/ STP-Prayagraj Naini/2023

दिनांक: **12-7-24**

सेवा मे,
जिलाधिकारी,
जनपद-प्रयागराज
मो0 नं0-9454417517

विषय: जनपद-प्रयागराज के उल्लंघनकारी एस0टी0पी0 (सूची संलग्न-03 एस0टी0पी0) के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया जनपद-प्रयागराज के उल्लंघनकारी एस0टी0पी0 के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के विभिन्न पत्राकों के माध्यम से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (सूची संलग्न-03 एस0टी0पी0), जो इकाई को सम्बोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित है। उक्त पत्रों के माध्यम से एस0टी0पी0 के विरुद्ध सूची में वर्णित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये 15 दिवस में उक्त धनराशि राज्य बोर्ड के निर्धारित खाते में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु संदर्भित एस0टी0पी0 द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि राज्य बोर्ड के खाते में जमा नहीं की गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्न सूची में वर्णित एस0टी0पी0 के समक्ष अंकित अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली करवाते हुये उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या **701502010002104 IFSC कोड UBIN0570150** में जमा करवाने की कार्यवाही करते हुए बोर्ड को सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय

sk
(संजीव कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज मो0 नं0 0532-2569727 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी, प्रयागराज से समन्वय स्थापित कर वसूली सम्बन्धी कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करायें।

sk
सदस्य सचिव

जनपद- प्रयागराज में एसटीपी के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की सूची					
क्र. सं.	जनपद का नाम	इकाई/संरक्षण का नाम व पता जिसके विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है	अधिरोपित पर्याप्त क्षतिपूर्ति का दिनांक	पत्रांक संदर्भ संख्या	अधिरोपित पर्याप्त क्षतिपूर्ति की धनराशि (रुपये में)
1		25 एमएलडी कोदरा प्रयागराज मैसर्स अडानी वाटर लि. गंगा पाल्पूरान कन्ट्रोल यूनिट, नैनी मिर्जापुर रोड प्रयागराज	20.03.2023	एच 90846 / यूपीपीसीवी / सीएल / 569 / एसटीपी & सीईटीपी-ईसी / 22 दिनांक 20.03.2022	25,000/-
2	प्रयागराज	10 एमएलडी पोनघाट प्रयागराज मैसर्स अडानी वाटर लि. गंगा पाल्पूरान कन्ट्रोल यूनिट, नैनी मिर्जापुर रोड प्रयागराज	20.03.2023	एच90847 / यूपीपीसीवी / सीएल / 569 / एसटीपी & सीईटीपी-ईसी / 22 दिनांक 20.03.2023	25,000/-
3		80 एमएलडी नैनी प्रयागराज मैसर्स अडानी वाटर लि. गंगा पाल्पूरान कन्ट्रोल यूनिट, नैनी मिर्जापुर रोड प्रयागराज	20.03.2023	एच90848 / यूपीपीसीवी / सीएल / 569 / एसटीपी & सीईटीपी-ईसी / 22 दिनांक 20.03.2023	37,500/-
कुल अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति					87,500/-

Hosht

A/c

A/c

A/c



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या :

H03475

UPPCB/CL/645/STP Meerut/2023-24

दिनांक:

30/11/23

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद- मेरठ
मो0 नं0-9454417566

विषय: जनपद- मेरठ के उल्लंघनकारी एस0टी0पी0 (सूची संलग्न-06 एस0टी0पी0) के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया जनपद- मेरठ के उल्लंघनकारी एस0टी0पी0 के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के विभिन्न पत्राकों के माध्यम से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (सूची संलग्न-06 एस0टी0पी0), जो इकाई को सम्बोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित है। उक्त पत्रों के माध्यम से एस0टी0पी0 के विरुद्ध सूची में वर्णित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये 15 दिवस में उक्त धनराशि राज्य बोर्ड के निर्धारित खाते में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु संदर्भित एस0टी0पी0 द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि राज्य बोर्ड के खाते में जमा नहीं की गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्न सूची में वर्णित एस0टी0पी0 के समक्ष अंकित अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली करवाते हुये उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या 701502010002104, IFSC कोड UBIN0570150 में जमा करवाने की कार्यवाही करते हुए बोर्ड को सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :-

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ मो0 न0 7839891746 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी, मेरठ से समन्वय स्थापित कर वसूली सम्बन्धी कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करायें।

सदस्य सचिव

etc
30-11-23
30/11/2023

जनपद- मेरठ में एस0टी0पी0 के विक्रद अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की सूची

क्र0सं	जनपद का नाम	इकाई/संस्थान का नाम व परत जिसके विक्रद पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है	अधिरोपित पर्या0 क्षतिपूर्ति का दिनांक	पत्रांक संदर्भ संख्या	अधिरोपित पर्या0 क्षतिपूर्ति की धनराशि (रुपये में)	बोर्ड में जमा की गयी पर्या0 क्षतिपूर्ति की धनराशि (रुपये में)	शेष धनराशि (रुपये में)
0							
1		7 एस0एल0डी0 एस0टी0पी0 पल्लवपुरम केज-1	05.04.2023	एस 91589 / यू0पी0पी0सी0बी0 / सी0एल0 / 569 / एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0 / 23 दिनांक 05.04.2023	25000/-	-	25000/-
2		10 एस0एल0डी0 एस0टी0पी0 लीडिया नगर	05.04.2023	एस 91582 / यू0पी0पी0सी0बी0 / सी0एल0 / 569 / एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0 / 23 दिनांक 05.04.2023	25000/-	25000/-	-
3	मेरठ	15 एस0एल0डी0 एस0टी0पी0 सरावडी नगर, मेरठ	05.04.2023	एस 92097 / यू0पी0पी0सी0बी0 / सी0एल0 / 569 / एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0 / 23 दिनांक 18.04.2023	125000/-	-	125000/-
4		15 एस0एल0डी0 एस0टी0पी0 वेदव्यासपुरी, मेरठ	05.04.2023	एस 91580 / यू0पी0पी0सी0बी0 / सी0एल0 / 569 / एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0 / 23 दिनांक 05.04.2023	25000/-	25000/-	-
5		06 एस0एल0डी0 एस0टी0पी0 रमापुरम, मेरठ	05.04.2023	एस 92098 / यू0पी0पी0सी0बी0 / सी0एल0 / 569 / एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0 / 23 दिनांक 18.04.2023	125000/-	50000/-	75000/-
6		05 एस0एल0डी0 एस0टी0पी0 मोदीपुरम सिराडा, मेरठ	05.04.2023	एस 91581 / यू0पी0पी0सी0बी0 / सी0एल0 / 569 / एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0 / 23 दिनांक 05.04.2023	25000/-	25000/-	-
			18.04.2023	एस 92099 / यू0पी0पी0सी0बी0 / सी0एल0 / 569 / एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0 / 23 दिनांक 18.04.2023	125000/-	-	125000/-
			05.04.2023	एस 91590 / यू0पी0पी0सी0बी0 / सी0एल0 / 569 / एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0 / 23 दिनांक 05.04.2023	25000/-	-	25000/-
			18.04.2023	एस 92125 / यू0पी0पी0सी0बी0 / सी0एल0 / 569 / एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0 / 23 दिनांक 18.04.2023	125000/-	-	125000/-
			05.04.2023	एस 91591 / यू0पी0पी0सी0बी0 / सी0एल0 / 569 / एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0 / 23 दिनांक 05.04.2023	12500/-	-	12500/-
			18.04.2023	एस 92124 / यू0पी0पी0सी0बी0 / सी0एल0 / 569 / एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0-ई0सी0 / 23 दिनांक 18.04.2023	62500/-	-	62500/-
कुल अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति					825000/-	125000/-	700000/-
(रु0 आठ लाख पच्चीस हजार भाज)							
(रु0 एक लाख पच्चीस हजार भाज)							
(रु0 सात लाख भाज)							



4158
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या: **403210** UPPCB/CL/643/STP Agra2023-24

दिनांक: **23/11/23**

सेवा में,
जिलाधिकारी,
जनपद-आगरा,
मो० नं०-9454417509

विषय: जनपद-आगरा के उल्लंघनकारी 4.50 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, कालिंदी विहार तथा 36 एम०एल०डी० एस०टी०पी० सदरवन (बिचपूरी न्यू), आगरा के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया जनपद-आगरा के उल्लंघनकारी 4.50 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, कालिंदी विहार तथा 36 एम०एल०डी० एस०टी०पी० सदरवन (बिचपूरी न्यू), आगरा के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एच 01134/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23 एवं पत्र संख्या-एच 01133/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/23, दिनांक 22.09.2023 के माध्यम से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो एस०टी०पी० को सम्बोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित है। उक्त पत्र के माध्यम से एस०टी०पी० के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये 15 दिवस में उक्त धनराशि राज्य बोर्ड के निर्धारित खाते में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु संदर्भित एस०टी०पी० द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि राज्य बोर्ड के खाते में जमा नहीं की गयी है। उक्त डिफाल्टर एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन उपरान्त विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	जनपद का नाम	उद्योग/इकाई/संस्थान का नाम व पता जिसके विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है	अधिरोपित पर्या० क्षतिपूर्ति का दिनांक	अधिरोपित पर्या० क्षतिपूर्ति की धनराशि (रूपये में)
1	आगरा	4.50 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, कालिंदी विहार	प्रोजेक्ट मैनेजर, यूनिट-35, सी०एण्ड०डी०एस०, यू०पी० जल निगम (नगरीय)	175000/-
		36 एम०एल०डी० एस०टी०पी० सदरवन (बिचपूरी न्यू), आगरा		175000/-
कुल अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (रूपये में)				350000/- (रु० तीन लाख पचास हजार मात्र)

अतः आपसे अनुरोध है कि वर्णित एस०टी०पी० के समक्ष अंकित अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति 4.50 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, कालिंदी विहार पर रु० 175000/- (रु० एक लाख पचहत्तर हजार मात्र) तथा 36 एम०एल०डी० एस०टी०पी० सदरवन (बिचपूरी न्यू), आगरा पर रु० 175000/- (रु० एक लाख पचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली करवाते हुये उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ

इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या 701502010002104, IFSC कोड
UBIN0570150 में जमा करवाने की कार्यवाही करते हुए बोर्ड को सूचित करने का कष्ट करें।
संलग्नक:-यथोपरि।

भारतीय
A

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :-

क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा (मो० न० 7839891805) को इस निर्देश के
साथ प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी, आगरा से समन्वय स्थापित कर वसूली सम्बन्धी
कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित कराये।

A

सदस्य सचिव

the
press

Q



4160
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या: **HO30W**

UPPCB/CL/644/STP Firozabad/2023-24

दिनांक: **17/1/23**

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद-फिरोजाबाद,
मो० नं०-9454417541

विषय: जनपद-फिरोजाबाद के उल्लंघनकारी 03 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, फिरोजाबाद के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया जनपद-आगरा के उल्लंघनकारी 03 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, फिरोजाबाद पत्र संख्या-एच 88124/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०-ई०सी०/22, दिनांक 01.02.2023, पत्र संख्या-एच 90122/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०-ई०सी०/22, दिनांक 01.03.2023, पत्र संख्या-एच 90426/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०-ई०सी०/23, दिनांक 10.03.2023 एवं पत्र संख्या-एच 91588/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०-ई०सी०/23, दिनांक 05.04.2023, के माध्यम से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो एस०टी०पी० को सम्बोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित है। उक्त पत्र के माध्यम से एस०टी०पी० के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये 15 दिवस में उक्त धनराशि राज्य बोर्ड के निर्धारित खाते में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु संदर्भित एस०टी०पी० द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि राज्य बोर्ड के खाते में जमा नहीं की गयी है। उक्त डिफाल्टर एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन उपरान्त विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	जनपद का नाम	इकाई/संस्थान का नाम व पता जिसके विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है	अधिरोपित पर्या० क्षतिपूर्ति का दिनांक	अधिरोपित पर्या० क्षतिपूर्ति की धनराशि (रूपये में)
1	फिरोजाबाद	3 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, फिरोजाबाद जलकल नगर निगम, फिरोजाबाद।	01.02.2023	150000/-
			01.03.2023	290000/-
			10.03.2023	50000/-
			05.04.2023	50000/-
कुल अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (रूपये में)				540000/- (रु० पाँच लाख चालीस हजार मात्र)

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ- 226010
दूरभाष 522-2720831,
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676
ई-मेल info@uppcb.com
वेबसाइट www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow - 226010
Phone : 0522-2720831, 2720828
Fax : 0522 - 2720764
Email : info@uppcb.com
WebSite : www.uppcb.com

अतः आपसे अनुरोध है कि वर्णित एस0टी0पी0 के समक्ष अंकित अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति 03 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, फिरोजाबाद पर दिनांक 01.02.2023 का रू0 150000/- (रू0 एक लाख पचास हजार मात्र) + दिनांक 01.03.2023 को रू0 290000/- (रू0 दो लाख नब्बे हजार मात्र) + दिनांक 10.03.2023 को रू0 50000/- (रू0 पचास हजार मात्र) + दिनांक 05.04.2023 को रू0 50000/- (रू0 पचास हजार मात्र) की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली करवाते हुये उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या 701502010002104, IFSC कोड UBIN0570150 में जमा करवाने की कार्यवाही करते हुए बोर्ड को सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोपरि।

भिवदीय
A

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवययक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिरोजाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी, फिरोजाबाद से समन्वय स्थापित कर वसूली सम्बन्धी कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करायें।

A

सदस्य सचिव

o/c
Acc

Q

4162



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या: UPPCB/CL/639/1.65MLD Saifai/2023-24

दिनांक: 23/1/23

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद-इटावा,
मो 0 नं-9454417551.

विषय: जनपद-इटावा के उल्लंघनकारी 1.65 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, सैफई (पैरामेडिकल्स) के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया जनपद- इटावा के उल्लंघनकारी 1.65 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, सैफई (पैरामेडिकल्स) पत्र संख्या- एच 86441/ यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/569/ एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/22, दिनांक 29.12.2022, पत्र संख्या-एच 86927/ यू0पी0पी0सी0बी0/ सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/22, दिनांक 06.01.2023, पत्र संख्या-एच 88125/यू0पी0पी0सी0बी0/ सी0एल0/569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/22, दिनांक 01.02.2023, पत्र संख्या-एच 90121/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/ 569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/22, दिनांक 01.03.2023, पत्र संख्या-एच 90427/यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/ 569/ एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/23, दिनांक 10.03.2023, पत्र संख्या-एच 97944/ यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/ 569/ एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/23, दिनांक 19.07.2023, पत्र संख्या- एच 98776/यू0पी0पी0सी0बी0/ सी0एल0/ 569/एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/23, दिनांक 02.08.2023 एवं पत्र संख्या-एच 00551/ यू0पी0पी0सी0बी0/सी0एल0/ 569/ एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0/23, दिनांक 11.09.2023 क्रमशः के माध्यम से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो एस0टी0पी0 को सम्बोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित है। उक्त पत्र के माध्यम से एस0टी0पी0 के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये 15 दिवस में उक्त धनराशि राज्य बोर्ड के निर्धारित खाते में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु संदर्भित एस0टी0पी0 द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि राज्य बोर्ड के खाते में जमा नहीं की गयी है। उक्त डिफाल्टर एस0टी0पी0 पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन उपरान्त विवरण निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	जनपद का नाम	इकाई/संस्थान का नाम व पता जिसके विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है	अधिरोपित पर्या0 क्षतिपूर्ति का दिनांक	अधिरोपित पर्या0 क्षतिपूर्ति की धनराशि (रुपये में)	
1	इटावा	1.65 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, सैफई (पैरामेडिकल्स)	मेसर्स चौधरी इंजीनियरिंग वर्क्स, 467/559, सरई शेख, तिकोनिया, इटावा	29.12.2022	50000/-
				06.01.2023	70000/-
				01.02.2023	140000/-
				01.03.2023	270000/-
				10.03.2023	30000/-
				19.07.2023	80000/-
				02.08.2023	70000/-
			11.09.2023	80000/-	
कुल अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (रुपये में)				790000/- (रु0 सात लाख नब्बे हजार मात्र)	

अतः आपसे अनुरोध है कि वर्णित एस0टी0पी0 के समक्ष अंकित अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति 1.65 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, सैफर्ड (पैरामेडिकल्स) पर दिनांक 29.12.2022 को रू0 50000/- (रू0 पचास हजार मात्र), दिनांक 06.01.2023 को रू0 70000/- (रू0 सत्तर हजार मात्र), दिनांक 01.02.2023 को रू0 140000/- (रू0 एक लाख चालीस हजार मात्र), दिनांक 01.03.2023 को रू0 270000/- (रू0 दो लाख सत्तर हजार मात्र), दिनांक 10.03.2023 को रू0 30000/- (रू0 तीस हजार मात्र), दिनांक 19.07.2023 को रू0 80000/- (रू0 अस्सी हजार मात्र), दिनांक 02.08.2023 को रू0 70000/- (रू0 सत्तर हजार मात्र), दिनांक 11.09.2023 को रू0 80000/- (रू0 अस्सी हजार मात्र) की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली करवाते हुये उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या 701502010002104, IFSC कोड UBIN0570150 में जमा करवाने की कार्यवाही करते हुए बोर्ड को सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय



(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :-

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिरोजाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी, इटावा से समन्वय स्थापित कर वसूली सम्बन्धी कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करायें।



सदस्य सचिव

07/

22.11.23

22.11.23





4164
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या: **40321** UPPCB/CL/640/STP Mainpuri/2023-24

दिनांक:
23/1/23

सेवा में,
जिलाधिकारी,
जनपद-मैनपुरी,
मो० नं०-9454417511

विषय: जनपद-मैनपुरी के उल्लंघनकारी 23 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० मौजा, उडेनिया, पदारिया के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया जनपद-मैनपुरी के उल्लंघनकारी 23 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० मौजा, उडेनिया, पदारिया, मैनपुरी के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एच 86440/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०-ई०सी०/22, दिनांक-29.12.2022; पत्र संख्या-एच 86928/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०-ई०सी०/22, दिनांक-06.01.2023; पत्र संख्या-एच 88122/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०-ई०सी०/22, दिनांक 01.02.2023; पत्र संख्या-एच 90120/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०-ई०सी०/22, दिनांक 01.03.2023; पत्र संख्या-एच 90425/यू०पी० पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०-ई०सी०/23, दिनांक 10.03.2023 एवं पत्र संख्या-एच 91587/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०-ई०सी०/23, दिनांक 05.04.2023 क्रमशः के माध्यम से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो एस०टी०पी० को सम्बोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित है। उक्त पत्र के माध्यम से एस०टी०पी० के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये 15 दिवस में उक्त धनराशि राज्य बोर्ड के निर्धारित खाते में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु संदर्भित एस०टी०पी० द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि राज्य बोर्ड के खाते में जमा नहीं की गयी है। उक्त डिफाल्टर एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन उपरान्त विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	जनपद का नाम	इकाई/संस्थान का नाम व पता जिसके विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है	अधिरोपित पर्या० क्षतिपूर्ति का दिनांक	अधिरोपित पर्या० क्षतिपूर्ति की धनराशि (रूपये में)
1	मैनपुरी	23 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० मौजा, उडेनिया, पदारिया, मैनपुरी अधिशापी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (नगरीय), सिविल लाइन, फिरोजाबाद।	29.12.2022	340000/-
			06.01.2023	160000/-
			01.02.2023	340000/-
			01.03.2023	580000/-
			10.03.2023	200000/-
			05.04.2023	80000/-
कुल अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (रूपये में)				1700000/- (रु० सत्रह लाख मात्र)

अतः आपसे अनुरोध है कि वर्णित एस0टी0पी0 के समक्ष अंकित अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति 23 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 मौजा, उडेनिया, पदारिया, मैनपुरी पर दिनांक 29.12.2022 को रू0 340000/- (रू0 तीन लाख चालीस हजार मात्र) + दिनांक 06.01.2023 को रू0 160000/(रू0 एक लाख साठ हजार मात्र) + दिनांक 01.02.2023 को रू0 340000/- (रू0 तीन लाख चालीस हजार मात्र) + दिनांक 01.03.2023 को रू0 580000/- (रू0 पांच लाख अस्सी हजार मात्र) + दिनांक 10.03.2023 को रू0 200000/- (रू0 दो लाख मात्र) तथा दिनांक 05.04.2023 को रू0 80000/- (रू0 अस्सी हजार मात्र) की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली करवाते हुये उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104, IFSC कोड UBIN0570150 में जमा करवाने की कार्यवाही करते हुए बोर्ड को सूचित करने का कष्ट करें।
संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय
A

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :-

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिरोजाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी, मैनपुरी से समन्वय स्थापित कर वसूली सम्बन्धी कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करायें।

A

सदस्य सचिव

22-11-23



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या :

H03245

UPPCB/CL/647/STP Bulandshahr/2023-24

दिनांक:

23/11/23

सेवा मे,

जिलाधिकारी,
जनपद-बुलन्दशहर
मो0 नं0-9454417563

विषय: जनपद-बुलन्दशहर के उल्लंघनकारी एस0टी0पी0 (सूची संलग्न-04 एस0टी0पी0) के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया जनपद-बुलन्दशहर के उल्लंघनकारी एस0टी0पी0 के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के विभिन्न पत्राकों के माध्यम से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (सूची संलग्न-04 एस0टी0पी0), जो इकाई को सम्बोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित है। उक्त पत्रों के माध्यम से एस0टी0पी0 के विरुद्ध सूची में वर्णित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये 15 दिवस में उक्त धनराशि राज्य बोर्ड के निर्धारित खाते में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु संदर्भित एस0टी0पी0 द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि राज्य बोर्ड के खाते में जमा नहीं की गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्न सूची में वर्णित एस0टी0पी0 के समक्ष अंकित अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली करवाते हुये उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या 701502010002104, IFSC कोड UBIN0570150 में जमा करवाने की कार्यवाही करते हुए बोर्ड को सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :-

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बुलन्दशहर मो0 न0 7839891730 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी, बुलन्दशहर से समन्वय स्थापित कर वसूली सम्बन्धी कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करायें।

सदस्य सचिव

07c
22.11.23

जनपद- बुलन्दशहर में एसटीपी के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की सूची					
क्र० सं०	जनपद का नाम	उद्योग/इकाई/संस्थान का नाम व पता जिसके विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है	अधिरोपित पर्या० क्षतिपूर्ति का दिनांक	पत्रांक संदर्भ संख्या	अधिरोपित पर्या० क्षतिपूर्ति की धनराशि (रुपये में)
1		0.805 एम०एल०डी० आहारा रोड, जोन-ए, अनूपशहर, अक्षिशामी अभियंता, निर्माणखण्ड, यू०पी० जल निगम (नगरीय), बुलन्दशहर	29.12.2022	एच 86433 / यू०पी०पी०सी०बी० / सी०एल० / 569 / एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०-ई०सी० / 22 दिनांक 29.12.2022	210000/-
			06.01.2023	एच 86934 / यू०पी०पी०सी०बी० / सी०एल० / 569 / एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०-ई०सी० / 22 दिनांक 06.01.2023	140000/-
2	बुलन्दशहर	1.75 एम०एल०डी०, आहारा रोड, (शिवानंद आश्रम), जोन-बी, अनूपशहर मैसर्स वा-टेक, बाबाग लि०, शक्तिखण्ड-4, इंदिरापुरम, गाजियाबाद	09.12.2022	एच 85405 / यू०पी०पी०सी०बी० / सी०एल० / 569 / एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०-ई०सी० / 22 दिनांक 09.12.2022	150000/-
			29.12.2022	एच 86434 / यू०पी०पी०सी०बी० / सी०एल० / 569 / एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०-ई०सी० / 22 दिनांक 29.12.2022	270000/-
			06.01.2023	एच 86933 / यू०पी०पी०सी०बी० / सी०एल० / 569 / एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०-ई०सी० / 22 दिनांक 06.01.2023	150000/-
			01.02.2023	एच 88120 / यू०पी०पी०सी०बी० / सी०एल० / 569 / एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०-ई०सी० / 22 दिनांक 01.02.2023	60000/-
3		1.5 एम०एल०डी०, अनूपशहर, जोन-ए (एन०जी०आर०बी०ए०) मैसर्स एल०सी० इन्फ्रा प्रा०लि०, 1.5 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, नियर शिवानंद आश्रम, अनूपशहर टाउन (जोन-ए) बुलन्दशहर	05.10.2023	एच 01536 / यू०पी०पी०सी०बी० / सी०एल० / 569 / एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०-ई०सी० / 23 दिनांक 05.10.2023	150000/-
			26.10.2023	एच 02332 / यू०पी०पी०सी०बी० / सी०एल० / 569 / एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०-ई०सी० / 23 दिनांक 26.10.2023	210000/-
4		01 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, जोन-बी०, अनूपशहर मैसर्स एल०सी० इन्फ्रा प्रा०लि०, 1.0 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, नियर-सोहमताऊ आश्रम, अनूपशहर टाउन (जोन-बी) बुलन्दशहर	05.10.2023	एच 01537 / यू०पी०पी०सी०बी० / सी०एल० / 569 / एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०-ई०सी० / 23 दिनांक 05.10.2023	70000/-
			26.10.2023	एच 02335 / यू०पी०पी०सी०बी० / सी०एल० / 569 / एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०-ई०सी० / 23 दिनांक 26.10.2023	220000/-
कुल अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (रुपये में)					1630000/- (रु० सोलह लाख तीस हजार मात्र)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या: 403040

UPPCB/CL/646/STP ALIGARH (KASGANJ)/23-24

दिनांक: 17/1/23

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद- कासगंज,
मो० नं०-9454417516

विषय: जनपद- कासगंज के उल्लंघनकारी 15 एम०एल०डी०, एस०टी०पी०, कासगंज, अलीगढ़ के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया जनपद- कासगंज के उल्लंघनकारी 15 एम०एल०डी०, एस०टी०पी०, कासगंज के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या- एच 86442/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/एस०टी०पी० & सी०ई०टी०पी०- ई०सी०/22 दिनांक 29.12.2022 के माध्यम से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो एस०टी०पी० को सम्बोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित है। उक्त पत्र के माध्यम से एस०टी०पी० के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये 15 दिवस में उक्त धनराशि राज्य बोर्ड के निर्धारित खाते में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु संदर्भित एस०टी०पी० द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि राज्य बोर्ड के खाते में जमा नहीं की गयी है। उक्त डिफाल्टर एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन उपरान्त विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	जनपद का नाम	उद्योग/इकाई/संस्थान का नाम व पता जिसके विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है	अधिरोपित पर्या० क्षतिपूर्ति का दिनांक	अधिरोपित पर्या० क्षतिपूर्ति की धनराशि (रूपये में)
1	कासगंज	15 एम०एल०डी०, कासगंज, अलीगढ़ अधिशाषी अभियंता, यू०पी० जल निगम, कासगंज, अलीगढ़	29.12.2022	100000/-
कुल अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (रूपये में)				100000/- (रु० एक लाख मात्र)

अतः आपसे अनुरोध है कि वर्णित एस०टी०पी० के समक्ष अंकित अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु० 100000/- (रु० एक लाख मात्र) की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली करवाते हुये उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या 701502010002104, IFSC कोड UBIN0570150 में जमा करवाने की कार्यवाही करते हुए बोर्ड को सूचित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय

A

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ (मो० न० 9454417513) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी, कासगंज से समन्वय स्थापित कर वसूली सम्बन्धी कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करायें।

A

सदस्य सचिव



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या: UPPCB/CL/657/345MLD STP Lucknow/2023

दिनांक:

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद-लखनऊ
मो० नं०-9415005000

विषय: जनपद-लखनऊ के उल्लंघनकारी एस०टी०पी० (सूची संलग्न-04 एस०टी०पी०) के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया जनपद-लखनऊ के उल्लंघनकारी एस०टी०पी० के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के विभिन्न पत्राकों के माध्यम से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (सूची संलग्न-04 एस०टी०पी०), जो इकाई को सम्बोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित है। उक्त पत्रों के माध्यम से एस०टी०पी० के विरुद्ध सूची में वर्णित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये 15 दिवस में उक्त धनराशि राज्य बोर्ड के निर्धारित खाते में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु संदर्भित एस०टी०पी० द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि राज्य बोर्ड के खाते में जमा नहीं की गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्न सूची में वर्णित एस०टी०पी० के समक्ष अंकित अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली करवाते हुये उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या 701502010002104 IFSC कोड UBIN0570150 में जमा करवाने की कार्यवाही करते हुए बोर्ड को सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय

sk
(संजीव कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :

क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, मो० न० 7839891696 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी, लखनऊ से समन्वय स्थापित कर वसूली सम्बन्धी कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करायें।

sk
सदस्य सचिव

जनपद-लखनऊ में एसटीपी के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की सूची					
क्र. सं.	जनपद का नाम	इकाई/संस्थान का नाम व पता जिसके विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है।	अधिरोपित पर्याप्त क्षतिपूर्ति का दिनांक	संदर्भ संख्या	अधिरोपित पर्याप्त क्षतिपूर्ति की धनराशि (रुपये में)
1	लखनऊ	345, एमएलडी एसटीपी, भरवारा, लखनऊ। मेसर्स सुएज इण्डिया, प्राइवेट लिमिटेड, टाइटेनियम शालीमार कॉर्पोरेट पार्क, 704,705-ए0, 705-बी पिकअप बिल्डिंग रोड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।	09.12.2022	एच 85403 / यू0पी0सी0वी0 / सी0एल0 / 569 / एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0 / 22 दिनांक 09.12.2022	5,25,000/-
			06.01.2023	एच 86926 / यू0पी0पी0सी0वी0 / सी0एल0 / 569 / एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0 / 22 दिनांक 06.01.2023	5,25,000/-
			01.02.2023	एच 88126 / यू0पी0पी0सी0वी0 / सी0एल0 / 569 / एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0 / 22 दिनांक 01.02.2023	7,87,500/-
			01.03.2023	एच 90119 / यू0पी0पी0सी0वी0 / सी0एल0 / 569 / एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0 / 22 दिनांक 01.03.2023	4,87,500/-
2	लखनऊ	56 एमएलडी एसटीपी, दौलतगंज, लखनऊ। मेसर्स सुएज इण्डिया, प्राइवेट लिमिटेड, टाइटेनियम शालीमार कॉर्पोरेट पार्क, 704,705-ए0, 705-बी पिकअप बिल्डिंग रोड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।	09.12.2022	एच 85401 / यू0पी0पी0सी0वी0 / सी0एल0 / 569 / एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0 / 22 दिनांक 09.12.2022	5,25,000/-
			06.01.2023	एच 86924 / यू0पी0पी0सी0वी0 / सी0एल0 / 569 / एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0 / 22 दिनांक 06.01.2023	5,25,000/-
			01.02.2023	एच 88127 / यू0पी0पी0सी0वी0 / सी0एल0 / 569 / एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0 / 22 दिनांक 01.02.2023	7,87,500/-
			01.03.2023	एच 90118 / यू0पी0पी0सी0वी0 / सी0एल0 / 569 / एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0 / 22 दिनांक 01.03.2023	4,87,500/-
3		37.5 एमएलडी एसटीपी, आवास विकास परियोजना, लखनऊ। मेसर्स एस0एन0 एनवायरोटेक प्राइवेट लिमिटेड, एफ- 90 / 32, ओखला इंडस्ट्रियल ऐरिया फेज-1, नई दिल्ली।	09.12.2022	एच 85400 / यू0पी0पी0सी0वी0 / सी0एल0 / 569 / एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0 / 22 दिनांक 09.12.2022	9,37,500/-
4	लखनऊ	6.5 एमएलडी एसटीपी, आवास विकास परियोजना, लखनऊ। मेसर्स आर0सी0सी0 डेवलपर्स लिमिटेड, 109, सिटी सेन्टर, बच्चा पार्क, मेरठ।	09.12.2022	एच 85399 / यू0पी0पी0सी0वी0 / सी0एल0 / 569 / एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0 / 22 दिनांक 09.12.2022	7,00,000/-
			29.12.2022	एच 86439 / यू0पी0पी0सी0वी0 / सी0एल0 / 569 / एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0 / 22 दिनांक 29.12.2022	5,50,000/-
			06.01.2023	एच 86925 / यू0पी0पी0सी0वी0 / सी0एल0 / 569 / एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0 / 22 दिनांक 06.01.2023	7,00,000/-
			01.02.2023	एच 88128 / यू0पी0पी0सी0वी0 / सी0एल0 / 569 / एस0टी0पी0 & सी0ई0टी0पी0- ई0सी0 / 22 दिनांक 01.02.2023	3,25,000/-
कुल अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति					78,62,500/-

Hosh

A.P.

A.P.

A.P.



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं.
Ref... 1184654 / STP/CL/235 / 2021-2022 vol-1

दिनांक
Date ... 3-10-22

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक, (नगरीय)
उ०प्र० जल निगम,
6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ
उ०प्र०।

प्रबन्ध निदेशक, (ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम,
6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ,
उ०प्र०।

आवास आयुक्त,
उ०प्र० आवास विकास परिषद,
लखनऊ।

विषय: सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लांट (एस०टी०पी०) से जनित उत्प्रवाह को मानकों के अनुरूप शोधित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लांट (एस०टी०पी०) से उत्प्रवाह निस्तारण के सम्बन्ध में सम्बन्धित जलगुणता के प्रचालको हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं तथा एस०टी०पी० से निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह का शोधन निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाना अनिवार्य किया गया है। अग्रेतर यह भी अवगत कराना है कि मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन/अध्यक्ष, राज्य गंगा समिति की अध्यक्षता में गठित उ०प्र० राज्य गंगा समिति एवं गवर्निंग काउन्सिल की दिनांक 09.11.2021 को सम्पन्न बैठक की सम्बन्ध में जारी कार्यवृत्त दिनांक 02.12.2021 की अन्तर्गत मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन द्वारा निर्देश दिये गये थे कि "उ०प्र० में संचालित एस०टी०पी० के माध्यम से शोधित सीवेज में फीकल कॉलीफार्म/टोटल कॉलीफार्म मानक के अनुरूप शोधित नहीं किया जा रहा है। ऐसे शोधित संयंत्रों के शोधित सीवेज की जांच करायी जायें।" मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु बोर्ड के पत्र दिनांक 11.02.2022 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत आपको निर्देश जारी किये गये।

उक्त के अनुक्रम में आपको पुनः अवगत कराना है कि सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लांट से जनित उत्प्रवाह का शोधन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तत्सम्बन्ध में निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने का कष्ट करें। कृपया अवगत होना चाहे कि बोर्ड द्वारा एस०टी०पी० से निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह के नमूनों का एकत्रण प्रत्येक सप्ताह किया जा रहा है। एकत्रित नमूनों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर सम्बन्धित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाईडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व सम्बन्धित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

भवदीय

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव महोदय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,2,3,4,5,6,7 एवं केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस निर्देश के साथ कि तत्सम्बन्ध में अनुपालन सुनिश्चित करें।

o/c Ak...

सदस्य सचिव

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ- 226010
दूरभाष 522-2720831,
फैक्स 0522 - 2720764, 2720675
ई-मेल info@uppcb.com
वेबसाइट www.unpcb.com

T. C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow - 226010
Phone : 0522-2720831, 2720828
Fax : 0522 - 2720764
Email : info@uppcb.com
Web Site : www.unpcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. 39615 / Uppcb/CL/569/STP&CETP-EC/22

दिनांक

Date 05/12/22

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग
601, बापू भवन, उ०प्र० शासन,
लखनऊ।

विषय: सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लांट (एस०टी०पी०) से जनित उत्प्रवाह को मानकों के अनुरूप शोधित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करना चाहें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लांट (एस०टी०पी०) से उत्प्रवाह निस्तारण के सम्बन्ध में सम्बन्धित जलगुणता के प्रचलको हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं तथा एस०टी०पी० से निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह का शोधन निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाना अनिवार्य किया गया है। अग्रतर यह भी अवगत कराना है कि मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन/अध्यक्ष, राज्य गंगा समिति की अध्यक्षता में गठित उ०प्र० राज्य गंगा समिति एवं गवर्निंग काउन्सिल की दिनांक 09.11.2021 को सम्पन्न बैठक की सम्बन्ध में जारी कार्यवृत्त दिनांक 02.12.2021 की अन्तर्गत मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन द्वारा निर्देश दिये गये थे कि "उ०प्र० में संचालित एस०टी०पी० के माध्यम से शोधित सीवेज में फीकल कॉलीफार्म/टोटल कॉलीफार्म मानक के अनुरूप शोधित नहीं किया जा रहा है। ऐसे शोधित संयंत्रों के शोधित सीवेज की जांच करायी जायें"।

उक्त के अनुक्रम में आपको अवगत कराना है कि सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लांट से जनित उत्प्रवाह का शोधन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तत्सम्बन्ध में निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने का कष्ट करें। कृपया अवगत होना चाहे कि बोर्ड द्वारा एस०टी०पी० से निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह के नमूनों का एकत्रण प्रत्येक सप्ताह किया जा रहा है। एकत्रित नमूनों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर सम्बन्धित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गार्डइलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी।

भवदीय

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनाार्थ प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव महोदय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,2,3,4,5,6,7 एवं केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस निर्देश के साथ कि तत्सम्बन्ध में अनुपालन सुनिश्चित करें।


सदस्य सचिव

टी.सी.-12वीं, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ- 226010
दूरभाष 522-2720831,
फैक्स 0522-2720764, 2720676
ई-मेल info@uppecb.com
वेबसाइट www.unpcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow - 226010
Phone : 0522-2720831, 2720828
Fax : 0522-2720764
Email : info@uppecb.com
Web Site : www.unpcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTARPRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. 67396/16 | oppcb | CL/569 | STPB CETP-EC/22

दिनांक

Date 05/12/22

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
आवास
509, पंचम तल, लोक भवन,
सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ।
लखनऊ।

विषय: सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लांट (एस0टी0पी0) से जनित उत्प्रवाह को मानकों के अनुरूप शोधित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करना चाहें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लांट (एस0टी0पी0) से उत्प्रवाह निस्तारण के सम्बन्ध में सम्बन्धित जलगुणता के प्रचालको हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं तथा एस0टी0पी0 से निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह का शोधन निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाना अनिवार्य किया गया है। अग्रेतर यह भी अवगत कराना है कि मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन/अध्यक्ष, राज्य गंगा समिति की अध्यक्षता में गठित उ0प्र0 राज्य गंगा समिति एवं गवर्निंग काउन्सिल की दिनांक 09.11.2021 को सम्पन्न बैठक की सम्बन्ध में जारी कार्यवृत्त दिनांक 02.12.2021 की अन्तर्गत मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्देश दिये गये थे कि "उ0प्र0 में संचालित एस0टी0पी0 के माध्यम से शोधित सीवेज में फीकल कॉलीफार्म/टोटल कॉलीफार्म मानक के अनुरूप शोधित नहीं किया जा रहा है। ऐसे शोधित संयंत्रों के शोधित सीवेज की जांच करायी जाये"।

उक्त के अनुक्रम में आपको अवगत कराना है कि सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लांट से जनित उत्प्रवाह का शोधन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तत्सम्बन्ध में निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने का कष्ट करें। कृपया अवगत होना चाहे कि बोर्ड द्वारा एस0टी0पी0 से निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह के नमूनों का एकत्रण प्रत्येक सप्ताह किया जा रहा है। एकत्रित नमूनों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर सम्बन्धित एस0टी0पी0 पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गार्डहोल्डिंग्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी।

भवदीय

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव महोदय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,2,3,4,5,6,7 एवं केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस निर्देश के साथ कि तत्सम्बन्ध में अनुपालन सुनिश्चित करें।

A
सदस्य सचिव

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ- 226010
दूरभाष 522-2720831,
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676
ई-मेल info@uppcb.com
वेबसाइट www.unpcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow - 226010
Phone : 0522-2720831, 2720828
Fax : 0522 - 2720764
Email : info@uppcb.com
Web Site : www.unpcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref..... 39.6/17 /uppcb/CL/SCG/STP&CE/ETP/EC/22

दिनांक

Date .05/12/22

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उ०प्र० औद्योगिक एवं अवस्थापना विभाग,
प्रथम तल, ब्लाक-सी, लोक भवन,
सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ।

विषय: सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस०टी०पी०) से जनित उत्प्रवाह को मानकों के अनुरूप शोधित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करना चाहें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस०टी०पी०) से उत्प्रवाह निस्तारण के सम्बन्ध में सम्बन्धित जलगुणता के प्रचालको हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं तथा एस०टी०पी० से निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह का शोधन निर्धारित मानको के अनुरूप किया जाना अनिवार्य किया गया है। अग्रेतर यह भी अवगत कराना है कि मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन/अध्यक्ष, राज्य गंगा समिति की अध्यक्षता में गठित उ०प्र० राज्य गंगा समिति एवं गवर्निंग काउन्सिल की दिनांक 09.11.2021 को सम्पन्न बैठक की सम्बन्ध में जारी कार्यवृत्त दिनांक 02.12.2021 की अन्तर्गत मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन द्वारा निर्देश दिये गये थे कि "उ०प्र० में संचालित एस०टी०पी० के माध्यम से शोधित सीवेज में फीकल कॉलीफार्म/टोटल कॉलीफार्म मानक के अनुरूप शोधित नहीं किया जा रहा है। ऐसे शोधित संयंत्रों के शोधित सीवेज की जांच करायी जायें"।

उक्त के अनुक्रम में आपको अवगत कराना है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जनित उत्प्रवाह का शोधन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तत्सम्बन्ध में निर्धारित मानको के अनुरूप सुनिश्चित करने का कष्ट करें। कृपया अवगत होना चाहे कि बोर्ड द्वारा एस०टी०पी० से निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह के नमूनों का एकत्रण प्रत्येक सप्ताह किया जा रहा है। एकत्रित नमूनों की गुणवत्ता निर्धारित मानको के अनुरूप नहीं पाये जाने पर सम्बन्धित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गार्डडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी।

भवदीय

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव महोदय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1,2,3,4,5,6,7 एवं केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस निर्देश के साथ कि तत्सम्बन्ध में अनुपालन सुनिश्चित करें।

सदस्य सचिव

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ- 226010
दूरभाष 522-2720831,
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676
ई-मेल info@uppcb.com
वेबसाइट www.unpcb.com

T .C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow - 226010
Phone : 0522-2720831, 2720828
Fax : 0522 - 2720764
Email : info@uppcb.com
Web Site : www.unpcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड



UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या **24/1624** /UPPCB/STP/CL/235/22-23(Vol.II)
सेवा में,

दिनांक **16-9-23**

आवास आयुक्त,
उ०प्र० आवास विकास परिषद,
महात्मा गांधी मार्ग,
लखनऊ उ०प्र०।

प्रबन्ध निदेशक (नगरीय)
उ०प्र० जल निगम,
6, राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ उ०प्र०।

प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम,
6, राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ, उ०प्र०।

विषय: सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस०टी०पी०) से जनित उत्प्रवाह में फीकल कॉलीफार्म/टोटल कॉलीफार्म मानकों के अनुरूप शोधित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र संख्या एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22 /वाल्सूम-1 दिनांक 03.10.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के संबंध में पुनः अवगत कराना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस०टी०पी०) से उत्प्रवाह निस्तारण के सम्बन्ध में सम्बन्धित जलगुणता के प्रचालको हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं तथा एस०टी०पी० से निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह का शोधन निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाना अनिवार्य किया गया है। अग्रेतर यह भी अवगत कराना है कि मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन/अध्यक्ष, राज्य गंगा समिति की अध्यक्षता में गठित उ०प्र० राज्य गंगा समिति एवं गवर्निंग काउन्सिल की दिनांक 09.11.2021 को सम्पन्न बैठक के सम्बन्ध में जारी कार्यवृत्त दिनांक 02.12.2021 के अन्तर्गत मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन द्वारा निर्देश दिये गये थे कि "उ०प्र० में संचालित एस०टी०पी० के माध्यम से शोधित सीवेज में फीकल कॉलीफार्म/टोटल कॉलीफार्म मानक के अनुरूप शोधित नहीं किया जा रहा है। ऐसे शोधित संयंत्रों के शोधित सीवेज की जांच करायी जायें।" मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु बोर्ड के पत्र दिनांक 11.02.2022 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत निर्देश जारी किये गये थे।

अवगत कराना है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली की दिनांक 12.09.2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में फीकल कॉलीफार्म/टोटल कॉलीफार्म प्रचालकों का मानकों के अनुरूप न पाये जाने पर अंसतोष व्यक्त किया गया।

उक्त के अनुक्रम में आपको पुनः अवगत कराना है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस०टी०पी०) से जनित उत्प्रवाह का शोधन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तत्सम्बन्ध में निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने का कष्ट करें तथा जिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के शोधित उत्प्रवाह में फीकल कॉलीफार्म/टोटल कॉलीफार्म के शुद्धीकरण की व्यवस्था नहीं है, उन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को उच्चिकृत कर निर्धारित मानकों को प्राप्त किये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करना चाहेंगे।

कृपया अवगत होना चाहे कि बोर्ड द्वारा एस०टी०पी० से निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह के नमूनों का एकत्रण प्रत्येक सप्ताह किया जा रहा है। एकत्रित नमूनों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर सम्बन्धित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाईडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व सम्बन्धित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव महोदय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त - 1,2,3,4,5,6,7 एवं केन्द्रीय प्रयोगशाला उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस निर्देश के साथ कि तत्सम्बन्ध में अनुपालन सुनिश्चित करें।

सदस्य सचिव



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड



UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या /UPPCB/STP/CL/235/22-23(Vol.II)
सेवा में,

दिनांक: 15-9-23

प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग,
601, बापू भवन, उ०प्र० शासन
लखनऊ।

विषय: सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लान्ट (एस०टी०पी०) से जनित उत्प्रावाह में फीकल कॉलीफार्म/टोटल कॉलीफार्म मानकों के अनुरूप शोधित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र संख्या जी 39615/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/STP& CETP-EC/22 दिनांक 05.12.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के संबंध में पुनः अवगत कराना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लान्ट (एस०टी०पी०) से उत्प्रावाह निस्तारण के सम्बन्ध में सम्बन्धित जलगुणता के प्रचालको हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं तथा एस०टी०पी० से निस्तारित होने वाले उत्प्रावाह का शोधन निर्धारित मानको के अनुरूप किया जाना अनिवार्य किया गया है। अग्रेतर यह भी अवगत कराना है कि मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन/अध्यक्ष, राज्य गंगा समिति की अध्यक्षता में गठित उ०प्र० राज्य गंगा समिति एवं गवर्निंग काउन्सिल की दिनांक 09.11.2021 को सम्पन्न बैठक के सम्बन्ध में जारी कार्यवृत्त दिनांक 02.12.2021 के अन्तर्गत मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन द्वारा निर्देश दिये गये थे कि "उ०प्र० में संचालित एस०टी०पी० के माध्यम से शोधित सीवेज में फीकल कॉलीफार्म/टोटल कॉलीफार्म मानक के अनुरूप शोधित नहीं किया जा रहा है। ऐसे शोधित संयंत्रों के शोधित सीवेज की जांच करायी जायें।" मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु बोर्ड के पत्र दिनांक 11.02.2022 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत निर्देश जारी किये गये थे।

अवगत कराना है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली की दिनांक 12.09.2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में फीकल कॉलीफार्म/टोटल कॉलीफार्म प्रचालकों का मानकों के अनुरूप न पाये जाने पर असंतोष व्यक्त किया गया।

उक्त के अनुक्रम में आपको पुनः अवगत कराना है कि सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लान्ट (एस०टी०पी०) से जनित उत्प्रावाह का शोधन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तत्सम्बन्ध में निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने का कष्ट करें तथा जिन सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लांट के शोधित उत्प्रावाह में फीकल कॉलीफार्म/टोटल कॉलीफार्म के शुद्धीकरण की व्यवस्था नहीं है, उन सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लांट को उच्चिकृत कर निर्धारित मानकों को प्राप्त किये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करना चाहेंगे।

कृपया अवगत होना चाहे कि बोर्ड द्वारा एस०टी०पी० से निस्तारित होने वाले उत्प्रावाह के नमूनों का एकत्रण प्रत्येक सप्ताह किया जा रहा है। एकत्रित नमूनों की गुणवत्ता निर्धारित मानको के अनुरूप नहीं पाये जाने पर सम्बन्धित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गार्डइलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व सम्बन्धित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

भयदीय

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव महोदय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त - 1,2,3,4,5,6,7 एवं केन्द्रीय प्रयोगशाला उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस निर्देश के साथ कि तत्सम्बन्ध में अनुपालन सुनिश्चित करें।

सदस्य सचिव



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या
सेवा में,

G/41622

UPPCB/STP/CL/235/22-23(Vol.II)

दिनांक: 15-9-23

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग,
उ०प्र० शासन,
प्रथम तल, ब्लाक-सी, लोक भवन,
सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ।

विषय: सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस०टी०पी०) से जनित उत्प्रवाह में फीकल कॉलीफार्म/टोटल कॉलीफार्म मानकों के अनुरूप शोधित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र संख्या जी 39617/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/STP& CETP-EC/22 दिनांक 05.12.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के संबंध में पुनः अवगत कराना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस०टी०पी०) से उत्प्रवाह निस्तारण के सम्बन्ध में सम्बन्धित जलगुणता के प्रचालको हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं तथा एस०टी०पी० से निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह का शोधन निर्धारित मानको के अनुरूप किया जाना अनिवार्य किया गया है। अग्रेतर यह भी अवगत कराना है कि मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन/अध्यक्ष, राज्य गंगा समिति की अध्यक्षता में गठित उ०प्र० राज्य गंगा समिति एवं गवर्निंग काउन्सिल की दिनांक 09.11.2021 को सम्पन्न बैठक के सम्बन्ध में जारी कार्यवृत्त दिनांक 02.12.2021 के अन्तर्गत मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन द्वारा निर्देश दिये गये थे कि "उ०प्र० में संचालित एस०टी०पी० के माध्यम से शोधित सीवेज में फीकल कॉलीफार्म/टोटल कॉलीफार्म मानक के अनुरूप शोधित नहीं किया जा रहा है। ऐसे शोधित संयंत्रों के शोधित सीवेज की जांच करायी जायें।" मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु बोर्ड के पत्र दिनांक 11.02.2022 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत निर्देश जारी किये गये थे।

अवगत कराना है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली की दिनांक 12.09.2023 को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में फीकल कॉलीफार्म/टोटल कॉलीफार्म प्रचालकों का मानकों के अनुरूप न पाये जाने पर असंतोष व्यक्त किया गया।

उक्त के अनुक्रम में आपको पुनः अवगत कराना है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस०टी०पी०) से जनित उत्प्रवाह का शोधन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तत्सम्बन्ध में निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने का कष्ट करें तथा जिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के शोधित उत्प्रवाह में फीकल कॉलीफार्म/टोटल कॉलीफार्म के शुद्धीकरण की व्यवस्था नहीं है, उन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को उच्चिकृत कर निर्धारित मानकों को प्राप्त किये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करना चाहेंगे।

कृपया अवगत होना चाहे कि बोर्ड द्वारा एस०टी०पी० से निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह के नमूनों का एकत्रण प्रत्येक सप्ताह किया जा रहा है। एकत्रित नमूनों की गुणवत्ता निर्धारित मानको के अनुरूप नहीं पाये जाने पर सम्बन्धित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाईडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व सम्बन्धित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

भवदीय

A

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव महोदय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त - 1,2,3,4,5,6,7 एवं केन्द्रीय प्रयोगशाला उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस निर्देश के साथ कि तत्सम्बन्ध में अनुपालन सुनिश्चित करें।

A

सदस्य सचिव



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड



UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या : **G/41621** /UPPCB/STP/CL/235/22-23(Vol.II)
सेवा में,

दिनांक **15-9-23**

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उ०प्र० शासन,
509, पंचम तल, लोक भवन,
सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ।

विषय: सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लांट (एस०टी०पी०) से जनित उत्प्रवाह में फीकल कॉलीफार्म/टोटल कॉलीफार्म मानकों के अनुरूप शोधित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र संख्या जी 39616/यू०पी०पी०सी०बी०/सी०एल०/569/STP& CETP-EC/22 दिनांक 05.12.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के संबंध में पुनः अवगत कराना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लांट (एस०टी०पी०) से उत्प्रवाह निस्तारण के सम्बन्ध में सम्बन्धित जलगुणता के प्रचालको हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं तथा एस०टी०पी० से निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह का शोधन निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाना अनिवार्य किया गया है। अग्रेतर यह भी अवगत कराना है कि मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन/अध्यक्ष, राज्य गंगा समिति की अध्यक्षता में गठित उ०प्र० राज्य गंगा समिति एवं गवर्निंग काउन्सिल की दिनांक 09.11.2021 को सम्पन्न बैठक के सम्बन्ध में जारी कार्यवृत्त दिनांक 02.12.2021 के अन्तर्गत मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन द्वारा निर्देश दिये गये थे कि "उ०प्र० में संचालित एस०टी०पी० के माध्यम से शोधित सीवेज में फीकल कॉलीफार्म/टोटल कॉलीफार्म मानक के अनुरूप शोधित नहीं किया जा रहा है। ऐसे शोधित संयंत्रों के शोधित सीवेज की जांच करायी जायें।" मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु बोर्ड के पत्र दिनांक 11.02.2022 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत निर्देश जारी किये गये थे।

अवगत कराना है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली की दिनांक 12.09.2023 को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में फीकल कॉलीफार्म/टोटल कॉलीफार्म प्रचालकों का मानकों के अनुरूप न पाये जाने पर असंतोष व्यक्त किया गया।

उक्त के अनुक्रम में आपको पुनः अवगत कराना है कि सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लांट (एस०टी०पी०) से जनित उत्प्रवाह का शोधन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तत्सम्बन्ध में निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने का कष्ट करें तथा जिन सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लांट के शोधित उत्प्रवाह में फीकल कॉलीफार्म/टोटल कॉलीफार्म के शुद्धीकरण की व्यवस्था नहीं है, उन सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लांट को उच्चिकृत कर निर्धारित मानकों को प्राप्त किये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करना चाहेगे।

कृपया अवगत होना चाहे कि बोर्ड द्वारा एस०टी०पी० से निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह के नमूनों का एकत्रण प्रत्येक सप्ताह किया जा रहा है। एकत्रित नमूनों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर सम्बन्धित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गार्डडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व सम्बन्धित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।
संलग्नक- उपरोक्तानुसार

भक्तिय
(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव महोदय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त - 1,2,3,4,5,6,7 एवं केन्द्रीय प्रयोगशाला उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस निर्देश के साथ कि तत्सम्बन्ध में अनुपालन सुनिश्चित करें।।

सदस्य सचिव



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



पंजीकृत

संदर्भ सं- 1109437/सी-4/एनजीटी-70/2024

दिनांक - 13/04/2024

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, आगरा।

यह कि अशुद्धिकृत सीवेज से हो रहे प्रदूषण के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 का संज्ञान लेने का कष्ट करें। उक्त पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् है-

".....We also direct UPPCB to take steps in respect to all local bodies in the State of UP which are discharging untreated sewage or treated water in rivers by taking samples and verify whether effective treatment is being carried out at STPs already installed and same are meeting parameters prescribed under Water Act and rules framed thereunder. A cumulative report in this regard shall be filed by Member Secretary, UPPCB within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF....."

यह कि माननीय एन०जी०टी०, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं-

8.....Before proceeding further, we may also note further order of this Tribunal dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018 directing as follows:

"XII. Directions:

47. We now sum up our directions as follows:

i. 100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP.

ii. Timeline for completing all steps of action plans including completion of setting up STPs and their commissioning till 31.03.2021 in terms of order dated 08.04.2019 in the present case will remain as already directed. In default, compensation will be liable to be paid at the scale laid down in the order of this Tribunal dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 10 lakhs per month per STP....."

यह कि पूर्व में माननीय एन०जी०टी०, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा से प्राप्त आख्या/संस्तुति के दृष्टिगत बोर्ड के पत्रांक-एच०१४२८/सी-४/सा-११-८४७/का०ब०नो०/२०२३, दिनांक २९.०३.२०२३ के द्वारा नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा के विरुद्ध निम्न ८ ड्रेन्स के विरुद्ध रू० ९,३५,००,०००/- मात्र की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया था तथा प्रकरण पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना प्रक्रियाधीन है:-

क्र०सं०	यमुना नदी में मिलने वाले नालों का विवरण	बायोरेमिडियेशन कार्य प्रारम्भ की तिथि	दिनांक ०१.०४.२०२० से बायोरेमिडियेशन का कार्य प्रारम्भ किये जाने तक कुल (माह) (मा० एन०जी०टी० नं०-५९३/२०१७ पारित आदेश दिनांक २८.०८.२०१९ के अनुसार)	रू० ५.० लाख प्रतिमाह प्रति नाला की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (रू०)
1.	ताज ईस्ट ड्रेन (कोल्हाई)	०१.०२.२०२३	३३	१,६५,००,०००/-
2.	मटोला नाला	०१.१०.२०२०	०६	३०,००,०००/-
3.	वाटर वर्क्स ड्रेन	०१.१०.२०२०	०६	३०,००,०००/-
4.	नरायच ड्रेन	-	३४	१,७०,००,०००/-
5.	भैरो नाला	०१.१०.२०२०	०६	३०,००,०००/-
6.	बूढ़ी का नगला ड्रेन	-	३४	१,७०,००,०००/-
7.	अनुराग नगर ड्रेन	-	३४	१,७०,००,०००/-
8.	पीलाखार ड्रेन	-	३४	१,७०,००,०००/-
कुल पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (रू०) -				९,३५,००,०००/-

.....क०पू०उ०

T.C./12V., Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow - 226010

Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764, Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उपरोक्त के अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा के पत्र संख्या-44/एल-181/2024, दिनांक 13.04.2024 के माध्यम से प्राप्त आख्या/संस्तुति के अनुक्रम में वर्तमान में नगर निगम, आगरा के कार्यक्षेत्र में स्थित 7 Untapped Drains के माध्यम से अशोधित सीवेज सीधे यमुना नदी/सतही जल स्रोत में निरतारित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप भूगर्भ जल/नदी/सतही जल के दूषित होना सम्भावित है। उक्त 7 Untapped Drains का विवरण निम्नवत् है:-

क्र०सं०	अनटैप्ड नाले का नाम	पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की तिथि
1.	इण्डस्ट्रियल एरिया ड्रेन	दि० 01.07.2020 से
2.	पीलाखार ड्रेन	दि० 01.02.2023 से
3.	नरायण ड्रेन	दि० 01.02.2023 से
4.	बूढ़ी का नगला ड्रेन	दि० 01.02.2023 से
5.	बेलनगंज ब्रिज	दि० 01.07.2020 से
6.	बेलनगंज काली मन्दिर ड्रेन	दि० 01.07.2020 से
7.	बेलनगंज पुलिस चौकी ड्रेन	दि० 01.07.2020 से

यह कि उपरोक्त के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा दी गई सूचना दिनांक 13.04.2024 के अनुसार नगर आयुक्त, नगर निगम, जनपद-आगरा के विरुद्ध तालिका में अंकित दिनांक से सीवेज का एस०टी०पी० के माध्यम से शुद्धिकरण होने तक उपरोक्त तालिका-2 में वर्णित 7 Untapped Drains हेतु रुपये 5.0 लाख प्रति ड्रेन प्रतिमाह की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उ०प्र० जल निगम द्वारा दी गई सूचना के आधार पर क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 13.04.2024 के अनुक्रम में जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त नगर आयुक्त, नगर निगम, जनपद-आगरा को निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में नगर आयुक्त, नगर निगम, जनपद-आगरा के विरुद्ध उनके कार्यक्षेत्र में स्थित उपरोक्तानुसार तालिका-क में वर्णित दिनांक से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक 7 Untapped Drains हेतु प्रतिमाह रुपये 5.0 लाख प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्त के 15 दिन के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को प्रेषित करें, अन्यथा की दशा में उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. जिलाधिकारी, आगरा।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नगर आयुक्त, नगर निगम, जनपद-आगरा को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



पंजीकृत

संदर्भ सं०- 1109436 / सी-4/एनजीटी-70/2024

दिनांक- 13/04/2024

सेवा में,

अधिसासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
बुलन्दशहर।

यह कि अशुद्धिकृत सीवेज से हो रहे प्रदूषण के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 का संज्ञान लेने का कष्ट करें। उक्त पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं-

".....We also direct UPPCB to take steps in respect to all local bodies in the State of UP which are discharging untreated sewage or treated water in rivers by taking samples and verify whether effective treatment is being carried out at STPs already installed and same are meeting parameters prescribed under Water Act and rules framed thereunder. A cumulative report in this regard shall be filed by Member Secretary, UPPCB within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF....."

यह कि मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में नगर पालिका परिषद बुलन्दशहर के कार्यक्षेत्र में स्थित 8 Untapped Drains के माध्यम से अशोधित सीवेज सीधे काली नदी/सतही जल स्रोत में निस्तारित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप भूगर्भ जल/नदी/सतही जल के दूषित होना सम्भावित है। उक्त 8 Untapped Drains का विवरण निम्नवत् है:-

क्र०सं०	अनटैप्ड नाले का नाम
1.	आदिल नगर-2
2.	शनिदेव मन्दिर के पीछे
3.	ब्रिज धमेड़ा रोड
4.	चांदबारी रोड
5.	चील घाट
6.	देवीपुरा
7.	कसाईबाड़ा ड्रेन
8.	नरसल घाट ड्रेन

यह कि माननीय एन०जी०टी०, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं-

8.....Before proceeding further, we may also note further order of this Tribunal dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018 directing as follows:

"XII. Directions:

47. We now sum up our directions as follows:

i. 100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP.

.....क०प०उ०

T.C./12V., Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow - 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

ii. Timeline for completing all steps of action plans including completion of setting up STPs and their commissioning till 31.03.2021 in terms of order dated 08.04.2019 in the present case will remain as already directed. In default, compensation will be liable to be paid at the scale laid down in the order of this Tribunal dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 10 lakhs per month per STP....."

यह कि उपरोक्त के अनुपालन में क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बुलन्दशहर द्वारा प्रेषित पत्र सं०-21/ओजी-65/2024, दिनांक 12.04.2024 के अनुसार अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद बुलन्दशहर के विरुद्ध दिनांक-01.07.2020 से सीवेज का एस०टी०पी० के माध्यम से शुद्धिकरण होने तक उक्त वर्णित 8 Untapped Drains हेतु रूपये 5.0 लाख प्रति ड्रेन प्रतिमाह की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उ०प्र० जल निगम द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बुलन्दशहर द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 12.04.2024 के अनुक्रम में जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त नगर अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद बुलन्दशहर के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने से पूर्व निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद बुलन्दशहर के विरुद्ध उनके कार्यक्षेत्र में स्थित उपरोक्तानुसार 8 Untapped Drains हेतु दिनांक 01.07.2020 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक प्रतिमाह रूपये 5.0 लाख प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बुलन्दशहर को प्रेषित करें, अन्यथा की दशा में उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. जिलाधिकारी, बुलन्दशहर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद बुलन्दशहर को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4

o/c
Jr



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ सं- H09451 / सी-6/सो. 876/24

दिनांक:- 13/04/2024

पंजीकृत

सेवा में,

नगर आयुक्त,
वाराणसी नगर निगम,
जनपद-वाराणसी।

C-6

यह कि अशुद्धिकृत सीवेज से हो रहे प्रदूषण के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 का संज्ञान लेना चाहें। उक्त पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं-

".....We also direct UPPCB to take steps in respect to all local bodies in the State of UP which are discharging untreated sewage or treated water in rivers by taking samples and verify whether effective treatment is being carried out at STPs already installed and same are meeting parameters prescribed under Water Act and rules framed thereunder. A cumulative report in this regard shall be filed by Member Secretary, UPPCB within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF....."

यह कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में निम्नलिखित ड्रेन्स के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी के पत्रांक 36/एन0जी0टी0 ओ0ए0 सं0 483/2022/2024-25 दिनांक 04.04.2024 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार वाराणसी नगर निगम, वाराणसी, से जनित अशोधित सीवेज ड्रेन के माध्यम से वरुणा नदी में निस्तारित हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप वरुणा नदी का दूषित होना सम्भावित है।

क्रम सं	ड्रेन का नाम
1.	Durga Drain

यह कि माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं-

8.....Before proceeding further, we may also note further order of this Tribunal dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018 directing as follows:

"XII. Directions:

47. We now sum up our directions as follows:

i. 100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP.

ii. Timeline for completing all steps of action plans including completion of setting up STPs and their commissioning till 31.03.2021 in terms of order dated 08.04.2019 in the present case will remain as already directed. In default, compensation will be liable to be paid at the scale laid down in the order of this Tribunal dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 10 lakhs per month per STP....."

यह कि उपरोक्त के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, वाराणसी द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 04.04.2024 के माध्यम से वाराणसी नगर निगम वाराणसी के विरुद्ध दिनांक-01.07.2020 से सीवेज का एस0टी0पी0 के माध्यम से शुद्धिकरण होने तक उपरोक्त वर्णित ड्रेन जो कि अनटैप्ड अथवा पार्शियली टैप्ड हैं, हेतु रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

.....कृ०पृ०उ०

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010

Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764

Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उ०प्र० जल निगम द्वारा दी गई सूचना के आधार पर क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा आख्या के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी अनुमोदनोपरान्त वाराणसी नगर निगम वाराणसी द्वारा नगर आयुक्त के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है।

यह कि क्यों न मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में वाराणसी नगर निगम वाराणसी के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैंड नालों से वरुणा नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा वाराणसी नगर निगम वाराणसी के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रुपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी को प्रेषित करें, अन्यथा की दशा में उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत
भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-6

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, वाराणसी।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नगर आयुक्त, वाराणसी नगर निगम वाराणसी को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-6



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ सं- H09453/सी-6/ली-876/24

दिनांक:- 13/04/2024
पंजीकृत

सेवा में,

अधिकाारी, नगर पालिका परिषद, आजमगढ़,
जनपद-आजमगढ़।

यह कि अशुद्धिकृत सीवेज से हो रहे प्रदूषण के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 का संज्ञान लेना चाहें। उक्त पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं-

".....We also direct UPPCB to take steps in respect to all local bodies in the State of UP which are discharging untreated sewage or treated water in rivers by taking samples and verify whether effective treatment is being carried out at STPs already installed and same are meeting parameters prescribed under Water Act and rules framed thereunder. A cumulative report in this regard shall be filed by Member Secretary, UPPCB within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF....."

यह कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में निम्नलिखित ड्रेन्स के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़ के पत्रांक 43/नाला/2024-25 दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार नगर पालिका परिषद, आजमगढ़ से जनित अशोधित सीवेज ड्रेन के माध्यम से तमसा नदी में निस्तारित हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप तमसा नदी का दूषित होना सम्भावित है।

क्रम सं	ड्रेन का नाम
1.	Shiv mandir saray, Mandraj, pallini
2.	Narauli U/S drain
3.	Narauli U/S drain
4.	Behind By pass raidarpur drain
5.	Near DAV Degree college Drain
6.	Before Kundanghat Bridge Drain
7.	Dalal ghat Jama masjid Drain
8.	Dharmu drain
9.	Gulami ka pura masjid k paas
10.	Dalalghat Hathiya pul ke
11.	Khairatpur Nala
12.	Grand Hospital Nala
13.	Sidhari Nala Purana Pul
14.	Collectorate Office Nala
15.	Durga Talkies Thandi Road ka nala
16.	Rahul Nagar Madya ka Nala
17.	Kaleem Ganj Nala

.....कृ०पृ०उ०

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

यह कि माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं—

8.....Before proceeding further, we may also note further order of this Tribunal dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2019, directing as follows:

"XII. Directions:

47. We now sum up our directions as follows:

i. 100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP.

ii. Timeline for completing all steps of action plans including completion of setting up STPs and their commissioning till 31.03.2021 in terms of order dated 08.04.2019 in the present case will remain as already directed. In default, compensation will be liable to be paid at the scale laid down in the order of this Tribunal dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 10 lakhs per month per STP....."

यह कि उपरोक्त के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से नगर पालिका परिषद, आजमगढ़ के विरुद्ध दिनांक-01.07.2020 से सीवेज का एस0टी0पी0 के माध्यम से शुद्धिकरण होने तक उपरोक्त वर्णित ड्रेन जो कि अनटैप्ड अथवा पार्शियली टैप्ड हैं, हेतु रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उ0प्र0 जल निगम द्वारा दी गई सूचना के आधार पर क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त नगर पालिका परिषद, आजमगढ़ द्वारा अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है।

यह कि क्यों न मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में नगर पालिका परिषद, आजमगढ़ के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैप्ड नालों से तमसा नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा नगर पालिका परिषद, आजमगढ़ के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़ को प्रेषित करें, अन्यथा की दशा में उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत
भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-6

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, आजमगढ़।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, आजमगढ़ को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-6

संदर्भ सं- 409452/सी-6/साठ०३६/२५

दिनांक:- 13/04/2024

पंजीकृत

सेवा में,

अधिकासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, मऊनाथ भंजन,
जनपद-मऊ।

यह कि अशुद्धिकृत सीवेज से हो रहे प्रदूषण के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 का संज्ञान लेना चाहें। उक्त पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं-

".....We also direct UPPCB to take steps in respect to all local bodies in the State of UP which are discharging untreated sewage or treated water in rivers by taking samples and verify whether effective treatment is being carried out at STPs already installed and same are meeting parameters prescribed under Water Act and rules framed thereunder. A cumulative report in this regard shall be filed by Member Secretary, UPPCB within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF....."

यह कि मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में निम्नलिखित ड्रेन्स के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़ के पत्रांक 43/नाला/2024-25 दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार नगर पालिका परिषद, मऊनाथ भंजन से जनित अशोधित सीवेज ड्रेन के माध्यम से तमसा नदी में निस्तारित हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप तमसा नदी का दूषित होना सम्भावित है।

क्रम सं	ड्रेन का नाम
1.	Bheeti Vadi Kot
2.	Bheeti Vadi Kot - 01
3.	Bheeti PWD Bridge
4.	Bheeti PWD Bridge - 01
5.	Bheeti PWD Bridge 02
6.	Sati Ghat
7.	Aurangabad Khatik Tola Nanhora
8.	Aurangabad Idgah
9.	Navpura Paschim
10.	Belava Ghat

यह कि माननीय एन०जी०टी०, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं-

8.....Before proceeding further, we may also note further order of this Tribunal dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018 directing as follows:

"XII. Directions:

47. We now sum up our directions as follows:

i. 100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP.

.....क०प०उ०

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010

Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764

Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



ii. Timeline for completing all steps of action plans including completion of setting up STPs and their commission. 31.03.2021 in terms of order dated 08.04.2019 in the present case will remain as already directed. In default, compensation be liable to be paid at the scale laid down in the order of this Tribunal dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 1. lakhs per month per STP.....”

यह कि उपरोक्त के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से नगर पालिका परिषद, मऊनाथ भंजन के विरुद्ध दिनांक-01.07.2020 से सीवेज का एस0टी0पी0 के माध्यम से शुद्धिकरण होने तक उपरोक्त वर्णित ड्रेन जो कि अनटैप्ड अथवा पार्शियली टैप्ड हैं, हेतु रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उ0प्र0 जल निगम द्वारा दी गई सूचना के आधार पर क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त नगर पालिका परिषद, मऊनाथ भंजन द्वारा अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है।

यह कि क्यों न मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में नगर पालिका परिषद, मऊनाथ भंजन के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैप्ड नालों से तमसा नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा नगर पालिका परिषद, मऊनाथ भंजन के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़ को प्रेषित करें, अन्यथा की दशा में उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, मऊ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मऊनाथ भंजन को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-



4189
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ सं- 1109455/सी-6/सा 876/24

दिनांक:- 13/04/2024
पंजीकृत

सेवा में,

अधिकासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, बलिया,
जनपद-बलिया।

यह कि अशुद्धिकृत सीवेज से हो रहे प्रदूषण के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 का संज्ञान लेना चाहें। उक्त पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं-

".....We also direct UPPCB to take steps in respect to all local bodies in the State of UP which are discharging untreated sewage or treated water in rivers by taking samples and verify whether effective treatment is being carried out at STPs already installed and same are meeting parameters prescribed under Water Act and rules framed thereunder. A cumulative report in this regard shall be filed by Member Secretary, UPPCB within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF....."

यह कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में निम्नलिखित ड्रेन्स के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़ के पत्रांक 43/नाला/2024-25 दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार नगर पालिका परिषद, बलिया से जनित अशोधित सीवेज ड्रेन के माध्यम से गंगा नदी में निस्तारित हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप गंगा नदी का दूषित होना सम्भावित है।

क्रम सं	ड्रेन का नाम
1.	Kathar Nala at the around of Ballia city

यह कि माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं-

8.....Before proceeding further, we may also note further order of this Tribunal dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018 directing as follows:

"XII. Directions:

47. We now sum up our directions as follows:

i. 100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP.

ii. Timeline for completing all steps of action plans including completion of setting up STPs and their commissioning till 31.03.2021 in terms of order dated 08.04.2019 in the present case will remain as already directed. In default, compensation will be liable to be paid at the scale laid down in the order of this Tribunal dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 10 lakhs per month per STP....."

यह कि उपरोक्त के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से नगर पालिका परिषद, बलिया के विरुद्ध दिनांक-01.07.2020 से सीवेज का एस0टी0पी0 के माध्यम से शुद्धिकरण होने तक उपरोक्त वर्णित ड्रेन जो कि अनटैप्ड अथवा पार्शियली टैप्ड हैं, हेतु रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

/

.....कृ०पृ०उ०

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उ०प्र० जल निगम द्वारा दी गई सूचना के आधार पर क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा आख्या के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी अनुमोदनोपरान्त नगर पालिका परिषद, बलिया द्वारा अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिनियम किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है।

यह कि क्यों न मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में नगर पालिका परिषद, बलिया के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैप्ड नालों से गंगा नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा नगर पालिका परिषद, बलिया के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रुपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रॉ ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़ को प्रेषित करें, अन्यथा की दशा : उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-6

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, बलिया।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बलिया को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-6

4191
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ सं- H09456/सी-6/सां-876/24

दिनांक:- 13/04/2024
पंजीकृत

सेवा में,
अधिकांसी अधिकारी,
नगर पंचायत, बड़हलगंज
जनपद-गोरखपुर।

यह कि अशुद्धिकृत सीवेज से हो रहे प्रदूषण के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 का संज्ञान लेना चाहें। उक्त पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं-

".....We also direct UPPCB to take steps in respect to all local bodies in the State of UP which are discharging untreated sewage or treated water in rivers by taking samples and verify whether effective treatment is being carried out at STPs already installed and same are meeting parameters prescribed under Water Act and rules framed thereunder. A cumulative report in this regard shall be filed by Member Secretary, UPPCB within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF....."

यह कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में निम्नलिखित ड्रेन्स के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर के पत्रांक 65/सां0-345/2024 दिनांक 10.04.2024 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार नगर पंचायत, बड़हलगंज, जनपद-गोरखपुर से जनित अशोधित सीवेज ड्रेन के माध्यम से घाघरा नदी में निस्तारित हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप घाघरा नदी का दूषित होना सम्भावित है।

क्रम सं	ड्रेन का नाम
1.	Kanoongo ghat drain, Barhalganj

यह कि माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं-

8.....Before proceeding further, we may also note further order of this Tribunal dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018 directing as follows:

"XII. Directions:

47. We now sum up our directions as follows:

i. 100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP.

ii. Timeline for completing all steps of action plans including completion of setting up STPs and their commissioning till 31.03.2021 in terms of order dated 08.04.2019 in the present case will remain as already directed. In default, compensation will be liable to be paid at the scale laid down in the order of this Tribunal dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 10 lakhs per month per STP....."

यह कि उपरोक्त के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, गोरखपुर द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 10.04.2024 के माध्यम से नगर पंचायत, बड़हलगंज, जनपद-गोरखपुर के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीवेज का एस0टी0पी0 के माध्यम से शुद्धिकरण होने तक उपरोक्त वर्णित ड्रेन जो कि अनटैप्ड अथवा पार्शियली टैप्ड हैं, हेतु रुपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उ०प्र० जल निगम द्वारा दी गई सूचना के आधार पर क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा आख्या के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी अनुमोदनोपरान्त नगर पंचायत, बड़हलगंज, जनपद-गोरखपुर द्वारा अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है।

यह कि क्यों न मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में नगर पंचायत, बड़हलगंज, जनपद-गोरखपुर के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैप्ड नालों से घाघरा नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा नगर पंचायत, बड़हलगंज, जनपद-गोरखपुर के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को प्रेषित करें, अन्यथा की दशा में उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत
भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-6

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, गोरखपुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, बड़हलगंज, जनपद-गोरखपुर को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-6



4193
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ सं- 1109454/सी-6/सी 876/24

दिनांक:- 13/04/2024
पंजीकृत

सेवा में,

अधिसासी अधिकारी,
नगर पंचायत, दोहरीघाट,
जनपद-मऊ।

यह कि अशुद्धिकृत सीवेज से हो रहे प्रदूषण के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 का संज्ञान लेना चाहें। उक्त पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं-

".....We also direct UPPCB to take steps in respect to all local bodies in the State of UP which are discharging untreated sewage or treated water in rivers by taking samples and verify whether effective treatment is being carried out at STPs already installed and same are meeting parameters prescribed under Water Act and rules framed thereunder. A cumulative report in this regard shall be filed by Member Secretary, UPPCB within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF....."

यह कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में निम्नलिखित ड्रेन्स के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़ के पत्रांक 43/नाला/2024-25 दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार नगर पंचायत, दोहरीघाट, से जनित अशोधित सीवेज ड्रेन के माध्यम से घाघरा नदी में निस्तारित हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप घाघरा नदी का दूषित होना सम्भावित है।

क्रम सं	ड्रेन का नाम
1.	Nawapura Ahirauti

यह कि माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं-

8.....Before proceeding further, we may also note further order of this Tribunal dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018 directing as follows:

"XII. Directions:

47. We now sum up our directions as follows:

i. 100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP.

ii. Timeline for completing all steps of action plans including completion of setting up STPs and their commissioning till 31.03.2021 in terms of order dated 08.04.2019 in the present case will remain as already directed. In default, compensation will be liable to be paid at the scale laid down in the order of this Tribunal dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 10 lakhs per month per STP....."

यह कि उपरोक्त के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से नगर पंचायत, दोहरीघाट के विरुद्ध दिनांक-01.07.2020 से सीवेज का एस0टी0पी0 के माध्यम से शुद्धिकरण होने तक उपरोक्त वर्णित ड्रेन जो कि अनटैप्ड अथवा पार्शियली टैप्ड हैं, हेतु रुपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

.....कृ०पृ०उ०

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उ०प्र० जल निगम द्वारा दी गई सूचना के आधार पर क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा आख्या के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी अनुमोदनोपरान्त नगर पंचायत, दोहरीघाट द्वारा अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है।

यह कि क्यों न मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में नगर पंचायत, दोहरीघाट के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैंड नालों से घाघरा नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्सवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा नगर पंचायत, दोहरीघाट के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रुपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़ को प्रेषित करें, अन्यथा की दशा में उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत
भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, मऊ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, दोहरीघाट को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ सं- 409595 / सी-6/सकाय- 076/2024

दिनांक- 15/04/24
पंजीकृत

सेवा में,
अधिकासी अधिकारी,
नगर पंचायत, मगहर,
जनपद-संतकबीर नगर।

यह कि अशुद्धिकृत सीवेज से हो रहे प्रदूषण के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 का संज्ञान लेना चाहें। उक्त पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं-

".....We also direct UPPCB to take steps in respect to all local bodies in the State of UP which are discharging untreated sewage or treated water in rivers by taking samples and verify whether effective treatment is being carried out at STPs already installed and same are meeting parameters prescribed under Water Act and rules framed thereunder. A cumulative report in this regard shall be filed by Member Secretary, UPPCB within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF....."

यह कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में निम्नलिखित ड्रेन्स के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती के पत्रांक 34/सा0-11/न0ठो0अ0/बस्ती/2024 दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार नगर पंचायत, मगहर, जनपद-संतकबीर नगर से जनित अशोधित सीवेज ड्रेन के माध्यम से आमी नदी में निस्तारित हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप आमी नदी का दूषित होना सम्भावित है।

क्रम सं	ड्रेन का नाम
1.	Magahar Nala, Kabir Chaurha
2.	Nagar Panchyat Magahr Nala, Near Rail Bridge

यह कि माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं-

8.....Before proceeding further, we may also note further order of this Tribunal dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018 directing as follows:

"XII. Directions:

47. We now sum up our directions as follows:

i. 100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP.

ii. Timeline for completing all steps of action plans including completion of setting up STPs and their commissioning till 31.03.2021 in terms of order dated 08.04.2019 in the present case will remain as already directed. In default, compensation will be liable to be paid at the scale laid down in the order of this Tribunal dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 10 lakhs per month per STP....."

यह कि उपरोक्त के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, बस्ती द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से नगर पंचायत, मगहर, जनपद-संतकबीर नगर के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीवेज का एस0टी0पी0 के माध्यम से शुद्धिकरण होने तक उपरोक्त वर्णित ड्रेन जो कि अनटैप्ड अथवा पार्शियली टैप्ड हैं, हेतु रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।


T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उ०प्र० जल निगम द्वारा दी गई सूचना के आधार पर क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त नगर पंचायत, मगहर, जनपद-संतकबीर नगर द्वारा अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है।

यह कि क्यों न मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में नगर पंचायत, मगहर, जनपद-संतकबीर नगर के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैप्ड नालों से आमी नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा नगर पंचायत, मगहर, जनपद-संतकबीर नगर के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रुपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।


उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती को प्रेषित करें, अन्यथा की दशा में उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत
भवदीय,


मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-6

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, संतकबीर नगर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, मगहर, जनपद-संतकबीर नगर को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-6



संदर्भ सं०-109527/सी-6/सा० 876/2024

दिनांक:-15-04-24

पंजीकृत

सेवा में,

अधिसासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद,
जनपद-संतकबीर नगर।

यह कि अशुद्धिकृत सीवेज से हो रहे प्रदूषण के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 का संज्ञान लेना चाहें। उक्त पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं-

".....We also direct UPPCB to take steps in respect to all local bodies in the State of UP which are discharging untreated sewage or treated water in rivers by taking samples and verify whether effective treatment is being carried out at STPs already installed and same are meeting parameters prescribed under Water Act and rules framed thereunder. A cumulative report in this regard shall be filed by Member Secretary, UPPCB within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF....."

यह कि मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में निम्नलिखित ड्रेन्स के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती के पत्रांक 33/सा०-11/न०००००/बस्ती/2024 दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद, जनपद-संतकबीर नगर से जनित अशोधित सीवेज ड्रेन के माध्यम से आमी नदी में निस्तारित हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप आमी नदी का दूषित होना सम्भावित है।

क्रम सं	ड्रेन का नाम
1.	Sarahi Nala

यह कि माननीय एन०जी०टी०, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं-

8.....Before proceeding further, we may also note further order of this Tribunal dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018 directing as follows:

"XII. Directions:

47. We now sum up our directions as follows:

i. 100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP.

ii. Timeline for completing all steps of action plans including completion of setting up STPs and their commissioning till 31.03.2021 in terms of order dated 08.04.2019 in the present case will remain as already directed. In default, compensation will be liable to be paid at the scale laid down in the order of this Tribunal dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 10 lakhs per month per STP....."

यह कि उपरोक्त के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, बस्ती द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद, जनपद-संतकबीर नगर के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीवेज का एस०टी०पी० के माध्यम से शुद्धिकरण होने तक उपरोक्त वर्णित ड्रेन जो कि अनटैप्ड अथवा पार्शियली टैप्ड हैं, हेतु रुपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।


T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उ०प्र० जल निगम द्वारा दी गई सूचना के आधार पर क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद, जनपद-संतकबीर नगर द्वारा अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है।

यह कि वयों न मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद, जनपद-संतकबीर नगर के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैण्ड नालों से आमी नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद, जनपद-संतकबीर नगर के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती को प्रेषित करें, अन्यथा की दशा में उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत
भवदीय,


मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-6

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, संतकबीर नगर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद, जनपद-संतकबीर नगर को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-6

OL

पत्रांक संख्या- H 09450 / सी-5 / 183 / ओ०ए० नं०-593 / 2017 / 24

दिनांक: 13.04.2024
पंजीकृत

सेवा में,

अधिशारी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, गंगाघाट, शुक्लागंज,
उन्नाव।

C-5

यह कि अशुद्धिकृत सीवेज से हो रहे प्रदूषण के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 का संज्ञान लेना चाहें। उक्त पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् है-

".....We also direct UPPCB to take steps in respect to all local bodies in the State of UP which are discharging untreated sewage or treated water in rivers by taking samples and verify whether effective treatment is being carried out at STPs already installed and same are meeting parameters prescribed under Water Act and rules framed thereunder. A cumulative report in this regard shall be filed by Member Secretary, UPPCB within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF....."

यह कि मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में नालों के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव के पत्रांक-22/सा०-92/2024 दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से प्राप्त कराई गयी सूचना के अनुसार नगर पालिका परिषद, गंगाघाट, शुक्लागंज, उन्नाव से जनित अशोधित सीवेज ड्रेन के माध्यम से गंगा नदी में निस्तारित हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप गंगा नदी का दूषित होना सम्भावित है। गंगा नदी में निस्तारित हो रहे ड्रेन्स का विवरण निम्नवत् है:-

S. No	Name of Drain
1	Railway Bridge Drain
2	Srinagar Drain

यह कि माननीय एन०जी०टी०, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के मुख्य अंश निम्नवत् है-

8.....Before proceeding further, we may also note further order of this Tribunal dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018 directing as follows:

"XII. Directions:

47. We now sum up our directions as follows:

i. 100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP.

ii. Timeline for completing all steps of action plans including completion of setting up STPs and their commissioning till 31.03.2021 in terms of order dated 08.04.2019 in the present case will remain as already directed. In default, compensation will be liable to be paid at the scale laid down in the order of this Tribunal dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 10 lakhs per month per STP....."

....2

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

यह कि उपरोक्त के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, उन्नाव द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से नगर पालिका परिषद, गंगाघाट, शुक्लागंज, उन्नाव के विरुद्ध सीवेज का एस0टी0पी0 के माध्यम से शुद्धिकरण होने तक उपरोक्त 02 ड्रेन जो कि अनटैप्ड हैं पर रुपये 5.0 लाख प्रति ड्रेन प्रतिमाह की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उ0प्र0 जल निगम द्वारा दी गई सूचना के आधार पर तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 12.04.2024 के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, गंगाघाट, शुक्लागंज, उन्नाव को निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

"यह कि क्यों न मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित, ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, गंगाघाट, शुक्लागंज, उन्नाव के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक प्रतिमाह रुपये 5.0 लाख प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।"

उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव को प्रेषित करें, अन्यथा की दशा में उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय,



मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, उन्नाव।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, गंगाघाट, शुक्लागंज, उन्नाव को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर पावती 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।



मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5

१२



पत्रांक संख्या- H 09449 / सी-5 / 184 / ओ0ए0 नं-593 / 2017 / 24

दिनांक: 13.04.2024
पंजीकृत

सेवा में,

अधिसासी अधिकारी,
नगर पंचायत, मानिकपुर,
प्रतापगढ़।

यह कि अशुद्धिकृत सीवेज से हो रहे प्रदूषण के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 का संज्ञान लेना चाहें। उक्त पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं-

".....We also direct UPPCB to take steps in respect to all local bodies in the State of UP which are discharging untreated sewage or treated water in rivers by taking samples and verify whether effective treatment is being carried out at STPs already installed and same are meeting parameters prescribed under Water Act and rules framed thereunder. A cumulative report in this regard shall be filed by Member Secretary, UPPCB within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF....."

यह कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में नालों के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली के पत्रांक-35/जे-5/जी/2024-25 दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से प्राप्त कराई गयी सूचना के अनुसार नगर पंचायत, मानिकपुर, प्रतापगढ़ से जनित अशोधित सीवेज ड्रेन के माध्यम से गंगा नदी में निस्तारित हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप गंगा नदी का दूषित होना सम्भावित है। गंगा नदी में निस्तारित हो रहे ड्रेन्स का विवरण निम्नवत् है:-

S. No	Name of Drain
1	Post office Nala
2	Raja Hela Nala

यह कि माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं-

8.....Before proceeding further, we may also note further order of this Tribunal dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018 directing as follows:

"XII. Directions:

47. We now sum up our directions as follows:

i. 100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP.

ii. Timeline for completing all steps of action plans including completion of setting up STPs and their commissioning till 31.03.2021 in terms of order dated 08.04.2019 in the present case will remain as already directed. In default, compensation will be liable to be paid at the scale laid down in the order of this Tribunal dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 10 lakhs per month per STP....."

....2

यह कि उपरोक्त के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, रायबरेली द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से नगर पंचायत, मानिकपुर, प्रतापगढ़ को विरुद्ध सीवेज का एसओटीपीओ के माध्यम से शुद्धिकरण होने तक उपरोक्त 02 ज़ेन जो कि अनटैप्ड हैं, पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उओप्रओ जल निगम द्वारा दी गई सूचना के आधार पर तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 12.04.2024 के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, मानिकपुर, प्रतापगढ़ को निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

“यह कि क्यों न माओ राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओओएओ संओ-८९३/२०१७ पर्यावरण सुरक्षा समिति व अम्प ब्रानाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, मानिकपुर, प्रतापगढ़ को विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक प्रतिमाह रुपये ८.० लाख प्रति ज़ेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।”

उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, उओप्रओ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उओप्रओ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली को प्रेषित करें, अन्यथा की दशा में उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत
भवदीय,



मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, प्रतापगढ़।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उओप्रओ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, मानिकपुर, प्रतापगढ़ को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर पावती 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5

२

04.2024 के माध्यम
में होने तक



4203
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



पत्रांक संख्या- H 09448 / सी-5 / 184 / ओ0ए0 नं0-593 / 2017 / 24

दिनांक: 13.04.2024
पंजीकृत

सेवा में,

अधिसासी अधिकारी
नगर पंचायत, डलमऊ,
रायबरेली।

यह कि अशुद्धिकृत सीवेज से हो रहे प्रदूषण के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 का संज्ञान लेना चाहें। उक्त पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं-

".....We also direct UPPCB to take steps in respect to all local bodies in the State of UP which are discharging untreated sewage or treated water in rivers by taking samples and verify whether effective treatment is being carried out at STPs already installed and same are meeting parameters prescribed under Water Act and rules framed thereunder. A cumulative report in this regard shall be filed by Member Secretary, UPPCB within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF....."

यह कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में नालों के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली के पत्रांक-35/जे-5/जी/2024-25 दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से प्राप्त कराई गयी सूचना के अनुसार नगर पंचायत, डलमऊ, रायबरेली से जनित अशोधित सीवेज ड्रेन के माध्यम से गंगा नदी में निस्तारित हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप गंगा नदी का दूषित होना सम्भावित है। गंगा नदी में निस्तारित हो रहे ड्रेन्स का विवरण निम्नवत् है-

S. No	Name of Drain
1	Busda Ghat ka Nala/(Sherandajpur)/ Baruda Ghat Drain
2	Muskatpal Nala
3	Nala between Bada Math - Chhota Math
4	Raja Tiloi Ghat Nala(Gaora Ghat)
5	Shivala Ghat Nala
6	Soarakh Ghat Muroop Nala/(Tikaitganj)/Sadak Ghat Drain

यह कि माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं-

8.....Before proceeding further, we may also note further order of this Tribunal dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018 directing as follows:

"XII. Directions:

47. We now sum up our directions as follows:

i. 100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP.

...2

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

ii. Timeline for completing all steps of action plans including completion of setting up STPs and their commissioning till 31.03.2021 in terms of order dated 08.04.2019 in the present case will remain as already directed. In default, compensation will be liable to be paid at the scale laid down in the order of this Tribunal dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 10 lakhs per month per STP....."

यह कि उपरोक्त के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, रायबरेली द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से नगर पंचालय, डलमऊ के विरुद्ध सीवेज का एस0टी0पी0 के माध्यम से शुद्धिकरण होने तक उपरोक्त 06 ड्रेन जो कि अनटैप्ड हैं, पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उ0प्र0 जल निगम द्वारा दी गई सूचना के आधार पर तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 12.04.2024 के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, डलमऊ, रायबरेली को निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

"यह कि क्यों न मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, डलमऊ, रायबरेली के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक प्रतिमाह रूपये 5.0 लाख प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।"

उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली को प्रेषित करें, अन्यथा की दशा में उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत भवदीय,



मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, रायबरेली।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, डलमऊ, रायबरेली को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर पावती 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।



मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5





पत्रांक संख्या- H 09450 / सी-5 / 183 / ओ0ए0 नं0-593 / 2017 / 24

दिनांक: 13.04.2024
पंजीकृत

सेवा में,

अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, गंगाघाट, शुक्लागंज,
उन्नाव।

यह कि अशुद्धिकृत सीवेज से हो रहे प्रदूषण के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 का संज्ञान लेना चाहें। उक्त पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् है-

".....We also direct UPPCB to take steps in respect to all local bodies in the State of UP which are discharging untreated sewage or treated water in rivers by taking samples and verify whether effective treatment is being carried out at STPs already installed and same are meeting parameters prescribed under Water Act and rules framed thereunder. A cumulative report in this regard shall be filed by Member Secretary, UPPCB within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF....."

यह कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में नालों के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव के पत्रांक-22/सा0-92/2024 दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से प्राप्त कराई गयी सूचना के अनुसार नगर पालिका परिषद, गंगाघाट, शुक्लागंज, उन्नाव से जनित अशोधित सीवेज ड्रेन के माध्यम से गंगा नदी में निस्तारित हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप गंगा नदी का दूषित होना सम्भावित है। गंगा नदी में निस्तारित हो रहे ड्रेन्स का विवरण निम्नवत् है:-

S. No	Name of Drain
1	Railway Bridge Drain
2	Srinagar Drain

यह कि माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के मुख्य अंश निम्नवत् है-

8.....Before proceeding further, we may also note further order of this Tribunal dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018 directing as follows:

"XII. Directions:

47. We now sum up our directions as follows:

i. 100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP.

ii. Timeline for completing all steps of action plans including completion of setting up STPs and their commissioning till 31.03.2021 in terms of order dated 08.04.2019 in the present case will remain as already directed. In default, compensation will be liable to be paid at the scale laid down in the order of this Tribunal dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 10 lakhs per month per STP....."

....2

यह कि उपरोक्त के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, उन्नाव द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 12.04.2024 के मा. नगर पालिका परिषद, गंगाघाट, शुक्लागंज, उन्नाव के विरुद्ध सीवेज का एस0टी0पी0 के माध्यम से शुद्धिकरण तक उपरोक्त 02 ड्रेन जो कि अनटैप्ड हैं पर रुपये 5.0 लाख प्रति ड्रेन प्रतिमाह की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उ0प्र0 जल निगम द्वारा दी गई सूचना के आधार पर तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 12.04.2024 के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, गंगाघाट, शुक्लागंज, उन्नाव को निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

"यह कि क्यों न मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, गंगाघाट, शुक्लागंज, उन्नाव के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक प्रतिमाह रुपये 5.0 लाख प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।"

उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव को प्रेषित करें, अन्यथा की दशा में उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत
भवदीय,



मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, उन्नाव।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, गंगाघाट, शुक्लागंज, उन्नाव को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर पावती 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।



मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5

१/२



पत्रांक संख्या- H 09449 / सी-5 / 184 / ओ0ए0 नं0-593 / 2017 / 24

दिनांक: 13.04.2024
पंजीकृत

सेवा में,

अधिसासी अधिकारी,
नगर पंचायत, मानिकपुर,
प्रतापगढ़।

यह कि अशुद्धिकृत सीवेज से हो रहे प्रदूषण के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593 / 2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 का संज्ञान लेना चाहें। उक्त पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं-

".....We also direct UPPCB to take steps in respect to all local bodies in the State of UP which are discharging untreated sewage or treated water in rivers by taking samples and verify whether effective treatment is being carried out at STPs already installed and same are meeting parameters prescribed under Water Act and rules framed thereunder. A cumulative report in this regard shall be filed by Member Secretary, UPPCB within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF....."

यह कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में नालों के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली के पत्रांक-35 / जे-5 / जी / 2024-25 दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से प्राप्त कराई गयी सूचना के अनुसार नगर पंचायत, मानिकपुर, प्रतापगढ़ से जनित अशोधित सीवेज ड्रेन के माध्यम से गंगा नदी में निस्तारित हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप गंगा नदी का दूषित होना सम्भावित है। गंगा नदी में निस्तारित हो रहे ड्रेन्स का विवरण निम्नवत् है:-

S. No	Name of Drain
1	Post office Nala
2	Raja Hela Nala

यह कि माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-593 / 2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं-

8.....Before proceeding further, we may also note further order of this Tribunal dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018 directing as follows:

"XII. Directions:

47. We now sum up our directions as follows:

i. 100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP.

ii. Timeline for completing all steps of action plans including completion of setting up STPs and their commissioning till 31.03.2021 in terms of order dated 08.04.2019 in the present case will remain as already directed. In default, compensation will be liable to be paid at the scale laid down in the order of this Tribunal dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 10 lakhs per month per STP....."

....2

यह कि उपरोक्त के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, रायबरेली द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से नगर पंचालय, मानिकपुर, प्रतापगढ़ के विरुद्ध सीवेज का एस0टी0पी0 के माध्यम से शुद्धिकरण होने तक उपरोक्त 02 ड्रेन जो कि अनटैप्ड हैं, पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उ0प्र0 जल निगम द्वारा दी गई सूचना के आधार पर तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 12.04.2024 के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, मानिकपुर, प्रतापगढ़ को निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

“यह कि क्यों न मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, मानिकपुर, प्रतापगढ़ के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक प्रतिमाह रुपये 5.0 लाख प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।”

उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली को प्रेषित करें, अन्यथा की दशा में उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय,



मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, प्रतापगढ़।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, मानिकपुर, प्रतापगढ़ को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर पावती 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।



मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5





पत्रांक संख्या- H 09448 / सी-5 / 184 / ओ0ए0 नं0-593 / 2017 / 24

दिनांक: 13.04.2024
पंजीकृत

सेवा में,

अधिसासी अधिकारी
नगर पंचायत, डलमऊ,
रायबरेली।

यह कि अशुद्धिकृत सीवेज से हो रहे प्रदूषण के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593 / 2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 का संज्ञान लेना चाहें। उक्त पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं-

".....We also direct UPPCB to take steps in respect to all local bodies in the State of UP which are discharging untreated sewage or treated water in rivers by taking samples and verify whether effective treatment is being carried out at STPs already installed and same are meeting parameters prescribed under Water Act and rules framed thereunder. A cumulative report in this regard shall be filed by Member Secretary, UPPCB within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF....."

यह कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में नालों के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली के पत्रांक-35 / जे-5 / जी / 2024-25 दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से प्राप्त कराई गयी सूचना के अनुसार नगर पंचायत, डलमऊ, रायबरेली से जनित अशोधित सीवेज ड्रेन के माध्यम से गंगा नदी में निस्तारित हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप गंगा नदी का दूषित होना सम्भावित है। गंगा नदी में निस्तारित हो रहे ड्रेन्स का विवरण निम्नवत् है:-

S. No	Name of Drain
1	Busda Ghat ka Nala/(Sherandajpur)/ Baruda Ghat Drain
2	Muskatpal Nala
3	Nala between Bada Math - Chhota Math
4	Raja Tiloi Ghat Nala(Gaora Ghat)
5	Shivala Ghat Nala
6	Soarakh Ghat Muroop Nala/(Tikaitganj)/Sadak Ghat Drain

यह कि माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-593 / 2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं-

8.....Before proceeding further, we may also note further order of this Tribunal dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018 directing as follows:

"XII. Directions:

47. We now sum up our directions as follows:

i. 100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP.

....2

ii. Timeline for completing all steps of action plans including completion of setting up STPs and their commissioning till 31.03.2021 in terms of order dated 08.04.2019 in the present case will remain as already directed. In default, compensation will be liable to be paid at the scale laid down in the order of this Tribunal dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 10 lakhs per month per STP....."

यह कि उपरोक्त के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, रायबरेली द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से नगर पंचालय, डलमऊ के विरुद्ध सीवेज का एस0टी0पी0 के माध्यम से शुद्धिकरण होने तक उपरोक्त 06 ड्रेन जो कि अनटैप्ड हैं, पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उ0प्र0 जल निगम द्वारा दी गई सूचना के आधार पर तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 12.04.2024 के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, डलमऊ, रायबरेली को निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

"यह कि क्यों न मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, डलमऊ, रायबरेली के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक प्रतिमाह रुपये 5.0 लाख प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।"

उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली को प्रेषित करें, अन्यथा की दशा में उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत भवदीय,



मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, रायबरेली।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, डलमऊ, रायबरेली को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर पावती 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।



मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. H09441

C-2/सामान्य-542/Ardhkumbh/2024

दिनांक 13.04.2024

Date

सेवा में,

अधिकासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, मिर्जापुर,
जनपद-मिर्जापुर।

यह कि अशुद्धिकृत सीवेज से हो रहे प्रदूषण के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 का संज्ञान लेना चाहें। उक्त पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं-

".....We also direct UPPCB to take steps in respect to all local bodies in the State of UP which are discharging untreated sewage or treated water in rivers by taking samples and verify whether effective treatment is being carried out at STPs already installed and same are meeting parameters prescribed under Water Act and rules framed thereunder. A cumulative report in this regard shall be filed by Member Secretary, UPPCB within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF....."

यह कि मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में लिफ्ट कैनल ड्रेन के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र के पत्र दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार नगर पालिका परिषद, मिर्जापुर, जनपद-मिर्जापुर से जनित अशोधित सीवेज ड्रेन के माध्यम से गंगा नदी में निस्तारित हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप गंगा नदी का दूषित होना स्वाभाविक है।

यह कि माननीय एन०जी०टी०, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं-

8.....Before proceeding further, we may also note further order of this Tribunal dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018 directing as follows:

"XII. Directions:

47. We now sum up our directions as follows:

i. 100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP.

ii. Timeline for completing all steps of action plans including completion of setting up STPs and their commissioning till 31.03.2021 in terms of order dated 08.04.2019 in the present case will remain as already directed. In default, compensation will be liable to be paid at the scale laid down in the order of this Tribunal dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 10 lakhs per month per STP.....

..... 13. The above report shows that some steps have been initiated against non-compliant ETPs/CETPs/STPs while further steps need to be taken. With regard to industries not having ETP or not connected to CETP, pending construction of CETPs as mentioned in the above report, the State PCBs/PCCs may ensure that there is no discharge of any untreated pollutants by the industries and such polluting activities must be stopped and compensation recovered for the noncompliance, if any, apart from any other legal action in accordance with law. As regards non-compliant STPs, further action may be completed by the State PCBs/PCCs and it may be ensured that there is 100% treatment of sewage and till STPs are set up, atleast in-situ remediation takes place. However, on account of Corona pandemic which has affected several on-going

Nagar Nigam 11s direction for CCRP (2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.in.gov.in

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.up.gov.in



activities, the timeline of levy of compensation in terms of order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 read with order dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018, of 01.04.2020 may be read as 01.07.2020...

यह कि उपरोक्त के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से नगर पालिका परिषद, मिर्जापुर, जनपद- मिर्जापुर के विरुद्ध दिनांक-01.07.2020 से दिनांक 31.03.2024 तक उपरोक्त वर्णित अनटैप्ड ड्रेन हेतु रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त एवं क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र द्वारा प्रेषित आख्या के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त नगर पालिका परिषद मिर्जापुर, जनपद- मिर्जापुर के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

1. यह कि क्यों न मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में नगर पालिका परिषद मिर्जापुर, जनपद- मिर्जापुर के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैप्ड नाले से गंगा नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा नगर पालिका परिषद, मिर्जापुर, जनपद- मिर्जापुर के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से दिनांक 31.03.2024 तक (कुल 45 माह)/सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को प्रेषित करें, अन्यथा की दशा में उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मिर्जापुर, जनपद- मिर्जापुर को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. H09443

C-2/सामान्य-542/Ardhkumbh/2024

दिनांक 13.04.2024

Date

सेवा में,

अधिकासी अधिकारी,
नगर पंचायत, राजापुर,
जनपद-चित्रकूट।

यह कि अशुद्धिकृत सीवेज से हो रहे प्रदूषण के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 का संज्ञान लेना चाहें। उक्त पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं-

"..... We also direct UPPCB to take steps in respect to all local bodies in the State of UP which are discharging untreated sewage or treated water in rivers by taking samples and verify whether effective treatment is being carried out at STPs already installed and same are meeting parameters prescribed under Water Act and rules framed thereunder. A cumulative report in this regard shall be filed by Member Secretary, UPPCB within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF....."

यह कि मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में बेकल बाबा ड्रेन के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा के पत्र दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार नगर पंचायत, राजापुर, जनपद-चित्रकूट से जनित अशोधित सीवेज ड्रेन के माध्यम से यमुना नदी में निस्तारित हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप यमुना नदी का दूषित होना स्वाभाविक है।

यह कि माननीय एन०जी०टी०, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं-

8..... Before proceeding further, we may also note further order of this Tribunal dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018 directing as follows:

"XII. Directions:

47. We now sum up our directions as follows:

i. 100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP.

ii. Timeline for completing all steps of action plans including completion of setting up STPs and their commissioning till 31.03.2021 in terms of order dated 08.04.2019 in the present case will remain as already directed. In default, compensation will be liable to be paid at the scale laid down in the order of this Tribunal dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 10 lakhs per month per STP.....

..... 13. The above report shows that some steps have been initiated against non-compliant ETPs/CETPs/STPs while further steps need to be taken. With regard to industries not having ETP or not connected to CETP, pending construction of CETPs as mentioned in the above report, the State PCBs/PCCs may ensure that there is no discharge of any untreated pollutants by the industries and such polluting activities must be stopped and compensation recovered for the noncompliance, if any, apart from any other legal action in accordance with law. As regards non-compliant STPs, further action may be completed by the State PCBs/PCCs and it may be ensured that there is 100% treatment of sewage and till STPs are set up, atleast in-situ remediation takes place. However, on account of Corona pandemic which has affected several on-going

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.urncb.un.gov.in

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.up.gov.in

activities, the timeline of levy of compensation in terms of order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 read with order dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018, of 01.04.2020 may be read as 01.07.2020....

यह कि उपरोक्त के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, बांदा द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से नगर पंचायत, राजापुर, जनपद-चित्रकूट के विरुद्ध दिनांक-01.07.2020 से दिनांक 31.03.2024 तक बेकल बाया ड्रेन जो कि अनटैण्ड है, हेतु रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त एवं क्षेत्रीय अधिकारी, बांदा द्वारा प्रेषित आख्या के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त नगर पंचायत, राजापुर, जनपद-चित्रकूट के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

1. यह कि क्यों न मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में नगर पंचायत, राजापुर, जनपद-चित्रकूट के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैण्ड नाले से यमुना नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा नगर पंचायत, राजापुर, जनपद-चित्रकूट के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से दिनांक 31.03.2024 तक (कुल 45 माह)/सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा को प्रेषित करें, अन्यथा की दशा में उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, चित्रकूट।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, राजापुर, जनपद-चित्रकूट को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2

संदर्भ सं०

Ref. No

1409522

C-2/सामान्य-542/Ardhkumbh/2024

दिनांक

Date 15/04/24

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
प्रयागराज।

यह कि अशुद्धिकृत सीवेज से हो रहे प्रदूषण के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 का संज्ञान लेना चाहें। उक्त पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं-

".....We also direct UPPCB to take steps in respect to all local bodies in the State of UP which are discharging untreated sewage or treated water in rivers by taking samples and verify whether effective treatment is being carried out at STPs already installed and same are meeting parameters prescribed under Water Act and rules framed thereunder. A cumulative report in this regard shall be filed by Member Secretary, UPPCB within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF....."

यह कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में निम्नलिखित ड्रेन्स के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज के पत्र दिनांक 15.04.2024 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार जनपद-प्रयागराज में निम्नलिखित 3 ड्रेन्स, जिनमें वर्तमान में शून्य उत्प्रवाह निस्तारित होने के कारण इन नालों में बायो रेमेडियेशन पद्धति से उपचार नहीं किया जा रहा है। उक्त नालों की टैपिंग का कार्य भी किया जाना प्रस्तावित है। वर्षा ऋतु के दौरान अशोधित सीवेज उत्प्रवाह उक्त ड्रेन्स के माध्यम से यमुना नदी में निस्तारित होना सम्भावित है, जिसके परिणामस्वरूप यमुना नदी का दूषित होना स्वाभाविक है।

क्रम सं	ड्रेन का नाम
1	Karela Bagh Drain
2	Karela Bagh Drain A-1
3	Karela Bagh Drain A-2

यह कि माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं-

8.....Before proceeding further, we may also note further order of this Tribunal dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018 directing as follows:

"XII. Directions:

47. We now sum up our directions as follows:

i. 100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP.

ii. Timeline for completing all steps of action plans including completion of setting up STPs and their commissioning till 31.03.2021 in terms of order dated 08.04.2019 in the present case will remain as already

Nagar Nigam 33a direction for CCRP (2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.up.gov.in

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.up.gov.in



directed. In default, compensation will be liable to be paid at the scale laid down in the order of the Tribunal dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 10 lakhs per month per STP.....

..... 13. The above report shows that some steps have been initiated against non-compliant ETPs/CETPs/STPs while further steps need to be taken. With regard to industries not having ETP or not connected to CETP, pending construction of CETPs as mentioned in the above report, the State PCBs/PCCs may ensure that there is no discharge of any untreated pollutants by the industries and such polluting activities must be stopped and compensation recovered for the noncompliance, if any, apart from any other legal action in accordance with law. As regards non-compliant STPs, further action may be completed by the State PCBs/PCCs and it may be ensured that there is 100% treatment of sewage and till STPs are set up, atleast in-situ remediation takes place. However, on account of Corona pandemic which has affected several on-going activities, the timeline of levy of compensation in terms of order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 read with order dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018, of 01.04.2020 may be read as 01.07.2020....

यह कि उपरोक्त के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, प्रयागराज द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 15.04.2024 के माध्यम से नगर निगम, प्रयागराज, जनपद-प्रयागराज के विरुद्ध दिनांक-01.07.2020 से दिनांक 31.03.2024 तक उपरोक्त वर्णित ड्रेन्स जो कि अनटैप्ड हैं, हेतु रुपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त एवं क्षेत्रीय अधिकारी, प्रयागराज द्वारा प्रेषित आख्या के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त नगर निगम, प्रयागराज, जनपद-प्रयागराज के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

1. यह कि क्यों न मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में नगर निगम, प्रयागराज, जनपद-प्रयागराज के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैप्ड नालों के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के कारण यमुना नदी के दूषित होने के दृष्टिगत उत्तरदायी विभाग नगर निगम, प्रयागराज, जनपद-प्रयागराज के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से दिनांक 31.03.2024 तक (कुल 45 माह)/सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रुपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज को प्रेषित करें, अन्यथा की दशा में उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, प्रयागराज।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नगर आयुक्त, नगर निगम, प्रयागराज, जनपद-प्रयागराज को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2

संदर्भ सं०
Ref. No. H09942

C-2/सामान्य-542/Ardhkumbh/2024

दिनांक 13.04.2024
Date

सेवा में,

अधिसासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद,
जनपद-फर्रुखाबाद।

यह कि अशुद्धिकृत सीवेज से हो रहे प्रदूषण के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 का संज्ञान लेना चाहें। उक्त पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं-

"..... We also direct UPPCB to take steps in respect to all local bodies in the State of UP which are discharging untreated sewage or treated water in rivers by taking samples and verify whether effective treatment is being carried out at STPs already installed and same are meeting parameters prescribed under Water Act and rules framed thereunder. A cumulative report in this regard shall be filed by Member Secretary, UPPCB within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF....."

यह कि मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में निम्नलिखित ड्रेन्स के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर के पत्र दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद, जनपद-फर्रुखाबाद से जनित अशोधित सीवेज ड्रेन के माध्यम से गंगा नदी में निस्तारित हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप गंगा नदी का दूषित होना स्वामाविक है।

क्रम सं	ड्रेन का नाम
1	Cantt Nala
2	Hathikhana Nala
3	Bhairoghat drain
4	Amethi Kohna
5	Pakkapul

यह कि माननीय एन०जी०टी०, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं-

8..... Before proceeding further, we may also note further order of this Tribunal dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018 directing as follows:

"XII. Directions:

47. We now sum up our directions as follows:

i. 100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP.

ii. Timeline for completing all steps of action plans including completion of setting up STPs and their commissioning till 31.03.2021 in terms of order dated 08.04.2019 in the present case will remain as already

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.un.gov.in

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.un.gov.in

directed. In default, compensation will be liable to be paid at the scale laid down in the order of this Tribunal dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 10 lakhs per month per STP.....

..... 13. The above report shows that some steps have been initiated against non-compliant ETPs/CETPs/STPs while further steps need to be taken. With regard to industries not having ETP or not connected to CETP, pending construction of CETPs as mentioned in the above report, the State PCBs/PCCs may ensure that there is no discharge of any untreated pollutants by the industries and such polluting activities must be stopped and compensation recovered for the noncompliance, if any, apart from any other legal action in accordance with law. As regards non-compliant STPs, further action may be completed by the State PCBs/PCCs and it may be ensured that there is 100% treatment of sewage and till STPs are set up, atleast in-situ remediation takes place. However, on account of Corona pandemic which has affected several on-going activities, the timeline of levy of compensation in terms of order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 read with order dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018, of 01.04.2020 may be read as 01.07.2020....

यह कि उपरोक्त के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद, जनपद-फर्रुखाबाद के विरुद्ध दिनांक-01.07.2020 से दिनांक 31.03.2024 तक उपरोक्त वर्णित ड्रेन्स जो कि अनटैप्ड अथवा आंशिक टैप्ड हैं, हेतु रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त एवं क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर द्वारा प्रेषित आख्या के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त नगर पालिका परिषद फर्रुखाबाद, जनपद-फर्रुखाबाद के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

1. यह कि क्यों न मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में नगर पालिका परिषद फर्रुखाबाद, जनपद-फर्रुखाबाद के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैप्ड/आंशिक टैप्ड नालों से गंगा नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद, जनपद-फर्रुखाबाद के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से दिनांक 31.03.2024 तक (कुल 45 माह)/सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर को प्रेषित करें, अन्यथा की दशा में उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद।

2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद, जनपद-फर्रुखाबाद को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2



संदर्भ सं०-H09444/सी-7/विधि-670/0 ANc 593/2017/024 दिनांक:- 13/04/024
पंजीकृत

सेवा में,

अधिकासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
गजरौला, अमरोहा।

C-7

यह कि अशुद्धिकृत सीवेज से हो रहे प्रदूषण के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 का संज्ञान लेना चाहें। उक्त पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं-

".....We also direct UPPCB to take steps in respect to all local bodies in the State of UP which are discharging untreated sewage or treated water in rivers by taking samples and verify whether effective treatment is being carried out at STPs already installed and same are meeting parameters prescribed under Water Act and rules framed thereunder. A cumulative report in this regard shall be filed by Member Secretary, UPPCB within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF....."

यह कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में नगर पालिका परिषद, गजरौला, जनपद-अमरोहा के क्षेत्र अन्तर्गत स्थित बगद नाले का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बिजनौर व प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा कराया गया। क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र सं०-33/एन0पी0-24/जनरल-2024 दिनांक 08.04.2024 के माध्यम से प्रेषित आख्यानुसार नगर पालिका परिषद गजरौला जनपद-अमरोहा से जनित अशोधित सीवेज बगद नाला/ड्रेन के माध्यम से निस्तारित होता हुआ पाया गया, जिससे परिणामस्वरूप भूगर्भ जल/ बगद नाला (नदी)/सतही जल का दूषित होना सम्भावित है। 0

यह कि माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं-

8.....Before proceeding further, we may also note further order of this Tribunal dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018 directing as follows:

"XII. Directions:

47. We now sum up our directions as follows:

i. 100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 at least to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP.

ii. Timeline for completing all steps of action plans including completion of setting up STPs and their commissioning till 31.03.2021 in terms of order dated 08.04.2019 in the present case will remain as already directed. In default, compensation will be liable to be paid at the scale laid down in the order of this Tribunal dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 10 lakhs per month per STP....."

यह कि उपरोक्त के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, बिजनौर द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 08.04.2024 के माध्यम से नगर पालिका परिषद, गजरौला, जनपद-अमरोहा के विरुद्ध दिनांक-01.07.2020 से सीवेज का एस0टी0पी0 के माध्यम से शुद्धिकरण होने तक, बगद नाला (नदी)/ड्रेन जो कि अनटैप्ड हैं, हेतु रुपये 5.0 लाख प्रति ड्रेन प्रतिमाह की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

.....कृ०पृ०उ०

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उ०प्र० जल निगम द्वारा दी गई सूचना के आधार पर क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 08.04.2024 के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त नगर पालिका परिषद, गजरौला, अमरोहा द्वारा अधिशासी अधिकारी को निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है।

1. यह कि क्यों न मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में नगर पालिका परिषद, अधिशासी अधिकारी, गजरौला, जनपद-अमरोहा के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीयेज के प्राधिकरण होने तक प्रतिमाह रुपये 50 लाख प्रति घंटे की दर से पर्यावरण प्रदूषण अधिविधि कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर को प्रेषित करें, अन्यथा की दशा में उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भूकदीय,




मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, अमरोहा।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, हसनपुर जनपद अमरोहा को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7





4221

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



Lifestyle for Environment

संदर्भ सं-09445 /सी-7/पिपि-669/04N-593/2017/024

दिनांक:- 13/04/24
पंजीकृत

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, बरेली।

यह कि अशुद्धिकृत सीवेज से हो रहे प्रदूषण के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 का संज्ञान लेना चाहे। उक्त पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं-

".....We also direct UPPCB to take steps in respect to all local bodies in the State of UP which are discharging untreated sewage or treated water in rivers by taking samples and verify whether effective treatment is being carried out at STPs already installed and same are meeting parameters prescribed under Water Act and rules framed thereunder. A cumulative report in this regard shall be filed by Member Secretary, UPPCB within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF....."

यह कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में नगर निगम, बरेली के क्षेत्र अन्तर्गत स्थित निम्न 06 नालों का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बरेली के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा कराया गया। क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र सं0-42/ओ0ए0-593/2017/24 दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से प्रेषित आख्यानसार नगर निगम, बरेली से जनित अशोधित (Without treatment) सीवेज निम्न 06 नालों के माध्यम से निस्तारित होता हुआ पाया गया, जिसके परिणामस्वरूप भूगर्भ जल/ रामगंगा नदी/सतही जल का दूषित होना सम्भावित है।

क्रम सं	ड्रेन का नाम	अन्तिम निस्तारण (नदी)
1.	सुपर सिटी नाला	सम्मुख इंगित सभी 06 नालें नकटिया नाले में मिलते हैं जो कि अन्तः राम गंगा नदी में मिलती है।
2.	सनराईज कालोनी नाला	
3.	आशीष रॉयल पार्क नाला	
4.	रोयलखण्ड कालेज नाला	
5.	महानगर नाला 01	
6.	महानगर नाला 02	

यह कि माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं-

8.....Before proceeding further, we may also note further order of this Tribunal dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018 directing as follows:

"XII. Directions:

47. We now sum up our directions as follows:

i. 100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP.

ii. Timeline for completing all steps of action plans including completion of setting up STPs and their commissioning till 31.03.2021 in terms of order dated 08.04.2019 in the present case will remain as already directed. In default, compensation will be liable to be paid at the scale laid down in the order of this Tribunal dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 10 lakhs per month per STP....."

.....कृ०पृ०उ०

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

यह कि उपरोक्त के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, बरेली द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से नगर निगम, बरेली के विरुद्ध दिनांक-01.07.2020 से सीवेज का एस0टी0पी0 के माध्यम से शुद्धिकरण होने तक, उपरोक्त वर्णित 06 नालें जो कि अनटैप्ड हैं, हेतु रुपये 5.0 लाख प्रति ड्रेन प्रतिमाह की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उ0प्र0 जल निगम द्वारा दी गई सूचना के आधार पर क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 12.04.2024 के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त नगर निगम, बरेली द्वारा नगर आयुक्त को निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में नगर आयुक्त, नगर निगम, बरेली के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक प्रतिमाह रुपये 5.0 लाख प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली को प्रेषित करें, अन्यथा की दशा में उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय,



मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, बरेली।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नगर आयुक्त, नगर निगम, बरेली को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ सं-1109446 / सी-7/विषय-671/0.A-593/2017/024

दिनांक:- 13/04/24
पंजीकृत

सेवा में,

अधिसासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
हसनपुर अमरोहा।

यह कि अशुद्धिकृत सीवेज से हो रहे प्रदूषण के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 का संज्ञान लेना चाहें। उक्त पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं-

".....We also direct UPPCB to take steps in respect to all local bodies in the State of UP which are discharging untreated sewage or treated water in rivers by taking samples and verify whether effective treatment is being carried out at STPs already installed and same are meeting parameters prescribed under Water Act and rules framed thereunder. A cumulative report in this regard shall be filed by Member Secretary, UPPCB within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF....."

यह कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में नगर पालिका परिषद, हसनपुर, जनपद-अमरोहा के क्षेत्र अन्तर्गत स्थित बगद नाले का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बिजनौर के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा कराया गया। क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र सं0-32/एन0पी0-14/जनरल-2024 दिनांक 08.04.2024 के माध्यम से प्रेषित आख्यानसार नगर पालिका परिषद हसनपुर, जनपद-अमरोहा से जनित अशोधित सीवेज बगद नाला/ड्रेन के माध्यम से निस्तारित होता हुआ पाया गया, जिसके परिणामस्वरूप भूगर्भ जल/ बगद नाला (नदी)/सतही जल का दूषित होना सम्भावित है। 0

यह कि माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं-

8.....Before proceeding further, we may also note further order of this Tribunal dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018 directing as follows:

"XII. Directions:

47. We now sum up our directions as follows:

i. 100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP.

ii. Timeline for completing all steps of action plans including completion of setting up STPs and their commissioning till 31.03.2021 in terms of order dated 08.04.2019 in the present case will remain as already directed. In default, compensation will be liable to be paid at the scale laid down in the order of this Tribunal dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs 10 lakhs per month per STP....."

यह कि उपरोक्त के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, बिजनौर द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 08.04.2024 के माध्यम से नगर पालिका परिषद, हसनपुर, जनपद-अमरोहा के विरुद्ध दिनांक-01.07.2020 से सीवेज का एस0टी0पी0 के माध्यम से शुद्धिकरण होने तक, बगद नाला (नदी)/ड्रेन जो कि अनटैंड हैं, हेतु रुपये 5.0 लाख प्रति ड्रेन प्रतिमाह की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

.....कृ०पृ०उ०

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in


अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उ०प्र० जल निगम द्वारा दी गई सूचना के आधार पर क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 08.04.2024 के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त नगर पालिका परिषद, हसनपुर, अमरोहा द्वारा अधिशासी अधिकारी को निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है।

1. यह कि क्यों न मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में नगर पालिका परिषद, अधिशासी अधिकारी, हसनपुर, जनपद-अमरोहा के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक प्रतिमाह रुपये 5.0 लाख प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर को प्रेषित करें, अन्यथा की दशा में उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय,



मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, अमरोहा।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, हसनपुर जनपद अमरोहा को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।



मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7



27	Jawahar Nagar, Bansal Publisher
28	Govind Nagar - Shrim Harimal Niwas
29	Pratap Clinic Jain college Road
30	Shiv Bagula Mukhi mandir drain
31	Kapil Vihar Drain
32	Natraj Drycliners
33	State Bank of Patiyala, Pul jogiyan
34	Near Vardan Hospital- Link Road
35	Govind Nagar - Shrim Ganga devi Niwas
36	Railway Drain
37	Gil colony Charch ky pass
38	Police up-Mahanirikshak Niwas
39	Karamchari Rajya Bima Nigam-Jain college Road
40	Jai Lakshmi Furniture House Malhipur Road
41	Swami Dental clinic
42	Dalmandi Pumping station
43	Kotwali Nala (left side of Paondhoi)
44	Deri Bagh drain
45	Numaish camp
46	Karlya Sahayak Chhetra Prabhandak
47	Parmesti Das Jewellers-Court Road
48	Baba Deep Garment Jain College Road
49	Govind Nagar - Shrim Mohan Niwas
50	Mayur service centre-Link Road
51	Nalla Near Hakikat Nagar Teraha
52	Rajdhani Plywood
53	Jogyan Pull near Ganpati cellphone
54	Opposite RamTirath school drain (leftside of Paondhoi)
55	Macchali Bazar
56	Bharti Dairy - Court Road
57	Satyoug Aashram Nala
58	Bijli Ghar Nala
59	Pathanpur - Ajmer Niwas
60	Sabzi Mandi Pull
61	Sharab Theka ky Samny
62	Khumran Pul Mandi ky Pass
63	Near Janak Hoter
64	Nala Near Taj Nala
65	Janta colony
66	Numaish camp V-Shape
67	Dukhi Bagh
68	Shanti Nagar-1

69	Shanti Nagar-2
70	Nalla Near Irrigation Land
71	Nand Vatika
72	Nand Vihar-1
73	Nand Vihar-2
74	Abdulla Colony
75	Nai Basti-1
76	Nai Basti-2
77	Badshahi Masjid
78	Radha vihar
79	New Gopal Nagar-1
80	New Gopal Nagar-2
81	Navyug Market
82	Valmiki Colony
83	Indra Camp
84	Near Janak Nagar
85	Below Railway Line
86	Gaddhe Wali Gali
87	Near Najirpura
88	Saket Colony
89	Punjabi Bhag-1
90	Punjabi Bhag-2
91	Punjabi Bhag-3
92	Near Police ground bhind STP

यह कि माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं-

8.....Before proceeding further, we may also note further order of this Tribunal dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018 directing as follows:

"XII. Directions:

47. We now sum up our directions as follows:

i. 100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP.

ii. Timeline for completing all steps of action plans including completion of setting up STPs and their commissioning till 31.03.2021 in terms of order dated 08.04.2019 in the present case will remain as already directed. In default, compensation will be liable to be paid at the scale laid down in the order of this Tribunal dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 10 lakhs per month per STP....."

यह कि उपरोक्त के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, सहारनपुर द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 08.04.2024 के माध्यम से नगर निगम, सहारनपुर, जनपद-सहारनपुर के विरुद्ध दिनांक-01.07.2020 से सीवेज का एस0टी0पी0 के माध्यम से शुद्धिकरण होने तक उपरोक्त वर्णित ट्रेन जो कि अनटैप्ड अथवा पार्शियली टैप्ड हैं, हेतु रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ट्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उ0प्र0 जल निगम द्वारा दी गई सूचना के आधार पर क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी क

अनुमोदनोपरान्त नगर निगम, सहारनपुर, जनपद-सहारनपुर द्वारा नगर आयुक्त के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है।

1. यह कि क्यों न मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में नगर निगम, सहारनपुर, जनपद-सहारनपुर के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैप्ड/पार्शियली टैप्ड नालों से हिण्डन नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा नगर निगम, सहारनपुर, जनपद-सहारनपुर के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये। उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सहारनपुर को प्रेषित करें, अन्यथा की दशा में उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय,

Atul Singh Yadav
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, सहारनपुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सहारनपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नगर आयुक्त, नगर निगम, सहारनपुर, जनपद-सहारनपुर को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

Atul Singh Yadav
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3

o/c [Signature]

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या H09440/सी-3./NGT-23/2024
सेवा में,

दिनांक 13/04/2024

अधिसासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद कैराना,
जनपद-शामली।

यह कि अशुद्धिकृत सीवेज से हो रहे प्रदूषण के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 का संज्ञान लेना चाहें। उक्त पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं-

".....We also direct UPPCB to take steps in respect to all local bodies in the State of UP which are discharging untreated sewage or treated water in rivers by taking samples and verify whether effective treatment is being carried out at STPs already installed and same are meeting parameters prescribed under Water Act and rules framed thereunder. A cumulative report in this regard shall be filed by Member Secretary, UPPCB within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF....."

यह कि मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में निम्नलिखित ड्रेन्स के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर के पत्रांक 63/NPP kairana/Shamli/2024 दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार नगर पालिका परिषद कैराना, जनपद-शामली से जनित अशोधित सीवेज ड्रेन के माध्यम से यमुना नदी में निस्तारित हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप यमुना नदी का दूषित होना सम्भावित है।

क्रम सं	ड्रेन का नाम
1	Kairana Drain

यह कि माननीय एन०जी०टी०, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं-

8.....Before proceeding further, we may also note further order of this Tribunal dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018 directing as follows:

"XII. Directions:

47. We now sum up our directions as follows:

i. 100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP.

ii. Timeline for completing all steps of action plans including completion of setting up STPs and their commissioning till 31.03.2021 in terms of order dated 08.04.2019 in the present case will remain as already directed. In default, compensation will be liable to be paid at the scale laid down in the order of this Tribunal dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 10 lakhs per month per STP....."

यह कि उपरोक्त के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से नगर पालिका परिषद कैराना, जनपद-शामली के विरुद्ध दिनांक-01.07.2020 से सीवेज का एस०टी०पी० के माध्यम से शुद्धिकरण होने तक उपरोक्त वर्णित ड्रेन जो कि अनटैप्ड अथवा पार्शियली टैप्ड हैं, हेतु रुपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उ०प्र० जल निगम द्वारा दी गई सूचना के आधार पर क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त नगर पालिका परिषद कैराना, जनपद-शामली द्वारा अधिसासी अधिकारी के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है।

1. यह कि क्यों न मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में नगर पालिका

1. परिषद कैराना, जनपद-शामली के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैण्ड/पार्शियली टैण्ड नालों से यमुना नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा नगर पालिका परिषद कैराना, जनपद-शामली के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये। उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को प्रेषित करें, अन्यथा की दशा में उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय,

Atulendra yadav -
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, शामली।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद कैराना, जनपद-शामली को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

Atulendra yadav -
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3

01/08/20

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या H09439/सी-3./NGT-23/2024
सेवा में,

दिनांक 13/04/2024

अधिकाारी, नगर पालिका परिषद शामली, जनपद-शामली।

यह कि अशुद्धिकृत सीवेज से हो रहे प्रदूषण के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 का संज्ञान लेना चाहें। उक्त पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं-

".....We also direct UPPCB to take steps in respect to all local bodies in the State of UP which are discharging untreated sewage or treated water in rivers by taking samples and verify whether effective treatment is being carried out at STPs already installed and same are meeting parameters prescribed under Water Act and rules framed thereunder. A cumulative report in this regard shall be filed by Member Secretary, UPPCB within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF....."

यह कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में निम्नलिखित ड्रेन्स के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर के पत्रांक 53/OA-593/पर्या सुरक्षा समिति/2024 दिनांक 09.04.2024 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार नगर पालिका परिषद शामली, जनपद-शामली से जनित अशोधित सीवेज ड्रेन के माध्यम से कृष्णी नदी में निस्तारित हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप कृष्णी नदी का दूषित होना सम्भावित है।

क्रम सं	ड्रेन का नाम
1	Shamli Nala

यह कि माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं-

8.....Before proceeding further, we may also note further order of this Tribunal dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018 directing as follows:

"XII. Directions:

47. We now sum up our directions as follows:

i. 100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP.

ii. Timeline for completing all steps of action plans including completion of setting up STPs and their commissioning till 31.03.2021 in terms of order dated 08.04.2019 in the present case will remain as already directed. In default, compensation will be liable to be paid at the scale laid down in the order of this Tribunal dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 10 lakhs per month per STP....."

यह कि उपरोक्त के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 09.04.2024 के माध्यम से नगर पालिका परिषद शामली, जनपद-शामली के विरुद्ध दिनांक-01.07.2020 से सीवेज का एस0टी0पी0 के माध्यम से शुद्धिकरण होने तक उपरोक्त वर्णित ड्रेन जो कि अनटैप्ड अथवा पार्शियली टैप्ड हैं, हेतु रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उ0प्र0 जल निगम द्वारा दी गई सूचना के आधार पर क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त नगर पालिका परिषद शामली जनपद-शामली द्वारा अधिकाारी अधिकारी के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है।

1. यह कि क्यों न मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में नगर पालिका

1. परिषद शामली जनपद-शामली के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित अनटैण्ड/पार्शियली टैण्ड नालों से कृष्णी नदी में निस्तारित हो रहे अशोधित सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी यथा नगर पालिका परिषद शामली जनपद-शामली के विरुद्ध दिनांक 01.07.2020 से सीवेज के शुद्धिकरण होने तक रूपये 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को प्रेषित करें, अन्यथा की दशा में उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय,

Atulesh Yadav

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, शामली।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद शामली जनपद-शामली को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

Atulesh Yadav

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-3

01c f g w



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- 9548 C-1/MGT-237/पर्यावरण-का0ब0नो0/2024

Date: 16-4-24

सेवा में,

पंजीकृत

महाप्रबन्धक (जल/सीवर),
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
प्लॉट नं0-01, नॉलेज पार्क-4,
ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

यह कि अशुद्धिकृत सीवेज से हो रहे प्रदूषण के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित ओदश दिनांक 15.12.2023 में पारित ओदश के मुख्य अंश निम्नवत् है:-

“.....23. Since, cognizance of offence can be taken in the manner as prescribed under Section 49 (1) of Water Act, 1974 and we are satisfied that neither local bodies for discharging sewage through drains in rivers have taken effective steps for prevention of discharge of polluted effluents and sewage into river but even industries are also continuously doing same but no effective steps have been taken against them.

24. In these circumstances, we direct Member Secretary, UPPCB forthwith to initiate or get initiated criminal prosecution by lodging criminal complaint in appropriate court for committing offence under Section 43 read with Section 24 of Water Act, 1974 against the Officers-in-Charge of Municipal Corporations/Municipal Bodies of Saharanpur, Muzaffarnagar, Shamli, Meerut, Baghpat, Ghaziabad and Gautam Budh Nagar and also initiate criminal prosecution against industries which are discharging polluting materials in the river.....”

यह कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्लॉट नं0-01, नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर के अन्तर्गत स्थित अनटैण्ड नाले (हवालिया ड्रेन) का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 12.02.2024 को किया गया। निरीक्षण के दौरान ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्लॉट नं0-01, नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर के अन्तर्गत स्थित अनटैण्ड नाले (हवालिया ड्रेन) से जनित अशोधित सीवेज ड्रेन के माध्यम से यमुना नदी में निस्तारित होता हुआ पाया गया, जिसके परिणामस्वरूप यमुना नदी का जल दूषित होना सम्भावित है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 348/2021 प्रदीप कुमार व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.03.2024 के मुख्य अंश निम्नवत् है:-

“.....13. We, therefore, find that effective action for stoppage of discharge of untreated sewage on the land or river or stream if not taken, officials of GNIDA are responsible and they are in fact committing an offence under the provisions of Water Act, 1974 for which action is required to be taken.....”

यह कि उपरोक्त के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, ग्रेटर नोएडा द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 10.04.2024 के माध्यम से ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्लॉट नं0-01, नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर के विरुद्ध रूपये 5.0 लाख प्रति ड्रेन प्रतिमाह की दर से दिनांक 01.07.2020 से 31.03.2024 के मध्य कुल 45 माह हेतु हवालिया ड्रेन हेतु रू0 5,00,000x45 Months=2,25,00,000/- (रू0 दो करोड़ पच्चीस लाख मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

.....2/-

टी0सी0-12वीं, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ-226010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720784
ई-मेल : info@uppcb.com | website: www.uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720784
E mail : info@uppcb.com | website: www.uppcb.com

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उ०प्र० जल निगम द्वारा दी गई सूचना के आधार पर क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 10.04.2024 के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्लॉट नं०-01, नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर को निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है।

1. यह कि क्यों न मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश 15.12.2023, ओ०ए० संख्या 593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 एवं ओ०ए० संख्या 348/2021 प्रदीप कुमार व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश 19.03.2024 के अनुपालन में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्लॉट नं०-01, नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर के विरुद्ध सीवेज के शुद्धिकरण होने तक प्रतिमाह रुपये 5.0 लाख प्रति ड्रेन की दर से दिनांक 01.07.2020 से 31.03.2024 के मध्य कुल 45 माह हेतु हवालिया ड्रेन हेतु रू० 5,00,000x45 Months=2,25,00,000/- (रू० दो करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा को प्रेषित करें, अन्यथा की दशा में उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भयंतीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि महाप्रबन्धक (जल/सीवर), ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्लॉट नं०-01, नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



4235

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No: 109549/C-1/NGT-236/पर्यावरण-का0ब0नो0/2024

Date: 16.4.24

सेवा में,

पंजीकृत

महाप्रबन्धक (जल/सीवर),
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
प्लॉट नं0-01, नॉलेज पार्क-4,
ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

यह कि अशुद्धिकृत सीवेज से हो रहे प्रदूषण के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित ओदश दिनांक 15.12.2023 में पारित ओदश के मुख्य अंश निम्नवत् है:-

“.....23. Since, cognizance of offence can be taken in the manner as prescribed under Section 49 (1) of Water Act, 1974 and we are satisfied that neither local bodies for discharging sewage through drains in rivers have taken effective steps for prevention of discharge of polluted effluents and sewage into river but even industries are also continuously doing same but no effective steps have been taken against them.

24. In these circumstances, we direct Member Secretary, UPPCB forthwith to initiate or get initiated criminal prosecution by lodging criminal complaint in appropriate court for committing offence under Section 43 read with Section 24 of Water Act, 1974 against the Officers-in-Charge of Municipal Corporations/Municipal Bodies of Saharanpur, Muzuffarnagar, Shamli, Meerut, Baghpat, Ghaziabad and Gautam Budh Nagar and also initiate criminal prosecution against industries which are discharging polluting materials in the river.....”

यह कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्लॉट नं0-01, नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर के अन्तर्गत स्थित अनटैण्ड नाले (लखनावली ड्रेन) का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 21.02.2024 को किया गया। निरीक्षण के दौरान ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्लॉट नं0-01, नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर के अन्तर्गत स्थित अनटैण्ड नाले (लखनावली ड्रेन) से जनित अशोधित सीवेज ड्रेन के माध्यम से यमुना नदी में निस्तारित होता हुआ पाया गया, जिसके परिणामस्वरूप यमुना नदी का जल दूषित होना सम्भावित है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 348/2021 प्रदीप कुमार व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.03.2024 के मुख्य अंश निम्नवत् है:-

“.....13. We, therefore, find that effective action for stoppage of discharge of untreated sewage on the land or river or stream if not taken, officials of GNIDA are responsible and they are in fact committing an offence under the provisions of Water Act, 1974 for which action is required to be taken.....”

यह कि उपरोक्त के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, ग्रेटर नोएडा द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 10.04.2024 के माध्यम से ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्लॉट नं0-01, नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर के विरुद्ध रूपये 5.0 लाख प्रति ड्रेन प्रतिमाह की दर से दिनांक 01.07.2020 से 31.03.2024 के मध्य कुल 45 माह हेतु लखनावली ड्रेन रू0 5,00,000x45 Months=2,25,00,000/- (रू0 दो करोड़ पच्चीस लाख मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

.....2/-

टी0सी0-12वीं, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ-226010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फ़ैक्स : 0522-2720764
ई-मेल : info@uppcb.com] website: www.uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764
e.mail : info@uppcb.com] website: www.uppcb.com



अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उ०प्र० जल निगम द्वारा दी गई सूचना के आधार पर क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 10.04.2024 के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्लॉट नं०-01, नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर को निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है।

1. यह कि क्यों न मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश 15.12.2023, ओ०ए० संख्या 593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 एवं ओ०ए० संख्या 348/2021 प्रदीप कुमार व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश 19.03.2024 के अनुपालन में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्लॉट नं०-01, नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर के विरुद्ध सीवेज के शुद्धिकरण होने तक प्रतिमाह रुपये 5.0 लाख प्रति ड्रेन की दर से दिनांक 01.07.2020 से 31.03.2024 के मध्य कुल 45 माह हेतु लखनावली ड्रेन हेतु रू० 5,00,000x45 Months=2,25,00,000/- (रू० दो करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा को प्रेषित करें, अन्यथा की दशा में उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि महाप्रबन्धक (जल/सीवर), ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्लॉट नं०-01, नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1



4237
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No. **109558-1** / ओ०ए०-593 / 2017 / एन०जी०टी / का०ब०नो० / 2024

Date: **16-4-24**

सेवा में,

पंजीकृत

अधिकासी अधिकारी,
नगर पंचायत, दनकौर,
ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

यह कि अशुद्धिकृत सीवेज से हो रहे प्रदूषण के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 का संज्ञान लेना चाहें। उक्त पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं-

".....We also direct UPPCB to take steps in respect to all local bodies in the State of UP which are discharging untreated sewage or treated water in rivers by taking samples and verify whether effective treatment is being carried out at STPs already installed and same are meeting parameters prescribed under Water Act and rules framed thereunder. A cumulative report in this regard shall be filed by Member Secretary, UPPCB within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF....."

यह कि मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में नगर पंचायत, दनकौर, जनपद-गौतमबुद्धनगर के अन्तर्गत स्थित अनटैंड नाले (भूरिया ड्रेन) का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 16.02.2024 को किया गया। निरीक्षण के दौरान नगर पंचायत, दनकौर, जनपद-गौतमबुद्धनगर के अन्तर्गत स्थित अनटैंड नाले (भूरिया ड्रेन) से जनित अशोधित सीवेज ड्रेन के माध्यम से यमुना नदी में निस्तारित होता हुआ पाया गया, जिसके परिणामस्वरूप यमुना नदी का जल दूषित होना सम्भावित है।

यह कि माननीय एन०जी०टी०, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं-

8.....Before proceeding further, we may also note further order of this Tribunal dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018 directing as follows:

"XII. Directions:

47. We now sum up our directions as follows:

i. 100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP.

ii. Timeline for completing all steps of action plans including completion of setting up STPs and their commissioning till 31.03.2021 in terms of order dated 08.04.2019 in the present case will remain as already directed. In default, compensation will be liable to be paid at the scale laid down in the order of this Tribunal dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 10 lakhs per month per STP....."

यह कि उपरोक्त के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, ग्रेटर नोएडा द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 10.04.2024 के माध्यम से नगर पंचायत, दनकौर, जनपद-गौतमबुद्धनगर के विरुद्ध रुपये 5.0 लाख प्रति ड्रेन प्रतिमाह की दर से दिनांक 01.07.2020 से 31.03.2024 के मध्य कुल 45 माह हेतु भूरिया ड्रेन रू० 5,00,000x45 Months=2,25,00,000/- (रू० दो करोड़ पच्चीस लाख मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

.....2/-

टी०सी०-12वीं, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ-226010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764
ई-मेल : info@uppcb.com website: www.uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764
e-mail : info@uppcb.com website: www.uppcb.com

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उ०प्र० जल निगम द्वारा दी गई सूचना के आधार पर क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 10.04.2024 के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त नगर पंचायत, दनकौर, जनपद-गौतमबुद्धनगर को निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है।

- यह कि क्यों न मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के अनुपालन में नगर पंचायत, दनकौर, जनपद-गौतमबुद्धनगर के विरुद्ध सीवेज के शुद्धिकरण होने तक प्रतिमाह रूपये 5.0 लाख प्रति ड्रेन की दर से दिनांक 01.07.2020 से 31.03.2024 के मध्य कुल 45 माह हेतु भूरिया ड्रेन हेतु $₹ 5,00,000 \times 45 \text{ Months} = ₹ 2,25,00,000/-$ (₹ दो करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा को प्रेषित करें, अन्यथा की दशा में उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

ofc

2

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
- क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, दनकौर, जनपद-गौतमबुद्धनगर को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

ofc

2



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No-

10955

IC-1/MGT-238 / पर्यावरण-का0ब0नो0 / 2024

Date: 16-1-24

सेवा में,

महाप्रबन्धक (जल/सीवर),
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
प्लॉट नं0-01, नॉलेज पार्क-4,
ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत

यह कि अशुद्धिकृत सीवेज से हो रहे प्रदूषण के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित ओदश दिनांक 15.12.2023 में पारित ओदश के मुख्य अंश निम्नवत् है:-

“.....23. Since, cognizance of offence can be taken in the manner as prescribed under Section 49 (1) of Water Act, 1974 and we are satisfied that neither local bodies for discharging sewage through drains in rivers have taken effective steps for prevention of discharge of polluted effluents and sewage into river but even industries are also continuously doing same but no effective steps have been taken against them.

24. In these circumstances, we direct Member Secretary, UPPCB forthwith to initiate or get initiated criminal prosecution by lodging criminal complaint in appropriate court for committing offence under Section 43 read with Section 24 of Water Act, 1974 against the Officers-in-Charge of Municipal Corporations/Municipal Bodies of Saharanpur, Muzuffarnagar, Shamli, Meerut, Baghpat, Ghaziabad and Gautam Budh Nagar and also initiate criminal prosecution against industries which are discharging polluting materials in the river.....”

यह कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्लॉट नं0-01, नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर के अन्तर्गत स्थित अनटैप्ड नाले (डासना ड्रेन) का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 21.02.2024 को किया गया। निरीक्षण के दौरान ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्लॉट नं0-01, नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर के अन्तर्गत स्थित अनटैप्ड नाले (डासना ड्रेन) से जनित अशोधित सीवेज ड्रेन के माध्यम से यमुना नदी में निस्तारित होता हुआ पाया गया, जिसके परिणामस्वरूप यमुना नदी का जल दूषित होना सम्भावित है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 348/2021 प्रदीप कुमार व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.03.2024 के मुख्य अंश निम्नवत् है:-

“.....13. We, therefore, find that effective action for stoppage of discharge of untreated sewage on the land or river or stream if not taken, officials of GNIDA are responsible and they are in fact committing an offence under the provisions of Water Act, 1974 for which action is required to be taken.....”

यह कि उपरोक्त के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, ग्रेटर नोएडा द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 10.04.2024 के माध्यम से ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्लॉट नं0-01, नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर के विरुद्ध रूपये 5.0 लाख प्रति ड्रेन प्रतिमाह की दर से दिनांक 01.07.2020 से 31.03.2024 के मध्य कुल 45 माह हेतु डासना ड्रेन रू0 5,00,000x45 Months=2,25,00,000/- (रू0 दो करोड़ पच्चीस लाख मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

.....2/-

टी0सी0-12वी, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ-226010
दूरभाष : 2720831, 2720826, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764
ई-मेल : info@uppcb.com | website: www.uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone : 2720831, 2720826, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764
e.mail : info@uppcb.com | website: www.uppcb.com



अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उ०प्र० जल निगम द्वारा दी गई सूचना के आधार पर क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 10.04.2024 के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्लॉट नं०-01, नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर को निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है।

1. यह कि क्यों न मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश 15.12.2023, ओ०ए० संख्या 593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 एवं ओ०ए० संख्या 348/2021 प्रदीप कुमार व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश 19.03.2024 के अनुपालन में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्लॉट नं०-01, नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर के विरुद्ध सीवेज के शुद्धिकरण होने तक प्रतिमाह रूपये 5.0 लाख प्रति ड्रेन की दर से दिनांक 01.07.2020 से 31.03.2024 के मध्य कुल 45 माह हेतु डासना ड्रेन हेतु रू० 5,00,000x45 Months=2,25,00,000/- (रू० दो करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा को प्रेषित करें, अन्यथा की दशा में उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि महाप्रबन्धक (जल/सीवर), ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्लॉट नं०-01, नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

Status of Common Effluent Treatment Plants (CETPs) in Uttar Pradesh		
March -2024		
S.No	CETP in Uttar Pradesh	Number
1	Total Installed CETP	7
2	Operational CETP	7
	CETP Achieving Norms	6
	CETP Not Achieving Norms	1
3	Not in Operation	0

Status of Existing CETPs												March-2024	
S.N	Regional Office	Name and Address of the CETPs	Operated by	Installed Capacity (MLD)	Utilized Capacity (MLD)	Nature of Member Units	Final Effluent Quality standards or ZLD condition	Date of Monitoring	Observed final effluent quality	Status of online CEQMS	Status of Hazardous Waste Storage/ Disposal	Mode of receiving Effluent (In any drain etc.)	Name of treated Effluent receiving water body Drain/Sub-Tributary/ River
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ghaziabad	CETP, HPDA, Pilkhaun, Hapur	HPDA	2.10	1.10	Textile	pH = 6.0-9.0 BOD = 30.0 mg/l COD = 250.0 mg/l TSS = 100.0 mg/l	11.03.2024	Achieving pH = 7.52 BOD : 25.0 mg/l COD : 162.0 mg/l TSS : 95.0 mg/l	-	-	Kadrabad Drain	River Ganga through River Kali East
2	Ghaziabad	Apparel Park Tronica City CETP, Phase-I (for textile units), Ghaziabad	UPSIDC	6.00	6.00	Textile	pH = 6.0-9.0 BOD = 30.0 mg/l COD = 250.0 mg/l TSS = 100.0 mg/l	13.03.2024	Achieving pH = 7.90 BOD : 27.0 mg/l COD : 190.0 mg/l TSS : 96.0 mg/l	Yes	-	Jawali Drain	River Yamuna Through Hindon River
3	Kanpur	CETP, UPSIDC Textile Complex, Rooma, Kanpur (for textile units)	UPSIDC/ Rooma Pollution Control Association	1.50	1.50	Textile	pH = 6.0-9.0 BOD = 30.0 mg/l COD = 250.0 mg/l TSS = 100.0 mg/l T.Cr. = 2.0 mg/l <u>Irrigation Channel</u> <u>BOD = 100.0 mg/L,</u> <u>COD = 250.0 mg/L,</u> <u>TSS = 100.0 mg/L,</u> <u>T.Cr. = 2.0 mg/l</u>	12.03.2024	Achieving pH = 7.69 BOD : 39.0 mg/l COD : 190.0 mg/l TSS : 66.0 mg/l	Yes	-	-	Irrigation Channel
4	Kanpur	CETP Jajmau, Kanpur	U.P. Jal Nigam	36.00	36.00	Tannery	pH = 6.0-9.0 BOD = 30.0 mg/l COD = 250.0 mg/l TSS = 100.0 mg/l T.Cr. = 2.0 mg/l <u>Irrigation Channel</u> <u>BOD = 100.0 mg/L,</u> <u>COD = 250.0 mg/L,</u> <u>TSS = 100.0 mg/L,</u> <u>T.Cr. = 2.0 mg/l</u>	12.03.2024	Not Achieving pH = 8.09 BOD : 90.0 mg/l COD : 280.0 mg/l TSS : 136.0 mg/l T.Cr: 1.89 mg/l	Yes	Temp. storage installed & disposed to TSDF (M/s Ramkey Enviro. Engineers (P) Ltd,Kumbhi, Kanpur Dehat	-	Irrigation Channel
5	Mathura	CETP, Industrial Area, Site-A, Mathura	Industrial Association	6.25	6.25	Textile	pH = 6.0-9.0 BOD = 30.0 mg/l COD = 250.0 mg/l TSS = 100.0 mg/l	12.03.2024	Achieving pH = 8.10 BOD : 27.0 mg/l COD : 224.0 mg/l TSS : 60.0 mg/l	No	-	Through Industrial Drain → Ambakhar drain → Dairy farm Sewage Pumping Station → Inlet of 14.5 MLD STP TransYamuna , Jamunapar → River Yamuna	
6	Unnao	Banther Industrial Pollution Control Co. CETP, Banther, Unnao	Banther Industrial Pollution Control Co.	4.50	4.50	Tannery	pH = 6.0-9.0 BOD = 30.0 mg/l COD = 250.0 mg/l TSS = 100.0 mg/l T.Cr. = 2.0 mg/l	01.03.2024	Achieving pH = 8.01 BOD : 26.0 mg/l COD : 189.0 mg/l TSS : 59.0 mg/l T.Cr: 0.2568 mg/l	Yes	TSDF, IISI, Banther, Unnao	City jail Drain Through Industrial Drain	River Ganga
7	Unnao	Unnao Tanneries Pollution Control Company (CETP) Site-II, Unnao	Unnao Tanneries Pollution Control Company	2.15	2.15	Tannery	pH = 6.0-9.0 BOD = 30.0 mg/l COD = 250.0 mg/l TSS = 100.0 mg/l T.Cr. = 2.0 mg/l	01.03.2024	Achieving pH = 8.35 BOD : 22.0 mg/l COD : 161.0 mg/l TSS : 48.0 mg/l T.Cr: 0.0223 mg/l	Yes	TSDF, IISI, Banther, Unnao	Loni Drain	River Ganga



4243
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Annexure - 21

Ref. No.

496/251 / C-51U / जल-103/23

Dated *23-6-23*
पंजीकृत

134

23-6-23

सेवा में,

मैसर्स बन्थर इण्डस्ट्रियल पोल्यूशन कंट्रोल कं० (सी.ई.टी.पी.),
यू.पी.एस.आई.डी.सी., एल.टी.पी., बन्थर,
उन्नाव।

विषय: उद्योग मैसर्स बन्थर इण्डस्ट्रियल पोल्यूशन कंट्रोल कं० (सी.ई.टी.पी.), यू.पी.एस.आई.डी.सी., एल.टी.पी., बन्थर, उन्नाव को जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 21.10.2022 को निक्षेपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक-एच 83415/सी-5/सह० जल-103/2022 दिनांक 21.10.2022 का संदर्भ ग्रहण करने काष्ट करें। उक्त उद्योग का निरीक्षण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 31.08.2022 को किया गया था। निरीक्षण के समय सी.ई.टी.पी. में स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के आउटलेट के नमूने मानको के अनुरूप न पाये जाने के कारण उद्योग के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33'ए' सपठित धारा-27(2) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 21.10.2022 जारी किया गया था।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय अधिकारी, उन्नाव के पत्र संख्या-185/सहमति-134/2023 दिनांक 12.06.2023 द्वारा अद्यतन आख्या प्रेषित की गयी है। आख्यानुसार क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिनांक 31.08.2022 के उपरान्त विभिन्न तिथियों में सी.ई.टी.पी. के आउटलेट से जल नमूने एकत्र किये गये, जिसके अनुक्रम में दिनांक 31.08.2022 से दिनांक 03.06.2023 के मध्य कुल 33 दिन डिफाल्टर अवधि पाये गये।

तत्कम में क्षेत्रीय अधिकारी, उन्नाव के पत्र संख्या-185/सहमति-134/2023 दिनांक 12.06.2023 द्वारा इकाई के विरुद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन किये जाने हेतु मार्गदर्शिका दिनांक 08.02.2019 के अनुक्रम में दिनांक 31.08.2022 से दिनांक 03.06.2023 के मध्य कुल 33 दिन डिफाल्टर अवधि तक रुपये 30,000/- प्रतिदिन की दर से कुल रू रुपये 9,90,000/- (रुपये नौ लाख नब्बे हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय कार्यालय, उन्नाव के पत्र 12.06.2023 का संज्ञान लेते हुए सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उद्योग मैसर्स बन्थर इण्डस्ट्रियल पोल्यूशन कंट्रोल कं० (सी.ई.टी.पी.), यू.पी.एस.आई.डी.सी., एल.टी.पी., बन्थर, उन्नाव को निम्न निर्देश जारी किया जाता है:-

20/06/23

मैसर्स मैसर्स बन्थर इण्डस्ट्रियल पोल्यूशन कंट्रोल कं० (सी.ई.टी.पी.), यू.पी.एस.आई.डी.सी., एल.टी.पी., बन्थर, उन्नाव पर दिनांक 31.08.2022 से दिनांक 03.06.2023 के मध्य कुल 33 दिन डिफाल्टर अवधि तक रुपये 30,000/- प्रतिदिन की दर से रुपये 9,90,000/- (रुपये नौ लाख नब्बे हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

इकाई मैसर्स बन्थर इण्डस्ट्रियल पोल्यूशन कंट्रोल कं० (सी.ई.टी.पी.), यू.पी.एस.आई.डी.सी., एल.टी.पी., बन्थर, उन्नाव द्वारा भविष्य में डिफाल्टर पाये जाने पर रुपये 30,000/- दिन की दर से सुधारात्मक उपाये होने तक पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित होती रहेगी।

...2

अतः उद्योग मैसर्स बन्धर इण्डस्ट्रियल पोल्यूशन कन्ट्रोल कं० (सी.ई.टी.पी.), यू.पी.एस.आई.डी.सी., एल.टी.पी., बन्धर, उन्नाव पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि रूपये 9.90.000/- (रूपये नौ लाख नब्बे हजार मात्र) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा इकाई के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं उसके उत्तरदायी व्यक्तियों का होगा।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत
भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-5)

प्रतिलिपि: क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की प्रति अपने स्तर से प्राप्त कराकर अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-5)



4245

Annexure - 22

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

14.10.2022

Ref. No. 496253, C-510/ जल-102/23

Date 23.6.23

पंजीकृत

129/550

Regd

30.6.23

सेवा में,

मैसर्स उन्नाव टैनरीज पोल्यूशन कंट्रोल कं० (सी.ई.टी.पी.),
ए-7, यू.पी.एस.आई.डी.सी., साइट-2,
उन्नाव।

विषय: उद्योग मैसर्स उन्नाव टैनरीज पोल्यूशन कंट्रोल कं० (सी.ई.टी.पी.), ए-7, यू.पी.एस.आई.डी.सी., साइट-2, उन्नाव को जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 21.10.2022 को निक्षेपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक-एच 83417/सी-5/सह0 जल-102/2022 दिनांक 21.10.2022 का संदर्भ ग्रहण करने काष्ट करें। उक्त उद्योग का निरीक्षण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 02.08.2022 को किया गया था। निरीक्षण के समय सी.ई.टी.पी. में स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के आउटलेट के नमूने मानको के अनुरूप न पाये जाने के कारण उद्योग के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33'ए' सपठित धारा-27(2) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 21.10.2022 जारी किया गया था।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय अधिकारी, उन्नाव के पत्र संख्या-186/सहमति-550/2023 दिनांक 12.06.2023 द्वारा अद्यतन आख्या प्रेषित की गयी है। आख्यानुसार क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिनांक 02.08.2022 के उपरान्त विभिन्न तिथियों में सी.ई.टी.पी. के आउटलेट से जल नमूने एकत्र किये गये, जिसके अनुक्रम में दिनांक 02.08.2022 से दिनांक 03.06.2023 तक कुल 47 दिन डिफाल्टर अवधि पाये गये।

तत्कम में क्षेत्रीय अधिकारी, उन्नाव के पत्र संख्या-186/सहमति-550/2023 दिनांक 12.06.2023 द्वारा इकाई के विरुद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन किये जाने हेतु मार्गदर्शिका दिनांक 08.02.2019 के अनुक्रम में दिनांक 02.08.2022 से दिनांक 03.06.2023 तक कुल 47 दिन डिफाल्टर अवधि तक रुपये 30,000/- प्रतिदिन की दर से कुल रुपये 14,10,000/- (रुपये चौदह लाख दस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय कार्यालय, उन्नाव के पत्र 12.06.2023 का संज्ञान लेते हुए सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उद्योग मैसर्स उन्नाव टैनरीज पोल्यूशन कंट्रोल कं० (सी.ई.टी.पी.), ए-7, यू.पी.एस.आई.डी.सी., साइट-2, उन्नाव को निम्न निर्देश जारी किया जाता है:-

1. मैसर्स उन्नाव टैनरीज पोल्यूशन कंट्रोल कं० (सी.ई.टी.पी.), ए-7, यू.पी.एस.आई.डी.सी., साइट-2, उन्नाव पर दिनांक 02.08.2022 से दिनांक 03.06.2023 तक कुल 47 दिन डिफाल्टर अवधि तक रुपये 30,000/- प्रतिदिन की दर से रुपये 14,10,000/- (रुपये चौदह लाख दस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।
इकाई मैसर्स उन्नाव टैनरीज पोल्यूशन कंट्रोल कं० (सी.ई.टी.पी.), ए-7, यू.पी.एस.आई.डी.सी., साइट-2, उन्नाव द्वारा भविष्य में डिफाल्टर पाये जाने पर रुपये 30,000/- दिन की दर से सुधारात्मक उपाये होने तक पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित होती रहेगी।

...2

अतः उद्योग मैसर्स उन्नाव टैनरीज पोल्यूशन कन्ट्रोल कं० (सी.ई.टी.पी.), ए-7, यू.पी.एस.आई.डी.सी., साइट-2, उन्नाव पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि रूपये 14,10,000/- (रूपये चौदह लाख दस हजार मात्र) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा इकाई के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं उसके उत्तरदायी व्यक्तियों का होगा।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत
भवदीय,

मुख्य पर्यावरण/अधिकारी (वृत्त-5)

प्रतिलिपि: क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की प्रति अपने स्तर से प्राप्त कराकर अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-5)

22 MSW - Operational Plant Status					
SN	District	ULB	Capacity	Authorization valid up to	Operational status
1	Hapur	Pilkhuwa	45	17-03-2028	Operational
2	Prayagraj	Prayagraj	400	15-03-2028	Operational
3	Kannauj	Kannauj	25	15-03-2028	Operational
4	Kanpur	Kanpur	1500	2/4/2028	Operational
5	Muzaffarnagar	Muzaffarnagar	120	16-03-2028	Operational
6	Aligarh	Aligarh	220	16-03-2028	Operational
7	Etawah	Etawah	75	14-04-2028	Operational
8	Mathura	Mathura	250	16-03-2028	Operational
9	Agra	Agra	500	7/7/2024	Operational
10	Barabanki	Nawabganj	100	27-03-2028	Operational
11	Lucknow	Lucknow	1300	16-03-2027	Operational
12	Varanasi	Varanasi	600	31-12-2027	Operational
13	Jaunpur	Jaunpur	100	31-12-2027	Operational
14	Ballia	Ballia	50	31-12-2027	Operational
15	Azamgarh	Mubarakpur	40	31-12-2027	Operational
16	Moradabad	Moradabad	400	31-12-2027	Operational
17	Noida	Noida	380	Applied for authorization	Operational
18	Ballia	Reorti	10	31-12-2027	Operational
19	Shahjahanpur	Shahjahanpur	90	Applied for authorization	Operational
20	Saharanpur	Gangoh	30	Applied for authorization	Operational
21	Ghaziabad	Ghaziabad	800	31-07-2025	Operational
22	Ghaziabad	Ghaziabad	2400	31-07-2025	Operational
	Total		9435		

711 MRF Operational Status					
S.N	District	ULBs	Capacity (TPD)	Status (Operational/ Non Operational)	Timeline
1	Agra	Achhnera (NPP)	5	Operational	Mar-23
2	Agra	Agra (M.Corp)	5	Operational	Mar-23
3	Agra	Bah (NPP)	5	Operational	Mar-23
4	Agra	Dayalbagh (NP)	5	Operational	Mar-23
5	Agra	Etmadpur (NPP)	5	Operational	Mar-23
6	Agra	Fatehpur Sikri (NPP)	5	Operational	Mar-23
7	Agra	Jagner (NP)	5	Operational	Mar-23
8	Agra	Kheragarh (NP)	5	Operational	Mar-23
9	Agra	Kiraoali (NP)	5	Operational	Mar-23
10	Agra	Pinahat (NP)	5	Operational	Mar-23
11	Agra	Shamsabad (NPP)	5	Operational	Mar-23
12	Agra	Swamibagh (NP)	5	Operational	Mar-23
13	Firozabad	Eka (NP)	5	Operational	Mar-23
14	Firozabad	Fariha (NP)	5	Operational	Mar-23
15	Firozabad	Firozabad (M Corp.)	5	Operational	Mar-23
16	Firozabad	MAKKHANPUR	5	Operational	Mar-23
17	Firozabad	Shikohabad (NPP)	5	Operational	Mar-23
18	Firozabad	Sirsaganj (NPP)	5	Operational	Mar-23
19	Firozabad	Tundla (NPP)	5	Operational	Mar-23
20	Mainpuri	BARNAHAL	5	Operational	Mar-23
21	Mainpuri	Bewar (NP)	5	Operational	Mar-23
22	Mainpuri	Bhogaon (NP)	5	Operational	Mar-23
23	Mainpuri	Ghiraur (NP)	5	Operational	Mar-23
24	Mainpuri	Jyoti Khuriya (NP)	5	Operational	Mar-23
25	Mainpuri	Karhal (NP)	5	Operational	Mar-23
26	Mainpuri	Kishni (NP)	5	Operational	Mar-23
27	Mainpuri	Kuraoali (NP)	5	Operational	Mar-23
28	Mainpuri	Kushmara (NP)	5	Operational	Mar-23
29	Mainpuri	Mainpuri (NPP)	5	Operational	Mar-23
30	Mathura	Bajna (NP)	5	Operational	Mar-23
31	Mathura	Baldeo (NP)	5	Operational	Mar-23
32	Mathura	Barsana (NP)	5	Operational	Mar-23
33	Mathura	Chaumuhan (NP)	5	Operational	Mar-23
34	Mathura	Chhata (NP)	5	Operational	Mar-23
35	Mathura	Farah (NP)	5	Operational	Mar-23
36	Mathura	Gokul (NP)	5	Operational	Mar-23
37	Mathura	Govardhan (NP)	5	Operational	Mar-23
38	Mathura	Mahavan (NP)	5	Operational	Mar-23
39	Mathura	Mathura (M Corp.)	5	Operational	Mar-23
40	Mathura	Nandgaon (NP)	5	Operational	Mar-23
41	Mathura	Radhakund (NP)	5	Operational	Mar-23
42	Mathura	Saunkh (NP)	5	Operational	Mar-23
43	Aligarh	Aligarh (M Corp.)	5	Operational	Mar-23
44	Aligarh	Atrauli (NPP)	5	Operational	Mar-23
45	Aligarh	Beswan (NP)	5	Operational	Mar-23
46	Aligarh	CHANDAUS	5	Operational	Mar-23
47	Aligarh	Chharra (NP)	5	Operational	Mar-23
48	Aligarh	Harduaganj (NP)	5	Operational	Mar-23
49	Aligarh	Iglas (NP)	5	Operational	Mar-23
50	Aligarh	Jalali (NP)	5	Operational	Mar-23
51	Aligarh	Jattari (NP)	5	Operational	Mar-23
52	Aligarh	JAWAN SIKANDARPUR (NP)	5	Operational	Mar-23
53	Aligarh	Kauriaganj (NP)	5	Operational	Mar-23

54	Aligarh	Khair (NPP)	5	Operational	Mar-23
55	Aligarh	Pilkhana (NP)	5	Operational	Mar-23
56	Aligarh	Vijaigarh (NP)	5	Operational	Mar-23
57	Etah	Aliganj (NPP)	5	Operational	Mar-23
58	Etah	Awagarh (NP)	5	Operational	Mar-23
59	Etah	Etah (NPP)	5	Operational	Mar-23
60	Etah	Jaithara (NP)	5	Operational	Mar-23
61	Etah	Jalesar (NPP)	5	Operational	Mar-23
62	Etah	Marehra (NPP)	5	Operational	Mar-23
63	Etah	Nidhauri Kalan (NP)	5	Operational	Mar-23
64	Etah	Raja Ka Rampur (NP)	5	Operational	Mar-23
65	Etah	Sakit (NP)	5	Operational	Mar-23
66	Hathras	Hasayan (NP)	5	Operational	Mar-23
67	Hathras	Hathras (NPP)	5	Operational	Mar-23
68	Hathras	Mendu (NP)	5	Operational	Mar-23
69	Hathras	Purdilnagar (NP)	5	Operational	Mar-23
70	Hathras	Sadabad (NP)	5	Operational	Mar-23
71	Hathras	Sahpau (NP)	5	Operational	Mar-23
72	Hathras	Sasni (NP)	5	Operational	Mar-23
73	Kasganj	Amapur (NP)	5	Operational	Mar-23
74	Kasganj	Bhargain (NP)	5	Operational	Mar-23
75	Kasganj	Kasganj (NPP)	5	Operational	Mar-23
76	Kasganj	Mohanpur (NP)	5	Operational	Mar-23
77	Kasganj	Patiyali (NP)	5	Operational	Mar-23
78	Kasganj	Sahawar (NP)	5	Operational	Mar-23
79	Kasganj	Sidhpura (NP)	5	Operational	Mar-23
80	Kasganj	Soron (NPP)	5	Operational	Mar-23
81	Ambedkar Nagar	Iltifatganj (NP)	5	Operational	Mar-23
82	Amethi	Gauriganj (NPP)	5	Operational	Mar-23
83	Amethi	Musafirkhana (NP)	5	Operational	Mar-23
84	Ayodhya	Ayodhya (M Corp.)	5	Operational	Mar-23
85	Ayodhya	Bikapur (NP)	5	Operational	Mar-23
86	Barabanki	Banki (NP)	5	Operational	Mar-23
87	Barabanki	Belhara (NP)	5	Operational	Mar-23
88	Barabanki	Dariyabad (NP)	5	Operational	Mar-23
89	Barabanki	Dewa (NP)	5	Operational	Mar-23
90	Barabanki	Fatehpur (NP)	5	Operational	Mar-23
91	Barabanki	Haidergarh (NP)	5	Operational	Mar-23
92	Barabanki	Nawabganj (NPP)	5	Operational	Mar-23
93	Barabanki	Ramnagar (NP)	5	Operational	Mar-23
94	Barabanki	Satrikh (NP)	5	Operational	Mar-23
95	Barabanki	Siddhaur (NP)	5	Operational	Mar-23
96	Barabanki	Tikait Nagar (NP)	5	Operational	Mar-23
97	Barabanki	Zaidpur (NP)	5	Operational	Mar-23
98	Sultanpur	Dostpur (NP)	5	Operational	Mar-23
99	Sultanpur	Kadipur (NP)	5	Operational	Mar-23
100	Sultanpur	Koeripur (NP)	5	Operational	Mar-23
101	Sultanpur	Sultanpur (NPP)	5	Operational	Mar-23
102	Azamgarh	Atrauliya (NP)	5	Operational	Mar-23
103	Azamgarh	Bilariaganj (NP)	5	Operational	Mar-23
104	Azamgarh	Jyanpur (NP)	5	Operational	Mar-23
105	Azamgarh	Katghar Lalganj (NP)	5	Operational	Mar-23
106	Azamgarh	Mahrajganj (NP)	5	Operational	Mar-23
107	Azamgarh	Mahul (NP)	5	Operational	Mar-23
108	Azamgarh	Mehnnagar (NP)	5	Operational	Mar-23
109	Azamgarh	Mubarakpur (NPP)	5	Operational	Mar-23
110	Azamgarh	Nizamabad (NP)	5	Operational	Mar-23
111	Azamgarh	Sarai Mir (NP)	5	Operational	Mar-23
112	Ballia	Belthara Road (NP)	5	Operational	Mar-23

113	Ballia	Rasra (NPP)	5	Operational	Mar-23
114	Ballia	Reoti (NP)	5	Operational	Mar-23
115	Ballia	Sikanderpur (NP)	5	Operational	Mar-23
116	Mau	Kopaganj (NP)	5	Operational	Mar-23
117	Badaun	Allapur (NP)	5	Operational	Mar-23
118	Badaun	Bilsi (NPP)	5	Operational	Mar-23
119	Badaun	Bisauli (NPP)	5	Operational	Mar-23
120	Badaun	Budaun (NPP)	5	Operational	Mar-23
121	Badaun	Dataganj (NPP)	5	Operational	Mar-23
122	Badaun	Faizganj (NP)	5	Operational	Mar-23
123	Badaun	Gulariya (NP)	5	Operational	Mar-23
124	Badaun	Islamnagar (NP)	5	Operational	Mar-23
125	Badaun	Kachhla (NP)	5	Operational	Mar-23
126	Badaun	Kakrala (NPP)	5	Operational	Mar-23
127	Badaun	Kunwargaon (NP)	5	Operational	Mar-23
128	Badaun	Mundiya (NP)	5	Operational	Mar-23
129	Badaun	Rudayan (NP)	5	Operational	Mar-23
130	Badaun	Sahaswan (NPP)	5	Operational	Mar-23
131	Badaun	Saidpur (NP)	5	Operational	Mar-23
132	Badaun	Sakhanu (NP)	5	Operational	Mar-23
133	Badaun	Ujhani (NPP)	5	Operational	Mar-23
134	Badaun	Usawan (NP)	5	Operational	Mar-23
135	Badaun	Usehat (NP)	5	Operational	Mar-23
136	Badaun	Wazirganj (NP)	5	Operational	Mar-23
137	Bareilly	Aonla (NPP)	5	Operational	Mar-23
138	Bareilly	Baheri (NPP)	5	Operational	Mar-23
139	Bareilly	Bareilly (M Corp.)	5	Operational	Mar-23
140	Bareilly	Bisharatganj (NP)	5	Operational	Mar-23
141	Bareilly	Deoranian (NP)	5	Operational	Mar-23
142	Bareilly	Dhaura Tanda (NP)	5	Operational	Mar-23
143	Bareilly	Faridpur (NP)	5	Operational	Mar-23
144	Bareilly	Faridpur (NPP)	5	Operational	Mar-23
145	Bareilly	Fatehganj Pashchimi (NP)	5	Operational	Mar-23
146	Bareilly	Fatehganj Purvi (NP)	5	Operational	Mar-23
147	Bareilly	Mirganj (NP)	5	Operational	Mar-23
148	Bareilly	Richha (NP)	5	Operational	Mar-23
149	Bareilly	Rithora (NP)	5	Operational	Mar-23
150	Bareilly	Sainthal (NP)	5	Operational	Mar-23
151	Bareilly	Shahi (NP)	5	Operational	Mar-23
152	Bareilly	Shergarh (NP)	5	Operational	Mar-23
153	Bareilly	Shishgarh (NP)	5	Operational	Mar-23
154	Bareilly	Sirauli (NP)	5	Operational	Mar-23
155	Bareilly	Thiriya Nizawat Khan (NP)	5	Operational	Mar-23
156	Pilibhit	Barkhera (NP)	5	Operational	Mar-23
157	Pilibhit	Bilsanda (NP)	5	Operational	Mar-23
158	Pilibhit	Bisalpur (NPP)	5	Operational	Mar-23
159	Pilibhit	Gulariya Bhindara (NP)	5	Operational	Mar-23
160	Pilibhit	Jahanabad (NP)	5	Operational	Mar-23
161	Pilibhit	Kalinagar (NP)	5	Operational	Mar-23
162	Pilibhit	Nyoria Husainpur (NP)	5	Operational	Mar-23
163	Pilibhit	Pilibhit (NPP)	5	Operational	Mar-23
164	Pilibhit	Puranpur (NPP)	5	Operational	Mar-23
165	Shahjahanpur	Allahganj (NP)	5	Operational	Mar-23
166	Shahjahanpur	Jalalabad (NPP)	5	Operational	Mar-23
167	Shahjahanpur	Kanth (NP)	5	Operational	Mar-23
168	Shahjahanpur	Katra (NP)	5	Operational	Mar-23
169	Shahjahanpur	Khudaganj (NP)	5	Operational	Mar-23
170	Shahjahanpur	Khutar (NP)	5	Operational	Mar-23
171	Shahjahanpur	Powayan (NPP)	5	Operational	Mar-23

172	Shahjahanpur	Shahjahanpur (M Corp.)	5	Operational	Mar-23
173	Shahjahanpur	Tilhar (NPP)	5	Operational	Mar-23
174	Basti	Basti (NPP)	5	Operational	Mar-23
175	Basti	Harraiya (NP)	5	Operational	Mar-23
176	Basti	Rudhali Bazar (NP)	5	Operational	Mar-23
177	Sant Kabeer Nagar	Hariharpur (NP)	5	Operational	Mar-23
178	Sant Kabeer Nagar	Khalilabad (NPP)	5	Operational	Mar-23
179	Sant Kabeer Nagar	Maghar (NP)	5	Operational	Mar-23
180	Sant Kabeer Nagar	Mehdawal (NP)	5	Operational	Mar-23
181	Siddharth Nagar	Bansi (NPP)	5	Operational	Mar-23
182	Siddharth Nagar	Barhani Bazar (NP)	5	Operational	Mar-23
183	Banda	Banda (NPP)	5	Operational	Mar-23
184	Banda	Atarra (NPP)	5	Operational	Mar-23
185	Banda	Baberu (NP)	5	Operational	Mar-23
186	Banda	Bisanda Buzurg (NP)	5	Operational	Mar-23
187	Banda	Mataundh (NP)	5	Operational	Mar-23
188	Banda	Naraini (NP)	5	Operational	Mar-23
189	Banda	Oran (NP)	5	Operational	Mar-23
190	Banda	Tindwari (NP)	5	Operational	Mar-23
191	Chitrakoot	Manikpur Sarhat (NP)	5	Operational	Mar-23
192	Hamirpur	Hamirpur (NPP)	5	Operational	Mar-23
193	Hamirpur	Maudaha (NPP)	5	Operational	Mar-23
194	Hamirpur	Rath (NPP)	5	Operational	Mar-23
195	Hamirpur	Sarila (NP)	5	Operational	Mar-23
196	Mahoba	Charkhari (NPP)	5	Operational	Mar-23
197	Mahoba	Kabrai (NP)	5	Operational	Mar-23
198	Mahoba	Kharela (NP)	5	Operational	Mar-23
199	Mahoba	Kul Pahar (NP)	5	Operational	Mar-23
200	Mahoba	Mahoba (NPP)	5	Operational	Mar-23
201	Bahraich	Bahraich (NPP)	5	Operational	Mar-23
202	Balrampur	Pachperwa (NP)	5	Operational	Mar-23
203	Balrampur	Tulsipur (NP)	5	Operational	Mar-23
204	Gonda	Katra (NP)	5	Operational	Mar-23
205	Gonda	Paraspur (NP)	5	Operational	Mar-23
206	Sravasti	Bhingra (NPP)	5	Operational	Mar-23
207	Sravasti	Ikauna (NP)	5	Operational	Mar-23
208	Deoria	Bariyarpur (NP)	5	Operational	Mar-23
209	Deoria	Bhatpar Rani (NP)	5	Operational	Mar-23
210	Deoria	Deoria (NPP)	5	Operational	Mar-23
211	Deoria	Gaura Barhaj (NPP)	5	Operational	Mar-23
212	Deoria	Gauri Bazar (NP)	5	Operational	Mar-23
213	Deoria	Lar (NP)	5	Operational	Mar-23
214	Deoria	Majhauriraj (NP)	5	Operational	Mar-23
215	Deoria	Rampur Karkhana (NP)	5	Operational	Mar-23
216	Deoria	Rudrapur (NP)	5	Operational	Mar-23
217	Deoria	Salempur (NP)	5	Operational	Mar-23
218	Gorakhpur	Gola Bazar (NP)	5	Operational	Mar-23
219	Gorakhpur	Gorakhpur (M Corp.)	5	Operational	Mar-23
220	Gorakhpur	Pipraich (NP)	5	Operational	Mar-23
221	Gorakhpur	Sahjanwan (NP)	5	Operational	Mar-23
222	Kushinagar	Hata (NPP)	5	Operational	Mar-23
223	Kushinagar	Kaptanganj (NP)	5	Operational	Mar-23
224	Maharajganj	Anandnagar (NP)	5	Operational	Mar-23
225	Maharajganj	Maharajganj (NPP)	5	Operational	Mar-23
226	Maharajganj	Nautanwa (NPP)	5	Operational	Mar-23
227	Maharajganj	Nichlaul (NP)	5	Operational	Mar-23
228	Maharajganj	Siswa Bazar (NP)	5	Operational	Mar-23
229	Maharajganj	Sonauli (NP)	5	Operational	Mar-23
230	Jalaun	AIT (NP)	5	Operational	Mar-23
231	Jalaun	Jalaun (NPP)	5	Operational	Mar-23
232	Jalaun	Kadoura (NP)	5	Operational	Mar-23

233	Jalaun	Kalpi (NPP)	5	Operational	Mar-23
234	Jalaun	Konch (NPP)	5	Operational	Mar-23
235	Jalaun	Kotra (NP)	5	Operational	Mar-23
236	Jalaun	Madhogarh (NP)	5	Operational	Mar-23
237	Jalaun	Nadigaon (NPP)	5	Operational	Mar-23
238	Jalaun	Orai (NPP)	5	Operational	Mar-23
239	Jalaun	Rampura (NP)	5	Operational	Mar-23
240	Jalaun	Umri (NP)	5	Operational	Mar-23
241	Jaunpur	Jaunpur (NPP)	5	Operational	Mar-23
242	Jhansi	Baragaon (NP)	5	Operational	Mar-23
243	Jhansi	Barua Sagar (NPP)	5	Operational	Mar-23
244	Jhansi	Chirgaon (NPP)	5	Operational	Mar-23
245	Jhansi	Erich (NP)	5	Operational	Mar-23
246	Jhansi	Garautha (NP)	5	Operational	Mar-23
247	Jhansi	Gursarai (NPP)	5	Operational	Mar-23
248	Jhansi	Jhansi (M Corp.)	5	Operational	Mar-23
249	Jhansi	Kathera (NP)	5	Operational	Mar-23
250	Jhansi	Mauranipur (NPP)	5	Operational	Mar-23
251	Jhansi	Moth (NP)	5	Operational	Mar-23
252	Jhansi	Ranipur (NP)	5	Operational	Mar-23
253	Jhansi	Samthar (NPP)	5	Operational	Mar-23
254	Jhansi	Tondi Fatehpur (NP)	5	Operational	Mar-23
255	Lalitpur	Lalitpur (NPP)	5	Operational	Mar-23
256	Lalitpur	Mahroni (NP)	5	Operational	Mar-23
257	Lalitpur	Pali (NP)	5	Operational	Mar-23
258	Lalitpur	Talbehat (NP)	5	Operational	Mar-23
259	Auraiya	Achhalda (NP)	5	Operational	Mar-23
260	Auraiya	Atasu (NP)	5	Operational	Mar-23
261	Auraiya	Auraiya (NPP)	5	Operational	Mar-23
262	Auraiya	Babarpur Ajitmal (NP)	5	Operational	Mar-23
263	Auraiya	Bidhuna (NP)	5	Operational	Mar-23
264	Auraiya	Dibiyapur (NP)	5	Operational	Mar-23
265	Auraiya	Phaphund (NP)	5	Operational	Mar-23
266	Etawah	Bharthana (NPP)	5	Operational	Mar-23
267	Etawah	Ekdil (NP)	5	Operational	Mar-23
268	Etawah	Etawah (NPP)	5	Operational	Mar-23
269	Etawah	Jaswantnagar (NPP)	5	Operational	Mar-23
270	Farrukhabad	Farrukhabad (NPP) (G)	5	Operational	Mar-23
271	Farrukhabad	Kaimganj (NPP)	5	Operational	Mar-23
272	Farrukhabad	Kamalganj (NP)	5	Operational	Mar-23
273	Farrukhabad	Kampil (NP)	5	Operational	Mar-23
274	Farrukhabad	Mohammadabad (NP)	5	Operational	Mar-23
275	Farrukhabad	Shamsabad (NP)	5	Operational	Mar-23
276	Kannauj	Chhibramau (NPP)	5	Operational	Mar-23
277	Kannauj	Gursahaiganj (NPP)	5	Operational	Mar-23
278	Kannauj	Samdhan (NP)	5	Operational	Mar-23
279	Kannauj	Sikanderpur (NP)	5	Operational	Mar-23
280	Kannauj	Talgram (NP)	5	Operational	Mar-23
281	Kannauj	Tirwaganj (NP)	5	Operational	Mar-23
282	Kanpur Dehat	Akbarpur (NP)	5	Operational	Mar-23
283	Kanpur Dehat	Derapur (NP)	5	Operational	Mar-23
284	Kanpur Dehat	Jhinhak (NPP)	5	Operational	Mar-23
285	Kanpur Dehat	Pukhrayan (NPP)	5	Operational	Mar-23
286	Kanpur Dehat	Rasulabad (NP)	5	Operational	Mar-23
287	Kanpur Dehat	Rura (NP)	5	Operational	Mar-23
288	Kanpur Dehat	Shivli (NP)	5	Operational	Mar-23
289	Kanpur Dehat	Sikandra (NP)	5	Operational	Mar-23
290	Kanpur Nagar	Kanpur (M Corp.) (G)	5	Operational	Mar-23
291	Kanpur Nagar	Shivrajpur (NP)	5	Operational	Mar-23
292	Hardoi	Beniganj (NP)	5	Operational	Mar-23

293	Hardoi	Bilgram (NPP)	5	Operational	Mar-23
294	Hardoi	Gopamau (NP)	5	Operational	Mar-23
295	Hardoi	Hardoi (NPP)	5	Operational	Mar-23
296	Hardoi	Madhoganj (NP)	5	Operational	Mar-23
297	Hardoi	Mallawan (NPP)	5	Operational	Mar-23
298	Hardoi	Pali (NP)	5	Operational	Mar-23
299	Hardoi	Pihani (NPP)	5	Operational	Mar-23
300	Hardoi	Sandila (NPP)	5	Operational	Mar-23
301	Hardoi	Sandila (NPP)	5	Operational	Mar-23
302	Hardoi	Shahabad (NPP)	5	Operational	Mar-23
303	Hardoi	Shahabad (NPP)	5	Operational	Mar-23
304	Kheeri	Barwar (NP)	5	Operational	Mar-23
305	Kheeri	Dhaurehra (NP)	5	Operational	Mar-23
306	Kheeri	Gola Gokarannath (NPP)	5	Operational	Mar-23
307	Kheeri	Kheri (NP)	5	Operational	Mar-23
308	Kheeri	Lakhimpur (NPP)	5	Operational	Mar-23
309	Kheeri	Mailani (NP)	5	Operational	Mar-23
310	Kheeri	Mohammadi (NPP)	5	Operational	Mar-23
311	Kheeri	Oel Dhakwa (NP)	5	Operational	Mar-23
312	Kheeri	Paliya Kalan (NPP)	5	Operational	Mar-23
313	Kheeri	Singahi Bhindaaura (NP)	5	Operational	Mar-23
314	Lucknow	Amethi (NP)	5	Operational	Mar-23
315	Lucknow	Bakshi Ka Talab (NP)	5	Operational	Mar-23
316	Lucknow	Gosainganj (NP)	5	Operational	Mar-23
317	Lucknow	Itaunja (NP)	5	Operational	Mar-23
318	Lucknow	Kakori (NP)	5	Operational	Mar-23
319	Lucknow	Lucknow (M Corp.)	5	Operational	Mar-23
320	Lucknow	Mahona (NP)	5	Operational	Mar-23
321	Lucknow	Nagram (NP)	5	Operational	Mar-23
322	Raebareilly	Bachhrawan (NP)	5	Operational	Mar-23
323	Raebareilly	Dalmau (NP)	5	Operational	Mar-23
324	Raebareilly	Maharajganj (NP)	5	Operational	Mar-23
325	Raebareilly	Nasirabad (NP)	5	Operational	Mar-23
326	Raebareilly	Parsadepur (NP)	5	Operational	Mar-23
327	Raebareilly	Salon (NP)	5	Operational	Mar-23
328	Raebareilly	Unchahar (NP)	5	Operational	Mar-23
329	Sitapur	Biswan (NPP)	5	Operational	Mar-23
330	Sitapur	Hargaon (NP)	5	Operational	Mar-23
331	Sitapur	Khairabad (NPP)	5	Operational	Mar-23
332	Sitapur	Laharpur (NPP)	5	Operational	Mar-23
333	Sitapur	Mahmudabad (NPP)	5	Operational	Mar-23
334	Sitapur	Maholi (NP)	5	Operational	Mar-23
335	Sitapur	Misrikh-Naimish (NPP)	5	Operational	Mar-23
336	Sitapur	Paintepur (NP)	5	Operational	Mar-23
337	Sitapur	Sidhauri (NP)	5	Operational	Mar-23
338	Sitapur	Sitapur (NPP)	5	Operational	Mar-23
339	Sitapur	Tambaur- Ahamdabad (NP)	5	Operational	Mar-23
340	Unnao	Auras (NP)	5	Operational	Mar-23
341	Unnao	Bangarmau (NPP)	5	Operational	Mar-23
342	Unnao	Bhagwant Nagar (NP)	5	Operational	Mar-23
343	Unnao	Bighapur (NP)	5	Operational	Mar-23
344	Unnao	Fatehpur Chaurasi (NP)	5	Operational	Mar-23
345	Unnao	Gangaghat (NPP) (G)	5	Operational	Mar-23
346	Unnao	Ganj Muradabad (NP)	5	Operational	Mar-23
347	Unnao	Hyderabad (NP)	5	Operational	Mar-23
348	Unnao	Kursath (NP)	5	Operational	Mar-23
349	Unnao	Maurawan (NP)	5	Operational	Mar-23
350	Unnao	Mohan (NP)	5	Operational	Mar-23
351	Unnao	Nawabganj (NP)	5	Operational	Mar-23

352	Unnao	Nyotini (NP)	5	Operational	Mar-23
353	Unnao	Purwa (NP)	5	Operational	Mar-23
354	Unnao	Rasulabad (NP)	5	Operational	Mar-23
355	Unnao	Safipur (NP)	5	Operational	Mar-23
356	Unnao	Ugu (NP)	5	Operational	Mar-23
357	Unnao	Unnao (NPP)	5	Operational	Mar-23
358	Bagpat	Aminagar Sarai (NP)	5	Operational	Mar-23
359	Bagpat	Baraut (NPP)	5	Operational	Mar-23
360	Bagpat	Chhaprauli (NP)	5	Operational	Mar-23
361	Bagpat	Doghat (NP)	5	Operational	Mar-23
362	Bagpat	Khekada (NPP)	5	Operational	Mar-23
363	Bagpat	Tikri (NP)	5	Operational	Mar-23
364	Bulandsahar	Anupshahr (NPP) (G)	5	Operational	Mar-23
365	Bulandsahar	Aurangabad (NP)	5	Operational	Mar-23
366	Bulandsahar	Bhawan Bahadurnagar (NP)	5	Operational	Mar-23
367	Bulandsahar	Bugrasi (NP)	5	Operational	Mar-23
368	Bulandsahar	Chhatari (NP)	5	Operational	Mar-23
369	Bulandsahar	Dibai (NPP)	5	Operational	Mar-23
370	Bulandsahar	Gulaoti (NPP)	5	Operational	Mar-23
371	Bulandsahar	Jahangirabad (NPP)	5	Operational	Mar-23
372	Bulandsahar	Khanpur (NP)	5	Operational	Mar-23
373	Bulandsahar	Khurja (NPP)	5	Operational	Mar-23
374	Bulandsahar	Naraura (NP) (G)	5	Operational	Mar-23
375	Bulandsahar	Shikarpur (NPP)	5	Operational	Mar-23
376	Bulandsahar	Siana (NPP)	5	Operational	Mar-23
377	Bulandsahar	Sikandrabad (NPP)	5	Operational	Mar-23
378	Gautam Buddh Nagar	Bilaspur (NP)	5	Operational	Mar-23
379	Gautam Buddh Nagar	Dadri (NPP)	5	Operational	Mar-23
380	Gautam Buddh Nagar	Jewar (NP)	5	Operational	Mar-23
381	Ghaziabad	Faridnagar (NP)	5	Operational	Mar-23
382	Ghaziabad	Ghaziabad (M Corp.)	205	Operational	Mar-23
383	Ghaziabad	Modinagar (NPP)	5	Operational	Mar-23
384	Ghaziabad	Niwari (NP)	5	Operational	Mar-23
385	Hapur	Garhmukhteshwar (NPP)(G)	5	Operational	Mar-23
386	Hapur	Hapur (NPP)	5	Operational	Mar-23
387	Meerut	Daurala (NP)	5	Operational	Mar-23
388	Meerut	Harra (NP)	5	Operational	Mar-23
389	Meerut	Hastinapur (NP) (G)	5	Operational	Mar-23
390	Meerut	Karnawal (NP)	5	Operational	Mar-23
391	Meerut	Kharkhauda (NP)	5	Operational	Mar-23
392	Meerut	Khiwai (NP)	5	Operational	Mar-23
393	Meerut	Lawar (NP)	5	Operational	Mar-23
394	Meerut	Mawana (NPP)	5	Operational	Mar-23
395	Meerut	Parikshitgarh (NP)	5	Operational	Mar-23
396	Meerut	Phalauda (NP)	5	Operational	Mar-23
397	Meerut	Sardhana (NPP)	5	Operational	Mar-23
398	Meerut	Sewalkhas (NP)	5	Operational	Mar-23
399	Meerut	Shahjahanpur (NP)	5	Operational	Mar-23
400	Bhadohi	Bhadohi (NPP)	5	Operational	Mar-23
401	Bhadohi	Ghosia Bazar (NP)	5	Operational	Mar-23
402	Bhadohi	Gopiganj (NPP)	5	Operational	Mar-23
403	Bhadohi	Gyanpur (NP)	5	Operational	Mar-23
404	Bhadohi	Khamaria (NP)	5	Operational	Mar-23
405	Bhadohi	Nai Bazar (NP)	5	Operational	Mar-23
406	Bhadohi	Suriyawan (NP)	5	Operational	Mar-23
407	Mirzapur	Ahraura (NPP)	5	Operational	Mar-23
408	Mirzapur	Chunar (NPP) (G)	5	Operational	Mar-23
409	Mirzapur	Mirzapur (NPP) (G)	5	Operational	Mar-23
410	Sonbhadra	Chopan (NP)	5	Operational	Mar-23

411	Sonbhadra	Dudhi (NP)	5	Operational	Mar-23
412	Sonbhadra	Ghorawal (NP)	5	Operational	Mar-23
413	Sonbhadra	Pipri (NP)	5	Operational	Mar-23
414	Sonbhadra	Renukoot (NP)	5	Operational	Mar-23
415	Sonbhadra	Sonbhadra- Robertsganj (NPP)	5	Operational	Mar-23
416	Amroha	Amroha (NPP)	5	Operational	Mar-23
417	Amroha	Bachhraon (NPP)	5	Operational	Mar-23
418	Amroha	Dhanaura (NPP)	5	Operational	Mar-23
419	Amroha	Gajraula (NPP)	5	Operational	Mar-23
420	Amroha	Hasanpur (NPP)	5	Operational	Mar-23
421	Amroha	Joya (NP)	5	Operational	Mar-23
422	Amroha	Naugawan Sadat (NP)	5	Operational	Mar-23
423	Amroha	Ujhari (NP)	5	Operational	Mar-23
424	Bijnor	Afzalgarh (NPP)	5	Operational	Mar-23
425	Bijnor	Bijnore (NPP) (G)	5	Operational	Mar-23
426	Bijnor	Chandpur (NPP)	5	Operational	Mar-23
427	Bijnor	Dhampur (NPP)	5	Operational	Mar-23
428	Bijnor	Haldaur (NPP)	5	Operational	Mar-23
429	Bijnor	Jalalabad (NP)	5	Operational	Mar-23
430	Bijnor	Jhalu (NP)	5	Operational	Mar-23
431	Bijnor	Kiratpur (NPP)	5	Operational	Mar-23
432	Bijnor	Mandawar (NP)	5	Operational	Mar-23
433	Bijnor	Nagina (NPP)	5	Operational	Mar-23
434	Bijnor	Najibabad (NPP)	5	Operational	Mar-23
435	Bijnor	Nehtaur (NPP)	5	Operational	Mar-23
436	Bijnor	Noorpur (NPP)	5	Operational	Mar-23
437	Bijnor	Sahanpur (NP)	5	Operational	Mar-23
438	Bijnor	Sahaspur (NP)	5	Operational	Mar-23
439	Bijnor	Seohara (NPP)	5	Operational	Mar-23
440	Bijnor	Sherkot (NPP)	5	Operational	Mar-23
441	Bijnor	Warhapur (NP)	5	Operational	Mar-23
442	Moradabad	Agwanpur (NP)	5	Operational	Mar-23
443	Moradabad	Bhojpur Dharampur (NP)	5	Operational	Mar-23
444	Moradabad	Bilari (NPP)	5	Operational	Mar-23
445	Moradabad	Kanth (NP)	5	Operational	Mar-23
446	Moradabad	Kundarki (NP)	5	Operational	Mar-23
447	Moradabad	Moradabad (M Corp.)	5	Operational	Mar-23
448	Moradabad	Pakbada (NP)	5	Operational	Mar-23
449	Moradabad	Thakurdwara (NPP)	5	Operational	Mar-23
450	Moradabad	Umri Kalan (NP)	5	Operational	Mar-23
451	Rampur	Bilaspur (NPP)	5	Operational	Mar-23
452	Rampur	Maswasi (NP)	5	Operational	Mar-23
453	Rampur	Milak (NPP)	5	Operational	Mar-23
454	Rampur	Rampur (NPP)	5	Operational	Mar-23
455	Rampur	Swar (NPP)	5	Operational	Mar-23
456	Rampur	Tanda (NPP)	5	Operational	Mar-23
457	Sambhal	Bahjoi (NPP)	5	Operational	Mar-23
458	Sambhal	Chandausi (NPP)	5	Operational	Mar-23
459	Sambhal	Gawan (NP)	5	Operational	Mar-23
460	Sambhal	Gunnaur (NP)	5	Operational	Mar-23
461	Sambhal	Narauli (NP)	5	Operational	Mar-23
462	Sambhal	Sambhal (NPP)	5	Operational	Mar-23
463	Sambhal	Sirsi (NP)	5	Operational	Mar-23
464	Fatehpur	ASOTHER (NP)	5	Operational	Mar-23
465	Fatehpur	Bindki (NPP)	5	Operational	Mar-23
466	Fatehpur	Fatehpur (NPP)	5	Operational	Mar-23
467	Fatehpur	Hathgaam (NP)	5	Operational	Mar-23
468	Fatehpur	Khaga (NP)	5	Operational	Mar-23
469	Fatehpur	Kora Jahanabad (NP)	5	Operational	Mar-23

470	Kaushambi	Ajhuwa (NP)	5	Operational	Mar-23
471	Kaushambi	Bharwari (NP)	5	Operational	Mar-23
472	Kaushambi	Chail (NP)	5	Operational	Mar-23
473	Kaushambi	Karari (NP)	5	Operational	Mar-23
474	Kaushambi	Manjhanpur (NP)	5	Operational	Mar-23
475	Kaushambi	Sarai Aquil (NP)	5	Operational	Mar-23
476	Kaushambi	Sirathu (NP)	5	Operational	Mar-23
477	Pratapgarh	Bela Pratapgarh (NPP)	5	Operational	Mar-23
478	Pratapgarh	Katra Medniganj (NP)	5	Operational	Mar-23
479	Pratapgarh	Kunda (NP)	5	Operational	Mar-23
480	Pratapgarh	Lalganj (NP)	5	Operational	Mar-23
481	Pratapgarh	Manikpur (NP)	5	Operational	Mar-23
482	Pratapgarh	Patti (NP)	5	Operational	Mar-23
483	Pratapgarh	Pratapgarh City (NP)	5	Operational	Mar-23
484	Pratapgarh	Raniganj (NP)	5	Operational	Mar-23
485	Prayagraj	Bharatganj (NP)	5	Operational	Mar-23
486	Prayagraj	Handia (NP)	5	Operational	Mar-23
487	Prayagraj	Koraon (NP)	5	Operational	Mar-23
488	Prayagraj	Lal Gopalganj (NP)	5	Operational	Mar-23
489	Prayagraj	Mau Aima (NP)	5	Operational	Mar-23
490	Prayagraj	Phulpur (NP)	5	Operational	Mar-23
491	Prayagraj	Prayagraj (M Corp.) (G)	10	Operational	Mar-23
492	Prayagraj	Prayagraj (M Corp.) (G) (Jhusi)	10	Operational	Mar-23
493	Prayagraj	Shankargarh (NP)	5	Operational	Mar-23
494	Prayagraj	Sirsa (NP)	5	Operational	Mar-23
495	Muzaffarnagar	Bhokarhedi (NP)	5	Operational	Mar-23
496	Muzaffarnagar	Budhana (NP)	5	Operational	Mar-23
497	Muzaffarnagar	Charthawal (NP)	5	Operational	Mar-23
498	Muzaffarnagar	Jansath (NP)	5	Operational	Mar-23
499	Muzaffarnagar	Khatauli (NPP)	5	Operational	Mar-23
500	Muzaffarnagar	Mirapur (NP)	5	Operational	Mar-23
501	Muzaffarnagar	Purquazi (NP)	5	Operational	Mar-23
502	Muzaffarnagar	Shahpur (NP)	5	Operational	Mar-23
503	Saharanpur	Ambehta (NP)	5	Operational	Mar-23
504	Saharanpur	Behat (NP)	5	Operational	Mar-23
505	Saharanpur	Chilkana Sultanpur (NP)	5	Operational	Mar-23
506	Saharanpur	Deoband (NPP)	5	Operational	Mar-23
507	Saharanpur	Gangoh (NPP)	5	Operational	Mar-23
508	Saharanpur	Nakur (NPP)	5	Operational	Mar-23
509	Saharanpur	Nanauta (NP)	5	Operational	Mar-23
510	Saharanpur	Rampur Maniharan (NP)	5	Operational	Mar-23
511	Saharanpur	Saharanpur (M Corp.)	5	Operational	Mar-23
512	Saharanpur	Sarsawa (NPP)	5	Operational	Dec-23
513	Saharanpur	Titron (NP)	5	Operational	Dec-23
514	Shamli	Ailam (NP)	5	Operational	Dec-23
515	Shamli	Banat (NP)	5	Operational	Dec-23
516	Shamli	Garhi Pukhta (NP)	5	Operational	Dec-23
517	Shamli	Jalalabad (NP)	5	Operational	Dec-23
518	Shamli	Jhinjhana (NP)	5	Operational	Dec-23
519	Shamli	Kairana (NPP)	5	Operational	Dec-23
520	Shamli	Kandhla (NPP)	5	Operational	Dec-23
521	Shamli	Shamli (NPP)	5	Operational	Dec-23
522	Shamli	Un (NP)	5	Operational	Dec-23
523	Chandauli	Chakia (NP)	5	Operational	Dec-23
524	Chandauli	Chandauli (NP)	5	Operational	Dec-23
525	Chandauli	Mughalsarai (NPP)(G)	5	Operational	Dec-23
526	Chandauli	Saiyad Raza (NP)	5	Operational	Dec-23
527	Ghazipur	Bahadurganj (NP)	5	Operational	Dec-23

528	Ghazipur	Dildarnagar (NP)	5	Operational	Dec-23
529	Ghazipur	Ghazipur (NPP) (G)	5	Operational	Dec-23
530	Ghazipur	Jangipur (NP)	5	Operational	Dec-23
531	Ghazipur	Mohammadabad (NPP)	5	Operational	Dec-23
532	Ghazipur	Sadat (NP)	5	Operational	Dec-23
533	Ghazipur	Saidpur (NP) (G)	5	Operational	Dec-23
534	Jaunpur	Kerakat (NP)	5	Operational	Dec-23
535	Jaunpur	Khetasarai (NP)	5	Operational	Dec-23
536	Jaunpur	Mariahu (NP)	5	Operational	Dec-23
537	Varanasi	Gangapur (NP)	5	Operational	Dec-23
538	Etawah	Etawah (NPP)	5	Operational	Dec-23
539	Etawah	Etawah (NPP)	5	Operational	Dec-23
540	Etawah	Etawah (NPP)	5	Operational	Dec-23
541	Etawah	Etawah (NPP)	5	Operational	Dec-23
542	Etawah	Etawah (NPP)	5	Operational	Dec-23
543	Ambedkar Nagar	Akbarpur (NPP)	5	Operational	Dec-23
544	Azamgarh	Phulpur (NP)	5	Operational	Dec-23
545	Mau	KURTHI JAFARPUR	5	Operational	Dec-23
546	Raebareilly	Rae Bareli (NPP)	5	Operational	Dec-23
547	Rampur	Shahabad (NP)	5	Operational	Dec-23
548	Sambhal	Babrala (NP) (G)	5	Operational	Dec-23
549	Muzaffarnagar	Sisauli (NP)	5	Operational	Dec-23
550	Shamli	Thana Bhawan (NP)	5	Operational	Dec-23
551	Jaunpur	Badlapur (NP)	5	Operational	Dec-23
552	Agra	Agra (M. Corp)	20	Operational	Dec-23
553	Firozabad	Jasrana (Np)	5	Operational	Dec-23
554	Mathura	Kosi Kalan (Npp)	5	Operational	Dec-23
555	Aligarh	Gabhana (Np)	5	Operational	Dec-23
556	Aligarh	Madrak	5	Operational	Dec-23
557	Aligarh	Pisawa	5	Operational	Dec-23
558	Hathras	Sikandrarao (Npp)	5	Operational	Dec-23
559	Kasganj	Ganj Dundawara (Npp)	5	Operational	Dec-23
560	Ambedkar Nagar	Jalalpur (Npp)	5	Operational	Dec-23
561	Amethi	Amethi (Np)	5	Operational	Dec-23
562	Amethi	Jais (Npp)	5	Operational	Dec-23
563	Ayodhya	Bhadarsa (Np)	5	Operational	Dec-23
564	Ayodhya	Gosainganj (Np)	5	Operational	Dec-23
565	Ayodhya	Khirauni (Shuchittaganj) (Np)	5	Operational	Dec-23
566	Ayodhya	Kumarganj (Np)	5	Operational	Dec-23
567	Ayodhya	Rudauli (Npp)	5	Operational	Dec-23
568	Barabanki	Ramsanehi Ghat (Np)	5	Operational	Dec-23
569	Sultanpur	Lambhua	5	Operational	Dec-23
570	Azamgarh	Azamgarh (Npp)	5	Operational	Dec-23
571	Azamgarh	Azamgarh (Npp)	5	Operational	Dec-23
572	Azamgarh	Azmatgarh (Np)	5	Operational	Dec-23
573	Ballia	Ballia (Npp) (G)	5	Operational	Dec-23
574	Ballia	Bansdih (Np)	5	Operational	Dec-23
575	Ballia	Bariya (Np)	5	Operational	Dec-23
576	Mau	Chiraiyakot (Np)	5	Operational	Dec-23
577	Mau	Madhuban (Np)	5	Operational	Dec-23
578	Mau	Maunath Bhanjan (Npp)	5	Operational	Dec-23
579	Badaun	Budaun (Npp)	5	Operational	Dec-23
580	Badaun	Dahgawan	5	Operational	Dec-23
581	Bareilly	Bareilly (M. Corp)	5	Operational	Dec-23
582	Bareilly	Bareilly (M. Corp)	5	Operational	Dec-23
583	Bareilly	Faridpur (Npp)	5	Operational	Dec-23
584	Bareilly	Nawabganj (Npp)	5	Operational	Dec-23
585	Shahjahanpur	Shahjahanpur (M. Corp)	5	Operational	Dec-23
586	Shahjahanpur	Tilhar (Npp)	5	Operational	Dec-23

587	Basti	Bankati (Np)	5	Operational	Dec-23
588	Basti	Bhanpur Kaswa	5	Operational	Dec-23
589	Basti	Gaayghat	5	Operational	Dec-23
590	Basti	Ganeshpur (Np)	5	Operational	Dec-23
591	Basti	Mundervan (Np)	5	Operational	Dec-23
592	Basti	Nagar Bazar (Np)	5	Operational	Dec-23
593	Siddharth Nagar	Badhani Chafa	5	Operational	Dec-23
594	Siddharth Nagar	Itwa	5	Operational	Dec-23
595	Siddharth Nagar	Kapilavastu	5	Operational	Dec-23
596	Chitrakoot	Chitrakootdham Karwi (Npp)	5	Operational	Dec-23
597	Chitrakoot	Mau (Np)	5	Operational	Dec-23
598	Chitrakoot	Rajapur (Np)	5	Operational	Dec-23
599	Hamirpur	Gohand (Np)	5	Operational	Dec-23
600	Hamirpur	Rath (Npp)	5	Operational	Dec-23
601	Hamirpur	Sumerpur (Np)	5	Operational	Dec-23
602	Bahraich	Nanpara (Npp)	5	Operational	Dec-23
603	Balrampur	Balrampur (Npp)	5	Operational	Dec-23
604	Gorakhpur	Bansgaon (Np)	5	Operational	Dec-23
605	Gorakhpur	Campierganj	5	Operational	Dec-23
606	Gorakhpur	Kasba Sangrampur(Np)	5	Operational	Dec-23
607	Gorakhpur	Mundera Bazar (Np)	5	Operational	Dec-23
608	Gorakhpur	Pipiganj (Np)	5	Operational	Dec-23
609	Kushinagar	Chhitauni	5	Operational	Dec-23
610	Kushinagar	Duddhi	5	Operational	Dec-23
611	Kushinagar	Fazilnagar	5	Operational	Dec-23
612	Kushinagar	Kushinagar (Npp)	5	Operational	Dec-23
613	Kushinagar	Mathauli(Np)	5	Operational	Dec-23
614	Kushinagar	Padrauna (Npp)	5	Operational	Dec-23
615	Kushinagar	Ramkola (Np)	5	Operational	Dec-23
616	Kushinagar	Sewarhi (Np)	5	Operational	Dec-23
617	Kushinagar	Sukrauli	5	Operational	Dec-23
618	Kushinagar	Tamkuhi Raj	5	Operational	Dec-23
619	Maharajganj	Chowk (Np)	5	Operational	Dec-23
620	Maharajganj	Paniyara	5	Operational	Dec-23
621	Maharajganj	Partawal	5	Operational	Dec-23
622	Gorakhpur	Gorakhpur (M Corp.)	5	Operational	Dec-23
623	Gorakhpur	Gorakhpur (M Corp.)	5	Operational	Dec-23
624	Gorakhpur	Gorakhpur (M Corp.)	5	Operational	Dec-23
625	Etawah	Bakewar (Np)	5	Operational	Dec-23
626	Etawah	Lakhna (Np)	5	Operational	Dec-23
627	Farrukhabad	Khimsepur(Np)	5	Operational	Dec-23
628	Farrukhabad	Nawabganj	5	Operational	Dec-23
629	Farrukhabad	Sankisa Basantpur(Np)	5	Operational	Dec-23
630	Kannauj	Kannauj (Npp) (G)	5	Operational	Dec-23
631	Kannauj	Saurikh (Np)	5	Operational	Dec-23
632	Kanpur Dehat	Rajpur	5	Operational	Dec-23
633	Kanpur Dehat	Raniya	5	Operational	Dec-23
634	Kanpur Nagar	Bilhaul (Npp)	5	Operational	Dec-23
635	Kanpur Nagar	Bithoor (Np) (G)	5	Operational	Dec-23
636	Kanpur Nagar	Ghatampur (Npp)	5	Operational	Dec-23
637	Kanpur Nagar	Kanpur (M. Corp) (G)	5	Operational	Dec-23
638	Kanpur Nagar	Kanpur (M. Corp) (G)	5	Operational	Dec-23
639	Kanpur Nagar	Kanpur (M. Corp) (G)	5	Operational	Dec-23
640	Kanpur Nagar	Kanpur (M. Corp) (G)	5	Operational	Dec-23
641	Kanpur Nagar	Kanpur (M. Corp) (G)	5	Operational	Dec-23
642	Kanpur Nagar	Shivrajpur (Np)	5	Operational	Dec-23
643	Hardoi	Kachhauna Patseni (Np)	5	Operational	Dec-23
644	Hardoi	Kursath (Np)	5	Operational	Dec-23
645	Hardoi	Sandi (Npp)	5	Operational	Dec-23

646	Kheeri	Nighasan	5	Operational	Dec-23
647	Lucknow	Lucknow (M. Corp)	5	Operational	Dec-23
648	Lucknow	Lucknow (M. Corp)	5	Operational	Dec-23
649	Lucknow	Lucknow (M. Corp)	5	Operational	Dec-23
650	Lucknow	Lucknow (M. Corp)	5	Operational	Dec-23
651	Lucknow	Lucknow (M. Corp)	5	Operational	Dec-23
652	Lucknow	Lucknow (M. Corp)	5	Operational	Dec-23
653	Lucknow	Lucknow (M. Corp)	5	Operational	Dec-23
654	Lucknow	Lucknow (M. Corp)	5	Operational	Dec-23
655	Lucknow	Lucknow (M. Corp)	5	Operational	Dec-23
656	Lucknow	Lucknow (M. Corp)	5	Operational	Dec-23
657	Lucknow	Mohanlalganj	5	Operational	Dec-23
658	Sitapur	Paintepur (Np)	5	Operational	Dec-23
659	Unnao	Achalganj (Np)	5	Operational	Dec-23
660	Bagpat	Baghpat (Npp)	5	Operational	Dec-23
661	Bagpat	Baraut (Npp)	5	Operational	Dec-23
662	Bulandsahar	Bulandshahr (Npp)	5	Operational	Dec-23
663	Bulandsahar	Bulandshahr (Npp)	5	Operational	Dec-23
664	Bulandsahar	Bulandshahr (Npp)	5	Operational	Dec-23
665	Bulandsahar	Bulandshahr (Npp)	5	Operational	Dec-23
666	Bulandsahar	Kakod (Np)	5	Operational	Dec-23
667	Gautam Buddh Nagar	Bilaspur (Np)	5	Operational	Dec-23
668	Gautam Buddh Nagar	Dadri (Npp)	5	Operational	Dec-23
669	Gautam Buddh Nagar	Jewar (Np)	5	Operational	Dec-23
670	Ghaziabad	Dasna (Np)	5	Operational	Dec-23
671	Ghaziabad	Khoda Makanpur (Npp)	5	Operational	Dec-23
672	Ghaziabad	Modinagar (Npp)	5	Operational	Dec-23
673	Ghaziabad	Modinagar (Npp)	5	Operational	Dec-23
674	Ghaziabad	Patala (Np)	5	Operational	Dec-23
675	Hapur	Babugarh (Np)	5	Operational	Dec-23
676	Meerut	Bahsuma (Np)	5	Operational	Dec-23
677	Mirzapur	Mirzapur (Npp) (G)	5	Operational	Dec-23
678	Sonbhadra	Anapara	5	Operational	Dec-23
679	Sonbhadra	Churk Ghurma (Np)	5	Operational	Dec-23
680	Sonbhadra	Dala Bazar	5	Operational	Dec-23
681	Sonbhadra	Obra(Np)	5	Operational	Dec-23
682	Amroha	Amroha (Npp)	5	Operational	Dec-23
683	Amroha	Amroha (Npp)	5	Operational	Dec-23
684	Amroha	Amroha (Npp)	5	Operational	Dec-23
685	Amroha	Amroha (Npp)	5	Operational	Dec-23
686	Amroha	Hasanpur (Npp)	5	Operational	Dec-23
687	Amroha	Saidnagli (Np)	5	Operational	Dec-23
688	Moradabad	Dhakia (Np)	5	Operational	Dec-23
689	Rampur	Narpat Nagar Doondawala	5	Operational	Dec-23
690	Sambhal	Sambhal (Npp)	5	Operational	Dec-23
691	Sambhal	Sambhal (Npp)	5	Operational	Dec-23
692	Fatehpur	Fatehpur (Npp)	5	Operational	Dec-23
693	Fatehpur	Fatehpur (Npp)	5	Operational	Dec-23
694	Fatehpur	Kishunpur (Np)	5	Operational	Dec-23
695	Kaushambi	Charwa (Np)	5	Operational	Dec-23
696	Kaushambi	Daranagar	5	Operational	Dec-23
697	Kaushambi	Poorav Pashchim Shareera	5	Operational	Dec-23
698	Pratapgarh	Antu (Np)	5	Operational	Dec-23
699	Pratapgarh	Derwa(Np)	5	Operational	Dec-23
700	Pratapgarh	Suwansa Bazar	5	Operational	Dec-23
701	Muzaffarnagar	Khatauli (Npp)	5	Operational	Dec-23
702	Muzaffarnagar	Muzaffarnagar (Npp)	5	Operational	Dec-23
703	Saharanpur	Saharanpur (M. Corp)	5	Operational	Dec-23
704	Saharanpur	Saharanpur (M. Corp)	5	Operational	Dec-23

705	Ghazipur	Zamania (Npp)	5	Operational	Dec-23
706	Jaunpur	Gaurabadshahpur	5	Operational	Dec-23
707	Jaunpur	Jaunpur (Npp)	5	Operational	Dec-23
708	Jaunpur	Kajgaon	5	Operational	Dec-23
709	Jaunpur	Machhlishahr (Np)	5	Operational	Dec-23
710	Jaunpur	Mogra Badshahpur (Npp)	5	Operational	Dec-23
711	Jaunpur	Rampur (Jaunpur)	5	Operational	Dec-23
Total			3780		

Compost Pits Operational				
S.No.	District	ULB Name	No. of Pit	Pit Composting Capacity (TPD)
1	Agra	Agra	44	528
2	Agra	Shamsabad	5	6.5
3	Agra	Fatehpur Sikri	5	6.5
4	Agra	ACHHNERA	4	4
5	Agra	ETMADPUR	4	4
6	Agra	Bah	2	2.8
7	Agra	Jagner	2	2
8	Agra	Kheragarh	4	4.5
9	Agra	Kiraoli	4	4.5
10	Agra	Pinahat	3	3
11	Amroha	Hasanpur	6	7.5
12	Amroha	Bachhraon	5	2
13	Amroha	Naugawan Sadat	6	4
14	Barcilly	Bisharatganj	2	5
15	Barcilly	Fatehganj Pashchimi	2	5
16	Barcilly	Meerganj	2	5
17	Basti	Basti	2	2
18	Bhadohi	Bhadohi	2	4
19	Bhadohi	Nai Bazar	3	3
20	Bhadohi	Gopiganj	2	1.5
21	Bulandshahr	Anupshahr	5	0.5
22	Etah	Etah	3	5
23	Etah	Marhera	4	5
24	Etah	Aliganj	4	5
25	Etah	Awagarh	2	4
26	Etah	Jaithara	1	5
27	Etah	Nidhauri Kalan	2	2
28	Etah	Sakit	2	2
29	Etawah	Etawah	5	5
30	Etawah	Bharthana	3	3
31	Etawah	Jaswantnagar	3	3
32	Etawah	Bakewar	1	1
33	Etawah	Ekdil	2	2
34	Etawah	Lakhna	1	1
35	Farrukhabad	Farrukhabad	3	3
36	Farrukhabad	Kaimganj	8	4
37	Farrukhabad	Kamalganj	1	1
38	Farrukhabad	Kampil	1	1
39	Farrukhabad	Mohammadabad	6	4
40	Farrukhabad	Shamsabad	10	5
41	Fatehpur	Fatehpur	5	20
42	Fatehpur	Bindki	4	8
43	Fatehpur	Hathgam	1	1
44	Fatehpur	Khaga	67	30
45	Fatehpur	Kora Jahanabad	6	12
46	Hamirpur	Gohand	3	3
47	Hardoi	Hardoi	4	12
48	Hardoi	Shahabad	2	3
49	Hardoi	Sandila	4	5.5
50	Hardoi	Mallawan	4	3
51	Hardoi	PIHANI	2	4.5
52	Hardoi	Bilgram	6	4
53	Hardoi	Sandi	2	3.5
54	Hardoi	Beniganj	2	1.5
55	Hardoi	Gopamau	4	2.23
56	Hardoi	Kachhauna Patseni	2	2.1
57	Hardoi	Kursath	2	0.1
58	Hardoi	Madhoganj	2	4
59	Hardoi	Pali	2	2.35
60	Hathras	Hathras	8	8

61	Hathras	Sadabad	8	8
62	Kaushambi	Bharwari	5	5
63	Kaushambi	Manjhanpur	8	8
64	Kaushambi	Ajuwa	2	2
65	Kaushambi	Chail	1	1
66	Kaushambi	Karari	2	2
67	Kaushambi	Daranagar	2	2
68	Kaushambi	Purab Pashchim	2	2
69	Kaushambi	Sarai Aquil	2	2
70	Kaushambi	Sirathu	2	2
71	Kaushambi	Charwa	2	2
72	Kushinagar	Padrauna	2	2
73	Kushinagar	Kushinagar	2	5
74	Kushinagar	Hata	2	5
75	Kushinagar	Kaptanganj	1	2
76	Kushinagar	Dudahi	2	2
77	Kushinagar	Ramkola	1	2
78	Kushinagar	Sewarhi	1	1
79	Lakimpur Kheri	Lakhimpur	5	5
80	Lakimpur Kheri	Gola Gokarannath	1	1
81	Lakimpur Kheri	MOHAMMADI	1	1
82	Lakimpur Kheri	Barwar	16	16
83	Lakimpur Kheri	Dhaurahra	4	10
84	Lakimpur Kheri	Kheri	2	2
85	Lakimpur Kheri	Mailani	1	1
86	Lakimpur Kheri	Oel Dhakhwa	2	1
87	Lakimpur Kheri	Singahi Bhedaura	1	1
88	Lucknow	Lucknow	142	213
89	Lucknow	Amethi	2	6
90	Lucknow	Bakshi Ka Talab	2	6
91	Lucknow	Gosaiganj	1	3
92	Lucknow	Itaunja	1	3
93	Lucknow	Kakori	1	3
94	Lucknow	Mahona	1	3
95	Lucknow	Malihabad	1	3
96	Lucknow	Banthara	2	6
97	Lucknow	Mohanlalganj	2	6
98	Lucknow	Nagram	2	6
99	Mahoba	Mahoba	6	2
100	Mahoba	Charkhari	3	1
101	Mahoba	Kabrai	3	1
102	Mahoba	Kharela	3	1
103	Mahoba	Kulpahar	6	2
104	Meerut	Shahjahanpur	1	4
105	Meerut	Siwalkhas	1	2
106	Mirzapur	Mirzapur	2	2
107	Mirzapur	Chunar	2	3
108	Mirzapur	Ahraura	1	0.5
109	Mainpuri	Mainpuri	18	30
110	Mirzapur	Kachhwa	2	1
111	Muzaffarnagar	Muzaffarnagar	3	3
112	Muzaffarnagar	Khatauli	3	3
113	Muzaffarnagar	Bhokerheri	3	3
114	Muzaffarnagar	Budhana	3	3
115	Muzaffarnagar	Charthawal	3	3
116	Muzaffarnagar	Jansath	3	3
117	Muzaffarnagar	Meerapur	3	3
118	Muzaffarnagar	Purquazi	3	3
119	Muzaffarnagar	Shahpur	3	3
120	Muzaffarnagar	Sisauli	3	3

121	Pilibhit	Neoria Husainpur	1	10
122	Pratapgarh	Pratapgarh	5	10
123	Rae Bareli	Rae Bareli	7	12
124	Rae Bareli	Bachhrawan	2	2
125	Rae Bareli	Dalmau	1	1
126	Rae Bareli	Lalganj	2	2
127	Rae Bareli	Maharajganj	1	1
128	Rae Bareli	Nasirabad	2	2
129	Rae Bareli	Parshadepur	1	1
130	Rae Bareli	Salon	2	2
131	Rae Bareli	Unchahar	1	1
132	Saharanpur	Saharanpur	20	35
133	Saharanpur	Deoband	3	15
134	Sambhal	Chandausi	10	3
135	Sambhal	Babrala	6	2
136	Sambhal	Sirsi	30	6
137	Shahjahanpur	Powayan	4	4
138	Shahjahanpur	Allahganj	2	2
139	Shahjahanpur	Katra	2	2
140	Shahjahanpur	Khutar	5	5
141	Shahjahanpur	Banda	1	1
142	Shamli	Shamli	10	5
143	Shravasti	Ikauna	6	1
144	Sitapur	Sitapur	10	10
145	Sitapur	Mahmudabad	5	5
146	Sitapur	Laharpur	8	8
147	Sitapur	Biswan	10	10
148	Sitapur	KHAIRABAD	40	20
149	Sitapur		2	2
150	Sitapur	Hargaon	6	5
151	Sitapur	Maholi	5	5
152	Sitapur	Paintepur	4	4
153	Sitapur	Sidhauri	8	8
154	Sitapur	Tambaur Cum	8	5
155	Sonbhadra		2	5
156	Sonbhadra	Ghorawal	1	2
157	Sonbhadra	Pipri	2	4
158	Sonbhadra	Renukoot	4	8
159	Unnao	Mohan	2	1
160	Unnao	Nyotani	2	1
161	Varanasi	Gangapur	2	2
		Total	868	1457

Annexure - 26

Waste to Energy Plants - Operational					
SN	State name	District Name	Name of the city	Capacity (TPD)	Status
1	Uttar Pradesh	Varanasi	Bhawania Pokhri	5	Operational
2	Uttar Pradesh	Varanasi	Pahadia Mandi	5	Operational
3	Uttar Pradesh	Varanasi	IDH near Adampur Zone office	5	Operational
4	Uttar Pradesh	Ghaziabad	Dasna	73.97	Operational
5	Uttar Pradesh	Muzaffarnagar	Muzaffarnagar	120	Operational
Total				209	

4 MSW Plants - Under Construction						
S. N .	Division Name	District Name	ULB Name	Capacity (TPD)	% Construction	Plant construction status
1	Prayagraj	Kaushambi	Manjhanpur (NPP)	50	0.00	Under tender process
2	Varanasi	Chandauli	PT. Deen Dayal Upadhyay Nagar (NPP)	50	2%	Under Construction
3	Agra	Firozabad	Shikohabad (NPP)	50	0.00	Under tender process
4	Prayagraj	Pratapgarh	Bela Pratapgarh (NPP)	50	0.00	Under tender process
			Total	200		

Waste to Energy & Bio CNG (CBG) Plants- Under Construction						
SN	Name of the city	Name of the project	Agency executing the project	Designed capacity (TPD/MW)	Expected Time/ Date of completion	Recheck Timeline/ Remarks
1	Lucknow	Design, Finance, Built, Own, Operate (DFBOO), 300 TPD Capacity (expandable in future) Bio-CNG (CBG) Plant based on Source Segregated Organic Fraction of Solid Waste at Lucknow under Public Private Partnership	EverEnviro Resource Management Private Limited	300	02.10.2024	02.10.2024
2	Ghaziabad	Design, Finance, Built, Own, Operate (DFBOO), 300 TPD Capacity (expandable in future) Bio-CNG (CBG) Plant based on Source Segregated Organic Fraction of Solid Waste at Ghaziabad under Public Private Partnership	EverEnviro Resource Management Private Limited	300	31.12.2024	31.12.2024
3	Gorakhpur	Design, Finance, Built, Own, Operate (DFBOO), 300 TPD Capacity (expandable in future) Bio-CNG (CBG) Plant based on Source Segregated Organic Fraction of Solid Waste at Gorakhpur under Public Private Partnership	EverEnviro Resource Management Private Limited	200	02.10.2024	02.10.2024
4	Prayagraj	Design, Finance, Built, Own, Operate (DFBOO), 200 TPD Capacity (expandable in future) Bio-CNG (CBG) Plant based on Source Segregated Organic Fraction of Solid Waste at Prayagraj under Public Private Partnership	EverEnviro Resource Management Private Limited	200	02.10.2024	02.10.2024
5	Noida + Gr. Noida	Design, Finance, Built, Own, Operate (DFBOO), 300 TPD Capacity (expandable in future) Bio-CNG (CBG) Plant based on Source Segregated Organic Fraction of Solid Waste at Noida under Public Private Partnership	EverEnviro Resource Management Private Limited	300	31.12.2024	31.12.2024
6	Varanasi	Waste to Charcoal (BOO - Built, Own, Operate Basis)	NTPC Vidyut Vyapar Nigam Ltd. (NVVN)	600	July 24	The plant was running on trail basis during January 2024, it will be fully operational by July 2024
7	Kanpur	CBG	CUGL	550	October,2024	31.12.2024
8	Gorakhpur	Waste to Charcoal (BOO - Built, Own, Operate Basis)	NTPC Vidyut Vyapar Nigam Ltd. (NVVN)	500	June-2024	30.06.2024
9	Ghaziabad	Waste to Electricity	GC International	2300	Dec-25	Land is in Hapur, Land acquisition is in progress by NN Ghaziabad.
10	Muzaffarnagar	Waste to Electricity	GC International	750	Mar-25	Work Started
11	Agra	Waste to Electricity	Spake Branson	750	Mar-25	Work Started
Total				6750		

Ongoing remediation Legacy Waste Sites				
SN	District	ULB Name	Waste Quantity (Ton)	Waste Remediated (Ton)
1	Kanpur	Kanpur (M. Corp.)	1450000	675581.22
2	Prayagraj	Prayagraj (M. Corp.)	833500	698000
3	Moradabad	Moradabad (M. Corp.)	580000	464000
4	Bareilly	Bareilly (M. Corp.)	575578	350000
5	Aligarh	Aligarh (M. Corp.)	559560	0
6	Mathura - Vrindavan	Mathura - Vrindavan (M. Corp.)	259358	90000
7	Ghaziabad	Moradnagar (NPP)	95095.85	80831.4725
8	Jaunpur	Jaunpur (NPP)	74869	56000
9	Lalitpur	Lalitpur (NPP)	51738.8	41391.0
10	Sultanpur	Sultanpur (NPP)	51237	5200
11	Mau	Maunath Bhanjan (NPP)	45336	0
12	Ambedkar Nagar	Akbarpur (NPP)	40887	28500
13	Banda	Banda (NPP)	72153	0
14	Sambhal	Chandausi (NPP)	29328	2932
15	Firozabad	Shikohabad (NPP)	25829	0
16	Azamgarh	Azamgarh (NPP)	25603	0
17	Bulandshahar	Sikandarabad (NPP)	25304.28	9348.3
18	Muzaffarnagar	Budhana (NP)	25000	23750
19	Shamli	Shamli (NPP)	34000	13600
20	Gautam budh Nagar	Dadri (NPP)	20388	7706
21	Hapur	Garhmukteshwar (NPP)	20324	16462
22	Amroha	Dhanaura (NPP)	17291	0
23	Jalaun	Orai (NPP)	15170	5530
24	Bagpat	Khekada (NPP)	14600	10220
25	Moradabad	Thakurdwaara (NPP)	14384	0
26	Muzaffar Nagar	Bhokarkhedhi (NP)	14000	2000
27	Muzaffar Nagar	Meerapur (NP)	13000	5000
28	Bagpat	Tikri (NP)	12500	0
29	Bulandshahar	Jahangirabad (NPP)	12000	6000
30	Muzaffar Nagar	Purqazi (NP)	12000	1700
31	Gautam budh Nagar	Dankaur (NP)	10950	0
32	Bulandshahar	Bulandshahar (NPP)	10000	7000
33	Ghaziabad	Modinagar (NPP)	10000	4000
34	Bulandshahar	Bugrasi (NP)	8600	5600
35	Lucknow	Lucknow (M. Corp.)	1849902	33000
36	Ghaziabad	Ghaziabad (M. Corp.)	272214	42000
37	Meerut	Meerut (M. Corp.)	170936	0
38	Farrukhabad	Farrukhabad (NPP)	79941.9	54360.492
39	Lakhimpur Kheeri	Lakhimpur (NPP)	76073	30500
40	Hardoi	Hardoi (NPP)	63319	12700
41	Ayodhya	Ayodhya (M. Corp)	50015	40000
42	Gonda	Gonda(NPP)	47813	25819.02
43	Unnao	Gangaghat (NPP)	40260	11000
44	Lucknow	Malihabad(NP)	9450	5953.5
Total			7719508	2865685.00

Waste to be remediated

**48.5 Lakh Ton+2 Lakh
Ton=50.5 Lakh Ton**